लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

अष्टम माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 33, सोमवार 29 अप्रेल, 1985/9 वैशाख, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	1—18
*तारांकित प्रश्न संख्या 631, 634, 636, 638 639 और 642	...	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	18—128
तारांकित प्रश्न संख्या : 629, 630 632, 633, 635, 637, 640, 641; 643 से 647, और 531	...	18—26
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4629 से 4646, 4648 से 4725, 4727 से 4729, 4731 से 4737 और 4739 से 4763	...	26—128
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	128—130
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	...	130
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	...	130—147
आवश्यक तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति	...	130—147
श्री जैनुल बशर	...	130—131
राव बीरेन्द्र सिंह	...	131—142
श्री जय प्रकाश अग्रवाल	...	142—145
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	...	145—147
श्रीलंका में विद्यमान स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	...	147—149
श्री खुर्शीद आलम खां	...	147—149
नियम 377 के अधीन मामले	...	149—152
(एक) बरौनी (बिहार) में टेलिफोन सेवाओं को सुधारने की आवश्यकता		
श्रीमती कृष्णा साही	...	149
(दो) युवकों की बेरोजगारी को दूर करने के जिला फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में कुछ भारी उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता		
श्री निर्मल खत्री	...	149—150

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(तीन) नागालैंड में मोकोकचुंग और दीमापुर में दो और दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता		
श्री विगवांग कोनयक	...	150
(चार) बुलढाना जिले में पेयजल की कमी से प्रभावित गांवों में पेयजल की समस्या का समाधान करने से लिए महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता		
श्री मुकुल वासनिक	...	150
(पांच) उत्तर प्रदेश में सूखे की अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा पर्याप्त धन दिए जाने की आवश्यकता		
श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी	...	150—151
(छः) धान के लिये जो मूल्य पंजाब के किसानों को दिया जाता है, आंध्र प्रदेश के धान उत्पादकों से उसी मूल्य पर धान खरीदने तथा उन्हें बोनस भी देने की आवश्यकता		
श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव	...	151
(सात) कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1984 के उपबंधों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता		
श्रीमती विभाघोष गोस्वामी	...	151—152
(आठ) उड़ीसा में बंसपाणि-जखपुरा रेल लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता		
श्री हरिहर सोरन	...	152
(नौ) पेयजल की अत्यधिक कमी के कारण खुर्द तथा नयागढ़ (उड़ीसा) के निवासियों को हो रहे कष्ट को दूर करने की आवश्यकता		
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	...	152
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86 (—जारी)	...	153—182
वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय		
श्री आनन्द पाठक	...	153—158
श्री देवी घोसाला	...	158—161
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	161—165
श्री ए० कलानिधि	...	165—167
श्री बी० बी० रमैया	...	167—169
श्री अमर राय प्रधान	...	169—170
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	...	170—182
श्रीलंका में विद्यमान स्थिति के बारे में चर्चा	...	183—187
श्री पी० सेल्वेन्द्रन	...	183—187

विषय		पृष्ठ
दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में जांच आयोग बैठाने के लिये धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिये भारत की आकस्मिक निधि से धन निकालने के बारे में वक्तव्य	...	187—188
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा	...	187—188
श्रीलंका में विद्यमान स्थिति के बारे में चर्चा (जारी)	...	188—249
श्री पी० आर० कुमार मंगलम	...	188—194
श्री एन० वेंकट रत्नम	...	194—197
श्री पी० चिदम्बरम	...	198—202
श्री एस० जयपाल रेड्डी	...	202—203
डा० पी० बल्लल पेरूमान	...	203—206
श्री सुरेश कुरुप	...	206—208
डा० गौरीशंकर राजहंस	...	208—212
श्री पी० कुलनदईवेलू	...	212—215
श्री बृज मोहन महन्ती	...	215—217
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	217—224
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	...	224—226
डा० ए० कलानिधि	...	226—232
श्रीमती वैजयन्तीमाली बाली	...	232—234
श्री बी० सोमनाद्रीसवरा राव	...	234—236
श्री राम रतन राम	...	236—238
श्री हरि राव	...	238—239
श्री एन० सुन्दरराज	...	239—242
श्री खुर्शीद आलम खां	...	242—249
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	...	249

—०—

लोक सभा

सोमवार, 29 अप्रैल 1985/9 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संहिता में संशोधन

[अनुवाद]

*631. **श्री ललित माकन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की संहिता में गत 35 वर्षों से कोई संशोधन नहीं हुआ है;

(ख) क्या वर्क चार्ज मजदूर को जिन्हें वे सभी भत्ते और लाभ उपलब्ध हैं जो कि स्थायी मजदूरों को मिलते हैं, लगभग 40 वर्षों की सेवा करने के बाद भी वर्क चार्ज मजदूर ही कहा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी नहीं । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की संहिता का समय-समय पर संशोधन किया जा रहा है । पिछला संशोधन अगस्त, 1983 में किया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) लोक निर्माण विभाग के कार्य पर प्रभारित स्थापना के मजदूरों को "कार्यप्रभारित" कहा जाता है क्योंकि उनके वेतन तथा भत्ते उस कार्य पर प्रभारित किए जाते हैं, जिस कार्य पर वे लगे होते हैं ।

श्री ललित माकन : उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण और आवास मंत्रालय में हजारों मजदूर हैं जिन्हें सभी सुविधाएं जैसे पेंशन, उपदान, एल० टी० सी०, चिकित्सा सुविधाएं तथा सामान्य पूल आवास की भी सुविधा मिल रही है । इसी प्रकार से ये सभी सुविधाएं कार्य-प्रभारित मजदूरों को भी मिल रही हैं । मैं यह नहीं समझ पाया कि जब वे स्थायी प्रकार का कार्य ही कर रहे हैं—काम स्थायी है—वे गत काफी वर्षों से काम कर रहे हैं और उन्हें सभी सुविधाएं मिल रही हैं, तो उन्हें नियमित स्थापना में ही क्यों नहीं शामिल कर दिया जाता है । मेरा प्रश्न यह है । क्या यह सही नहीं है कि कार्य-प्रभारित मजदूर स्थायी प्रकार का काम कर रहे हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है; सिर्फ यही नहीं, एक शहर से दूसरे शहर में भी उनका स्थानांतरण किया जा सकता है ? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है । क्या यह ठीक है कि अन्य विभागों

में, जैसे डाक-तार विभाग नगर विमानन विभाग, भारत सरकार का मुद्रणालय, सभी औद्योगिक मजदूरों को नियमित स्थापना के आधार पर रखा जाता है ?

क्या यह सत्य है कि हाल में कुछ लिफ्ट चालकों, पूछताछ क्लर्कों तथा निर्माण सहायकों को कार्य-प्रभारित स्थापना से स्थानान्तरण करके नियमित स्थापना पर लाया गया है जबकि बहुत से लोगों को छोड़ दिया गया है और क्या कार्य-प्रभारित मजदूरों को नियमित स्थापना पर स्थानांतरण करने की कोई योजना है ?

श्री अब्दुल गफूर : जो मुख्य बात माननीय सदस्य जानना चाहते हैं यह है । कार्य-प्रभारित मजदूरों को वे सभी सुविधाएं प्राप्त हैं जो नियमित कर्मचारियों को दी जाती है । केवल अन्तर यह है । कार्य-प्रभारित मजदूरों की सेवा निवृति आयु 60 वर्ष है, जबकि जो कर्मचारी नियमित है उनके लिए यह सीमा 58 वर्ष है । यही एकमात्र और मुख्य अन्तर है । सेवावृति वही है । छुट्टियां वही हैं । सभी चीजें वही हैं । प्रश्न यह हैं । तब क्यों उन्हें स्थायी नहीं किया जाता है ? यह माननीय सदस्य जानना चाहते हैं । यह सत्य है कि अंतर सिर्फ मामूली सा है । परन्तु बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो खुद चाहते हैं, 'नहीं, हमें कार्य-प्रभारित स्टाफ के अन्तर्गत रखा जाए ।'

श्री ललित माकन : यह सही नहीं है ।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : माननीय सदस्य के नेतृत्व में ।

श्री अब्दुल गफूर : दूसरे, वहां पर तीन यूनियनें कार्यरत हैं । उसमें से दो यह चाहती हैं कि उन्हें इसी प्रकार से समझा जाये जैसा कि अभी तक समझा जाता है और एक यूनियन, जिसका संचालन मेरे माननीय मित्र करते हैं, चाहती हैं कि उन्हें नियमित कर्मचारी के तौर पर समझा जाये । मैं भी यह चाहता हूं कि ये तीनों यूनीयनें एक मेज पर एक साथ आयें और हमारे अधिकारियों के साथ बैठ कर इस मामले को हल करें ।

श्री ललित माकन : इस बात का यूनियन से कुछ लेना-देना नहीं है । सारी बात यह है कि जब वे स्थायी तरह का कार्य करते हैं और जब हम कार्य-प्रभारित स्टाफ की बात करते हैं तो यह स्थायी काम काज की तरह से नहीं लगता है । जब वे सभी सुविधाएं ले रहे हैं और स्थायी प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो उनका निश्चित ही नियमित स्थापना पर स्थानांतरण होना चाहिए । माननीय मंत्री के दिमाग में जो बात बैठी है, मेरे विचार में, सही नहीं है । मैं नहीं जानता कि किसने यह विचार उन्हें दिया है । जहां तक मेरा सम्बन्ध है इसमें कोई विवाद नहीं है । इस मामले पर कि कार्य-प्रभारित मजदूरों को नियमित स्थापना पर स्थानांतरण करना चाहिए जबकि वे एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं, सभी यूनियनें एकमत हैं । जब वे स्थायी प्रकार का कार्य कर रहे है ; और जब उन्हें वे सभी सुविधाएं मिल रही हैं जो स्थायी मजदूरों को मिलती हैं, एक बात और जब उनको एक शहर से दूसरे शहर में भी स्थानांतरित किया जा सकता है तो उन्हें कार्य-प्रभारित मजदूरों से नियमित स्थापना पर बदला जाना चाहिए । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मेरा प्रश्न है : क्या कोई योजना है और मंत्री महोदय कार्य-प्रभारित मजदूरों को भविष्य में नियमित स्थापना पर स्थानांतरण करने पर विचार कर रहे हैं ? मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए ।

श्री अब्दुल गफूर : मैंने पहले ही जवाब दे दिया है । मैं आपको बताऊंगा । मैं दूसरी यूनियनों को भी बुलाऊंगा । मैं कार्य-प्रभारित स्टाफ से भी पूछूंगा । मैं अपने अधिकारियों से इस मामले का हल करने के लिए कहूंगा । यह कोई बड़ी समस्या नहीं है ।

श्री ललित माकन : क्या आप इससे सहमत हैं, जो मैं कह रहा हूं ? अगर आप सहमत हैं, तो इसे आप स्वीकार कीजिए। इसमें मुझे अथवा अन्य मजदूर यूनियनों के नेताओं के बुलाने का प्रश्न नहीं है।

श्री अब्दुल गफूर : कभी कभी आदमी के दिमाग में ऐसा आता है : अगर आप थोड़ी सी सुविधा दें तो इसमें क्या गलत है। 2 वर्षों का समय एक मामूली बात नहीं है। जो आप कहते हैं अगर मैं उसको मान लूं तो उनकी आयु सीमा घटकर 58 हो जायेगी। अगर मजदूर चाहते हैं, 'नहीं' हमारे साथ कार्य-प्रभारित स्टाफ] की तरह से व्यवहार कीजिए।' तो हम क्यों न उन्हें यह सुविधा दें जब हम उन्हें सभी सुविधाएं दे रहें हैं जो हम नियमित स्टाफ को दे रहे हैं। हालांकि उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जायेगा। जो कुछ आपने कहा है उस पर मेज पर आमने सामने बैठकर बातचीत की जायेगी और इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, लेबर मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं और ऐसे बैठे हैं जैसे वह डर नहीं रहे हैं बड़ी ताज्जुब की बात है·····

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्माण और आवास मंत्रालय से संबंधित है। आप श्रम मंत्री को यहां बीच क्यों ला रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : आप मेहरबानी कर के यह बतायें कि आपके डिपार्टमैंट में 240 दिन बराबर काम करने वाले कितने लोग हैं ? क्या आपको कानून इजाजत देता है कि 240 दिन बराबर काम करने के बाद भी आप उन्हें स्थायी न बनायें ? इसके लिये लेबर डिपार्टमैंट ने आपके डिपार्टमैंट के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की ?

240 दिन काम करने के बाद भी आप कानून को भंग करते हैं और उस आदमी को एक दिन एबसेंट बनाकर कह देते हैं वर्क चार्ज। यह बताने की कृपा करें कि क्या उसको वह लाभ नहीं मिल सकते जो कि परमानैन्ट एम्पलाइज को मिलते हैं ?

श्री अब्दुल गफूर : मुहतरम डागा साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे फैक्टरीज एक्ट के मुताबिक गवर्न होते हैं। ये वह सब काम कर सकते हैं जो कि फैक्टरीज के दूसरे वर्कर करते हैं। आपके दिमाग में यह है कि एक दिन एबसेंट करा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। फैक्टरीज एक्ट के मुताबिक जो दूसरे लोगों को फैसिलिटीज मिलती हैं, वह इनको भी दी जाती हैं। मैंने सारी फैसिलिटीज पढ़कर बता दी हैं कि रैगुलर को क्या मिलता है और इन लोगों को क्या मिलता है। आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्क चार्ज को कुछ ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं बनिस्पत रैगुलर के। फिर भी जो उन्होंने कहा है, हम उसको भी कंसीडर करते हैं लेकिन वर्कर्स यह चाहते हैं कि हमको वर्क चार्ज में रखिये, तो उनका इन्टरेस्ट देखा जाता है।

श्री बूटा सिंह : इनका प्रश्न तो यह था कि लेबर मिनिस्टर डरते क्यों नहीं ?

[अनुवाद]

श्री अजीज सेठ : महोदय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सबसे बड़ा नियोजक है अतः मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वे कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को स्थायी वर्ग श्रेणी में रखने के लिए तैयार हैं;

श्री अब्दुल गफूर : इसका जवाब पहले ही एक अनुपूरक प्रश्न में दे दिया गया है।

श्री अजीज सेट : पहले वाले अनुपूरक प्रश्न में मेरे मित्र उनको नियमित स्थापन पर स्थानान्तरण करने के बारे में पूछ रहे थे। मेरा प्रश्न है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को इन मजदूरों को स्थायी श्रेणी में रखने में क्या कठिनाई है ?

श्री अब्दुल गफूर : मैंने पहले ही बताया है कि जो मजदूर कार्य-प्रभारित है उनकी आयु सीमा 60 वर्ष है। मुझे इसमें कोई सन्देह नजर नहीं आता। मैंने पहले यह भी कहा है कि सारे मामले पर मेज पर आमने सामने बैठकर बातचीत की जायेगी।

श्री अजीज सेट : महोदय, मेरा सरल सा प्रश्न है कि क्या इन कार्य-प्रभारित मजदूरों को स्थायी समझा जायेगा अथवा नहीं ?

श्री अब्दुल गफूर : वे सभी इस अर्थ से स्थायी हैं कि उन्हें स्थायी मजदूर की तरह ही समझा जाता है। उन्हें सभी सुविधाएं मिल रही हैं। बल्कि उनको एक अतिरिक्त सुविधा मिलती है, अर्थात् उनकी अवकाश प्राप्ति की आयु सीमा 60 वर्ष है जबकि स्थायी कर्मचारियों के मामले में यह 58 वर्ष है।

श्री राज मंगल पांडे : मंत्री महोदय, ने जो उत्तर दिया है उससे लगता है कि वह कानूनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय समझौते पर अधिक जोर दे रहे हैं जबकि उन्हें यह पता होना चाहिए कि कार्य-प्रभारित मजदूर को स्थायी मजदूर के समान बनाने की उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। कार्य-प्रभारित मजदूर और स्थायी मजदूर में फर्क है। कार्य-प्रभार का मतलब है जब तक काम है तब तक उनको काम मिलेगा और जैसे ही काम पूरा हो जायेगा वैसे ही उनको हटा दिया जायेगा। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वह कार्य-प्रभारित मजदूरों को नियमित मजदूरों के बराबर समझेंगे। अगर आप उन्हें सभी लाभ दे रहे हैं तो आप उन्हें स्थायी क्यों नहीं कर रहे हैं ? ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री प्रश्न से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अब्दुल गफूर : प्रश्न से बचने का कोई सवाल नहीं है। शुरू में यह कार्य-प्रभार वाली बात लायी गयी थी तब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास शायद निरन्तर काम उनके लिए नहीं होता होगा। बाद में ऐसा पाया गया है कि सारी विचार धारा बिल्कुल उसी आधार पर हैं। जैसी कि नियमित कर्मचारियों के लिए है। अपने आपको कार्य-प्रभारित मजदूरों में रखकर उन्हें कुछ अधिक लाभ मिलता है। अगर माननीय सदस्य, ट्रेड यूनियन के नेता तथा मजदूर चाहते हैं कि उन्हें नियमित मजदूरों में बदल दिया जाये तो सरकार को इसमें कोई हिचक नहीं है।

देश में आनुवंशिकी अनुसंधान

*634. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आनुवंशिकी अनुसंधान की अत्यधिक गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) इनके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को कहां तक प्रोत्साहन मिलने की संभावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) इन प्रश्नों से संबंधित एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) चिकित्सा, औद्योगिक और संबंधित क्षेत्रों के अतिरिक्त फसल और पशु सुधार के क्षेत्र में आनुवंशिक अनुसंधान का अधिक महत्व है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसका संबंध फसल और पशु सुधार से है—फसलों, जिन्सों और पशु प्रजातियों के सुधार के लिए देश के विभिन्न भागों में अधिक से अधिक 22 केन्द्रीय संस्थानों की स्थापना की है । इसके अतिरिक्त, काफी संख्या में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाएं देश भर में चलाई जा रही हैं । इनमें से प्रत्येक प्रायोजना में कई केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं जिससे कि आनुवंशिक सिद्धान्तों के प्रयोग द्वारा फसल एवं पशु सुधार की स्थान विशिष्ट समस्याओं का समाधान किया जा सके ।

देश में 23 कृषि विश्वविद्यालय हैं जिनमें आनुवंशिक विज्ञान के अनुसंधान एवं शैक्षणिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कृषि, बुनियादी विज्ञान और पशु पालक संकायों में आनुवंशिक विषय रखा गया है ।

हाल ही में, भारत सरकार ने कृषि सहित सभी क्षेत्रों में आनुवंशिक अनुसंधान की प्रगति के लिए प्रोत्साहन देने की बात को ध्यान में रख कर एक राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना की है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तीन जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना की है जो राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली प्रत्येक में स्थित हैं । ये केन्द्र पशु और फसलों के विकास तथा उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कार्य करेंगे ।

फिर इसके आगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सुविधाओं को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है जिससे कि फसल एवं पशु सुधार से संबंधित आनुवंशिक विज्ञान के विकास के लिए अपेक्षित शक्ति प्रदान की जा सके ।

(ग) पौध और पशु प्रजनन कार्यक्रमों में अनुवंशिक सिद्धान्तों के प्रयोग के साथ, काफी संख्या में अधिक पैदावर देने वाली किस्मों और संकर फसलों एवं पशु-प्रजातियों का विकास किया गया है जिससे देश में कृषि और पशु उत्पादन तथा, उनकी क्वालिटी में वृद्धि करने का अवसर प्राप्त हुआ है । अभी भी, अनेक समस्याएं हैं जिन्हें नियमित आधार पर हल करने की जरूरत है जिससे कि वृद्धि की प्रगति को कायम रखा जा सके और विभिन्न जैविक और अजैविक संकटों के कारण होने वाले घट-बढ़ को कम से कम करके उत्पादन को स्थिर किया जा सके । इसे प्राप्त करने के लिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय क्षमता को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है । परम्परागत यांत्रिकी के अतिरिक्त जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक अभियांत्रिक तकनीकों के अधिक प्रयोग किये जाने की संभावना है जिससे कि—सूखा सहने की क्षमता वाली, बेहत्तर फोटोसिन्थेसिस क्षमता वाली, रोग एवं कीड़ों जैसे जैविक संकटों से कम प्रभावित होने वाली, जैव—रासायनिक उर्वरकों के कारगर उपयोग और शोषण, टिस्सू कल्चर, भ्रूण प्रतिरोपण आदि जैसे गुणों से युक्त नई पौध किस्मों के के विकास जैसे पहलुओं के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके ।

डा० कृपासिंधु भोई : मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने विस्तार से उत्तर दिया है जिससे भारत की आम ग्रामीण जनता तथा कृषकों को फायदा हो सकता है ! तीसरे विश्व देशों में आनुवंशिक अनुसंधान के अवसर प्रदान करने की शुरूआत हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री,

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने की थी और उस समय से लगातार कृषि तथा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की प्रगति में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। अब हम कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कहीं अधिक आत्म-निर्भर हैं। पशुओं के क्षेत्र में हम पीछे होते जा रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इस मामले पर गौर करेंगे ? आनुवंशिकी इन्जीनियरी तथा जैव-प्रौद्योगिकी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की प्रारम्भिक समिति के छटे अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार सत्र, जिसका उद्घाटन श्री आर० वेंकटरमन द्वारा विज्ञान भवन में किया गया था, का विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा उस सेमिनार का क्या परिणाम निकला है जिसके अनुसार देश में ही उक्त प्रौद्योगिकी स्थापित की जा सकती है तथा जिससे जैव-प्रौद्योगिकी में कार्य करने के लिए उपजाऊ क्षेत्र उपलब्ध कराया जा सकता है ? दूसरे, यू० एन० डी० ओ०, जिसने इस संबंध में शुरूआत की है, से क्या सहायता मिलने की आशा है ?

श्री बूटा सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य का उनकी बहुत ही उदार टिप्पणियों के लिए आभारी हूं। स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के गतिशील नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए आनुवंशिकी इन्जीनियरी, आणविक जीवविज्ञान, टिशु कलचर, इत्यादि के क्षेत्र में प्रशंसनीय अनुसंधान संभव हुआ है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार जो विज्ञान भवन में हुआ था का जिक्र किया है। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि इस क्षेत्र में हमारी भारी उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप यू० एन० डी० ओ० पोस्ट ग्रेज्यूएट अनुसंधान तथा जैव-प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए तीन केन्द्रों की अनुमति देने के लिए सहमत हो गया है और इन तीन केन्द्रों को हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर तथा राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में स्थापित करने का फैसला किया है। भारत-अमरीका के सहयोग से विज्ञान और तकनीकी परियोजना स्थापित की गई हैं जो आनुवंशिकी इंजीनियरी पर कार्य करेगी और जीन प्रतिरोपण अथवा जीन मैनिप्यूलेशन विशेषत: नान-लेग्यूमज नाइट्रोजन योगिकीकृत के संदर्भ में ध्यान केन्द्रित करेगी। जैव-प्रौद्योगिकी और कृषि तथा औषधि आनुवंशिकी इन्जीनियरी का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र भारत बनाया गया है। विज्ञान और तकनीकी विभाग इस केन्द्र के समन्वय के लिए केन्द्रीय ऐजेंसी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपने कई संस्थानों में सामान्य कार्य के तौर पर शुरू किए गए कार्यक्रमों के अलावा गन्ने, नारियल तथा मूंगफली के लिए बहुत सारी तदर्थ अनुसंधान योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

डा० कृपा सिंधु भोई : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह देश के हित में फसल की और पशुओं की मूल किस्मों को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना करने की सोच रहे हैं ताकि हमारी पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए हमारे देश की वनस्पति और प्राणि जगत का उचित रख रखाव सुनिश्चित किया जा सके। यदि नहीं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में इस तरह के किसी बैंक को स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि वह दुनियां को यह दिखा सकें कि तीसरी दुनियां को अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी जानकारी देने के लिए भी भारत सबसे आगे है।

श्री बूटा सिंह : महोदय, हमने अपने देश में इन महत्व पूर्ण किस्मों को पारम्परिक तरीकों से सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन माननीय सदस्य द्वारा बताए गए सुझाव महत्वपूर्ण हैं और हम इन सुझावों पर पूरा विचार करेंगे तथा हम शायद इस तरह के बैंक बनाये जाने की आवश्यकता पर कारंवाई करेंगे। हम अपने देश में ऐसा बैंक स्थापित करने की कोशिश करेंगे।

छोटे मत्स्य पोतों और अयंत्रीकृत नौकाओं को राज सहायता

*636. श्री हुसैन दलवाई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों को डीजल की खपत पर 50 प्रतिशत राज सहायता दी जाती है;

(ख) छोटे मत्स्य पोतों तथा अयंत्रीकृत नौकाओं को यह रियायत न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी मत्स्य नौकाओं को समान रूप से राज सहायता देने को कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बड़े ट्रालरों को कोई राजसहायता नहीं दी जाती है। तथापि, 150 बी० एच० पी० और उससे अधिक वाले इंजिनों के साथ जुड़े 13.7 मीटर की लम्बाई के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रालरों के लिये एच० एस० डी० आयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर निम्न दरों पर छूट दी जाती है :—

(1) 50 प्रतिशत की समान दर पर।

(2) प्रत्येक एक टन झींगा मछली के निर्यात के लिये डीजल के प्रत्येक 1.08 कि० लीटर उत्पाद शुल्क के 50 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट।

(ख) से (घ) सरकार ने इस योजना को लघु यन्त्रीकृत नावों पर लागू करने से संबंधित एक प्रस्ताव की जांच की थी। अत्यधिक प्रशासनिक कठिनाइयों और राजस्व के जोखिम के कारण योजना का क्रियान्वयन करना सम्भव नहीं था।

श्री हुसैन दलवाई : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार द्वारा निर्धारित नीति नहीं है कि इस तरह की राज सहायता छोड़े किसानों और सीमान्त किसानों को प्रदान की जाए। मैं नहीं जानता कि मछुओं के मामलों में इस नीति का पालन क्यों नहीं किया गया है। वे यहां बड़े ट्रालरों को सहायता दे रहे हैं जिनके मालिक अमीर व्यक्ति हैं। वस्तुतः एक कहावत है कि बड़े लोग छोटे लोगों को उठने नहीं देते हैं बड़े ट्रालर बड़ी मात्रा में मछली पकड़ते हैं तथा छोटे ट्रालर या वे छोटी यंत्रीकृत नौकाएं मछलियों को पकड़ने से वंचित हो जाती हैं। यह या तो बड़े ट्रालर के द्वारा और इससे भी अधिक उन्हें राज सहायता नहीं दी जाती है, ये कारणों द्वारा होता है। जब सरकार बड़े ट्रालरों को डीजल पर उत्पाद शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देती है तो उन्हें छोटे ट्रालरों को 100 प्रतिशत छूट देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन छोटे ट्रालरों को 100 प्रतिशत छूट देने पर विचार कर रही है। क्या सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव है या नहीं ?

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महोदय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं। लेकिन इस राज सहायता को विभिन्न पहलुओं से देखना होगा क्योंकि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की कारंवाई में सबसे बड़ी कठिनाई ईंधन की खपत है। कभी कभी

यह गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की कुल लागत का 65 प्रतिशत तक होता है। इसलिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए हमें यह छूट देनी पड़ती है क्योंकि हम गहरे समुद्र में संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं। मुख्य प्रश्न के उत्तर में जो मैंने विभिन्न बातें कही हैं उनको हमने सम्बन्धित मंत्रालय के साथ उठाया था। इसकी चर्चा विभिन्न स्तरों पर की गई थी। यह भी जांच की गई कि क्या इस तरह की योजना का कार्यान्वयन करना व्यवहार्य होगा। लेकिन हमने इसको छोड़ा नहीं है। हम अभी भी दबाव डाल रहे हैं, यदि इस रूप में नहीं तो कम से कम दूसरे रूप में जैसे उधार दी गई राशि में छूट या उन्हें कुछ राजसहायता की व्यवस्था करना जो मछली पकड़ने के काम में लागत की क्षतिपूर्ति कर सकें। अभी भी हम संबन्धित मन्त्रालयों के साथ इस पर दबाव डाल रहे हैं। इन यंत्रीकृत नौकाओं का प्रयोग करने वाले मछुओं को दी जा रही छूट का ब्यौरा यदि आप देखें तो यह बहुत कम है और इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कठिन रास्तों को तय करने होते हैं जो कि एक तरह चोरी या हेराफेरी है। अत: हम उनके लिए सरल प्रणाली की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं जिसके द्वारा मछुएं कुछ लाभ पाएंगे। हो सकता है यह इनके द्वारा न होकर किसी दूसरे साधनों से हो सकता है। हम इसमें सहायता दे सकते हैं और हम उन मछुओं की जो यंत्रीकृत नौकाओं या छोटी नौकाओं का भी उपयोग करते हैं, मदद कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इससे पहले कि मैं इस पर पूरक प्रश्न पूछूं, मैं माननीय मंत्री जी को एक अन्य अवसर बारे की याद दिलाना चाहता हूं जिस दिन वह सदन में उपस्थिति थे, वित्त मंत्री महोदय सदन में उपस्थित थे; माननीय प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित थे।

श्री बूटा सिंह : वित्त मन्त्री उपस्थित नहीं थे।

प्रो० मधु दण्डवते : वह शारीरिक रूप में उपस्थित नहीं थे। **(व्यवधान)** महोदय, उस समय मैंने प्रधान मन्त्री जी की उपस्थिति के समय कहा था कि वे यंत्रीकृत नौकाएं जिनकी 150 एच० पी० या इससे अधिक शक्ति हैं, वे डीजल शुल्क पर छूट प्राप्त कर रहे थे। जिन यन्त्रीकृत नौकाओं की 150 एच पी से कम शक्ति थी उन्हें इस रियायत और राज सहायता की मनाही कर दी गई थी तथा इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृषि मंत्री जी वित्त मन्त्री जी के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करें और वित्त मन्त्री जी प्रधान मन्त्री के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करके यह सुनिश्चित करें कि इस रियायत की मंजूरी दी जाए। उस समय माननीय मन्त्री उठ खड़े हुए थे। तथा उन्होंने कहा "प्रो० मधु दण्डवते जो मांग कर रहे हैं उसके बादे में मैं अपनी सहमति देता हूं।" उस समय प्रधान मंत्री जी कृषि मन्त्री जी के बहुत निकट बैठे थे। सौभाग्य वश अध्यक्ष की अनुमति के बाद प्रधानमन्त्री जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, "मैं प्रो० मधु दण्डवते के सुझावों को स्वीकार करता हूं। कृषि मन्त्री जी को वित्त मन्त्री जी के माध्यम से आने दो।" इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने वित्त मन्त्रालय को पहले से ही सिफारिश कर दी है। उनको इस बारे में मना लिया है जिस बारे में आप अपने आप मान चुके हैं। आपने स्वीकार किया हुआ उत्तर दिया है। मैं जानता हूं कि वह दिल से समर्थन करते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कराने के लिए वित्त मंत्रालय के पीछे लगे हुए हैं। और वित्त मन्त्रालय ने इसे अन्त में ले ही लिया है। यदि इन्होंने इसे नहीं लिया है तो भगवान के लिए और आप इस पर निर्णय लें।

श्री बूटा सिंह : महोदय; चतुर ट्रेड यूनियम नेता की तरह माननीय सदस्य कतिपय बातों को ले आये हैं जो सदन में नहीं कही गई थीं उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि वास्तव में

प्रधानमंत्री जी सहमत हुए और उन्होंने निदेश दिऐ । उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया । उन्होंने कहा, "मंत्री जी को वित्त मंत्री के द्वारा आने दो ।" अत: उत्सुकुतावश मैंने उसके बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया । मैं मछुओं से मिला था ।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आपने मुझे पहले सूचित किया होता तो मैं आपके लिए आम और मछली लाता ।

श्री बूटा सिंह : मैं उनके साथ बैठा तथा मैंने उनकी सारी प्रक्रिया सुखाने से लेकर शीतागारों में रखने और बाजार में बेचने तक सब कुछ देखा । मैंने पूरा एक दिन वहां बिताया । मैं माननीय सदस्य और प्रो० से सहमत हूं कि उनकी अधिक सहायता की जरूरत हैं क्योंकि यह उस तरह का उद्योग है जिसमें हमारे बहुत से निर्धन लोगों को लाभ होता है । मुझे कहना चाहिए कि हमारे 70 प्रतिशत से अधिक मुछुए छोटी नौकाओं को चला रहे हैं जो वास्तव में देशी यंत्रीकृत है और उन्होंने उनमें कुछ सुधरे हुए उपकरण लगाये हैं जिससे वे मछली पकड़ते है । उनमें से कुछ बहुत उत्सुक हैं, उनमें से कुछ बहुत प्रगतिशील हैं, उनमें से कुछ ने अपने शीतागार स्थापित किए हैं, उनके पास अपनी परिवहन व्यवस्था है, उनके पास अपनी दुकानें हैं हम पूरे देश में इस तरह की गतिविधियों के बढ़ावा देना चाहते हैं । जैसा कि मैंने कहा, मैं अभी भी वित्त मंत्रालय के पीछे लगा हुआ हूं और मुझे आशा है कि जैसा उन्होंने बड़ी मछलियों के पकड़ने की ट्रालरों में सहायता दी है । उसके आधार पर वे उसी प्रकार से कुछ मदद करेंगे । उसी समय माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में दौरा करने के बाद स्थिति के बारे में मेरी अपनी यह समझ है कि यह केवल निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं है जहां यह स्थिति प्रचलित है । महोदय, मैंने यह भी पता किया है कि बहुत सी छोटी यंत्रीकृत नौकाए हाईस्पीड डीजल तेल का प्रयोग नहीं करती है । उनमें से बहुत सी नौकाएं मिट्टी का तेल और पेट्रोल का उपयोग करते हैं । फिर भी यदि आप इस प्रकार की छूट रियायत द्वारा उन्हें मिलने वाली राहत को देखें जो हम गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली ट्रालरों को दे रहे हैं, वह 330/-रुपए प्रति लीटर होती है और जो एक साधारण व्यक्ति के पास पहुंचते समय 16.5 रुपए तक होगी जो उतनी नहीं होगी जो हमें छोटे मछुओं के पास देनी चाहिए । साथ ही हम सक्रिय रूप से यह विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें किसी अन्य तरीकों से और छूट देनी चाहिए जैसा कि मैंने कहा कि उनके लिए घटी दरों पर मशीनों और इंजनों की व्यवस्था करनी चाहिए । इसके बाद उन्हें अधिक उदार शर्तों पर ऋण देना चाहिए । उन्हें अवतरण स्थानों पर और अधिक सुविधाएं देनी चाहिए । हमें उनके अवतरण स्थानों पर और अधिक निर्माण करना चाहिए जिसका वे उपयोग कर सकें । अत: ये सभी खाते सरकार के सक्रिय रूप से विचारधीन । है हम पूर्णरूप से इस बारे में कठिन परिश्रम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वे माननीय सदस्य जिन्होंने मुझ पर यह भार डाला था मेरे साथ सहमत होंगे कि मैं पूरे विषय को संभाल पाऊंगा ।

श्री डी०पी० जडेजा : भारतीय आर्थिक क्षेत्र के अच्छे उपयोग के लिए हमने मछली पकड़ने के जलपोतों की किराये पर लेने तथा गहरे समुद्र मे मछली पकड़ने वाले जलपोतों के आयात प्रोत्साहित किया है हमारे पास यह अच्छी नीति है और इसतरह का प्रोत्साहन भी होना चाहिए लेकिन क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि वह इस लक्ष्य से परिचित हे कि ये विदेशी मछली पकड़ने वाले जलपोत जिसे केवल गहरे सुमुद्र में चलने के लिए लिया गया है वे अब उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं जहां मछली पकड़ने वाली हमारी देशी नौकाएं काम कर रही हैं । जहां पर वे मछली

पकड़ने वाली हमारी देशी नौकाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और जिस क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए उन्हें लिया गया था, उन क्षत्रों का उपयोग नहीं कर रही है ?

क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि भारतीय मछुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र में इन आयातित मछली पकड़ने वाले जलपोतों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री बूटा सिंह : बड़े जलपोतों द्वारा जहां तक हमारे ई ई जेड के उपयोग का संबंध है हम पूर्णत: स्थिति से अवगत हैं और हम पूरी तरह सतर्क हैं वस्तुत: यह हमारे बहुत अधिक सख्त कार्रवाई के कारण हो रहा है। मछली पकड़ने वाले जलपोतों की संख्या में कमी हुई है इसलिए हम कुछ अधिक कड़ाई से पेश आ रहे थे।

हाल ही में पूरी स्थिति की पुनरीक्षा की गई थी। हम किसी बड़े जलपोत को अनुमति नहीं देंगे। छोटे मछुओं या पारम्परिक मछली पकड़ने के उद्योग के लिए आरक्षित क्षेत्रों को कम करे या उनका अतिक्रमण करें लेकिन साथ ही हमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि इस विशेष साधन की पिछले लम्बे समय से अनदेखी की गई है और हम गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देना चाहते हैं जो हमारे विशेषज्ञों को सहारा देगा। यह हमारे देश को भी सहारा देगा। साथ ही हम पूरी तरह सतर्क हैं, और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि वह पिछले 2 या 3 वर्षों के रिकार्ड को देखें तो वह पाएंगे कि इस अनाधिकार मछली मारने का काम लगभग पूरी तरह रोक दिया गया है।

श्री डी० वी० पाटिल : उत्तर देते समय माननीय मंत्री ने कहा है कि छोटे ट्रालरों को राज सहायता देने के लिए प्रशासनिक कठिनाइयां हैं। मैं नहीं समझता कि प्रशासनिक समस्याओं का क्या तात्पर्य है ? यह बहुत घटिया किस्म का बहाना है। मैं माननीय मंत्री से प्रशासनिक समस्याओं के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री बूटा सिंह : पूरे देश में वितरण की व्यवस्था की जा चुकी है। मछली उद्योग या मछली पालन उद्योग या परिवहन उद्योग के लिए एक विशेष विक्रय केन्द्र स्थापित करना बहुत मुश्किल होगा। अत: यह संभावना है कि लोग मछुओं के लिए दी गई सुविधाओं का गलत प्रयोग या दुरुपयोग करेंगे क्योंकि मछुओं के लिए विक्रय केन्द्र हो यह पहली बात है दूसरे, यह देखना कठिन है कि जब एच एस डी की एक विशेष मात्रा ली जा रही है तो इसे नाव के इंजिन में डाला जाता होगा या संयंत्र के चलाने के लिए उपयोग किया जाता होगा या कुछ और। इसलिए देश में विभिन्न स्थानों पर तेल का वितरण करने वाले विभिन्न विभागों ने अपनी समस्याएं व्यक्त की हैं।

इसी तरह, वित्त मंत्रालय की भी अपनी समस्याएं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि राज्यों में भी उनकी दरें भिन्न भिन्न हैं। अत: वे विभिन्न समस्याएं थीं जिनको हमने प्रशासनिक समस्याएं कहा है यह जटिल हो सकती हैं और यदि हम अन्य प्रणालियों के द्वारा मछुओं को वही छूट दें तो यह लेगा, छोटे मछुओं के लिए अधिक लाभदायक तथा आसानी से लागू करने के लिए बहुत अच्छा होगा जो देशी नौकाओं को चला रहे हैं।

श्री जी० एम० बोलप : इस छूट के लिए लगभग 15 वर्षों से छोटे मछुआरे लड़ रहे हैं। हैदराबाद सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया था कि यह छूट दी जाएगी। फिर भी इसे नहीं किया गया है। अब किसी तरह यह वायदा किया गया है कि इसे किया जाएगा। इसे कब कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य जिस विषय को उठाने की कोशिश कर हैं यदि यह एच एस डी पर उत्पादन शुल्क के बारे में है तो मेरा ख्याल है कि मुझे अभी भी किसी विशेष ट्रेड या व्यवसाय जिसमें कोई छूट बताई गई हो, की याद नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि जहां तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलपोतों का संबंध है, यह विचार किया गया था कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रालरों में एच एस डी की खपत की आवश्यकता का 65 प्रतिशत तक है और उसी स्तर पर भी हमारे गहरे समुद्र में लिए हमने उनको प्रोत्साहन दिये जो अपना सारा माल निर्यात करेंगे उसको हम प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें एक तरह का बोनस दिया जाएगा। अतः एच एस डी के वितरण की नीति के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य पूरे विषय के प्रभावों को समझ नहीं सके हैं। जैसा कि मैंने प्रो० दंडवते जी और श्री हुसेन दलवाई जी के प्रश्नों को स्पष्ट किया है। हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमारे कई हजार निर्धन मछुआरे देशी नौकाओं का उपयोग कर रहे हैं। हाल ही में बोर्ड इंजिन के उपयोग से इस देश की देशी नौकाओं को यंत्रीकृत बनाने में काम शुरू किया जा रहा है। मंत्री जी अब कहते हैं कि ये आउट बोर्ड इंजिन मिट्टी का तेल उपयोग करते हैं न कि पेट्रोल। लेकिन सच्चाई यह है कि इन निर्धन मछुआरों को किसी भी तरह मिट्टी के तेल की सप्लाई नहीं की जा रही है। वे बड़े ट्रालरों के मालिकों को राज सहायता दे रहे हैं, वे बड़े ट्रालर कम्पनियों को राज सहायता दे रहे हैं। लेकिन ये निर्धन मछुआरे किसी भी तरह मिट्टी का तेल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। केरल के मुख्य मंत्री, केरल सरकार तथा अन्य राज्यों के मंत्रियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मिट्टी के तेल का कोटा रियायती दर पर दिया जाये।

अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्या कृषि मंत्री इस मामले पर पैट्रोलियम मंत्री से चर्चा करेंगे ताकि गरीब मछुओं को, जो पंजीकरण के लिए आउट-बोर्ड मोटरों का उपयोग कर रहे हैं, मिट्टी के तेल का आवंटन किया जा सके ? दूसरे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए हम ट्रालरों को किराये पर लेकर उनका उपयोग करते हैं जिसकी शर्त यह है कि 3-5 वर्ष के भीतर इन चार्टरिंग कम्पनियों के द्वारा इन पोतों को खरीद लिया जाये तथा भारतीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कितनी चार्टरिंग कम्पनियां किराये पर ट्रालर लेने की अनुमति देती हैं ? इनमें से कितनी कम्पनियों ने इन ट्रालरों को खरीद लिया तथा कितने मछुओं को इन ट्रालरों का प्रशिक्षण दिया गया।

श्री बूटा सिंह : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के भाग एक का सम्बन्ध है हमने पैट्रोलियम मंत्रालय को पहले ही केरल के लिए मिट्टी के तेल का आवंटन बढ़ाने के लिए कह दिया है। परन्तु उसके साथ कतिपय अन्य प्रोत्साहन भी हैं जोकि भारत सरकार तथा राज्य सरकार यांत्रीकृत नावों से मछली पकड़ने वाले मछुओं को दे रही हैं। कुछ राज्यों में वे अपनी ओर से हाईस्पीड डीजल पर राहत देते हैं अपने बिक्री करों में कमी करके, महाराष्ट्र में इस संबंध में दी जा रही राहत 15 पैसे प्रति लीटर है तथा प्रतिवर्ष 1000 रुपए प्रति नाव तक सीमित है। यह किसी सहकारी मछली पालन समिति अथवा डीजल के प्राधिकृत विक्रेताओं से खरीदा जाना चाहिए। संघ-राज्य क्षेत्र गोवा में सहायता 15 पैसे प्रति लीटर दी जाती है। उसी प्रकार लक्ष्यद्वीप में स्थानीय प्रशासन द्वारा 30 पैसे प्रति लीटर की सहायता दी जाती है। मछुओं के आर्थिक उत्थान के लिए तटीय यांत्रीकरण महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : ये आउट बोर्ड मोटरें केवल मिट्टा का तेल उपयोग में लाती हैं न कि पैट्रोल।

श्री बूटा सिंह : हमने इस प्रकार की ग्राम्य नावों की, जो देशी यांत्रीकृत इंजनों का उपयोग करती हैं, अधिक मिट्टी का तेल आवंटन करने के लिए पैट्रोलियम मंत्रालय को लिखा है। मैं इस यंत्रीकरण कार्यक्रम का उल्लेख करने ही जा रहा था जिसके लिए माननीय सदस्य अधिक उत्सुक हैं, मत्स्य आवश्यकताओं के लिए अनुदान तथा ऋण की विभिन्न योजनाएं विभिन्न राज्यों में चालू हैं। विभिन्न राज्यों में 10 से 70 प्रतिशत अनुदान 'हल' (नाव का बाहरी भाग), इंजनों साथ गियरों की खरीद के लिए उपलब्ध है। यदि आप चाहें तो मैं उसे पढ़ देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री बूटा सिंह : केरल के बारे में माननीय सदस्य विशेष रूप से जानना चाहते थे। परंपरागत मछुओं को मत्स्य नौका तथा गियर इत्यादि दिये जाते हैं। उन्हें मछुआ कल्याण निगम द्वारा केटामरान, डग-आउट्स, केनोस और प्लेंकस से निर्मित नावें और 15 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

माननीय सदस्य ने यह भी जानना चाहा कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलपोतों के लिए ऋण की क्या स्थिति है। किराये पर जलपोत होने वाली 8 कम्पनियों को अठारह पोतों की मंजूरी दी गई है तथा 274 चालक-वृन्द को प्रशिक्षण दिया गया है।

माननीय सदस्य महोदय, किराये पर जहाज लेने की नीति तथा देश में स्थाई बेड़ा तैयार करने की बात को मिला रहे थे। किराये पर जहाज लेने की नीति अस्थाई तरीका है जिसके अंतर्गत हम गहरे समुद्र में अपने संसाधनों की खोज करना चाहते हैं। ताकि हमारे लोगों को प्रशिक्षण मिल सके तथा बड़े पोत चलाने का अवसर मिल सके ताकि जब भविष्य में हम अपने पोत निर्मित कर लें तो हमें तकनीकी व्यक्तियों की कमी न रहे। इसी कारण बड़े पोतों के किराये पर लेने की सुविधा दी गई है, जैसे ही हमारे अपने पोत तथा तकनीकी व्यक्ति तैयार हो जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस प्रशिक्षण तथा केन्द्र तथा राज्यों द्वारा प्रदत्त पूंजी से एक वर्ष के भीतर हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने लगेंगे। हम भरसक यत्न कर रहे हैं कि तटीय राज्यों को गहरे समुद्र में मत्स्य उद्योग के लिए प्रोत्साहन दिया जाये क्योंकि यही एक मात्र स्रोत है जिससे हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुधार सकते हैं तथा अपनी समुद्री सम्पदा का उपयोग कर पाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम भगत पासवान-अनुपस्थित। श्री सी० माधव रेड्डी।

भारत और कतर के बीच श्रमिक समझौता

*638. श्री सी० माधव रेड्डी :
श्री एम० रघुमा रेड्डी : } क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कतर ने हाल में जनशक्ति संबंधों के बारे में एक महत्वपूर्ण श्रमिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समझौते के परिणामस्वरूप कतर में कितने भारतीयों को रोजगार मिलने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. भारत और कतार देशों ने 11-4-1985 को एक करार पर हस्ताक्षर किए जो भारत से जनशक्ति की भर्ती के बारे में था। इस करार का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना है। यह करार सरकारी माध्यम या पंजीकृत भर्ती एजेंटों द्वारा भारतीय श्रमिकों के प्रवेश को विनियमित करता है। इसमें श्रमिकों के लिए रोजगार संविदा की व्यवस्था है जो दोनों सरकारों द्वारा अधिप्रमाणित हो।

2. इस करार की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि नियोजन तथा श्रमिक के बीच विवाद होने की स्थिति में, कतर के श्रम तथा समाज कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारम्भिक संसाधन की संभावना है और यदि सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं होता है, तो शिकायत को कतर में सक्षम न्यायिक प्राधिकरणों को भेजा जा सकता है। इस करार में यह भी व्यवस्था है कि इस करार कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए।

3. इस करार के साथ नमूना आदर्श रोजगार संविदा संलग्न है जिसमें रोजगार की सभी आवश्यक शर्तें आती हैं— (i) वेतन (ii) कार्य घन्टे (iii) समयोपरि भत्ता (iv) परिवहन (v) आवास (vi) सेवा लाभों के उद्देश्य और मृत्यु तथा अपंगता मुआवजा।

4. उन भारतीय श्रमिकों की सही संख्या की पूर्व सूचना देना संभव नहीं है जिन्हें इस करार के परिणामस्वरूप कतर में रोजगार मिलने की संभावना है। तथापि, इस समय कतर में लगभग 40,000 भारतीय श्रमिक काम कर रहे हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : विदेशों में तथा भारत में भी भरती के समय कार्मिकों का बहुत शोषण होता है तथा उसी विशेष संदर्भ में मंत्री महोदय द्वारा किया गया करार सही दिशा में एक कदम है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। क्या मंत्री महोदय वैसे ही करार अन्य देशों से भी करेंगे तथा करार की एक प्रति उस आदर्श करार के साथ जो कि नियोक्ता अपने भारतीय कार्मिकों के साथ किया जायेगा, सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री टी० अंजैया : मैं करार की एक प्रति कुछ ही दिनों में सभा पटल पर रख दूंगा। इस करार के अन्य पहलुओं पर बल दे रहे हैं तथा दूसरे देशों के साथ भी वैसे ही करार करना चाहते हैं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : कतार सरकार द्वारा श्रमिकों को कौनसी सुविधाएं दी जाती हैं तथा करार की अवधि क्या है। मैं उन्हें जानना चाहूंगा। तथा निर्धारित की गई हैं ?

श्री टी० अन्जैया : इस करार के अन्तर्गत वेतन, परिवहन, आवास, कार्य के घंटे, समयोपरि भत्ता और सेवा के लाभ तथा आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु एवं अपंगता होने पर क्षतिपूर्ति आदि हैं। करार शीघ्र ही लागू होगा—मुझे ठीक तारीख का पता नहीं है—इसकी कोई अवधि नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मन्त्री महोदय को निश्चित रूप से इन तथ्यों की जानकारी है कि हमारे बहुत से कार्मिक खाड़ी के देशों में ले जाये जाते हैं तथा उनका भयंकर रूप से शोषण होता है, उन्हें वे वेतन नहीं दिये जाते जिनका वचन दिया जाता है। कई बार वे अपने अंग गवा बैठते हैं—मैं विशेषत: निर्माण कार्य में लगे कार्मिक और उनको बीमा सुविधा भी नहीं दी जाती। इससे भी बढ़कर बात यह है कि उन्हें बड़ी बड़ी आशाएं बंधा कर ले जाया जाता है तथा किसी अन्य देशों में ही छोड़ दिया जाता है तथा वे खाड़ी के देशों में पहुंच ही नहीं पाते। सरकार इस प्रकार की कार्य-

वाहियों को रोकने के लिए क्या कर रही है तथा दोषी ठेकेदारों को दण्ड देने के लिए कौनसे दृढ़ कदम उठा रही है ? सरकार खाड़ी के देशों की अरबीकरण की नीति से निश्चित रूप से परिचित है। रोजगार के साधन सीमित होने के कारण रोजगार पहले तो उसी देश के लोगों को दिये जाते हैं– कतार के मामले में कतारी लोगों को—दूसरी प्राथमिकता अन्य अरब देशों के लोगों को दी जाती है, और अन्त में कम से कम अवसर अन्य देशों के लोगों को मिल पाते हैं। इस बात को देखते हुए ऐसे लोगों को बड़ी संख्या में भारत विशेषत: केरल, गोवा तथा पंजाब वापस आने की अगले कुछ वर्षों में संभावना है। सरकार उन व्यक्तियों को खपाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ताकि इससे देश में सामाजिक तनाव न फैले ?

श्री टी० अन्जैया : हमें कुछ शिकायतें मिली हैं। हम ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर सोच-विचार कर रहे हैं, जो अपने करारों को निभाते नहीं हैं जिसमें उनके करारों को रद्द करना भी सम्मिलित है उनके द्वारा सरकार के पास 2 लाख से 5 लाख रुपया जमा होता है। प्रति दिन हमारे अधिकारी शिकायतों पर ध्यान देते हैं। और कार्यवाही करते हैं। विदेशों से हमारे कार्मिकों के वापस आने के बारे में बता दूं कि हमारे लगभग 10000 कार्मिक उन देशों में हैं। उनके भारत आने पर हम विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है। इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि उस समय क्या स्थिति होगी।

श्री अनादि चरण दास : क्या मैं जान सकता हू कि विदेशों के लिए कार्मिकों की भरती में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के आरक्षण लागू किये जाते हैं। क्या सरकार ने इस बारे में कोई करार किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें यह भी बताएं कि क्या मंडल आयोग के प्रतिवेदन को खाड़ी के देशों द्वारा भी स्वीकार किया जाता है अथवा नहीं।

श्री टी० अन्जैया : अधिकांश अकुशल कर्मचारी अनुसूचित जातियों/जन जातियों के होते हैं। परन्तु मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : श्रमिकों को प्रति मास, प्रति सप्ताह अथवा प्रति दिन के हिसाब से कितना वेतन मिलता है। कुशल कर्मचारियों तथा अकुशल कार्मिकों की मजूरी में कितना अंतर है ?

श्री टी० अन्जैया : अकुशल कर्मचारियों को 2000 रुपए प्रति मास तथा कुशल कर्मचारियों को 3000 से 10000 रुपए प्रति मास मिलते हैं।

श्री एस० एम० गुरुडी : क्या यह सच है कि ये ग्रामीण लोग खाड़ी के देशों को रोजगार के लिए जाते हैं क्योंकि भारत सरकार इन्हें भारत में रोजगार नहीं दे पाती ?

श्री टी० अन्जैया : जब तक हम अपने संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं करते हम सभी का रोजगार नहीं दे सकते।

आकाशवाणी केन्द्रों में समाचार प्रभाग

*639. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे आकाशवाणी केन्द्र कौन-कौन से हैं जहां समाचार प्रभाग नहीं हैं;

(ख) क्या सम्बलपुर केन्द्र इसी श्रेणी में आता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वहां समाचार प्रभाग के लिए और स्थानीय समाचार कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु लोगों ने कोई मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

उन 46 रेडियो स्टेशनों, जहां इस समय आकाशवाणी की क्षेत्रीय समाचार यूनिटें स्थापित नहीं हुई हैं, के नाम इस प्रकार हैं :—

1. विशाखापटनम	2. कुडुपा	3. भागलपुर
4. दरभंगा	5. राजकोट	6. बड़ौदा
7. रोहतक	8. त्रिचूर	9. एल्लेप्पी
10. भद्रावती	11. गुलबर्गा	12. मैसूर
13. मंगलौर	14. रायपुर	15. ग्वालियर
16. जबलपुर	17. छतरपुर	18. अम्बिकापुर
19. रीवा	20. परभनी	21. सांगली
22. जलगांव	23. रत्नागिरि	24. सम्बलपुर
25. जेपोर	26. जलंधर	27. अजमेर
28. बीकानेर	29. जोधपुर	30. उदयपुर
31. सूरतगढ़	32. तिरूनेवेली	33. कोयम्बतूर
34. इलाहाबाद	35. वाराणसी	36. कानपुर
37. रामपुर	38. मथुरा	39. नजीबाबाद
40. सिलिगुड़ी	41. पासीघाट	42. तेजु
43. तवांग	44. तुरा	45. नागरकोइल
46. जगदलपुर		

सम्बलपुर में आकाशवाणी की कोई क्षेत्रीय समाचार यूनिट नहीं है। इस प्रकार की यूनिट खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथ्य ये हैं कि इस प्रकार की यूनिट आकाशवाणी, कटक में कार्यकर रही हैं और आकाशवाणी, सम्बलपुर इस समय भी कटक से प्रसारित होने वाले उड़िया के दो क्षेत्रीय बुलेटिन प्रतिदिन रिले कर रहा है।

क्षेत्रीय समाचार यूनिटें सामान्यतया राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में तथा उन स्थानों पर स्थापित की जाती हैं, जहां भारी मात्रा में समाचार होते हैं जिनके, प्रसार के दृष्टि-कोण से, कवरेज के लिए अलग व्यवस्था आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, बहुत ज्यादा केन्द्रों पर क्षेत्रीय समाचार यूनिटों की स्थापना करने का वित्तीय और कवरेज के दृष्टिकोणों से औचित्य नहीं होगा।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, माननीय मत्री ने विवरण में उन 46 रेडियो स्टेशनों के नामों की सूची दी है, जहां इस समय आकाशवाणी की क्षेत्रीय समाचार यूनिटें स्थापित नहीं हुई हैं। उन्होंने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि सामान्यत: क्षेत्रीय समाचार यूनिटें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में स्थापित की जाती हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यालयों के बाहर स्थित रेडियो स्टेशनों में क्षेत्रीय समाचार यूनिटें

स्थापित की गयी हैं और यदि हां तो ऐसे कितने रेडियो स्टेशन हैं और ऐसी समाचार यूनिटों की स्थापना का आधार क्या है और क्या संभलपुर, जो कि उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण स्थान है और जहां समाचार यूनिट स्थापित किये जाने का औचित्य है उस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है।

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय 88 रेडियो स्टेशनों में से 46 रेडियो स्टेशन हैं जिनमें समाचार यूनिटें नहीं हैं। इस संबन्ध में नीति यह है कि समाचार यूनिटें पहले उन रेडियो स्टेशनों में स्थापित की जानी चाहिए जो कि राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं और दूसरे जहां समाचार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों तथा जिन्हें प्रसारित करने की आवश्यकता हो। जहां तक सम्भलपुर का संबंध है, प्रतिदिन कटक से प्रादेशिक भाषा में दो समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं इसके अतिरिक्त वहां पर आकाशवाणी का एक पूर्णकालिक संवाददाता भी नियुक्त है। तीसरे, सप्ताह में तीन बार जिला समाचार कार्यक्रम में संभलपुर सम्बन्धी स्थानीय समाचारों को भी प्रसारित किया जाता है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : सम्बलपुर उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण नगर है जिसे राज्य की दूसरी राजधानी भी कहा जा सकता है। इस स्थान के आस-पास की लगभग एक करोड़ जनता सम्बलपुर रेडियो स्टेशन पर निर्भर है। यह क्षेत्र समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता है और कृषि की दृष्टि से एक विकसित क्षेत्र है। क्योंकि इसके पास हीराकुण्ड बांध परियोजना है। यहां राउरकेला, राजगंगपुर, ब्रजराजनगर इत्यादि औद्योगिक समूह भी हैं। इसलिए वहां काफी स्थानीय समाचार उपलब्ध हैं और आकाशवाणी केन्द्र कटक राज्य के अन्य 12 जिलों के समाचारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र के समाचारों का समुचित प्रसारण नहीं कर पाता। दो समाचार बुलेटिन, जो आकाशवाणी केन्द्र कटक से सुबह पांच मिनट के लिए और शाम को दस मिनट के लिए प्रादेशिक भाषा में प्रसारित किए जाते हैं, सम्बलपुर के समूचे क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में सम्बलपुर की अपनी भिन्न संस्कृति है और एक भिन्न बोली है जो सामान्य उड़िया भाषा से अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोग उड़िया भाषा को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए लोगों द्वारा यह मांग की जाती रही है कि मुख्य रूप से कृषि संबंधी क्षेत्र के लिए यह रेडियो स्टेशन है, इसलिए कृषि संबंधी प्रसारण वहां की स्थानीय बोली में ही प्रसारित किए जाएं। और अब रेडियो स्टेशन ऐसा ही कर रहा हैं अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तथा सम्बलपुर रेडियो स्टेशन को स्थापित किए जाने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय सम्बलपुर रेडियो स्टेशन में क्षेत्रीय समाचार यूनिट स्थापित करने तथा क्षेत्रीय समाचार कार्यक्रम को स्थानीय बोली में प्रसारित करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

श्री वी० एन० गाडगिल : हमने एक सर्वेक्षण कराया था और उससे यह पता चला है कि उस क्षेत्र के स्थानीय समाचार इतने अधिक नहीं हैं कि वहां पर समाचार यूनिट की स्थापना को उचित ठहराया जा सके लेकिन मैं वहां के स्थानीय निदेशक को कटक केन्द्र से प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों में सम्बलपुर के अधिक समाचारों को शामिल करने के लिए कहूंगा।

जहां तक उनके उस सुझाव का संबंध है कि वहां इस समय एक पूर्ण नई यूनिट स्थापित की जाये, मैं कुछ वायदा नहीं कर सकता क्योंकि वित्तीय दृष्टि से हमें लागत लाभ अनुपात का पता लगाना होगा और तभी मैं उत्तर दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी : जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बतलाया कि आकाशवाणी की क्षेत्रीय समाचार यूनिटें सामान्यत: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में स्थापित की जाती हैं जहां भारी मात्रा में समाचार होते हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उत्तर भारत में कानपुर एक विशाल औद्योगिक नगर है और जहां से अभी तक कोई न्यूज बुलेटिन यूनिट स्थापित नहीं की गई है, कोई समाचार प्रसारित नहीं होते हैं, क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि कानपुर की महत्ता को देखते हुए वहां आकाशवाणी की कोई क्षेत्रीय समाचार यूनिट स्थापित की जाए।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : जैसाकि मैंने शुरू में बताया है। 88 स्थानों में से अनेक स्थान ऐसे हैं जहां समाचार यूनिटें स्थापित नहीं हुई हैं। इस संबंध में हमारी एक सुसंगत नीति है जिसका किसी विशिष्ट मांग के संबंध में पालन किया जाता है और हम उस नीति के आधार पर इस पर विचार करेंगे।

आलू का उत्पादन और निर्यात

[हिन्दी]

*642. श्री बलराम सिंह यादव : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष आलू की भारी फसल हुई है जो देश की आवश्यकताओं से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का फालतू आलू का निर्यात करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा करने में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1983-84 के दौरान आलू का उत्पादन 122.5 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंचा। 1984-85 के दौरान आलू का उत्पादन 1983-84 के रिकार्ड स्तर से अधिक होने की सम्भावना है। तथापि, भारत में आलू की प्रति व्यक्ति खपत कई अन्य देशों की तुलना में कम है।

(ख) से (घ) वर्तमान नीति के तहत आलू का निर्यात करने की मुक्त रूप से अनुमति दी गई है। लेकिन हाल के वर्षों में अप्रतियोगी मूल्य, गुणवत्ता तथा मानक आदि की समस्याओं सहित विभिन्न कारणों से आलू के वास्तविक निर्यात में गिरावट आई है।

श्री बलराम सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, जैसा मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि आलू का निर्यात करने की मुक्त रूप से अनुमति दी गई है लेकिन हाल के वर्षों में अप्रतियोगी मूल्य गुणवत्ता तथा मानक आदि की समस्याओं सहित विभिन्न कारणों से आलू के वास्तविक निर्यात में गिरावट आई है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या-क्या उपाय किए हैं या कर रही है ताकि प्रदेशों में ज्यादा से ज्यादा आलू पैदा हो और हम उसका निर्यात कर सकें।

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैंने अपने उत्तर में कुछ आपत्तियां बताई हैं और सरकार की तरफ से आलू उत्पादकों को आलू के दूसरे उपयोग के लिए, जैसे पोटेटो फ्लाइड, पोटेटो चिप्स

आदि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसमें लगभग 40 हजार टन आलू की खपत हर साल की जा सकेगी, इसके लिए सरकार की तरफ से उनको अनुमति दी जा चुकी है। इसके साथ-साथ थोड़े घटिया दर्जे के आलुओं से स्टार्च पैदा करना, उनको पोटेटो फ्लेक्स में बदलना, उनको पोटेटो माश्ड में बदलना, उनसे ड्राई और डिहाइड्रेटिड चिप्स तैयार करना इत्यादि उद्योगों को सरकार की ओर से पूरा-पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है। आलू का उत्पादन अधिक से अधिक हमारे यहां हो सके, उसके लिए हम किसानों को बढ़िया किस्म का बीज दे रहे हैं। इसके अलावा प्रान्तीय सरकारों के माध्यम से देश भर में जितने ब्रीड करने के सैन्टर्स हैं, वहां भी उनका परीक्षण कराया जाता है और उसके बाद ही उनको आगे वितरित किया जाता है जिससे कि आलू की क्वालिटी को अच्छा बनाया जा सके। इसी तरह एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने अपने मूल उत्तर में कहा है, इसके रास्ते में जितनी रुकावटें आ रही हैं, जैसे पैकेजिंग की समस्या है, उसमें भी सहायता लेते हैं.....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जल पूर्ति योजना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

*629. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजना के अन्तर्गत राज्यों की वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उक्त योजना के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो कब और किस आधार पर ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति योजना के अन्तर्गत योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श से विभिन्न राज्यों को निधियों का नियतन किया जाता है। नियतन लाभान्वित किए जाने वाले समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या, उसकी जनसंख्या, कार्यक्रम के लिए राज्यों के संसाधनों के अन्तर, पहाड़ी तथा पिछड़े राज्यों की विशेष समस्याओं और राज्यों द्वारा अपने ही बजट में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए रखे गए प्रावधान पर आधारित होता है समस्याग्रस्त ग्रामों के लाभान्वियन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों और निधियों के उपयोग की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) और (ग) 80-85 के पांच वर्ष की अवधि के दौरान त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को 35.87 करोड़ रुपये का अनुदान दिया था। इसके अतिरिक्त, 83-84 और 84-85 के दौरान प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत भी उन्हें 850 लाख रुपये की

राशि दी गई थी। 84-85 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 10.37 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। उड़ीसा सरकार ने मार्च, 1985 में 75 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि देने का अनुरोध किया था जिसमें से 50 लाख रुपये की राशि उसे दे दी गई थी।

मत्स्य विकास के लिए योजनाएं

*630. प्रो० रामकृष्ण मोरे
श्री यशवंत राव गडाक पाटिल } : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में मत्स्य विकास क्षमता की बृहद् संभावनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संभावना का पूर्ण उपयोग करने के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1985-86 के लिए मछली उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) देश में मछली के बहुत संसाधनों का, राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रों दोनों के तहत कार्यान्वित की जा रही अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए अधिकाधिक लाभ उठाया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

(1) मछली पकड़ने के कार्यकलापों को विविधता लाने और देशीय क्राफ्ट में मोटर लगाने के लिए ऋण/राज सहायता के जरिए राज्यों को सहायता देना।

(2) देशीय, आयातित तथा भाड़े पर लिए गए जलयानों के विवेकपूर्ण तालमेल के जरिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बेड़े का वर्धन करना;

(3) गहरे समुद्र में मछली पड़कने वाले देशी निर्मित जलायानों की लागत पर 33 प्रतिशत राज सहायता देना;

(4) जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को खरीद करने के लिए आसान शर्तों पर ऋणों की व्यवस्था करना;

(5) मात्स्यकी सर्वेक्षण को तेज करना और बड़े तथा छोटे पत्तनों पर मत्स्य बन्दरगाहों का निर्माण करने और लघु मत्स्यन केन्द्रों में माल उतारने तथा चढ़ाने की सुविधाओं के लिए सहायता देना; मत्स्यन जलयानों की व्यवस्था के लिए मत्स्य प्रचालकों का प्रशिक्षण;

(6) एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने का विनियमन इस प्रयोजन के लिए "भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने का विनियमन) अधिनियम 1981" 2 नवम्बर, 1981 से लागू हो चुका है;

(7) जल कृषि का विकास करने के लिए जिला स्तरों पर मछुवा विकास एजेंसियों की स्थापना करना;

(8) राज्यों में वाणिज्यिक आकार के डिम्पोना हेचरी फार्मों का निर्माण करना;

(9) समुद्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में झींगा मछली पालन के लिए खारे पानी में मछली का विकास और कतिपय भूमि बन्द राज्यों में लवणीय भूमि का उपयोग करना;

(10) मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए संसाधनों का विकास करना;

(11) वाणिज्यिक पैमाने पर ट्राउट कल्चर की मदद के लिए ट्राउट हेचरियों की स्थापना करना।

2. 1985-86 के लिए उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य 31 लाख मीटरी टन है।

हरियाणा में सूखे से हुई हानि

*632. श्री राम प्रकाश : क्या कृषि ग्रामीण और विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के विभिन्न भागों में सूखे से हुई हानि का मूल्यांकन करने हेतु वहां कोई दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस दल द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(ग) उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

खेतिहर मजदूरों को पेंशन

*633. श्री बी० एस० विजयराघवन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत खेतिहर मजदूरों को पेंशन देने में व्यय होने वाली राशि का कम से कम कुछ भाग राज्यों को अनुदान सहायता के रूप में दिया जाए; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री : (श्री टी० अंजैया) :(क) और (ख) इस समय ऐसी योजना नहीं है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाए।

केरल और आंध्र प्रदेश की कृषि कर्मकार पेंशन योजनाएं हैं।

इसके अतिरिक्त, प्राय: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं हैं जिनके द्वारा प्रत्येक पात्र व्यक्ति को, जिनमें कृषि श्रमिक भी शामिल हैं, 30/-रुपये से 60/-रुपये प्रति माह के बीच पेंशन दी जाती है।

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1984 का क्रियान्वयन

*635. श्री बाजूबन रियान
श्री अनिल बसु } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी संघों से कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1984 के क्रियान्वयन को रोकने हेतु अभ्यावेदन आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, हां।

(ख) अभिवेदन में किए गए मुख्य प्वाइंट निम्नानुसार हैं :—

(i) कर्मचारियों के अंशदान की दर में लाभों की दरों में अनुरूपी वृद्धि के बिना बढ़ोत्तरी की गई है;

(ii) बीमारी प्रसुविधा देने की पात्रता शर्त में परिवर्तन से नैमित्तिक और बदली श्रमिकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(iii) नए सदस्यों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई है।

(ग) इस मामले में स्थिति निम्नानुसार है :—

(i) प्रतिशतता आधार पर अंशदान की अदायगी को पद्धति शुरू करने के परिणामस्वरूप कतिपय मजदूरी ग्रुपों के बारे में अंशदान की दर में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। तथापि, लाभों की दरों में कभी भी वृद्धि की सकती है जब ऐसा करने के लिए राशि उपलब्ध हो;

(ii) आरोप लगाया गया है कि उन कठिनाइयों की जांच की रही है जो बीमारी प्रसुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता शर्तों में परिवर्तन से उत्पन्न हुई हैं; और

(iii) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे नए सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं में उचित रूप से वृद्धि करें।

1984-85 में उर्वरकों का आयात

*637. श्री राम भगत पासवान : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985-86 के दौरान बड़े पैमाने पर उर्वरकों का आयात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो आयात किए जाने वाले प्रस्तावित उर्वरकों की किस्म और मात्रा क्या है;

(ग) उर्वरकों का आयात करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) आयात किए जाने वाले प्रस्तावित उर्वरकों पर कितना व्यय होगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ग) मांग/खपत को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष अलग-अलग मात्रा में उर्वरक आयात किए जाते हैं, क्योंकि देशी उत्पादन देश की उर्वरकों की मांग को पूरा करने में असमर्थ है।

(ख) और (घ) आयातित उर्वरक की किस्म मुख्य रूप से यूरिया, डाय-अमोनियम फास्फेट और म्यूरेट आफ पोटाश हैं।

इस स्थिति में आयात किए जाने वाले उर्वरकों की मात्रा तथा मूल्य के बारे में कोई ठीक ठीक आंकड़े नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

सूखे के संबन्ध में राष्ट्रीय नीति

*640. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में प्रति वर्ष सूखे की स्थिति को रोकने हेतु एक राष्ट्रीय सूखा नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस प्रस्ताव को सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो कि संबंधित राज्यों के सहयोग तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु राष्ट्रीय समिति के समर्थन से कार्यान्वित किया जा रहा है, से विभिन्न राज्यों में बारम्बार सूखा पड़ने की समस्या का सामना करने हेतु किए जा जा रहे दीर्घकालिक उपायों के संबंध में राष्ट्रीय नीति का पता चलता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी इस कार्यक्रम को जारी रखने का प्रस्ताव है।

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1970-71 के दौरान आरम्भ किया गया था जिसका उद्देश्य चुने हुए सूखा संभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है और भूमि, जल, पशुधन तथा मानवीय संसाधनों की उत्पादकता को बढ़ाना है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु राष्ट्रीय समिति ने 1981 में अपनी रिपोर्ट में इस कार्यक्रम का समर्थन किया था। यह कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें एक समन्वित क्षेत्र कार्यक्रम के रूप में भूमि तथा जल संरक्षण, वनरोपण और चरागाह विकास, लघु सिंचाई, शुष्क भूमि पर कृषि, पशुधन विकास आदि कार्य शामिल हैं। स्थायी स्वरूप के इन उपायों से सूखे की प्रचंडता को घटाने तथा सूखे के कारण आय में अस्थिरता को कम किए जाने की आशा है। इस कार्यक्रम पर होने वाले व्यय को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर के आधार पर वहन किया जाता है और इस कार्यक्रम के आरम्भ होने से लेकर जनवरी, 1985 तक इस कार्यक्रम पर 731.94 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

भंडारण सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण खाद्यान्नों को क्षति

*641. श्री मोहन भाई पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदामों तथा रेलवे शेड उपलब्ध न होने के कारण वर्षा के मौसम में हजारों टन गेहूं और चावल खराब हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा देश में विशेषत: गेहूं और चावल पैदा करने वाले राज्यों में अधिक गोदामों का निर्माण करने तथा गेहूं और चावल के भण्डारण के लिए रेलवे शेडों की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या गुजरात में गोदामों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) ढके हुए भण्डारण स्थान की कमी होने के कारण खाद्यान्नों की कुछ मात्रा क्षति ग्रस्त हो ही जाती है।

(ख) आशा है कि भारतीय खाद्य निगम 1985-86 के दौरान 15.25 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करेगा। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन से चालू वर्ष के दौरान 6.00 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण करने की आशा की जाती है जिसमें से 4.59 लाख मीटरी टन की क्षमता खाद्यान्नों के लिए उपलब्ध होने की सम्भावना है। आवश्यकता और परिचालन के महत्व के आधार पर भण्डारण क्षमता का देश के विभिन्न केन्द्रों में निर्माण किया जाएगा।

(ग) आशा है कि भारतीय खाद्य निगम 1985-86 के दौरान गुजरात में 1.81 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण करेगा। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन से आशा की जाती है कि वह चालू वर्ष के दौरान गुजरात में 0.11 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण करेगी जिसमें से खाद्यान्नों के लिए 0.10 लाख मीटरी टन की क्षमता उपलब्ध होने की सम्भावना है।

पान विकास बोर्ड की स्थापना

*643. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पान विकास बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पान की खेती बहुत ही सीमित पैमाने पर होती है और इस समय इसके लिए एक पृथक बोर्ड की आवश्यकता नहीं है।

ऐस्बेस्टास कारखाने में ऐस्बेस्टोसिस से पीड़ित श्रमिक

*644. श्री मलू चन्द डागा : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐस्बेस्टास कारखानों में कार्य करने वाले अधिकांश श्रमिक तीव्र ऐस्बेस्टोसिस से पीड़ित हैं ;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) वर्ष 1982 से अब तक इस रोग से कितने श्रमिकों की मृत्यु होने का समाचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

विवरण

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ऐस्बेस्टास उत्पादों का निर्माण करने वाले कुल 74 कारखाने हैं और उसमें 10,567 श्रमिक नियोजत हैं। कुछ श्रमिकों के ऐस्बेस्टोसिस से पीड़ित होने की सूचना मिली है। कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय के संगठन द्वारा वर्ष 1981 से 1983 तक दो यूनिटों में (अर्थात् मैसर्स दिग्विजय सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, अहमदाबाद और मैसर्स हिन्दुस्तान फेरोड़ी लिमिटेड, बम्बई जिसमें क्रमश: 960 और 1200 श्रमिक नियोजित हैं), किए गए अध्ययनों से पता लगा है कि उन 307 और 405 श्रमिकों के बीच, जिसकी डाक्टरी जांच की गई थी, ऐस्बेस्टोसिस की विद्यमानता क्रमश: 6.5 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत थी।

2. कारखाना अधिनियम के अधीन ऐस्बेस्टोसिस अधिसूचित रोग है और कोई भी कारखाना निरीक्षक या प्रमापकर्त्ता सर्जन के लिए, जिसके पास ऐसा मामला आता है, इस मामले की रिपर्ट राज्य सरकार और नियोजकों को देना अपेक्षित है ताकि उचित उपचारी और सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। कार्य स्थलों पर वायुवाहित (एयर-बार्न) ऐस्बेस्टास-धूल के खतरनाक प्रभावों पर नियंत्रण करने के उपायों को कारखाना अधिनियम के अधीन बनाए गए कारखाना नियमों में निर्धारित किया गया है, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इन यूनिटों में कानून के उपबंधों का सख्ती से पालन करें।

3. केन्द्रीय सरकार ने भी नवम्बर, 1984 में सचिवों का एक ग्रुप गठित किया ताकि ऐस्बेस्टास उद्योग, में जिनमें ऐस्बेस्टास खाने भी शामिल हैं, श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य पर होने वाले हानिकर प्रभाव से बचाने के लिए देश में किए गए उपायों की पर्याप्तता की जांच की जा सके।

रुग्ण चीनी कारखाने

*645. श्री विजय एन० पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा चीनी के कितने रुग्ण कारखाने चलाए जा रहे हैं ;

(ख) इन चीनी कारखानों को स्थानीय प्रबन्धकों को लौटाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) स्थानीय प्रबन्धकों द्वारा चलाए जाने वाले अन्य चीनी कारखानों के लागत-उत्पादन-अनुपात की तुलना में उसी राज्य में कार्यरत इन रुग्ण कारखानों का चीनी का लागत- उत्पादन अनुपात क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार वे आठ चीनी मिलें चला रही है जिनका प्रबन्ध चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 के तहत् लिया गया है।

(ख) इन मिलों को उनके मालिकों को वापस करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए मिल-मालिकों/ उनके प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ग) 22/-रुपये प्रति क्विंटल के अखिल-भारत गन्ने के औसत मूल्य के आधार पर, चीनी के उत्पादन की औसत लागत 405/ रुपये प्रति क्विंटल बैठती है। सरकार द्वारा संचालित आठ

मिलों में से, एक मिल को छोड़कर सात मिलों की उत्पादन लागत (दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज बिना), 376/-से 449/- रुपये प्रति क्विंटल के बीच है।

पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ पालन

[हिन्दी]

*646. श्री हरीश रावत : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ पालन को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार संबंधित राज्यों के परामर्श से ऐसी योजना तैयार करने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) देश के पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ विकास के लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। राज्य सरकारों ने पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिकताओं तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के मुताबिक भेड़ विकास संबंधी अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। राज्य सरकारों के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये हैं :-

1. भेड़ पालकों को उन्नत नस्ल के मेंढ़े तैयार करने तथा उनकी आपूर्ति के लिए भेड़ प्रजनन फार्म,

2. भेड़ तथा ऊन विस्तार केन्द्रों के माध्यम से प्रजनन, स्वास्थ्य सेवा, ऊन उतारने की उन्नत पद्धति जैसी भेड़ विस्तार सेवाओं की व्यवस्था करना,

3. ऊन तथा भेड़ के लिए विपणन सुविधाएं मुहैया करना।

सातवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ विकास की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा।

टी० वी० टावर से ताजमहल की सुन्दरता पर बुरा प्रभाव

[अनुवाद]

*647 श्री अमर राय प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जमुना पार का 150 मीटर ऊंचा टेलिविजन ट्रांसमीटर टावर ताजमहल की सुन्दरता को कुप्रभावित करता है क्योंकि यह टावर प्रभावपूर्ण ढंग से ताज महल के बिल्कुल पीछे खड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) आगरा में दूरदर्शन टावर ताजमहल से लगभग 3.5 किलो मीटर की दूरी पर है तथा यह केवल पीछे की ओर कुछ स्थानों से ही दिखाई देता है। तथापि, टावर को इसके मौजूदा स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित परियोजनाओं का रख-रखाव

* 531. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ शासित प्रदेश दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है जबकि उनका रख-रखाव दिल्ली नगर निगम के जिम्मे है;

(ख) क्या दुहरे कार्यकारियों के कारण दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्य प्रारंभ करने और उनको अपने हाथ में लेने में अत्यधिक विलम्ब होता है ; और

(ग) इस समस्या के समाधान हेतु सरकार किन प्रस्तावों पर विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम, अपने क्षेत्रों में मूलभूत नागरिक सेवाएं चलाने के लिए मुख्य उत्तरदायी नागरिक निकाय है, और इसलिए पूरी की गई सारी परियोजनाएं उसको सौंपी जानी होती हैं। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और कार्यों में कोई द्विभाजन नहीं है।

(ग) सम्बन्धित अभिकरणों के बीच अपेक्षाकृत अच्छा समन्वय करने और अड़चनों यदि कोई हो, को दूर करने की दृष्टि से सरकार ने एक समिति का गठन किया है जिसमें सचिव (भूमि तथा भवन) दिल्ली प्रशासन, उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम में आयुक्त शामिल हैं और आवास मंत्रालय के उप-सचिव इसके संयोजक हैं।

शान्ति निकेतन, नई दिल्ली में खाली भूखण्ड (प्लाट) का दुरुपयोग

[अनुवाद]

4629. **श्री सनत कुमार मंडल**
श्री कमला प्रसाद सिंह
श्री आर० पी० सुमन : क्या निर्माण और आवास मंत्री शान्ति निकेतन में खाली भूखण्ड (प्लाट) का दुरुपयोग के बारे में 7 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10247 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व साधु वासवानी मिशन को उक्त भूखण्ड का वास्तविक कब्जा दिए जाने के बावजूद मनुष्य और जानवर उक्त भूखण्ड का शौचालय के रूप में उपयोग कर रहे हैं ;

(ख) क्या इस भूखण्ड के चारों और इस मिशन द्वारा अभी तक बाड़ा नहीं लगाया गया है ; और

(ग) सरकार ने तत्संबंधी कानूनी प्रावधानों को प्रभावी करके निरन्तर रहने वाली इस गन्दगी और पर्यावरण के प्रदूषण को समाप्त करने हेतु क्या कार्यवाही करने पर विचार किया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) संदर्भित प्लाट 29.4.83 को साधु वासवानी मिशन को सौंप दिया गया था। आवंटी ने अभी तक प्लाट पर निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया है। आवंटन की शर्तों के अनुसार संस्थान को कब्जा सौंप देने की तारीख से 3 वर्षों (1 वर्ष की मोहलत सहित) की अवधि के भीतर प्लाट पर भवन का निर्माण पूर्ण करना अपेक्षित है। प्लाट का कब्जा सौंप देने के उपरान्त यह आवंटी का उत्तरदायित्व है कि वह अनधिकृत अतिक्रमण/अन्य व्यक्तियों द्वारा इसका दुरुपयोग न होने दें।

(ख) प्लाट पर तारों की बाड़ लगी हुई है परन्तु प्लाट के दुरुपयोग के कारण यह कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गयी है।

(ग) क्षतिग्रस्त तारों की बाड़ की मरम्मत करके और कुछ चौकीदारों को रखकर कंटक का रोकना सुनिश्चित करने के लिए मिशन पर दबाव डालने, हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को कहा गया है। पट्टा-विलेख को रद्द करने की कार्यवाही तभी की जा सकती है जब कि मिशन पट्टे में दी गई शर्तों का अनुपालन न करे जिसमें 3 वर्षों की अनुमेय अवधि के भीतर भवन का निर्माण करना भी शामिल है।

ग्रामीण बेरोजगारों को उत्पादोन्मुखी रोजगार

4630. श्री एम० डेनिस : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि कुल ग्रामीण जनसंख्या में से कितने प्रतिशत ग्रामीण लोग बेरोजगार हैं ;

(ख) यदि हां, तो पूरे वर्ष बेरोजगार रहने वाले और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण बेरोजगारों को उत्पादोन्मुखी रोजगार प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के 32 वें दौर (1977-78) के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में 5 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के बेरोजगार (सामान्य स्तर) को लोगों का प्रतिशत 1.55 था।

(ख) छठी योजना के प्रयोजन के लिए मार्च, 1980 में 5 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग की बेरोजगारी के अनुमान यह मानते हुए लगाये गये थे कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 32 वें दौर के सर्वेक्षण में पता लगाई गई बेरोजगारी की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। मार्च, 1980 में 5 वर्ष से अधिक की आयु-वर्ग के ग्रामीण बेरोजगार लोगों के लगाए गए अनुमान सामान्य स्तर तथा दैनिक स्तर के अनुसार क्रमश: 7.22 मिलियन तथा 15.36 मिलियन है।

सामान्य स्तर की बेरोजगारी अपेक्षाकृत दीर्घकालिक बेरोजगारी से संबंधित है। दैनिक स्तर की बेरोजगारी का अनुमान लगाने से मौसमी तथा अंशकालिक बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार का पता चलता है।

(ग) इस समय इस विभाग के पास स्वरोजगार हेतु एक कार्यक्रम है, अर्थात् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और मजदूरी रोजगार के दो कार्यक्रम हैं, अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम इन कार्यक्रमों की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

ग्रामीण विकास के स्व-रोजगार/मजदूरी रोजगार वाले कार्यक्रमों की मुख्य बातें

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम : छठी योजना में गरीबी दूर करने के मुख्य कार्यक्रम के रूप में इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को सहायता

उपलब्ध कराना है ताकि वे गरीबी की रेखा से काफी ऊपर की आय प्राप्त कर सकें। यह उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले चयनित परिवारों को उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियां तथा निवेश उपलब्ध कराकर पूरा किया जाना है।

इस कार्यक्रम हेतु छठी योजना आबंटन 1,500 करोड़ रुपए था जो कि केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर के आधार पर वहन किया जाना था। 3,000 करोड़ रुपए का ऋण जुटाया जाना था। अत: इस कार्यक्रम के लिए संयुक्त लागत लगभग 4,500 करोड़ रुपए थी।

वास्तविक रूप में, कार्यक्रम का उद्देश्य योजनावधि के दौरान 15 मिलियन परिवारों (प्रत्येक प्रखण्ड में औसतन 3,000 परिवारों) को सहायता उपलब्ध कराना था। 15 मिलियन परिवारों को शामिल करने के लक्ष्य के मुकाबले फरवरी, 1985 तक 15.7 मिलियम परिवारों को सहायता पहुंचाई गई थी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जो कि अक्टूबर, 1980 में आरम्भ किया गया था, का मूल उद्देश्य प्रति वर्ष 300-400 मिलियन श्रम दिनों का अतिरिक्त लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए स्थायी स्वरूप की परिसम्पत्तियों का सृजन करना तथा ग्रामीण निर्धनों के पौषणिक स्तर को ऊंचा उठाया है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों के परिणामस्वरूप रोजगार सृजन की प्रगति निम्नलिखित है :—

वर्ष	रोजगार सृजन (मिलियन श्रमदिन)
1980-81	413.581
1981-82	354.520
1982-83	351.20
1983-84	302.76
1984-85	285.04 (फरवरी 85 तक) (अनन्तिम)

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम : प्रत्येक भूमिहीन मजदूर परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिनों तक के रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण भूमिहीनों हेतु रोजगार के अवसरों में सुधार लाने तथा उनका विस्तर करने के विशिष्ट उद्देश्य से ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम वर्ष 1983- 84 के मध्य में आरम्भ किया गया है। सरकार द्वारा यह कार्यक्रम इस उद्देश्य से आरम्भ किया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया कि विशेषकर कम कृषि वाली अवधि जब कार्य मिलने कठिन होते हैं, के दौरान भूमिहनों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण गरीबी का मुकाबला सीधे तथा स्पष्ट तरीके से किया जाना चाहिए। ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार लाने तथा विस्तार करने के अतिरिक्त, कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने हेतु स्थायी स्वरूप की परिसम्पत्तियां सृजित करना है। छठी योजना के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपए परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें वर्ष 1983-84 हेतु 100 करोड़ रुपए का परिव्यय तथा 1984-85 हेतु 400

करोड़ रुपए का परिव्यय भी शामिल है। वर्ष 1983-84 के दौरान 60 मिलियन श्रमदिनों तथा वर्ष 1984-85 के दौरान 300 मिलियन श्रमदिनों के रोजगार सृजन की प्रत्याशा की गई थी। वर्ष 1983-84 के दौरान कुल 5.2 मिलियन श्रमदिनों का रोजगार सृजित किया गया था। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1984-85 (फरवरी, 85 तक) के दौरान उपलब्धि 192.46 मिलियन श्रमदिन थी (अनन्तिम)।

गीत और नाटक प्रभाग, महाराष्ट्र में आरक्षित रिक्तियों को भरा जाना

4631. श्री आर० एम० भोये : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गीत और नाटक प्रभाग, महाराष्ट्र में प्रत्येक ग्रेड में अब तक कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है;

(ख) उन नियुक्तियों में कितने पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति की गई;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये निर्धारित कोटा पूरा किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) गीत और नाटक प्रभाग, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, में विभिन्न पदों पर भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए रोस्टर भी केन्द्रीय आधार पर रखा जाता है ना कि क्षेत्रीय आधार पर। तदनुसार, महाराष्ट्र राज्य में पुणे में स्थित गीत और नाटक प्रभाग के क्षेत्रीय केन्द्र के लिए कोई अलग रोस्टर नहीं रखा जा रहा है। क्षेत्रीय केन्द्र, पुणे में इस समय कार्य कर रहे व्यक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

समूह "क"—1
समूह "ख"—1
समूह "ग"—5
समूह "घ"—3

इस समय पुणे केन्द्र में जिन पदों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्ति धारण किए हुए हैं, उनकी प्रतिशतता इस प्रकार है :—

समूह "क" —शून्य
समूह "ख" —शून्य
समूह "ग" 20%
समूह "घ" 66%

पुणे केन्द्र पर कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों की नियुक्ति/प्रोन्नति आरक्षण संबंधी आदेशों के अनुसार की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कैन्टीन स्टोर विभाग से परिष्कृत खाद्य सामग्री

4632. श्री लाला राम केन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मछली और वनस्पति आदि जैसे परिष्कृत खाद्य सामग्री की खरीद सेना खरीद प्रतिष्ठान की बजाय कैंटीन स्टोर विभाग से करने का निर्णय किया है जिसका काम मूल-रूप से स्थानीय सैनिक कैन्टीनों की मदों की खरीद करना है;

(ख) क्या इस परिवर्तन के व्यापक राष्ट्रीय हित में दूरगामी परिणाम निकलेंगे यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से सरकार को मांग देने वाले को खरीददार नहीं होना चाहिए" के सिद्धांत की अवहेलना करते हुए उक्त परिवर्तन करना पड़ा;

(घ) उन मदों का ब्यौरा क्या है जिनकी बड़े पैमाने पर खरीद अब कैन्टीन स्टोर विभाग से की जायेगी; और

(ङ) क्या सेना खरीद प्रतिष्ठान बन्द किया जा रहा है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (घ) यह निर्णय किया गया है कि रक्षा मंत्रालय का कैंटीन स्टोर्स विभाग खाद्य विभाग के सेना क्रय संगठन से 1-4-1986 तक सभी विधायित खाद्य वस्तुओं की वसूली का कार्य अपने अधिकार में ले लेगा। एक विवरण संलग्न है जिसमें इस निर्णय के अनुसरण में कैंटीन स्टोर्स विभाग द्वारा अपने अधिकार में ली गई वस्तुओं की सूची दी गई है।

(ख) इस निर्णय के फलस्वरूप किसी समस्या की परिकल्पना नहीं की जाती है।

(ग) एकल एजेन्सी के माध्यम से वसूली करने की वांछनीयता को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय किया गया है। सेना मुख्यालय का आपूर्ति और परिवहन निदेशालय इन्डेंटर है और वसूली संबंधी कार्य कैन्टोन स्टोर्स विभाग द्वारा किया जाता है जो कि एक भिन्न एजेन्सी है।

(ङ) सेना क्रय संगठन को बन्द करने का प्रश्न इस निर्णय को कार्यान्वित करने से जुड़ा हुआ है।

विवरण

निर्णय लेने के बाद कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा ली गई मदें

1. विधायित सब्जियां
2. विधायित फल
3. घुलनशील काफी
4. चाय
5. विधायित मांस
6. विधायित मछली
7. दूध के उत्पाद
8. अण्डे का पाउडर
9. कन्फक्शनरी
10. सिगरेट
11. मक्की व आटा
12. कस्टर्ड पाउडर
13. कार्नफ्लेक्स
14. जैली क्रिस्टल
15. सागो
16. ड्रिंकिंग चाकलेट

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा "जेट्टी" को बुचर द्वीप से बम्बई पत्तन न्यास को सौंपा जाना

4633. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने बुचर द्वीप स्थित घाट बम्बई पत्तन न्यास को कब सौंपा था और उसकी निविदा लागत क्या थी तथा उस पर कुल कितनी लागत आई;

(ख) इस कार्य को पूरा करने हेतु धन किन स्रोतों से आया और प्रत्येक स्रोत से कितना धन मिला;

(ग) क्या लिया गया ऋण वापिस कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसे कब वापिस किया जाएगा;

(घ) क्या इस कार्य में हुए घाटे को गत तीन-चार वर्षों से चल रहे कार्य के रूप में दिखाया गया है ताकि निगम की लाभप्रदता पर कुप्रभाव न पड़े; और

(ङ) यदि नहीं, तो निगम के वार्षिक लेखों के अनुसार समय-समय पर तथा कार्य के आरम्भ होने के समय से उसके पूरा होने तक इस कार्य की वित्तीय स्थिति क्या रहेगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफ़ूर) : (क) घाट (जेट्टी) सौंपने की

तारीख	—जून, 1984
निविदा लागत	—5.04 करोड़ रुपये (ऐस्केलेशन को छोड़कर)
शामिल अस्थाई लागत	—21 करोड़ रुपये (अनुमानित)
	—(ऋण पर ब्याज को छोड़कर)

(ख) तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ० आई० डी० बी०) से 13 करोड़ रुपये ।

(ग) अभी नहीं । राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने मध्यस्थ द्वारा दिए जाने वाले अन्तिम अवार्ड में से ऋण के पुन: भुगतान का प्रस्ताव किया है ।

(घ) परियोजना के लिए मूल्य पद्धति पर अन्तिम अवार्ड लम्बित रहने के कारण, अतिरिक्त लागत को घाटे के रूप में दिखाना अनुचित होगा । वित्तीय परिणामों के तोड़-मरोड़ को दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रतिपूर्ति योग्य लागत को, चल रहे कार्य के रूप में दिखाया गया था ।

(ङ) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

शहरों के और आगे विस्तार को रोकना

4634. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और राज्य सरकारों के पास 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के और आगे विस्तार को रोकने के लिए क्या योजनाएं हैं; और

(ख) उपरोक्त योजनाओं और उनकी क्रियान्विति का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यकारी दल के प्रस्ताव का उद्देश्य महानगरीय शहरों के चारों ओर के क्षेत्र में छोटे तथा मध्यम कस्बों का तथा ग्रामीण विकास केन्द्रों का प्रत्याकर्षण (काउंटर मैगनेट) के रूप में विकास करके महानगरों तथा अन्य बड़े शहरों की जनसंख्या को नियंत्रित करने का है। इस सम्बन्ध में मुख्य योजना अन्तः प्रवेश के लिए छोटे तथा मध्यम कस्बों तथा विकास केन्द्रों के एकीकृत विकास तथा महानगरीय शहरों में जनसंख्या के प्रवाह को रोकने से सम्बन्धित होगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण होने की प्रक्रिया में हैं।

दूध की उपलब्धता

4635. श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1951 और 1981 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या थी;

(ख) 1951 और 1981 में मवेशियों की संख्या कितनी थी;

(ग) मवेशियों की संख्या में कमी आने के क्या कारण हैं; और

(घ) दुधारू पशुओं से दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, उस पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई परिणाम निकले हैं तो वह क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1951 और 1981-82 में प्रति व्यक्ति वार्षिक दूध की उपलब्धि क्रमशः 48.2 कि० ग्राम और 48.1 किलो ग्राम होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) पशु गणना के अनुसार, 1951 और 1977 में मवेशियों की संख्या क्रमशः 1552.95 लाख और 1801.40 लाख थी।

(ग) मवेशियों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है।

(घ) सरकार ने मवेशियों की दुग्ध उत्पादकता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित नीतियां अपनाई हैं :—

(1) चुनिंदा प्रजनन करके उनके वास स्थालों में राष्ट्रीय महत्व के पशु नस्लों का आनुवंशिक सुधार तथा अन्य चुनिंदा क्षेत्रों में उनका संवर्द्धन;

(2) विदेशी डेरी नस्लों के साथ अज्ञात नस्ल के पशुओं का संकर प्रजनन ;

(3) पशुओं को पर्याप्त पोषण मुहैया किये जाने की दृष्टि से आहार तथा चारा संसाधनों का विकास; और

(4) उत्पादन कार्यक्रम की सहायता के लिए प्रभावी पशु स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध।

देश में इन नीतियों के अनुसरण में पशु तथा भैंस विकास के कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप 1982-83 को समाप्त होने वाले दशक में 4.6 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ दूध का उत्पादन बढ़ा है जबकि पिछले दशक में यह वृद्धि दर 1.1 प्रतिशत रिकार्ड की गयी।

पुष्प विहार, नई दिल्ली में विकसित मैदानों/पार्कों का उपलब्ध न होना

4636. श्री राम पूजन पटेल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुष्प बिहार, नई दिल्ली में विकसित मैदान/पार्क उपलब्ध न होने और मैदानों के चारों ओर कांटेदार तार न लगाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो 1 जनवरी, 1985 से आज तक महानिदेशक (निर्माण) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्य प्राधिकारियों को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या सरकार का उस क्षेत्र के निवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए विकसित मैदानों/पार्कों तथा विकसित पार्कों के चारों ओर कांटेदार तार लगाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी हां, इस अवधि के दौरान चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इन पर यथोचित ध्यान दे रहा है।

(ख) जी, हां।

उर्वरकों के बिक्री मूल्य में राज सहायता

4637. **श्री प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में 1 जनवरी, 1985 को किसानों के लिए उर्वरकों के बिक्री मूल्य में राज सहायता की राशि कितनी थी;

(ख) क्या राज सहायता की राशि सबके लिए समान होती अथवा (एक) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (दो) छोटे और सीमांत किसानों, (तीन) समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को वर्गीकृत करके दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में किस प्रकार का अन्तर रखा जाता है; और

(घ) क्या राज सहायता देने का एक समान तरीका रखने का विचार है अथवा वर्तमान श्रेणीवार प्रणाली को जारी रखने का है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) उर्वरकों के बिक्री मूल्य समूचे देश में एक समान होते हैं और इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किसानों और सीमांत कृषकों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए अलग से कोई बिक्री मूल्य नहीं है। तथापि, देश के उन सभी विकासशील खण्डों में फास्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरकों और अन्य आदानों की खरीद हेतु राजसहायता उपलब्ध है जो खण्ड के लिए निर्धारित सकल सीमा के भीतर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में मूंगफली की गहन खेती के लिए परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में फास्फोरस-युक्त उर्वरकों की लागत का 25% भाग भारत सरकार प्रदान करती है।

देश में उत्पादित सामग्री से सभी किसानों को बेचे गए उर्वरकों के बिक्री मूल्य में राज सहायता का घटक औसतन 2,316 रुपए प्रति मीटरी टन पोषक तत्व आता है। यद्यपि उत्पादन करने वाले प्रत्येक एकक के धारण मूल्य को ध्यान में रखते हुए यह अलग-अलग संयंत्रों में भिन्न-भिन्न होता है, जैसा कि रासायन और उर्वरक मन्त्रालय की उर्वरक उद्योग समन्वयन समिति द्वारा निर्धारित किया गया है। आयातित उर्वरकों के मामले में राजसहायता का घटक औसतन 2,033

रुपए प्रति मीटरी टन पोषक तत्व है। यह मात्रा खरीद के स्रोत और समय आदि के साथ भिन्न-भिन्न होगी।

(घ) उर्वरकों के बिक्री मूल्यों पर बहुत्त अधिक राजसहायता दी जाती है, अतः वर्तमान पद्धति को बदलने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है, जैसाकि उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) से (ग) तक में दिए उत्तर में बताया गया है।

भरातीय मानक संस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

4638. श्री अनादिचरण दास : क्या खाद्य और नारिगक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मार्च, 1982 और 1 मार्च, 1985 को भारतीय मानक संस्थान में श्रेणी-वार कुल कितने कर्मचारी थे;

(ख) उपरोक्त तिथियों को वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी थे;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानक संस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों के लिए बनाये गये आरक्षण नियमों का पालन हो रहा है और रोस्टर रखा जा रहा है; और

(घ) यदि उसमें कोई कमी आई हो तो उसके क्या कारण हैं और उक्त समुदायों के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेंद्र सिंह) : (क) भारतीय मानक संस्था में कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या इस प्रकार है :—

ग्रेड	1 मार्च, 1982 को	1 मार्च, 1985 को
i	449	519
ii	475	542
iii	609	718
iv	318	397
	1851	2176
(ख)	240	291

(ग) जी हां।

(घ) यह कमी मुख्यत : ग्रेड-1 वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों के मामले में है। जून, 1975 तक, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों में ग्रेड-I के निम्नतम स्तर पर कोई आरक्षण नहीं था। लगातार विज्ञापन दिये जाने और अर्हता तथा मानदण्डों में छूट दिए जाने के बावजूद इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं, जैसे यांत्रिक, विद्युत, समुद्री, नौसैनिक वास्तुकला,

धातु विज्ञान, आदि में अपेक्षित योग्यता वाले उम्मीदवार नहीं मिले हैं। तथापि, उल्लेख है कि स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और सभी ग्रेडों में कमी को पूरा करने के लिए जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे कि देखा जा सकता है कि 1980 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार केवल 8.8 प्रतिशत थे, जबकि 31 मार्च, 1985 को बढ़कर ये 13.2 प्रतिशत हो गये हैं।

कमी को पूरा करने के लिए निम्नवत निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं :—

(i) आयु, शुल्क और यात्रा भत्ते में छूट देना;

(ii) केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए विज्ञापन देना;

(iii) अनुभव और अर्हताओं में छूट देना;

(iv) विभिन्न पदों के लिए निर्धारित परीक्षाओं, अर्थात लिखित/वस्तुनिष्ठ/आशुलिपि/टंकण परीक्षाओं आदि में अर्हक अंकों में छूट देना;

(v) पृथक साक्षात्कार-मानदण्डों में छूट देकर निर्णय करना;

(vi) आशुलिपि/टंकण परीक्षा पास करने के लिए बार-बार मौका देना; और

(vii) आशुलिपि/टंकण परीक्षा के लिए संस्थान द्वारा टाइपराइटरों की नि:शुल्क व्यवस्था की जाती है।

सहकारी आवास निर्माण समितियों द्वारा आवासों की बिक्री पर लिया जाने वाला मुनाफा

4639. श्री राम समुझावन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में सहकारी आवास समितियों को आबंटित भूमि पर बने मकानों को अपने सदस्यों को बेचने पर कुछ मुनाफा लेने की अनुमति दी है यदि हां, तो किस दर पर;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की मकानों की बिक्री पर जिस जमीन पर सम्पत्ति का निर्माण हुआ हो उन मकानों को जमीन की लागत का हिसाब लगाते समय मुनाफा कुछ प्रतिशत उन मकानों को मुनाफा देता है, और यदि हां, तो किस दर पर;

(ग) वसन्त विहार, शान्ति निकेतन, आनन्द निकेतन, वेस्ट एण्ड, सफदरजंग इनक्लेव और पंचशील पार्क में उक्त प्रकार का मुनाफा तय करने के उद्देश्य से भूमि का क्या मूल्य हिसाब में लिया जाता है; और

(घ) सम्बन्धित भूमि के तत्कालीन बाजार मूल्यों के बजाय उनके द्वारा वस्तुत: भुगतान की गयी भूमि की लागत को विचार में न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं ?

(ख) जी, हां। भूमि की कीमत में अनर्जित वृद्धि के 50% का उद्ग्रहण (लेटी) अर्थात् बिक्री के समय रिहायशी प्लाट ही लागत और भुगतान किए गए प्रीमियम का अन्तर अनर्जित वृद्धि के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वसूल किया जाता है।

(ग) इस प्रयोजन के लिए भूमि की कीमत दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती है। इन कालोनियों में 31-3-1985 तक निर्धारित दर 2500/-रुपये प्रति वर्गमीटर थी। 1-4-85 से ये दरें अभी निर्धारित की जानी हैं।

(घ) कालान्तर में क्षेत्र और इसके आस पास के पूर्ण विकास, सार्वजनिक परिवहन आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था, जिनके प्रति सदस्य द्वारा स्वयं ही पर्याप्त अंशदान नहीं किया जाना जैसे कारकों के कारण भूमि के मूल्य में हुई वृद्धि का हिस्सा सदस्य को मिलता है। इस लेवी से भूमि की सट्टेबाजी तथा लाभ कमाने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने की भी आशा की जाती है।

गोरखपुर टी० वी० रिले केन्द्र का कार्यकारण

[हिन्दी]

4640. **श्री मदन पांडे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर टेलीविजन रिले केन्द्र अपनी क्षमता (10 के० वी०) के अनुसार कार्यक्रम रिले कर रहा है और यदि हां, तो कार्यक्रमों के प्रसारण में लगातार व्यवधान आने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त 10 के० वी० क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त यांत्रिक अथवा अन्य किस्म के दोषों को दूर करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त केन्द्र के प्रसारणों की नेपाल में लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए प्रसारण क्षमता को बढ़ाने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालयों के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) बिजली चले जाने और कभी-अभी उपकरणों के खराब हो जाने के कारण गोरखपुर के दूरदर्शन ट्रांसमीटर के प्रेषणों में व्यवधान होता रहा है। बिजली चले जाने के दौरान प्रेषणों को जारी रखने के लिए दूरदर्शन केन्द्र को एक आपातोपयोगी डीजल जेनेरेटर उपलब्ध कर दिया गया है। ट्रांसमीटर की खराबियों को भी दूर कर दिया गया है। दूरदर्शन ट्रांसमीटर अब 10 किलोवाट की निर्धारित शक्ति पर कार्य कर रहा है।

(घ) जी, नहीं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, की मुर्गीपालन अनुसन्धान परियोजना में लाभ हानि

[अनुवाद]

4641. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय कृषि के अनुसन्धान परिषद की मुर्गीपालन की प्रगति के सम्बन्ध में लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अखिल भारतीय समन्वित मुर्गी प्रजनन प्रायोजना एक अनुसन्धान प्रायोजना है, व्यवसायिक कार्य नहीं। ऐसी प्रायोजनाओं में तत्कालीन लाभ या हानि पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस अनुसन्धान प्रायोजना की कारगरता का अनुमान जानकारी/ प्रौद्योगिक देने वाले बुनियादी या व्यवहारिक पहलुओं के परिणामों द्वारा किया जाना है जो बाद में बड़े विकास कार्यक्रम का आधार होगा। इस प्रायोजना से बढ़िया जनित्र द्रव्य भी प्राप्त होगा। इस प्रायोजना में मुर्गी उत्पादन में सुधार लाने के लिए दोनों प्रजनन नीतियों अण्डा व ब्रोइलर तथा बहुत से बढ़िया प्रजाति संकरों को विकसित किया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे बाद में लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

गरोन्दा (शाहदरा) में डी० डी० ए० द्वारा अर्जित भूमि

4642. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री गरोन्दा (शाहदरा) में डी० डी० ए० द्वारा अर्जित भूमि के बारे में 7 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या. 10116 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खसरा नं० 402 से 407 तक और 385 से 395 तक की भूमि अब अर्जित कर ली है और उक्त भूमि के स्वामियों और कब्जेदारों को कोई मुआवजा नहीं दिया है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र के कुछ भू-स्वामियों को उनकी भूमि के बदले नन्द नगरी क्षेत्र में "भूमि दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित खतरों के अन्तर्गत भूमि के स्वामियों को समुचित मुआवजा देने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) गरोन्दा, नीमका बांगर गांव के खसरा नं० 385 से 395 तक और खसरा नं० 402 से 407 तक की भूमि दिल्ली प्रशासन ने अर्जित कर ली है। खसरा नं० 389/2 (2 बिस्वा माप का), खसरा नं० 395 (6 बिस्वा माप का), और खसरा नं० 406 (5 बीघा और 17 बिस्वा माप का) के संबंध में मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है, खसरा नं० 390 से 392 के संबंध में भी मुआवजे का आंशिक भुगतान कर दिया गया है। शेष खसरों के संबंध में मुआवजा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अनुसार विवाद के कारण अपर जिला जज की अदालत में भेज दिया गया है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि प्रश्न के भाग (क) में बतायी गई भूमि के बदले में वैकल्पक प्लाट के आवंटन के लिए उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण को किसी मामले की सिफारिश नहीं की है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय श्रमिकों की भर्ती के लिए भारत और खाड़ी के देशों के बीच समझौता

4643. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों की भर्ती के लिए खाड़ी के देशों के साथ कोई समझौता है अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष में खाड़ी के देशों में कितने भारतीयों को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी हां।

(ख) कतर राज्य के साथ 11 अप्रैल, 1985 को एक जनशक्ति करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। सरकार ने ऐसे ही करारों को निष्पादित करने के लिए खाड़ी के अन्य देशों से भी संपर्क किया है।

(ग) अनुमान है कि चालू वर्ष के दौरान खाड़ी के देशों में 2,00,000 भारतीय श्रमिकों को रोजगार अवसर प्राप्त होंगे।

भूमिहीन किसानों को फालतू भूमि का वितरण

4644. श्री चिन्तामणि जेना : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान भूमिहीन किसानों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का वितरण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(क) वास्तव में कितनी भूमि का वितरण किया गया तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कितने परिवारों को उनका लाभ मिला; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को अन्य क्या सहायता प्रदान की जा रही है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) 1984-85 के दौरान भूमिहीन किसानों को अधिनियम सीमा से फालतू भूमि का वितरण करने के लिए 1,98,770 एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1984-85 के दौरान वास्तव में 1,58,230 एकड़ भूमि वितरित की गई है। भारत सरकार के पास 28-2-85 को संकलित तथा विभिन्न अवधियों की उपलब्ध सूचना के अनुसार, अनुसूचित जातियों के 12.05 लाख लाभार्थियों तथा अनुसूचित जनजातियों के 4.99 लाख लाभार्थियों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि आवंटित की गई थी। तथा ये लाभार्थियों की कुल संख्या का 53 प्रतिशत है।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्लान योजना के अन्तर्गत अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के प्राप्तकर्त्ताओं को उन्हें दी गई भूमि पर लाभकारी खेती करने के लिए 2500/-रुपये प्रति हेक्टयर की दर से वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दी जा रही है। अनुदान की राशि का उपयोग साधारण भूमि विकास, निवेशों की खरीद तथा तात्कालिक उपभोग की आवश्यकताओं के लिए किया जाना है। अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के प्राप्तकर्ताओं को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता हेतु भी प्राथमिकता दी जाती है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक आवंटी को दी जाने वाली कुल सहायता (ऋण को छोड़कर) 8,000/-रुपए प्रति आवटी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

"सेंसरशिप डूअल स्टेण्डर्ड" शीर्षक से प्रकाशित लेख

4645. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 1985 के "इण्डिया टूडे" के पृष्ठ 152-155 पर "सेंसररशिप डूअल स्टेण्डर्ड" शीर्षक से प्रकाशित हुए लेख की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें सेन्सर बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध हिंसा, सैक्स, नग्नता, बलात्कार, दर्शाने वाली फिल्मों को प्रमाणपत्र देने तथा फिल्मों आदि की स्वीकृति प्रदान करने में अधिक विलम्ब करने के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सेंसर नियमों का कठोरता से पालन किया जाना निश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है तथा कितनी फिल्मों को "यू" प्रमाणपत्र नहीं दिया गया तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन फिल्मों को, जिनके अंश इस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं, "यू" प्रमाणपत्र जारी कर दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) सरकार ने लेख को देखा है। तथापि, लगाये गए आरोप सही नहीं हैं।

भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अभिप्रेत सभी फिल्मों की जांच केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 और तदन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के उपबन्धों के अनुसार की जाती है। बोर्ड समितियों की पद्धति के माध्यम से काम करता है। इसलिए प्रमाण-पत्र तथा प्रमाण-पत्र की श्रेणी प्रदान करने या काटछांट करने के बारे में निर्णय अकेले अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है।

प्रादेशिक अधिकारियों, सलाहकार, पैनलों के सदस्यों और बोर्ड के सदस्यों को समय-समय पर यह सलाह दी जाती है कि वे सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

1984 के दौरान, 368 भारतीय फीचर फिल्मों को "यू" प्रमाण-पत्र से भिन्न प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए थे, क्योंकि इन फिल्मों में ऐसे दृश्य थे, जिन्हें अवयस्कों के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया था या यह जरूरी समझा गया कि माता-पिता को यह चेतावनी दी जानी चाहिए कि वे यह निर्णय करें कि फिल्म 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा देखी जानी चाहिए या नहीं।

(ग) और (घ) जिन फिल्मों के अंश पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं, उनको निम्नानुसार प्रमाण-पत्र दिये गए थे :—

(1) तेरी बाहों में—	"ए" प्रमाणपत्र,	5 काटछांट के साथ
(2) हंसते खेलते —	"यू" प्रमाणपत्र,	4 काटछांट के साथ
(3) अपराधी कौन—	"ए" प्रमाणपत्र,	बिना काटछांट के।
(4) नया कदम—	"यू" प्रमाणपत्र,	4 काटछांट के साथ।

उपरोक्त प्रमाण-पत्र परीक्षा समिति या पुनरीक्षण समितियों, जैसी भी स्थिति हो, की सिफारिशों के आधार पर दिये गये थे। यह जरूरी नहीं है कि पत्रिका में प्रकाशित अंश वास्तव में वही हों जो बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों में हों।

दूध की कमी

4646. श्री वसुदेव आचार्य : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री दुग्ध उत्पादों की भारी कमी के बारे में 8 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2084 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपयुक्त के उत्तर में बताई गई नीतियों में से प्रत्येक कब प्रारम्भ की गई थी और तीन योजनाओं को योजनावार प्रत्येक के लिए कुल कितना धन जारी किया गया तथा दुग्ध के बढ़े हुए उत्पादन के रूप में तुलनात्मक जिससे क्या परिणाम रहे तथा प्रत्येक योजना किन किन राज्यों में प्रारम्भ की गई;

(ख) आपरेशन फ्लड परियोजना के लिए विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट नीतियों का ब्यौरा क्या है और छठी योजना के दौरान ऐसे उद्देश्यों की वर्षवार उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) क्या दिल्ली जो कि राज्यों के मध्य में स्थिति है और जहां दुग्ध की उपलब्धता अधिक है और दूध का प्रति व्यक्ति उपयोग भी अधिक है दूध की पूर्ति बनाये रखने के लिए पूरी तरह से आयातित दुग्ध चूर्ण और "बटर आयल" पर निर्भर है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 8 अप्रैल, 1985 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2084 के उत्तर में उल्लिखित नीतियों और युक्तियों का संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु गो-पशु/भैंस विकास के लिये राज्य सरकारों द्वारा अपनायी गयी सामान्य नीति से है। प्रमुख नीतियों से है। प्रमुख नीतियों/ युक्तियों पर विचार करते हुये राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों को उपलब्धि के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों को शुरू क्रियान्वत कर रही हैं। दुग्ध उत्पादन 1971-72 के 225.00 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1983-84 में 363 लाख मीटरी टन हो जाने का अनुमान है।

(ख) आपरेशन, फ्लड 2 को तीन स्तरीय सहकारी संरचना अर्थात् गांव स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जिला स्तर पर दुग्ध संघ और राज्य स्तर पर फैडरेशन के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 100 लाख फार्म परिवारों को सहकारी संरचना को सीमा में लाने का विचार है। छठी योजना के दौरान ऐसे उद्देश्यों को वर्षवार प्राप्ति निम्न प्रकार है :—

अवधी	संगठित की गई डेरी विकास समितियां (संचयी)	कृषक सदस्य (संचयी) (लाख में)
1980-81	10,409	14.65
1981-82	18,422	21.23
1982-83	23,496	26.20
1983-84	28,641	31.16
1984-85 (फरवरी, 1985 को (अस्थायी)	33,830	34.17

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी, दिल्ली अपनी दुग्ध सप्लाई को बनाये रखने के लिये आयातित दुग्ध चूर्ण और बटर आयल पर पूर्णत: निर्भर नहीं करते ।

तीन आयामी चलचित्रों के लिये "कैमरा लेंसों" का आयात

[हिन्दी]

4648. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भारतीय चलचित्र निर्माता अब तीन आयामी चलचित्र तैयार करेंगे क्योंकि उनमें से कुछ निर्माता पहले ही इस प्रकार के चलचित्र तैयार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार तीन आयामी चलचित्रों के लिए कैमरा लेंसों के आयात की सुविधा प्रदान करेगी;

(ग) यदि हां, तो कब तक और इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गडागिल) : (क) भारत में फिल्मों का निर्माण निजी क्षेत्र में हैं। यह निर्णय लेना संबंधित प्रोड्यूसर का काम है कि वह तीन आयामी फिल्मों का निर्माण करेगा या नहीं ।

(ख) से (घ) आयात-निर्यात नीति अप्रैल 1985-मार्च, 1988 (खण्ड-1) के परिशिष्ट 6 की क्रम संख्या 1 द्वारा, परिशिष्ट में निर्धारित शर्तों के अधीन, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा तीन आयामी फिल्मों के लिए अपेक्षित कैमरा लेंसों का आयात किए जाने की पहले ही अनुमति है । इस प्रकार के लेंसों का आयात करने के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं (गैर औद्योगिक) को पूरक आयात लाइसेंस लेना आवश्यक है, जो संबंधित लाइसेंस प्राधिकारियों को प्राप्त आवेदन-पत्रों, जो प्रयोजना प्राधिकारी, जहां पर आवेदन पत्रों को पूरक लाइसेंस समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है । द्वारा विधिवत अनुशंसित हों, के आधार पर जारी किया जाता है ।

बिहार में बीज फार्मों की स्थापना

[अनुवाद]

4649. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं, बाजरा, तिलहन, मक्का, जौ, धान आदि जैसी विभिन्न फसलों के बीजों की मांग को पूरा करने के लिए बिहार में कितने बीज फार्मों की कहां-कहां स्थापना की गई है अथवा करने का विचार है;

(ख) इन फार्मों में मूल बीजों और प्रमाणित बीजों का कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) क्या इन फार्मों में उत्पादन बिहार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा;

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बिहार सरकार की सहायता करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बीड़ी कर्मकारों, बुनकरों और मछेरों को संगठित श्रमिक की श्रेणी में सम्मिलित करना

4650. श्री सी० सम्बु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी कर्मकारों, बुनकरों और मछेरों को संगठित श्रमिक श्रेणी में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बीड़ी बुनाई और मत्स्य उद्योगों में नियोजित श्रमिक सामान्यत: असंगठित श्रमिक होते हैं। उन्हें विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं। बीड़ी श्रमिकों के लिए पहले से ही कल्याण निधि है। जहां तक बुनकरों और मछुआरों का संबंध है, उनके कामकाज तथा रहन-सहन की दशाओं का गहन अध्ययन करने के लिए त्रिपक्षीय अध्ययन दल गठित किऐ गए हैं आशा है कि ये अध्ययन दल उन उपर्युक्त वैधानिक तथा प्रशासनिक उपायों की सिफारिशें करेगा जिन्हें आवश्यक समझा जाए।

माहे, पाण्डिचेरी में 10 किलोवाट क्षमता वाले टी०वी ट्रांसमीटर की स्थापना

4651. मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार माहे में, जो कि संघ राज्य क्षेत्र, पाण्डिचेरी का एक भाग है, एक 10 किलोवाट क्षमता वाला टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक चालू कर दिया जायेगा; और

(ग) क्या पाण्डिचेरी सरकार ने माहे में टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु नि:शुल्क भूमि देने की पेशकाश की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गडगिल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उपग्रह के माध्यम से आकाशवाणी के प्रसारण

4652. डा० फूलरेणु गुहा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार के पास देश में आकाशवाणी के प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए आवर्तक केन्द्रों (रिपीटर्स) तथा रिले केन्द्रों की स्थपना हेतु अन्तरिक्ष (उपग्रहण) को किराये पर लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक किन किन देशों से बातचीत की है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव की क्रियान्विति पर कितनी लगात आने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क)जी, नहीं। (ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जम्मू और कश्मीर में उत्पादों की बिक्री सेवाओं के प्रावधान के लिये एजेन्सियां

4653. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों, सरकारी नियंत्रणाधीन उद्योगों के उत्पादों की बिक्री/सेवाओं के प्रावधान के सम्बन्ध में सरकार ने गैर-सरकारी समूहों/व्यक्तियों को एजेन्सियां मंजूर की हैं; और

(ख) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर राज्य में एजेन्सी धारकों की सूची का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय ने ऐसी कोई एजेन्सी मंजूर नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्लूसा तिलहन परियोजना

4654. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी बाई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी व्यक्ति विशेष ने गुजरात में, जहां परोक्ष रूप से उसे लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने "क्लूसा" वनस्पति तेल आवंटित/उपयोजित किया है, वनस्पति तेल का कारखाना स्थापित किया है अथवा उसमें उसका हित निहित है;

(ख) क्या सरकारी समितियों के जाली नामों से किन्हीं अन्य वनस्पति तेल कारखानों को भी "क्लूसा" वनस्पति तेल उपयोजित अथवा आवंटित किया गया है; और

(ग) क्या सरकार गत तीन वर्षों के लिए "क्लूसा" तेल परियोजना के किए गए किसी मूल्यांकन लेखा परीक्षा के परिणामों को प्रकाशित करेगी और क्या इस प्रकार के मूल्यांकन/लेखा परीक्षा प्रतिवेदन किसी समय संसद के समक्ष रखे गए हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। खाद्य तेल तथा तिलहन उत्पादन तथा विपणन की पुनः संरचना के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की परियोजना गुजरात राज्य में गुजरात सहकारी तिलहन उत्पादक संघ द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। संयुक्त अमेरीका (क्लूसा) के सहकारी संघ से परियोजना के तहत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त किया गया तेल उस राज्य में गुजरात सहकारी तिलहन उत्पादक संघ को मुख्य रूप से सप्लाई किया जा रहा है। क्लूसा से उपहार में प्राप्त किया गया तेल जाली नामों की सहकारी समितियों के तहत किसी अन्य वनस्पति तेल कारखानों को नहीं दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना का पिछला मूल्यांकन एक संयुक्त दल ने 1983 में किया था। इस दल द्वारा की गई सिफारिशें 12-3-1984 को लोक सभा में पुरे

गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2369 और 15-3-1985 को राज्य सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर में दी गई थी ये निम्न प्रकार हैं :—

(1) संसाधन सुविधाओं के लिए लाइसेंस देने सम्बन्धी पद्धति को सुव्यवस्थित किया जाए।

(2) केन्द्रीकृत मंडी विश्लेषण और पूर्वानुमान के कार्यों का विकास किया जाए।

(3) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में परियोजना की नीति वार्षिक उत्पादन में भारी वृद्धि लाने की कोशिश करने की बजाए आदर्श स्तर पर वर्षानुवर्ष उत्पादन को स्थिर करने की हो।

(4) समिति सचिवों को अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए।

(5) जहां पर कृषि सम्बन्धी पदों को गैर-कृषि अभ्यार्थियों से भरा जाना आवश्यक हो, ऐसे अभ्यार्थियों के लिए कृषि संबंधी विषयों में सघन और औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

(6) राज्यों और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का एक पक्की प्रतिबद्धता यह होनी चाहिए कि संघों के ऊपरी स्तर के प्रबन्धकीय पदों पर सुयोग्य व्यक्तियों को रखा जाए तथा इन्हें कम से कम 3 से 4 वर्ष तक इन पदों पर रहने दिया जाए।

(7) राज्य संघों को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाए और संसाधन संयंत्र प्रबन्धक को उनके क्षेत्र के अन्तर्गत अर्द्ध-स्वायत्तशासी क्षेत्राधिकार दिया जाए।

(8) कच्चे माल की ढुलाई अथवा तैयार माल को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेजने का निर्णय मुख्यालय में लिया जाए।

(9) जहां उत्पादन, अधिप्राप्ति और इष्टतम क्षमता उपयोग अधिक सुनिश्चित हो, ऐसे सिंचित क्षेत्रों में अधिक बड़े प्लांट लगाए जा सकते हैं।

(10) राज्य संघों को धीरे-धीरे राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की अधिप्राप्ति सहायता के उपयोग पर निर्भरता कम कर देनी चाहिए तथा जहां तक संभव हो, अधिप्राप्ति के लिए वाणिज्यिक वाहनों का उपयोग करना शुरू करना चाहिए।

(11) अधिप्राप्ति कार्य पूरे वर्ष किया जाए।

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कलाकारों द्वारा गायन पर प्रतिबन्ध

4655. श्री शांता राम पोतदुखे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गये कलाकारों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर गायन पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कलाकारों के नाम क्या हैं और उन पर यह प्रतिबंध कब तक लागू रहेगा; और

(ग) क्या इससे पूर्व भी कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) निम्नलिखित कलाकारों, नियम के अपवाद के रूप में, जिसके दक्षिण अफ्रीका के लिए पासपोर्टों पर

इस शर्त का पृष्ठांकन दिया गया था कि वे इसका कोई वाणिज्यिक लाभ नहीं उठाएंगे और जिन्होंने इस शर्त का उल्लंघन किया है, द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिए जाने पर अगले आदेश तक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है :—

1. श्री राजेन्द्र मेहता और
   श्रीमती नीना मेहता ।
2. श्री जानी बाबू कव्वाल ।
3. श्री पिठुकुली मुरूगादास ।
4. श्री जगजीत सिंह और श्रीमती चित्रा सिंह ।

(ग) जी, हां । विगत में भी झूठे दावों, दुर्व्यवहार, असहयोगी बर्ताव आदि जैसे विभिन्न कारणों से कुछ कलाकारों द्वारा आकाशवाणी पर कार्यक्रम दिए जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था ।

निकारागुआ के लिए भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी

4656. **श्री डो० पी० जडेजा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 16 मार्च, 1985 के टाइम्स आफ इण्डिया" में "इंडियन फार्म टैक्नालाजी फार निकारागुआ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है;

(ख) क्या सरकार भारतीय किसानों को निकारागुआ भेजने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) इस बारें में विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों में असंतोष

4657. **श्री बाला साहिब विखेपाटिल**
प्रो० मधुदंडवते } : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों के बीच भारी असन्तोष व्याप्त है क्योंकि कृषि वैज्ञानिकों की पदोन्नति की नीतियों में विसंगतियां हैं; जैसा कि दिनांक 21 फरवरी, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एक लेख में उल्लेख किया गया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने भी 16 दिसम्बर, 1983 के अपने निर्णय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में व्याप्त दुःखद स्थिति का उल्लेख किया था;

(ग) क्या इस प्रकार की स्थिति के बावजूद भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विसंगतियों को नियंत्रित करने और उन्हें दूर करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भा० कृ० अ० प० के कृषि वैज्ञानिकों में न तो असंतोष है और न ही उनकी पदोन्नति की नीतियों में विसंगतियां हैं । वैज्ञानिकों

की पदोन्नति उनकी उपाधियों को ध्यान में रखे बिना उनके पांच वर्षीय कार्य के मूल्यांकन के आधार पर होती हैं।

(ख) उच्चतम न्यायालय का 16 दिसम्बर, 1983 का निर्णय वर्ष 1972 से 74 के 3-4 मामलों से सम्बन्धित है। इस प्रकार, प्रतिष्ठित न्यायालय की टिप्पणी में परिषद की उस समय की स्थिति का उल्लेख है, भा० कृ० अ० प० की वर्तमान स्थिति और कार्य प्रणाली का नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यचालन में सुधार

4658. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम की गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार संचालन लागत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्यचालन में सुधार करके केन्द्रीय राज्य सहायता में निरन्तर कमी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम की वर्षवार परिचालन लागत, जिसमें संचलन, भंडारण और वितरण लागत शामिल है, का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

दर रुपये प्रति क्विंटल

	1981-82	1982-83	1983-84*
1. मार्गस्थ तथा भंडारण हानियां	6.89	8.16	—
2. भाड़ा	13.92	17.08	16.83
3. गोदाम के हैंडलिंग खर्चे	3.33	3.62	3.71
4. गोदाम प्रभार	3.28	3.08	3.06
5. ब्याज	7.96	9.08	12.95
6. प्रशासनिक ऊपरी खर्चे	2.49	2.89	2.80
जोड़	37.87	43.91	39.35

*(इनमें मार्गस्थ तथा भंडारण हानियां शामिल नहीं हैं)

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम के कार्य की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि राजसहायता को न्यूनतम स्तर पर ही रखा जाए।

काली मिर्च उत्पादकों के लिए विस्तार और सलाहकार सेवा

4659. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीमिर्च के उत्पादकों के लिए विस्तार और सलाहकार सेवा प्रदान करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) काली मिर्च हेतु परामर्शदायी सेवा के विस्तार के लिये कोई पृथक कार्यक्रम नहीं है । तथापि, राज्य के कृषि/बागवानी विभाग उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए काली मिर्च की खेती करने के संबंध में आवश्यक सलाह देते हैं । संकर काली मिर्च सहित उन्नत किस्मों के बेहतर रोपण की जाने वाली सामग्री भी सप्लाई की जाती है ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने के लिए दिए गए सुझाव

4660. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी एसोसिएशन, दिल्ली के एक परिसंघ की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव करने वाला, तथा प्रधानमंत्री को संबोधित दिनांक 23 जनवरी, 1985 का एक पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त संशोधनों को लागू करने के लिए कब तक विधान बनाये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) आम लोगों को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार यह आवश्यक समझती है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के विभिन्न उपबंधों को उनके मौजूदा स्वरूप में बनाये रखा जाए ।

सामुदायिक टी० वी० दर्शक केन्द्र खोलना

[हिन्दी]

4661. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बिहार में इस समय कितने सामुदायिक टी० वी० दर्शक केन्द्र चल रहे हैं; और

(ख) उक्त राज्य में 1985 के दौरान ऐसे कितने केन्द्र खोलने की योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय बिहार में मुजफ्फरपुर के दूरदर्शन ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र में 247 वी० एच० एफ० सामुदायिक अवलोकन दूरदर्शन सैट हैं ।

(ख) बिहार के पलामाऊ, सिंहभूम और रांची के तीन जिलों के चुनिंदा गांवों में 300 सीधे संग्रहण दूरदर्शन सैट और 400 वी० एच० एफ०. दूरदर्शन सैट लगाना एक अनुमोदित स्कीम है और 1985 के दौरान इसे कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

दिल्ली में पांच सितारा होटलों का निर्माण

[अनुवाद]

4662. डा० विजय राम राव : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में करोड़ों रुपए खर्च करके पांच सितारा होटल बनाए गए हैं जब कि देश के शेष भागों की, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की, अनदेखी कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो आवास योजनाओं के विकास के लिए ऋण देने सहित, सीमेन्ट तथा भवन निर्माण की अन्य सामग्री उपलब्ध कराने और समुदाय के लिए अन्य अनिवार्य निर्माण कार्यों के मामले में पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लिए एकरूपता बनाये रखने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफ़ूर) : (क) पांच तारा होटलों सहित होटलों का निर्माण कार्य मुख्य तौर पर निजी ठेकेदारों द्वारा किया जाता है । इस प्रयोजन के लिए निर्माण सामग्री पद्धति में दी गई शर्तों के अनुसार निर्माताओं द्वारा प्राप्त की जाती है ।

(ख) इस संबंध में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) सीमेन्ट, इस्पात इत्यादि जैसी निर्माण सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाना । सीमेन्ट फैक्टरियां स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने हेतु सरकार उदार नीति अपना रही है ।

(2) 28.2.82 से आंशिक रूप से सीमेन्ट पर से नियंत्रण हटाने की योजना लागू करना और सीमित कुर्सी क्षेत्र वाले मकानों के निर्माण के लिए लेवी सीमेन्ट उपलब्ध करना ।

(3) स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना ।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों कामगारों को आवास स्थल का आवंटन तथा निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का प्रावधान करना ।

मानिटो, कनाडा से "मोप" उर्वरक का आयात

4663. श्री जी० वी० देसाई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कनाडा में मानीटो से पोटाश पर आधारित उर्वरक में "मोप" के आयात के लिए एक दीर्घावधि समझौता करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कनाडा सरकार के साथ कोई समझौता हुआ है;

(ग) क्या भारत अपनी "मोप" की समस्त आवश्यकता आयात से पूरी करता है क्योंकि यह देश में उपलब्ध नहीं है;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष में इसकी आवश्यकता 13.6 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, और

(ङ) यदि हां, तो अब तक "मोप" सप्लाई करने वाला प्रमुख देश कौन सा था ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) उर्वरकों के आयात के समूचे प्रश्न की समय-समय पर समीक्षा की जाती है अत: इस स्थिति में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयात किए जाने वाले म्यूरेट आफ पोटाश के पक्के आंकड़े देना संभव नहीं है ।

(ङ) कनाडा पिछले तीने वर्षों से म्यूरेट आफ पोटाश की आपूर्ति करने वाला एकमात्र सबसे बड़ा देश है ।

देश में मवेशियों की संख्या

4664. श्री ललितेश्वर साही : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नवीनतम पशु गणना के अनुसार दुधारू और गैर-दुधारू तथा माल ढोने वाले बैलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या पिछले दस वर्षों के दौरान उक्त संख्या में बहुत अधिक कमी हुई है, यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या जानवरों के गोबर से बनने वाली गोबर गैस की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बूचड़खानों की क्षमता सीमित करने की कोई योजना है; और

(घ) क्या जानवरों के गोबर का प्रयोग ऊर्जा और उर्वरकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1977 की पशु गणना के अनुसार दुधारू पशुओं की संख्या 497.80 लाख थी, इसमें 231.88 लाख दूध देने वाली और 265.92 लाख दूध न देने वाली गायें थीं, और माल ढोने वाले बैलों की संख्या 712.40 लाख थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पशु-गोबर को पाकशाला में ईंधन के पूरक के रूप में और खेत में खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तथापि, यह न तो मिट्टी के तेल, कोयला बिजली आदि जैसे वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों का और न ही रसायनिक उर्वरकों जो देश में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं, का स्थान ले सकता है।

निर्माण कार्यों के लिए छूट की अनुमति

4665. श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या ग्रामीण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी भूमि (हदबंदी और नियमन) अधिनियम के विभिन्न अनुबन्धों (पृथक-पृथक) के अन्तर्गत निर्माण प्रयोजनों हेतु छूट की अनुमति देने के लिए दिल्ली में बड़े आवासीय प्लाटों के स्वामियों से सरकार को अब तक कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने मामलों में आवश्यक छूट की अनुमति दे दी गई है तथा शेष मामलों में निर्णय करने में देरी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम को निरस्त करने अथवा उसमें संशोधन करने का है क्योंकि इससे निर्माण कार्यों में काफी अवरोध पैदा हो गया है तथा राजधानी में शहरी भूमि के बड़े प्लाटों, जिनका उद्देश्य पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है, के स्वामियों के लिए समस्याएं पैदा हो गई हैं ?

ग्रामीण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम 1976 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत छूट देने के लिए प्राप्त

आवेदन पत्रों की कुल संख्या, जिन मामलों में छूट दे दी गई है उनकी संख्या तथा शेष मामलों में निर्णय करने में विलम्ब के कारणों का विवरण इस प्रकार है :—

नगर भूमि (अधिनियम सीमा तथा विनियमन) की धारा	प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या	जिन मामलों में छूट दे दी गई है उनकी संख्या	शेष मामलों के निर्णय में हुए विलम्ब के कारण
19	82	4	बार-बार अनुस्मारक देने के बावजूद भी आवेदकों ने इसके कोई दस्तावेज/साक्ष्य नहीं दिया है कि उनके ट्रस्ट लोक धमार्थ हैं या धार्मिक हैं।
20	2432	1950	अधिकांश मामलों में कइयों के अधिकार हैं और लम्बित हैं क्योंकि सक्षम प्राधिकारी आवेदकों से दस्तावेजों तथा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण से कतिपय आवश्यक स्पष्टीकरणों के अभाव में मूल्यांकन आदेश जारी नहीं कर पाये।

(ग) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन में होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों तथा निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इस अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

ब्रह्मपुर दूरदर्शन रिले केंद्र से दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण

4666. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को कलकत्ता दूरदर्शन के कार्यक्रमों को ब्रह्मपुर दूरदर्शन रिले केन्द्र से प्रसारित करने में क्या कठिनाई है; और

(ख) यह कठिनाई कब तक दूर कर दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता द्वारा तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों को ब्रह्मपुर के दूरदर्शन ट्रांसमीटर द्वारा रिले किए जाने के लिए अपेक्षित माइक्रोवेव लिंक अभी उपलब्ध नहीं हैं तथा इसके वर्ष 1986 के दौरान उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है।

नारियल गिरी और नारियल तेल का आयात

4667. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नारियल की गिरी और नारियल के तेल का आयात कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो किन देशों से इनका आयात किया जा रहा है और वर्ष 1980 से आज तक प्रत्येक देश में कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ग) क्या केरल सरकार ने इस आयात के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन दिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) भारतीय राज्य व्यापार निगम, जो खाद्य तेलों का आयात करने के लिए सरकार की मार्गीकरण एजेंसी है, ने नारियल की गिरी (खोपड़ा) का आयात नहीं किया है। देशी नारियल के तेल के मूल्यों पर से दबाव कम करने के लिए राज्य व्यापार निगम ने 1984 में फिलिपाइन तथा मलेशिया से 9044 मी० टन परिष्कृत, विरंजित तथा निर्गन्धीकृत नारियल का तेल आयात किया था। केरल सरकार ने हाल में नारियल के तेल का आयात रोकने का अनुरोध किया है, ताकि इसके मूल्यों में गिरावट को रोका जा सके।

दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी

4668. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या ग्रामीण और आवास मंत्री दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के मामले के बारे में 1 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1644 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दीवानी याचिका 559/77 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों का पाठ क्या है जिसके अन्तर्गत वर्तमान प्रबन्ध समिति को 3 वर्षों की सांविधिक अवधि के बाद भी पदासीन बने रहने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या उक्त निदेश प्रबन्ध समिति के कार्यकाल की सांविधिक अवधि पर अभिभावी हो सकते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान प्रबन्ध समिति को स्थापित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का है ?

(घ) वर्तमान प्रबन्ध समिति द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लेखा परीक्षित लेखाओं पर महा सभा की स्वीकृति न लिए जाने के क्या कारण हैं तथा दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

ग्रामीण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) विषय वस्तु का संबंधित अंश जैसा कि मन्त्रालय में उपलब्ध है, नीचे दिया गया है—

"प्लाटों का आवंटन किये जाने के बाद प्रबन्ध समिति के चयन के विशेष प्रयोजन के लिए इस समिति की आम सभा की बैठक बुलाई जाएगी। केवल उन्हीं व्यक्तियों को इस बैठक में बुलाया जाएगा और उसमें भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें प्लाटों का आवंटन किया गया है। यह बैठक न्यायालय द्वारा निर्देशित तरीके तथा तारीख को बुलाई जायेगी।"

(ख) तथा (ग) न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

(घ) प्रबन्ध समिति द्वारा 1975-76 से किया गया राजस्व व्यय संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ङ) समिति ने सूचित किया है कि 1967-68 से 1974-75 तक की अवधि के लेखा परीक्षित लेखे आम सभा की बैठक में प्रस्तुत किए गए थे और उन पर अनुमोदन प्राप्त किया गया था। बाद में समिति की वर्ष 1975-76 से 1981-82 के तुलन पत्रों को दिल्ली उच्च न्यायालय में पेश

किया गया था। समिति का यह मामला दिल्ली उच्च न्यायाल में न्यायिक है और समिति के कार्य-कलाप सी० डब्ल्यू० स० 659/77 के अन्तर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति द्वारा चलाए जाते हैं। इसलिए इस समिति के सम्बन्ध में सहकारी समितियों के पंजीकार द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

विवरण

दिल्ली स्कूल टीचर्स सहकारी गृह निर्माण समिति लि० का राजस्व व्यय

(लगभग सैकड़े में)

	रुपये
1. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	14100
2. डाक	12500
3. कानूनी खर्चे	113400
4. यात्रा खर्च	21100
5. किराया	10000
6. वेतन	135000
7. विविध	14100
8. विज्ञापन	29700
9. अवमूल्यन	2400
10. लेखा परीक्षा फीस	1300
11. टाइप के खर्चे	1900
12. चुनाव व्यय	700
13. बीमा	1800
14. एकाउंटेन्सी	4500
15. चन्दा	1000
16. बैंक प्रभार	1300

प्राथमिकता के आधार पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने संबंधी मानदंड

[हिन्दी]

4669. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिकता के आधार पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या मानदंड है;

(ख) क्या पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए अधिकाधिक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन केन्द्रों के लिए स्थानों का चयन करने के मानदण्ड में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के परिणामी कवरेज की सीमा; पिछड़े, दूरस्थ तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को सेवा; कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों से जोड़ने के लिए सुविधाओं की उपलब्धता तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं जैसी विभिन्न बातें शामिल हैं।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, दूरदर्शन सेवा का देश के पिछड़े तथा अविकसित भागों सहित कवर न हुए क्षेत्रों में उत्तरोत्तर विस्तार किया जा रहा है।

(ग) छत्तरपुर और टीकमगढ़ जिलों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार भावी योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

गन्ने की नई किस्में

4670. **श्री सी० डी०गामित** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान गन्ने की कितनी नई किस्मों का विकास किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किन स्थानों पर गन्ने की इन नई किस्मों का विकास किय गया है; उनकी प्रति एकड़ उपज क्या है और उनसे कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन किया गया;

(ग) क्या सरकार ने देश में गन्ने की खेती के महत्व को ध्यान में रखते हुए गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने और अधिक किस्मों का विकास करने के लिए कोई योजना तैयार की है अथवा तैयार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विभिन्न राज्यों में खेती के लिए गन्ने की 13 विशिष्ट, अच्छी उपज देने वाली, बढ़िया किस्मो को रिलीज किया गया है।

इसके अतिरिक्त गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर में क्षेत्रीय परीक्षण तथा बाद में रिलीज करने के लिए कुल 334 बढ़िया किस्मों को विकसित किया गया है इसमें से कुड्डालोर (तमिलनाडु) में विकसित सी० ओ० सी० 671, जालन्धर की सी० ओ० जे-64 तथा कोयम्बटूर की सी० ओ० 7304 तथा सी० ओ० 7508 किस्में अधिक चीनी युक्त, जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं तथा तेजी से इनका प्रसार हो रहा है।

(ख) इन किस्मों के विकास के स्थान तथा पैदावार व गुणवत्ता की क्षमता नीचे दी गयी हैं—

क्र० सं०	किस्म	विकास के स्थान	राज्य जहां रिलीज किए गए	पैदावार टन/हैक्टेयर	व्यवसायिक केन सुगर का आकलन (टन/हैक्टेयर)
1.	सी० ओ० सी-671	कुड्डालोर (तमिलनाडु)	तमिलनाडु	90.0	12.5
2.	सी० ओ० सी-8001			102.9	13.5
3.	सी० ओ० सी-8201			114.3	13.7
4.	सी० ओ० जे०-64	जालन्धर (पंजाब)	पंजाब	84.9	9.9
5.	सी० ओ० जे०-67			108.8	13.5
6.	सी० ओ० एस-767	शाहजहांपुर (उ० प्र०)	उत्तर प्रदेश	115.0	20.1
7.	बी० ओ०-91	पूसा (बिहार)	बिहार	74.9	12.2
8.	सी० ओ० ए-7602	अनाकपल्ले (आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश	94.8	12.8
9.	सी० ओ० ए-7704			94.1	10.6
10.	सी० ओ० ए-8201			95.1	12.3
11.	सी० ओ० 7508	कोयम्बतूर	आंध्र प्रदेश	82.7	10.7
12.	सी० ओ० 7219	कोयम्बतूर	महाराष्ट्र	159.3	13.7
13.	सी० ओ० 7314	कोयम्बतूर	हरियाणा	88.0	9.9

सी० ओ० किस्में गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर में विकसित की गई हैं तथा सी० ओ० एल०, सी० ओ० जे०, सी० ओ० एस०, सी० ओ० ए० आदि जैसी "सी० ओ०"—किस्मों का चयन उन स्थानों में किया जाता है जहां-जहां गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर से बीज दिए जाते हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जनिष द्रव्य केन्द्र कैन्नौर, केरल तथा क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र करनाल, हरियाणा सहित गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बतूर के माध्यम से किस्मों के विकास पर अनुसंधान बढ़ा रही है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान प्रायोजना भी है जहां पर स्थान सम्बन्धी विशिष्ट परीक्षण तथा किस्मों के चयन पर जोर दिया जाता है।

स्थान सम्बन्धी विशिष्ट किस्मों के विकास को बढ़ाने के लिए गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर में एक राष्ट्रीय संकरण उद्यान की स्थापना की गयी है, जिससे कि गन्ने का संकरण किया जा सके और उसे भारत के विभिन्न भागों में स्थित गन्ना अनुसंधान केन्द्रों को सामग्री (गन्ने से संबंधित) सप्लाई की जा सके।

अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना के अंतर्गत विभिन्न केन्द्रों के प्रजनक मिलकर परीक्षण के लिए किस्मों की पहचान करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में रिलीज कर देते हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सभी कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है।

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1984 के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा

[अनुवाद]

4671. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1984 से कर्मचारियों के अंशदान की दर में वृद्धि हो गई है जब कि उन्हें-उससे दिए जाने वाले लाभों में कटौती हो गई है;

(ख) क्या प्रसूती अवकाश लेने वाली महिला श्रमिकों पर तदुपरान्त लाभ की अवधि के दौरान इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संशोधन की पुनरीक्षा करेगी और उक्त पुनरीक्षा होने तक इस संशोधन को क्रियान्वित नहीं करेगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) कर्मचारी अंशदान की दर में मामूली सी वृद्धि हुई है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन ग्राह्य लाभों में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) प्रसूति प्रसुविधा की अदायगी के लिए अर्हता शर्त में भी मामूली सा संशोधन किया गया है। इससे पहले अर्हता शर्त के लिए अंशदान की अदायगी की अवधि कम से कम 13 सप्ताह थी अब शर्त यह है कि छः महीनों की अवधि के लिए अंशदान के कम से कम आधे दिनों अर्थात् 91 और 92 दिनों के लिए अंशदान की अदायगी की जाए। सामान्यतः इस परिवर्तन से महिला श्रमिकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा में कृषि महाविद्यालय खोलना

4672. श्री अजय बिश्वास : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा में एक कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस महाविद्यालय में कब से काम शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग) सरकार ने उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में एक केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की बात सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली है। इस क्षेत्र की शैक्षणिक और अनुसंधान की आवश्यकता की समीक्षा पूरी कर ली गई हैं और भारत सरकार के विचारार्थ एक प्रयोजना तैयार की जा रही है । सरकार द्वारा प्रायोजना स्वीकृत हो जाने के बाद प्रस्तावित विश्वविद्यालय के एक संघटक कृषि महाविद्यालय को त्रिपुरा में स्थापित करने के प्रश्न पर निर्णय लिया जाएगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित धनराशि

4673. डा० फूलरेण गुहा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी महिलाएं लाभान्वित हुईं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संशोधित बजट इस प्रकार है :—

1983-84	121.24 लाख रुपए
1984-85	433.75 लाख रुपए

व्यय

1983-84	42.90 लाख रुपए
1984-85	292.95 लाख रुपए

(ख) लाभान्वित महिलाओं की संख्या 30,942 है ।

1983-84 के दौरान	12,379
1984-85 के दौरान	18,563 (दिसम्बर, 84 तक)

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

4674. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि केन्द्र द्वारा जारी किए गए धन की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव है;

(ख) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1984-85 के लिए इस कार्यक्रम हेतु कुल कितना धन आवंटित किया गया और केन्द्र द्वारा वास्तव में कितना धन कम व्यय किया गया अथवा जारी किया गया; और

(ग) पश्चिम बंगाल को पूरी राशि जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) से (ग) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये संसाधनों की कमी से पश्चिम बंगाल में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरी ओर, निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य सरकार को निधियों का और बंटन नहीं किया जा सका। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 हेतु 3850 लाख रुपए के आबंटन के मुकाबले राज्य सरकार को प्रथम किश्त के रूप में 1538.30 लाख रुपए की धनराशि बटित की गयी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के पास ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 की 770 लाख रुपये की शेष धनराशि भी उपलब्ध थी। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल उपलब्ध 2308.30 लाख रुपए की धनराशि में से राज्य सरकार ने अब तक केवल 514.949 लाख रुपए व्यय किए जाने की सूचना दी है। यह व्यय जनवरी, 85 से संबंधित है। राज्य सरकार को पूरी निधियां इसलिए मुक्त नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकार को पहले बंटित की गई निधियों का उपयोग कुल उपलब्धता के 50 प्रतिशत से कम था जो कि दूसरी किश्त के बंटन के लिए आवश्यक है।

उड़ीसा के रेडियो स्टेशनों की विद्यमान "के० डब्ल्यू" क्षमता को बढ़ाना

4675. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान उनके मंत्रालय में उड़ीसा के रेडियो स्टेशनों की विद्यमान के० डब्ल्यू क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रेडियो स्टेशनों के नाम क्या हैं तथा तत्संबंधी प्रस्तावित वृद्धि क्या है;

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान स्टेशन-वार, कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) क्या बंगलौर, फुलबाणी, कोरापुट जैसे विभिन्न जिलों के भवानीपाटना के साथ लगने वाले क्षेत्रों में प्रसारण की सुविधा प्रदान करने के लिए भवानीपाटना में एक नया रेडियो स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सातवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) अनुमोदित छठी योजना में भवानीपटना में नया रेडियो स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

यंत्रीकृत नौकाओं का प्रयोग करने वाले मछुओं को उत्पादन शुल्क में छूट

4676. प्रो० मधु दंडवते : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने की 150 अश्व शक्ति से अधिक शक्ति वाली यंत्रीकृत नौकाओं पर उत्पादन शुल्क में छूट दी जाती है जबकि इस कम शक्तिशाली नौकाओं का प्रयोग करने वाले मछुओं को यह छूट नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 150 अश्व शक्ति से कम शक्ति वाले यंत्रीकृत नौकाओं का प्रयोग करने वाले मछुओं को शतप्रतिशत छूट दी जाएगी; और

(घ) क्या यह राहत देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जाएगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार ने इस योजना को लघु यन्त्रीकृत नौकाओं पर लागू करने से संबंधित एक प्रस्ताव की जांच की थी। अत्यधिक प्रशासनिक कठिनाइयों और राजस्व के जोखिम के कारण योजना को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं था।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीन श्रमिकों को परिवार कार्ड जारी करना

4677. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले भूमिहीन श्रमिकों को परिवार कार्ड जारी करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में भूमिहीन श्रमिकों के पंजीकरण की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर किस प्रकार प्रभावकारी ढंग से निगरानी रखेंगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना में कुछ अनुमोदित कार्य/कार्यों के अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के परिवारों को रोजगार हेतु परिचय-पत्र जारी करने के बारे में विचार करने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को हाल ही में कहा गया है। इस विषय से संबंधित मार्ग-दर्शिकाएं राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भेजे गए ग्रामीण विकास विभाग के दिनांक 21 मार्च, 1985 के पत्र में दी गयी है।

(घ) इन मार्ग-दर्शिकाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से आवधिक रिपोर्टें प्राप्त की जाएंगी।

सूखा और बाढ़ से प्रभावित लोग

4678. **श्री चित्त महाता** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में सूखे और बाढ़ के कारण कुल कितने लोग मरे और कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है और सरकार द्वारा उनके लिए क्या राहत उपाय किए गए हैं;

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : देश में गत तीन वर्षों के दौरान सूखा और बाढ़ों/समुद्री तूफानों से प्रभावित लोगों की संख्या तथा सस्यगत क्षेत्रों तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को राहत उपायों के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता नीचे दी गई है :—

वर्ष	आपात की किस्म	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा (करोड रुपए)
1	2	3	4	5
1982-83	सूखा	2616.89	428.73	438.51
	बाढ़/समुद्री तूफान	633.32	56.83	321.40
1983-84	सूखा	1874.62	368.22	294.70
	बाढ़/समुद्री तूफान	610.55	76.41	335.78
1984-85	सूखा	991 28	320.84	200.66
	बाढ़/समुद्री तूफान	446.58	56.56	344.90

सूखे तथा बाढ़ों के लिए केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत रोजगार सृजन, पेय जल कार्यक्रम, नि:शुल्क राहत, पशु चारा तथा संरक्षण, पोषण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, सार्वजनिक सम्पतियों की पुनर्स्थापना, कृषि आदान सम्बन्धी राज-सहायता, कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन ऋणों को मध्यम कालीन ऋणों में बदलने के लिए सहायता देना आदि जैसी मदें आती हैं।

खाड़ी के देशों में कार्यरत भारतीय

4679. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय गैर-सरकारी संगठनों/अभिकरणों के माध्यम से वहां गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों/अभिकरणों के नाम क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी अभिकरणों के माध्यम से खाड़ी के देशों को कितने भारतीय गये हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्यमंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी हां।

(ख) 25-4-1985, तक श्रम मंत्रालय के पास 968 प्राइवेट भर्ती एजेंसियां पंजीकृत हैं। 778 भर्ती एजेंसियों की पहली सूची को डायरेक्टरी के रूप में पहले ही छापा जा चुका है और इसे कीमत देकर प्राप्त किया जा सकता है। इसकी एक प्रति संसद की लाइब्रेरी में रख दी गई है। पंजीकृत भर्ती एजेंसियों की दूसरी सूची छप रही है और इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ग) सरकारी एजेंसियों द्वारा लगभग 3266 श्रमिकों का भेजा गया है।

मछली पकड़ने की गैर यंत्रीकृत नौकाओं को यंत्रीकृत नौकाओं में बदलना

4680. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत मछली पकड़ने वाले अन्य देशों की तुलना में गैर-यंत्रीकृत नौकाओं को यंत्रीकृत नौकाओं में बदलने के मामले में बहुत पीछे है;

(ख) समुद्र से मछली पकड़ने की सुविधाओं वाले प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में कितनी यंत्रीकृत और गैर यंत्रीकृत नौकाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एक निश्चित अवधि में सभी गैर यंत्रीकृत नौकाओं को यंत्रीकृत नौकाओं में बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	यंत्रीकृत	गैर-यंत्रीकृत
1. आंध्र प्रदेश	800	37514
2. गुजरात	3548	4466
3. कर्नाटक	2100	6942
4. केरल	2961	34660
5. महाराष्ट्र	4167	8729
6. उड़ीसा	775	9728
7. तमिलनाडु	3641	43343
8. पं० बंगाल	577	3100
9. अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह	25	उ०न०
10 गोवा, दमन तथा द्वीप	996	2513
11. लक्ष्यद्वीप	223	उ०न०
12. पांडिचेरी	231	2500
	20,044	1,53, 495

उ०न०=उपलब्ध नहीं।

निर्माण सहायकों का चयन

4681. **श्री मोहम्मद महफूल अली खां :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन चयन बोर्ड ने चार से सात वर्ष तक की सेवा का अनुभव रखने वाले नैमित्तिक निर्माण सहायकों के दावों की उपेक्षा करते हुए कुछ निर्माण सहायकों (नियमित) का चयन किया है और प्रभावित व्यक्तियों द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर भी प्रशासन ने उनके साथ किये गये अन्याय को दूर करने के लिये कार्यवाही नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन की शिकायतें दूर करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) निर्माण सहायकों की नियमित भर्ती के लिए दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा किए गए उम्मीदवारों के चयन के विरुद्ध कुछ नैमित्तिक निर्माण सहायकों के अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा निर्यात की गई सामग्री

4682. **नवीन श्री रावणी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने अपने बगदाद कार्य को विभिन्न प्रकार की सामग्री का निर्यात किया था, यदि हां, तो सामग्री तथा उसकी मात्रा के बारे में ब्यौरा क्या है और वह कितनी धन राशि का था;

(ख) क्या सामग्री का निर्माताओं द्वारा सीधे निर्यात किया गया था या सौदा किसी एजेन्सी के माध्यम से किया गया था, यदि हां, तो इसमें अन्तर्ग्रस्त एजेन्सी/एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भेजी गई पूरी सामग्री बगदाद में प्राप्त नहीं हुई है, यदि हां, तो प्रत्येक खेप में कितनी मदें कम पाई गईं और उनका मूल्य क्या है; और

(घ) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने इन मामलों की जांच के लिए इन्हें केन्द्र जांच ब्यूरो को भेजने हेतु कोई कदम उठाए हैं; यदि हां, तो उस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है?

निर्माण और आवास मंत्री (अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

(घ) यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सम्पूर्ण जांच करने के लिए भेजा गया था जिन्होंने यह सूचित किया है कि लाने-ले जाते समय कमी हुई है और प्रत्यक्ष रूप से उनकी जांच के लिए कोई मामला नहीं है। जैसे कि उन्होंने सलाह दी है, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने बीमा कम्पनी में अपना दावा पेश किया है।

विवरण					
क्रम सं० सामग्रियां	मात्रा	आर्डर की लागत	निम्नलिखित के द्वारा सामग्रियां निर्यात की गईं	सामग्री कम पाई गई	बगदाद (ईराक) में कम पाई गई सामग्री का मूल्य
1	2	3	4	5	6
		(1982-83)			
1. बजाज द्वारा निर्मित एमर्सन राड	10	1,067.00 रु०	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	शून्य	शून्य
2. फेब्रिक पेंट	51 ट्यूब	2,633.05 रु०	—वही—	शून्य	शून्य
		(198 -84)			
3. चालनी सेट		3			
क. 8 व्यास	15				
ख. लिड तथा रिसीवर	3				
ग. 12 फुट व्यास	10				
घ. लिड तथा रिसीवर	2	3,139.38 रु०	—वही—	शून्य	शून्य
4. क. 1/2फुट, 3/8फुट, 4, 8 16, 30, 50, आकार के 8 फुट पीतल फ्रेम चालनी	21				
ख. 100 मेस बी एस एस	3				
ग. 200 मेस बी एस एस	3				
घ. लिड तथा पैन	3 सेट				
ड़. 12 फुट व्यास के पीतल फ्रम परीक्षण चलानी	14				
च. 100 मेस बी एस एस	2				
छ. 200 मेस बी एस एस	2				
ज. उपर्युक्त के लिए लिड तथा पैन	2 सेट	5,920.30 रु०	—वही—	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
5. 9 के. डब्लू. एमर्सन हीटिंग एलीमेंट 230/400 वोल्ट, 2 इंच फ्लैंग सहित 60 एम एम	10	5,445.00 रु०	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	शून्य	शून्य
6. इंजन नं. एन 495 के लिए सैल्फ स्टार्टर	1	6,025.95 रु०	—वही—	शून्य	शून्य
7. सैल्फ स्टार्टर एसेम्बली तथा गैसकिट	1	6,631.36 रु० (1984-85)	—वही— (अमरीकी डालरों में)	शून्य	शून्य
8. विभिन्न आकार के जी आई पाइप्स	2100 मीटर (350 पाइप)	1754.55	मैं० नवजीवन इन्टर नेशनल साऊथ पटेल नगर, नई दिल्ली	शून्य	
क. 15 एम एम व्यास					
ख. 20 एम एम व्यास	2900 मीटर (650 पाइप)	4245.15		425 पाइप	
ग. 25 एम एम व्यास	3200 मीटर (534 पाइप)	4908.80		2?4 पाइप	
घ. 32 एम एम व्यास	2900 मीटर (484 पाइप)	5766.65		384 पाइप	
ड़. 40 एम एम व्यास	2780 मीटर (464 पाइप)	6392.61		12 पाइप	
च. 50 एम एम व्यास	8490 मीटर (1415 पाइप)	27155.27		शून्य	
छ. 65 एम एम व्यास	1870 मीटर (312 पाइप)	7685.70		312 पाइप	
ज. 80 एम एम व्यास	4150 मीटर (692 पाइप)	21405.70		1 पाइप	133870 अमेरिकी डालर
झ. 100 एम एम व्यास	23445 मीटर (3905 पाइप)	172496.59		2376 पाइप	
ञ. 125 एम एम व्यास	8500 मीटर (1417 पाइप)	77715.50		शून्य	
ट. 150 एम एम व्यास	19925 मीटर (3321 पाइप)	217511.26		1 पाइप	

फुलबानी में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

4683. श्री राधाकान्त डिगाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा में फुलबनी एक आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के लिये एक उपयुक्त स्थान है;

(ख) क्या फुलबनी और इसके समीपवर्ती जिलों में आकाशवाणी के पर्याप्त कार्यक्रम उपलब्ध न होने की दृष्टि से ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडिगिल) : (क) इस समय आकाशवाणी, सम्बलपुर फुलबनी जिले के उत्तरी भागों को तथा आकाशवाणी, कटक फुलबनी के पूर्वी भागों को कवर करता है।

(ख) और (ग) यह सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम आकार पर निर्भर करेगा; सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

केरल में नारियल का उत्पादन

4684. श्री के० जी० आडियोडी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नारियल का राज्य-वार प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है;

(ख) केरल में नारियल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे कम है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने केरल में नारियल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की है?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नारियल का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार प्रति हैक्टेयर उत्पादन नीचे दिया गया है :—

राज्य	उत्पादन (प्रतिदिन हैक्टेयर नारियल की संख्या)
	1982 83
आंध्र प्रदेश	4136
असम	7062
कर्नाटक	5204
केरल	4721
महाराष्ट्र	5455
उड़ीसा	4202
तमिलनाडु	9969
त्रिपुरा	1214
पं० बंगाल	10930
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4644
गोवा, दमन और दीव	4884
पाण्डिचेरी	9000
लक्षद्वीप	7786

(ख) तथा (ग) यद्यपि केरल में नारियल की उत्पादकता अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम है फिर भी इसकी तुलना कुछ अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सहजता से की जा सकती है।

केरल में उत्पादकता कम होने के कारण नीचे दिए गए हैं :—

1. वर्तमान उद्यानों की सघनता;

2. जरामूलक तथा अनुत्पादक पामों की विद्यमानता;

3. सिफारिश की गई पैकेज पद्धतियों का न अपनाया जाना;

4. विशेष रूप से जड़-मुरझान तथा कृमि रोग।

(घ) केरल में नारियल का उत्पादन बढ़ाने लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. अधिक उपज देने वाली किस्मों के रोग मुक्त पौधों का उत्पादन तथा वितरण,

2. उन्नत कृषि पद्धतियों को लोक प्रिय बनाने के लिए प्रदर्शन;

3. रोगग्रस्त तथा अनुत्पादक नारियल के उद्यानों का पुनरुद्धार;

4. रोगग्रस्त तथा अनुत्पादक पामों के पुनः स्थापन के लिए वित्तीय सहायता;

5. सिंचाई के लिए सहायता।

दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को केन्द्रीय पुल से आवास आबंटन

4685. **डॉ० चंद्रशेखर वर्मा** : क्या निगम और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा सामान्य पूल से आवास आबंटन के लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के आवेदन भी स्वीकार किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए क्षेत्रवार कुछ जोन बनाए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो लारेंसरोड सहित दिल्ली में रहने वाले ऐसे कर्मचारियों के आबंटन का काम देख रहे कार्यालय या जोन कहां स्थित हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी सामान्य पूल वास के आबंटन के लिए पात्र नहीं हैं और उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाते हैं। दिल्ली प्रशासन के वे कर्मचारी जो पात्र कार्यालयों में काम कर रहे हैं और जो कार्यालय पात्र अंचलों में अवस्थित हैं, वे सामान्यपूल आवास के आबंटन के पात्र हैं।

(ग) और (ख) सामान्य पूल आवास के आबंटन के प्रयोजनार्थ पात्रता अंचलों को निर्धारित किया गया है और केवल उन कार्यालयों के कर्मचारी जो पात्र अंचलों के भीतर अवस्थित हैं, सामान्यपूल आवास के आबंटन के लिए पात्र है।

(ग) और (घ) सामान्य पुल आवास के आबंटन के प्रयोजनार्थ पात्रता अंचलों को निर्धारित किया गया है और केवल उन कर्यालयों के कर्मचारी जो पात्र अंचलों के भीतर अवस्थित

हैं, सामान्यपूल आवास के आबटन केलिए पात्र हैं, । लारेंस रोड का पात्रता अंचल में शामिल नहीं किया गया है । पात्रता अंचलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

दिल्ली में सामान्य पूल वास आबंटन के लिए पात्र अंचलों के ब्यौरे

डाक वितरण अंचल, कालोनी	अंचलों में शामिल किए गए क्षेत्र
अंचल संख्या 1	नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र राजपथ के उत्तर में जिसमें कनाट प्लेस तथा कनाट सर्कस, पहाड़गंज, संसद् मार्ग तथा संसद् भवन, सचिवालय उत्तर, नार्थ एवेन्यू, भंगी कालोनी, बिरला मन्दिर, जनपथ (नं० 13 से आगे), नेशनल स्टेडियम, बंगाली मार्किट, राजघाट, कमला मार्किट, अजमेरी गेट एक्स्टेन्शन और विक्रम नगर (पुराना किला) ।
अंचल संख्या 3	लोधी एस्टेट, गाल्फ लिंक, जोरबाग, एम्बेसडेर होटल, कस्तूरबा नगर (सेवा नगर) रेलवे कालोनी, डिफैंस कालोनी, लोधी कालोनी, अलीगंज करबला (पवन नगर), सफदरजंग हवाई अड्डा, रेस कोर्स कैम्प, एयर फोर्स स्टेशन, कोटला मुबारकपुर, एन्ड्रूजगंज तथा साऊथ एक्टेंशन भाग-I तथा II
अंचल संख्या 4	राष्ट्रपति सम्पदा, राष्ट्रपति भवन और विलिंडन क्रीसेंट नं० 1 से 10
अंचल संख्या 5	माडल बस्ती से न्यू राजेन्द्र नगर तक जिसमें तिबिया कालेज, देवनगर, आनन्द पर्वत, आनन्द नगर, वेस्टन एक्सटेंशन एरिया, न्यू रोहतक रोड, बीडन पुरा, शादीपुर, और पूसा रोड ।
अंचल संख्या 6	अजमेरी गेट, एक्स्टेंशन के उत्तर से रानी झांसी रोड (रिज रोड़) तक जिसमें लाल कुआं, दरियागंज, जामा मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक, सदर बाजार कश्मीरीगेट, सिविल लाइंस खैबर पास तक।
अंचल संख्या 7	तिमार पुर तक रिज रोड, पश्चिम में नजफगढ़ नाला तथा दक्षिण में रोहतक रेलवे लाइन, मलका गंज सब्जी मण्डी, शक्ति नगर, रूप नगर गुलाबी बाग, राणा प्रताप बाग, कमला नगर, जवाहर नगर, प्रताप नगर, रोशनारा रोड, फल मार्किट बिरला लाइंन, बाग कड़ेखां, सराय रोहिल्ला, किशनगंज, दिल्ली विश्वविद्यालय, तिमारपुर, भरत नगर और नीमड़ी।
अंचल संख्या 8	रणजीत नगर, खामपुर, शादीपुर, पटेल नगर पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सरकारी दुग्ध डेरियां।
अंचल संख्या 9	किंग्जवे कैम्प, रेडियो कालोनी, हडसन लाइन, हरिजन कालोनी, टी० बी० अस्पताल, विजय नगर, निरंकारी कालोनी, और माडल टाऊन।
अंचल संख्या 11	रक्षा मुख्यालय, वायु मुख्यालय, नेवी मुख्यालय, उद्योग भवन, विज्ञान भवन, सुन्दर नगर, नेहरू संग्रहालय जी० के० क्लब, जी० ब्लाक, संघ लोक सेवा आयोग, साऊथ ब्लाक, कश्मीर हाऊस, बीकानेर हाऊस, जैसलमेर हाऊस, खान मार्किट, जामनगर हाऊस, पण्डारा रोड, काका नगर, वेलजली रोड़ पलेट, विलिंग्डन क्रिसेंट (नं० 11 से ऊपर), जनपथ (नं० 1 से 12 तक), सत्य मार्ग (चाणक्यपुरी) जिसमें अशोक होटल, डी०-1 तथा डी-11 फ्लेट विनय मार्ग तथा रेलवे रोड़ शामिल है ।

अंचल संख्या 12 कृषि अनुसंधान संस्थान, एन० पी० एल० कालोनी, इन्द्रपुरी, वायर लेस बिलेज, जे० जे० कालोनी (नरैणा)।

अंचल संख्या 13 हरजत निजामुद्दीन तथा एक्सटेन्शन, अरब की सराय, हुमायूं का मकबरा, सराय काले खां, नांगली राजपुर और कूली कैम्प।

अंचल संख्या 14 जंगपुरा तथा एक्सटेन्शन, लाजपत नगर तथा एक्सटेन्शन, भोगल, कैलाश कालोनी, फ्रैंड्स कालोनी, संत नगर, हरि नगर आश्रम, अमर कालोनी, दयानन्द कालोनी, किलोकरी (नेहरू पार) श्री निवासपुरी और ग्रेटरकैलाश।

अंचल संख्या 16 मेडीकल एन्कलेव (अन्सारी नगर), मेडीकल एन्कलेव के उत्तर (किदवई नगर) से महरौली रोड़ पर एमेक्स फार्म को छोड़कर, नारोजी नगर, युसुफ सराय, होजखास होजखास इन्कलेव तथा विस्तार, आई० आई० टी० पिजड़ा पोल क्वाटर ग्रीन पार्क तथा विस्तार को छोड़कर, हुमायूं पुर, कृष्णनगर, अर्जुन नगर, गौतम नगर सफदरजंग डेवेलपस्कीम (नारोजी नगर के पीछे)।

अंचल संख्या 17 मालवीय नगर, सावित्री नगर, हौजरानी, बेगमपुर, खिड़की, तथा चिराग दिल्ली।

अंचल संख्या 19 कालकाजी, टाऊनशिप, आनन्दमयी मन्दिर, विदेश संचार सेवा, गोविन्दपुरी

अंचल संख्या 20 औद्योगिक क्षेत्र तथा केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान।

अंचल संख्या 22 रामाकृष्णा पुरम, (सेक्टर-1 से 12), मोहम्मदपुर और मुनीरका गांव, सनलाईट एस्टेट।

अंचल संख्या 23 आई० एन० ए० कालोनी, आई० एन० ए० मार्किट रेलवे क्रासिंग आई० एन० ए० लक्ष्मीबाई नगर, किदवई नगर, किदवई नगर ईस्ट (मेडीकल इन्कलेव के उत्तर में) मिलिटरी बेरक, सरोजिनी नगर, रेलवे कालोनी टी0 टी0 पू0 रोड़, नेताजी नगर, सफदरजग रेलवे स्टेशन, मोती बाग, नानकपुरा, मोचीबाग गांव, टी० पी० टी० कम्पनी धोला कुआ तक।

पुष्प भवन सरकारी कार्यालय भवन परिसर में अवस्थित कार्यालय, पुष्प भवन, महरौली बदरपुर रोड।

कटवाड़िया स. कटवाड़िया सराय

बसन्त विहार बसन्त विहार

अंचल संख्या 15 रमेश नगर, कीर्ति नगर, मोती नगर, जखीरा, नटराज सिनेमा, मिलन सिनेमा।

अंचल संख्या 31 गांधी नगर।

अंचल संख्या 32 शाहदरा।

अंचल संख्या 51 कृष्णा नगर।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

4686. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल सहित अन्य अनेक आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ रहे हैं और हाल ही के सप्ताहों में थोक मूल्य सूचकांक में असामान्य वृद्धि रिकर्ड हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मूल्यों को युक्तिसंगत स्तर कम करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 13 . 4 . 1985 को समाप्त पिछले चार सप्ताहों में समग्र वस्तु थोक मूल्य सूचकांक में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान कुछ आवश्यक वस्तुओं, जिसमें मिट्टी का तेल शामिल है, के मूल्यों में वृद्धि हुई है, जबकि कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी आई है।

(ख) सरकारी नीति में मुख्य और आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर जिनकी आपूर्ति कम है, का उत्पादन बढ़ाने पर दिया गया है। सार्वजनिक विवरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है तथा उसमें सुधार लाया जा रहा है। कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आयात द्वारा की जाती है। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को विनियमित किया जाता है। राज्य सरकारें जमाखोरों और चोर-बाजारियों तथा अन्य असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के कानूनों को लागू कर रही हैं।

"ए मेस्सी इन्टर-स्टेट बस टर्मिनस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4687. श्री सनत कुमार मंडल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 27 मार्च, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "ए मेस्सी इन्टर—स्टेट बस टर्मिनस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राज्यीय बस अड्डा, कश्मीरी गेट, दिल्ली की स्थिति में सुधार करने और इसे एक गंदी बस्ती बन जाने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के कार्यकलाप में सुधार लाने के लिए निम्न कदम उठाये गये :—

(i) यात्रियों को उतारने के लिए अन्तर्राज्यीय बस अड्डे की बसों का आगमन ब्लाक में प्रवेश सख्ती से सुनिश्चित किया जाता है।

(ii) यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अन्तर्राज्यीय बस अड्डे से जाने वाली बसों से लाइसेंस फीस के भुगतान में कोई गलती न हो।

(iii) टर्मिनस पर भीड़-भाड़ से बचने के लिए बसों को प्रस्थान समय से पूर्व 15 मिनट से ज्यादा तक के लिए प्लेटफार्म पर खड़ा करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(iv) प्रतिक्षारत बसों को खड़ा करने के लिए अन्तर्राज्यीय बस अड्डे से दो किलोमीटर की दूरी पर मजनू का टीला में एक आइडल ट्रक पार्किंग सेंटर का निर्माण किया गया है।

(v) यात्रियों के लिए बनाये गये प्रतीक्षा स्थलों और अन्य जगहों को साफ-सुथरा रखा जाता है।

(vi) विभिन्न सड़क परिवहन निगमों के स्टाफ एवं बस आपरेटरों के लिए स्टाफ बस की व्यवस्था की गई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये प्रबंध प्रभावी रूप से कार्य करें टी० आई० तथा सिक्यूरिटी गार्ड हमेशा पर्याप्त संख्या में ड्यूटी पर रहते हैं। वे आपरेटरों तथा यात्रियों की शिकायतें भी सुनते हैं। पुलिस का भी पर्याप्त प्रबंध विद्यमान है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के बगदाद में तैनात किये गये अधिकारी

4688. श्री मोहन भाई पटेल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बगदाद (इराक) में तैनात किए गए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कुछ अधिकारी वर्ष 1980 में नैतिक चरित्र हीनता के कुछ मामलों में लिप्त पाए गए थे और बगदाद के भारतीय दूतावास ने इस तथ्य की सूचना एन० बी० सी० सी० को दी थी ;

(ख) क्या अधिकारियों की समिति उक्त मामले के सम्बन्ध में मौके पर अध्ययन करने के लिए बगदाद भेजी गई थी; यदि हां, तो समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है भारतीय मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा में उनके द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और दोषी पाए गए अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(घ) उनके मामले में अन्य क्या कार्यवाही की गयी है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) प्रबन्ध की समस्याओं के बारे में रिपोर्ट तथा बगदाद में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के एकक को सुधारने के बारे में सुझाव दिए गए थे।

(ख) निगम के सी० पी० एम० तथा सचिव को, मुख्य परियोजना प्रबंधक (तकनीकी) जो कि दौरे पर अलग से गए हुए थे साथ, तात्कालिक मजदूर समस्याओं को हल करने तथा प्रशासनिक ढांचे को सुधारने के लिए बगदाद भेजा गया था। सी० पी० ए० एम० तथा सचिव की हवाई यात्रा तथा अन्य आनुषंगिक व्यय पर 6582 रुपये और दैनिक भत्ते पर 450 यू० एस० डालर का व्यय हुआ।

(ग) और (घ) मुख्य परियोजाना प्रबन्धक (तकनीकी) के परामर्श से सी० पी० ए० एम० तथा सचिव ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जो प्रशासनिक ढांचे को सुधारने से संबंधित थी। सावधानीपूर्वक की गई जांच के बावजूद चरित्रहीनता के बारे में कोई दोषारोपण साक्ष्य उपलब्ध नहीं था तथापि प्रबन्धक के प्रभावी प्रशासन के लिए कुछ स्थानान्तरण किए गए थे।

गुजरात को खाद्यान्नों की सप्लाई

4687. श्री अमर सिंह राठवा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1984-85 के दौरान कितने चावल, गेहूं और अन्य अनाजों की मांग की थी;

(ख) 1984 के दौरान उसकी मांग को पूरा करने के लिए वास्तव में उसको प्रतिमाह कितनी की गई;

(ग) क्या मांग की तुलना में सप्लाई बहुत कम थी, यदि हां, तो कितनी, और इसके क्या कारण थे; और

(घ) वर्ष 1985-86 के लिए राज्यों द्वारा भेजी गई मांग का ब्यौरा क्या है और उसे पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1984-85 के लिए गुजरात के संबंध में खाद्यान्नों की मांग, आवंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है। केन्द्रीय पूल से आवंटन केवल खुले बाजार में उपलब्धता के अनुपूरक होते हैं।

(घ) गुजरात सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान मई, 1985 तक कुल 50,000 मीटरी टन चावल और 60,000 मीटरी टन गेहूं की मेजी है।

यद्यपि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं की मांग को पूर्णतया पूरा किया जा रहा है, लेकिन केन्द्रीय पूल में स्टाक की सीमित उपलब्धता की दृष्टि में चावल की मांग को पूर्णतया पूरा करना सम्भव नहीं हुआ है।

विवरण

वर्ष 1984-85 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गुजरात की केंद्रीय पूल से चावल और गेहूं की मांग, उनको किए गए आवंटन और उनके उठान।

(हजार मीटरी टन में)

	चावल			गेहूं		
मास	मांग	आवंटन	उठान	मांग	आवंटन	उठान
1984						
अप्रैल	25.0	7.5	6.1	10.0	17.5	2.8
मई	25.0	7.5	9.2	10.0	17.5	3.8
जून	25.0	7.5	9.3	10.0	17.5	0.9
जुलाई	25.0	7.5	7.5	10.0	17.5	1.3
अगस्त	25.0	7.5	8.6	10.0	17.5	0.1
सितम्बर	25.0	7.5	7.4	10.0	17.5	—
अक्तूबर	25.0	7.5	4.3	10.0	17.5	0.6
नवम्बर	25.0	7.5	10.2	10.0	17.5	0.7
दिसम्बर	25.0	7.5	7.5	30.0	17.5	5.5
1985						
जनवरी	25.0	7.5	6.3	50.0	30.0	10.8
फरवरी	25.0	7.5	6.5	50.0	30.0	2.9
मार्च	25.0	7.5	6.6	30.0	30.0	0.8
जोड़	300.0	90.0	89.5	240.0	247.5	30.2

नोट :— अन्य अनाजों के लिए कोई नियमित मांग अथवा आवंटन नहीं है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में कर्मचारी

4690. श्री अनादि चरण दास : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों में और विशेषकर उड़ीसा राज्य स्थित केन्द्रों में, 1 मार्च, 1982 और 1 मार्च, 1985 को श्रेणीवार, कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) इन तारीखों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी थी;

(ग) क्या अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के पक्ष में आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है और इसके लिए रोस्टर रखा जा रहा है; और

(घ) यदि इसमें कुछ कमी आई है तो उसके क्या कारण हैं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) पदों को संबंधित जोनों, रोजगार कार्यालय, कर्मचारी चयन आयोग, आदि से प्राप्त नामांकनों/उम्मीदवारों या खुले विज्ञापनों के उत्तर में आवेदन करने वाले आवेदकों पर विचार करके भरा जाना होता है। यदि कोई कमी आती है तो वह जोन में व्यक्तियों के उपलब्ध न होने या नामित करने वाली एजेंसियों द्वारा उपयुक्त उम्मीदवार नामित नहीं किए जाने के कारण आती है, तथापि, भर्ती प्राधिकारी अपने प्रयत्न जारी रखते हैं।

पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में कर्मचारी

4691. **श्री अनादि चरण दास** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मार्च, 1982 और मार्च 1985 को देश भर में विशेषरूप से उड़ीसा में सूत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में कुल कितने कर्मचारी थे;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कितने थे;

(ग) क्या उक्त उद्देश्य के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाये गये आरक्षण नियमों को पालन किया जा रहा है और रोस्टर रखा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसमें यदि कोई कमी आई हों तो उसके क्या कारण हैं और उक्त समुदायों के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गयी हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने आरक्षित पद छूट गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

कृषि शिक्षा में हिन्दी का प्रयोग

4692. **श्री आर० एम० भोये** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि शिक्षा, अनुसन्धान कार्य, परीक्षणों तथा परीक्षणों ने परिणामों के उपयोग, आयोजन, प्रकाशनों और साक्षात्कारों में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में क्या स्थिति है;

(ख) मन्त्रालय के पुस्तकालय मे पुस्तकों, सन्दर्भ पुस्तकों, समाचार पत्र और पत्रिकाओं की अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में समानुपातिक संख्या क्या है; और

(ग) क्या हिन्दी कार्य में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति तथा स्थायीकरण करने के समान अवसर उपलब्ध हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार के कृषि विश्वविद्यालयों में केवल बी० एस सी० (कृषि) के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिन्दी दोनों हैं। अनुसंधान, नियोजन और अनुसंधान से संबंधित आंकड़े तैयार करने के लिए सामान्यतया अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान प्रकाशनों में प्रायोगिक अनुसन्धान के परिणाम अंग्रेजी में प्रकाशित किये जाते हैं' लेकिन विस्तार कार्यों के लिए इन परिणामों के लिए जो साहित्य प्रकाशित किये जाते हैं वे न केवल अंग्रेजी और हिन्दी में बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी होते हैं। साक्षात्कारों में हिन्दी या अंग्रेजी या दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ऐसा प्राधिकारियों या कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल के सदस्यों और प्राथियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

मासिक पत्रिका "खेती" और दो त्रैमासिक पत्रिकाएं "फल-फूल" और "कृषि चयनिका" हिंदी में प्रकाशित की जाती हैं। खरीफ और रबी के समय लोक प्रिय फसल श्रंखला भी हिंदी में प्रकाशित की जाती हैं।

(ख) मंत्रालय के पुस्तकालय में अंग्रेजी और हिंदी पुस्तकों आदि की संख्या निम्न प्रकार है :—

	अंग्रेजी	हिन्दी
पुस्तक और संदर्भ ग्रन्थ	55,615	7,736
पत्रिकायें और पत्र	532	73

(ग) जी हां, श्रीमान।

पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु गांवों को अपनाना

4693. श्री आर० एम० भोये : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा गांवों को स्वैच्छिक रूप से अपनाने के आधार पर पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक-सामाजिक विकास करने हेतु प्रभावी उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक संगठन द्वारा प्रत्येक राज्य में कितने गांव अपनाये हैं और उन्हें कितनी केंद्रीय सहायता दी गई है;

(घ) इन गांवों का विकास ढंग से किया जा रहा है; और

(ङ) इन गांवों का विकास करने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) से (ङ) केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओ में देश के ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक-सामाजिक विकास करने की अपेक्षा की गयी है। तथापि, इस प्रयोजन हेतु सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा गांवों को स्वैच्छिक रूप से अपनाने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

पुष्प विहार में अस्वास्थ्यकर स्थिति

4694. श्री राम पूजन पटेल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नयी दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की एक रिहायशी कोलोनी (पुष्प विहार) में अस्वास्थ्यकर स्थिति होने का पता है;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक (निर्माण) को 1 जनवरी, 1983 से 20 अप्रैल, 1985 की अवधि के दौरान उक्त विषय पर कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ग) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) . (क) जी, हां।

(ख) चौदह (14)

(ग) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के किनारे की नालियों तथा मेनहोलों को विभागीय श्रमिकों द्वारा नियमित रूप से साफ कराया जाता है। कुछ कालोनीवासी कूड़े को कालोनी के कूड़ेदान में नहीं डालते हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग समय-समय पर कूड़ेदानों को साफ करवाता रहता है। दिल्ली नगर निगम निकट भविष्य में इन सेवाओं को अपने हाथ में ले लेगा; ऐसी सम्भावना है।

पुष्प विहार में सरकारी क्वाटरों का रख रखाव

4695. श्री राम पूजन पटेल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुष्प विहार, नई दिल्ली के अनेक सरकारी क्वार्टरों में (सभी सेंटरों में) पंखों के लिए ढलवां लोहे के बने बक्सों को "हाइलस शीट कवरों" से नहीं ढका गया है जिसके कारण वहां के निवासियों के लिए अनेक समस्यायें खड़ी होती हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में वर्ष 1981 और 1983 के दौरान अनेक अभ्यावेदन मिले थे, यदि हां तो उन अभ्यावेदनों की संख्या कितनी थी और सरकार द्वारा उन पर कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे क्वाटरों में ऐसे ढक्कनों (कवरों) की व्यवस्था करने का है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां। ऐसे क्वार्टरों की कुल संख्या 2370 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां। सरकार का शीघ्र ही इन ढक्कनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

छोटे सिक्कों की कमी के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का पुनर्निर्धारण

4696. श्री राम पूजन पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं कि छोटे सिक्कों की, जो कि उपलब्ध नहीं हैं, उचित दर दुकानों और मिट्टी के तेल के डिपुओं पर बहुत आवश्यकता पड़ती है; और

(ख) क्या सरकार का विचार कीमतों की स्थिति की पुनरीक्षा करने तथा निकटतम पूरी राशि पर मूल्य निर्धारित करने का है; यदि हां, तो ऐसा कब किया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेंद्र सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित केन्द्रीय निगम मूल्यों पर सप्लाई की जाने वाली आवश्यक वस्तुएं, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा, उनमें आनुषंगिक खर्चों तथा उनकी साज-संभाल पर होने वाले व्यय आदि को जोड़ने के पश्चात, निर्धारित किये गये फुटकर मूल्यों पर उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेची जाती हैं। केन्द्र सरकार को छोटे सिक्कों की कमी की जानकारी है और इस कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिये हैं कि सभी सौदों को, जिनमें आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण भी शामिल है, 5 पैसे के निकटतम गुणकों तक सुव्यवस्थित कर दिया जाए।

स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियों का संकलन और प्रकाशन

4697. प्रो० नारायण चंद्र पराशर : क्या सूचना और प्रसराण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन प्रभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान "आधुनिक भारत के निर्माण शृंखला के अन्तर्गत प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियों के संकलन और प्रकाशन का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम क्या हैं जिनकी जीवनी प्रकाशित की गई है तथा उन्हें कौन कौन से वर्ष में किस-किस भाषा ने प्रकाशित किया गया है; और

(ग) क्या कोई जीवनियां अभी भी प्रकाशन के लिए लम्बित पड़ी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें, देरी के क्या कारण हैं और उन्हें कौन सी तारीख तक प्रकाशित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण (1), जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन की मेज पर रख दिया है।

(ग) इस प्रकार की जीवनियों को दर्शाने वाला विवरण (2) सदन की मेज पर रख दिया गया है। यह जारी रहने वाली परियोजना है तथा इसको वित्तीय तथा अन्य बाधाओं के अंदर यथासंभव शीघ्रतापूर्वक पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इन जीवनियों को प्रकाशित करने की संभावित तिथि बताना संभव नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	शीर्षक	भाषा	वर्ष
1	2	3	4
1.	के० कामराज	अंग्रेजी	1982-83
2.	विट्ठल भाई पटेल	—तथैव—	—तथैव—
3.	डा० बी० आर० अम्बेडकर	हिन्दी	—तथैव—
4.	ठक्कर बापा	—तथैव—	—तथैव—
5.	रवीन्द्र नाथ टैगौर	—तथैव—	— तथैव—
6.	दादा भाई नौरोजी	गुजराती	—तथैव—

1	2	3	4
7.	रवीन्द्र नाथ टैगोर	मलयालम	—तथैव—
8.	लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक	पंजाबी	—तथैव—
9.	के० एम० मुन्शी	अंग्रेजी	1983-84
10.	श्री अरविन्दो	—तथैव—	—तथैव—
11.	बिपीन चन्द्र पाल	—तथैव—	—तथैव—
12.	सुभाष चन्द्र बोस	—तथैव—	—तथैव—
13.	पी० एस० शिवस्वामी	—हिन्दी—	—तथैव—
14.	जवाहरलाल नेहरू	—तथैव—	—तथैव—
15.	रामानन्द चट्टोपाध्याय	—तथैव—	—तथैव—
16.	एम० आर० जयकार	—तथैव—	—तथैव—
17.	लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक	कन्नड़	—तथैव—
18.	स्वामी विवेकानन्द	मलयालम	—तथैव—
19.	कन्दुकुरीवीरेशलिंगम	तेलुगु	—तथैव
20.	अबुल कलाम आजाद	—तथैव—	—तथैव—
21.	टेले डी मसकरेन्हस	अंग्रेजी	1984-85
22.	डा० पट्टाभी सीतारामैया	—तथैव—	—तथैव—
23.	यू० तिरोत सिंह	—तथैव—	—तथैव—
24.	स्वामी दयानन्द सरस्वती	—तथैव—	—तथैव—
25.	सरदार वल्लभ भाई पटेल	—तथैव—	—तथैव—
26.	स्वामी विवेकानन्द	हिन्दी	—तथैव—
27.	एस० सत्यमूरी	—तथैव—	—तथैव—
28.	कन्दुकुरी वीरेशलिंगम	—तथैव—	—तथैव—
29.	मजरूल हक	—तथैव—	—तथैव—
30.	एस० श्रीनिवास अय्यंगर	—तथैव—	—तथैव—
31.	रवीन्द्र नाथ टैगोर	असमिया	—तथैव—
32.	स्वामी विवेकानन्द	कन्नड़	—तथैव—
33.	फिरोजशाह मेहता	मराठी	—तथैव—

विवरण—दो

क्रम संख्या	शीर्षक	भाषा
1	2	3
1.	तेज बहादुर सप्रू	हिन्दी
2.	के० कामराज	—तथैव—
3.	कस्तूरी रंगा अयंगर	—तथैव—
4.	जी० सुब्रह्मण्य अय्यर	—तथैव—
5.	लाला लाजपत राय	—तथैव—
6.	विट्ठल भाई पटेल्	—तथैव—
7.	श्री अरविन्दो	—तथैव—

(…जारी)

1	2	3
8.	के० एम० मुन्शी	—तथैव—
9.	भुला भाई देसाई	गुजराती
10.	अबुल कलाम आजाद	कन्नड़
11.	आर० एम० टैगोर	—तथैव—
12.	अबुल कलाम आजाद	मलयालम
13.	सुब्रह्मण्यम भारती	—तथैव—
14.	बी० आर० अम्बेडकर	मराठी
15.	आर० एन० टैगोर	तेलुगु
16.	एन० एस० हार्डिकर	अंग्रेजी
17.	एम० विश्वदेश्वरेय्या	हिन्दी
18.	स्वामी विवेकानन्द	मराठी
19	दिवान रंगा चारलू	हिन्दी
20.	जी० बी० पन्त	अंग्रेजी
21.	सी० राजगोपाल आचार्य	—तथैव—
22.	डा० राधाकृष्णन	अंग्रेजी
23.	रफी अहमद किदवई	—तथैव—
24.	डा० जाकिर हुसैन	—तथैव—
25.	फखरुद्दीन अली अहमद	—तथैव—
26	हनुमान प्रसाद पोद्दार	—तथैव—
27.	राम मनोहर लोहिया	—तथैव—
28.	ज्योति प्रसाद अग्रवाल	—तथैव—
29.	हकीम अजमल खान	—तथैव—
30.	अतीम बापू श्रूरनीर	—तथैव—
31.	यू० कियांण नोंगवा	—तथैव—
32.	टी० प्रकाशम	—ततैव—
33.	पंडित गोपबन्धु दास	—तथैव—
34.	वी० ओ० चिदम्बर पिल्लै	—तथैव—
35.	गोपी नाथ बरदोलाई	अंग्रेजी
36.	वी० के० कृष्णामेनन	—तथैव—
37.	सी० एन० अन्ना दुर्रे	—तथैव—
38.	रवि शंकर शुक्ल	—तथैव—
39.	जे० बी० कृपलानी	—तथैव—
40.	जय प्रकाशनारायण	—तथैव—
41.	जी० बी० देशपांडेय	—तथैव—
42.	मोलाना मोहम्मद अली	—तथैव—
43.	गणेश शंकर विद्यार्थी	—तथैव—
44.	केशव चन्द्र सेन	—तथैव—

1	2	3
45.	डा० एम० ए० अन्सारी	—तथैव—
46.	आचार्य नरेन्द्र सेन	—तथैव—
47.	लाला लाजपत राय	हिन्दी—
48.	पट्टाभी सीतारामैया	हिन्दी
49.	यू० तिरोत सिंह	—तथैव—
50.	दयानन्द सरस्वती	—तथैव—
51.	रवीन्द्र नाथ टैगोर	असमिया
52.	जमशेद जी टाटा	बंगला
53.	रवीन्द्र नाथ टैगोर	गुजराती
54.	सी० एफ० एण्ड्रूज	गुजराती
55.	सी० राजगोपाली	कन्नड़
56.	स्वामी विवेकानन्द	कन्नड़
57.	रवीन्द्र नाथ टैगोर	मराठी
58.	फिरोजशाह मेहता	मराठी
59.	सी० एफ० एण्ड्रयूज	उड़िया
60.	जमशेद जी टाटा	—तथैव—
61.	स्वामी विवेकानन्द	—तथैव—
62.	कस्तूरी रंगा अयंगार	तमिल
63.	ऐनी बीसेंट	—तथैव—
64.	रवीन्द्र नाथ टैगोर	—तथैव—
65.	जगशेद जी टाटा	—तथैव—
66.	के० वीरेशलिंगम	तेलुगु
67.	सी० एफ० एण्ड्रूज	—तथैव—
68.	रवीन्द्र नाथ टैगोर	—तथैव—
69.	रफी अहमद किदवई	उर्दू
70.	स्वामी विवेकानन्द	—तथैव—
71.	सरोजनी नायडू	—तथैव—
72.	सी० एफ० एन्ड्रयूज	—तथैव—
73.	मजरूल हक	—तथैव—
74.	लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक	—तथैव—

सातवीं योजना के दौरान क्षेत्रीय प्रचार का विस्तार

4698. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान देश के क्षेत्रीय प्रचार एककों के क्रियाकलापों का व्यापक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के प्रत्येक जिले के लिए एक एक एकक की व्यवस्था करने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त काम किस तारीख तक हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस समय प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में कितने क्षेत्रीय एकक हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य शासित क्षेत्र का नाम	क्षेत्रीय प्रचार एककों की संख्या
1	2	3
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	12
2.	असम	12
3.	बिहार	19
4.	गुजरात	11
5.	हरियाणा	4
6.	हिमाचल प्रदेश	6
7.	जम्मू तथा कश्मीर	15
8.	कर्नाटक	11
9.	केरल	11
10.	मध्य प्रदेश	22
11.	महाराष्ट्र	15
12.	मणिपुर	5
13.	मेघालय	3
14.	नागालैंड	4
15.	उड़ीसा	11
16.	पंजाब	5
17.	राजस्थान	13
18.	सिक्किम	2
19.	तमिलनाडु	10
20.	त्रिपुरा	3
21.	उत्तर प्रदेश	26
22.	पश्चिम बंगाल	15
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	12
3.	चण्डीगढ़	1

1	2	3
4.	दादरा और नगर हवेली	शून्य
5.	दिल्ली	2
6.	गोवा, दमन एवं दीव	1
7.	लक्षद्वीप	शून्य
8.	पांडिचेरी	1
	कुलएकक :	257

टिप्पणियां :

1. दो संघराज्य क्षेत्रों, अर्थात दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप जिनमें पृथक एकक नहीं हैं, का काम पड़ोसी राज्यों अर्थात् क्रमश: गुजरात और केरल में स्थित एककों से चल जाता है।

2. एक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में स्थित एकक सामान्यत: अपने संबंधित राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में काम करते हैं। परन्तु कुछ मामलों में एक एकक पड़ोसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों में भी काम करता है।

पुनर्वास कालोनियों में रिहायशी मकानों का दुरुपयोग

4699. **श्री राम समुझावन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालका जी जैसी पुनर्वास कालोनियों में प्रथम आवंटी, द्वितीय आवंटी और सम्पति की बिक्री के मामले में तदोपरांत मालिक द्वारा मकानों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की मंजूरी देने के संबंध में उनके मंत्रालय अथवा भूमि और विकास अधिकारी द्वारा अपनाये जाने वाली नवीनतम नीति क्या है;

(ख) क्या एक व्यक्ति को एक से अधिक व्यावसायिक संस्थान एक कालोनी के मुख्य मार्ग में और दूसरा गली में संबंधित सम्पत्ति के सामने चलाने की अनुमति है और यदि हां, तो आवासीय मकानों का इस प्रकार दुरुपयोग करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वाणिज्यक प्रयोजन के लिए प्रयोग में लायी जा रही उक्त सम्पत्तियों पर भूमि और विकास अधिकारी द्वारा अतिरिक्त अधिशुल्क लगाया गया है, यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) कालकाजी आदि जैस पुनर्वास कालोनियों के पट्टाधारी पट्टाविलेख, की शर्तों से प्रशासित होते हैं। ऐसे पट्टाधारियों, जो कि पट्टाविलेख में निर्धारित प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए सम्पति का प्रयोग कर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, यह अपेक्षित है कि वे दुरुपयोग प्रभारों की अदायगी करके उल्लंघनों को अस्थायी तौर पर नियमित कराए या 30 दिन की नोटिस अवधि के दौरान इन्हें हटा दे। यह प्रथम आवंटी, द्वितीय आवंटी तथा बाद के भू-स्वामियों पर लागू होता है। उनके असफल होने पर पट्टा तय किया जाता है। तथापि, कतिपय व्यवसायों को सरकार द्वारा क्षम्य उल्लंघनों के रूप में छूट दी गई है।

(ख) पट्टा, पट्टाकर्ता तथा पट्टाधारी के बीच निष्पादित करार का सार होता है। संपत्ति का उपयोग सीमित है। पट्टाधारी के हस्तान्तरित परिसर को रिहायशी के अलावा अन्य प्रयोजनों

के लिए इस्तेमाल करने से रोका जाता है। यदि पट्टाकर्ता के ध्यान में पट्टाविलेख के प्रतिज्ञापत्रों का कोई उल्लंघन ध्यान में आता है तो पट्टे की शर्तों के अन्तर्गत पट्टाधारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। तथापि, फिलहाल पुनर्वास कालोनियों में निरीक्षण तथा नोटिस जारी करने पर प्रतिबंध है, सिवाए उस सूरत में जहां विक्रय की अनुमति का अनुरोध आदि किया गया हो या पड़ोसियों से शिकायत प्राप्त हुई हो।

(ग) उस मामले में जहां पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करके किसी दुरुपयोग का पता चलता है तथा पट्टाधारी इसके नियमितीकरण के लिए अनुरोध करता है, तो वह निर्धारित फार्मूला तथा समय-समय पर सरकार द्वारा नियत भूमि की दरों के आधार पर कतिपय प्रभारों की अदायगी कर देने पर अर्ध वार्षिक आधार पर नियमित कर दिया जाता है। उन मामलों में, जहां क्षेत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आँचलिक योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक घोषित कर दिया जाता है तथा पट्टाधारी भूमि तथा विकास अधिकारी से पट्टोकृत सम्पति के भू-उपयोग को बदलने के लिए सम्पर्क करता है तो अतिरिक्त प्रीमियम वसूल किया जाता है तथा बदलने के अनुमति देने से पहले भू-किराया भी संशोधित किया जाता है।

आयातित खाद्यान्नों को क्षति

4700. श्री॰ सोभना द्रीसवरा राव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विदेशों से आयातित खाद्यान्नों की कितनी और कितने मूल्य की मात्रा उनके अच्छी किस्म के न होने के कारण क्षतिग्रस्त और नष्ट हो गई;

(ख) खाद्यान्नों के इस प्रकार नष्ट होने के क्या कारण थे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये है; और

(ग) सरकारी धन और माल के इस प्रकार नष्ट होने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों से आयात किए गए खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्य का वर्ष-वार ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

आयातित और देशी खाद्यान्नों के स्टाक में हुई क्षति के अलग से लेखे नहीं रखे जा रहे हैं क्योंकि एक बार आयात कर लिया गया स्टाक सामान्य पूल का एक हिस्सा बन जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का कुल स्टाक (दोनों-आयातित और देश में वसूल किया गया) विवरण-2 में दिया गया है।

ऐसी हानियां अप्रत्याशित वर्षा/तूफानों के कारण मुख्य रूप से कैप भण्डारण में हुई हैं। इस प्रकार की हानियों को रोकने के लिए ये उपाय किए गए हैं—ढके हुए और अधिक स्थान का निर्माण तथा पर्याप्त ड्रेनेज की व्यवस्था करना, तूफान और साफ मौसम में स्टाक के वातन के कारण खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए पोलीथीन की चादरों को उचित ढंग से बांधने हेतु वाटर-प्रूफ पोलीथीन की चादरों और साथ-साथ मोनो-फिलामेंट नेटों/नाइलन की रस्सियों का इस्तेमाल करना।

जब कभी निर्धारित उपायों को करने में लापरवाही पाई जाती है तब संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाती है।

विवरण-1

आयातित गेहूं/चावल की वर्षवार मात्रा और मूल्य

वर्ष	वर्ष के दौरान आयातित गेहूं/चावल की मात्रा		
	जिन्स	मात्रा (लाख मीटरी टन में)	सी०आई० एण्ड एफ० मूल्य (करोड़ रुपये में)
1982-83	गेहूं	19.52	384.66
	चावल	शून्य	शून्य
1983-84	गेहूं	37.38	726.36
	चावल	42.04	833.53
1984-85	गेहूं	6.89	130.14
	चावल	10.70	224.38

विवरण-2

भारतीय खाद्य निगम में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्य का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की मात्रा (हजार मीटरी टन में)	क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का मूल्य (लाख रुपयों में)
1981-82	78	414
1982-83	48	326
1983-84	101	995

आपरेशन फ्लड-1 और आपरेशन फ्लड-2 की उपलब्धियां

4701. श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डेरी विकास के संबंध में विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आपरेशन फ्लड-1 और आपरेशन फ्लड-2 कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि खर्च की गई, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इनकी क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ग) राज्य-वार अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) आपरेशन फ्लड 2 एक प्रमुख डेरी विकास कार्यक्रम है जिसे अब देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। आपरेशन फ्लड 1 मार्च, 1981 में समाप्त हुआ था। आपरेशन फ्लड 1 और आपरेशन फ्लड 2 की उपलब्धियां तथा प्रमुख लक्ष्य निम्न प्रकार हैं—

आपरेशन फ्लड 1

1	लक्ष्य 2	उपलब्धि 3
(1) सृजित धन राशि	95.4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 116.4 करोड़ रुपए कर दिया गया	115.44 करोड़ रुपए

(...जारी)

1	2	3
(2) वितरण	95.4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 116.4 करोड़ रुपए कर दिया गया	116.54 करोड़ रुपए
(3) लाभानुभोगी फार्म परिवारों की संख्या	10 लाख	14.6 लाख
(4) डेरी सहकारी समितियों की संख्या	10,000	10,409
(5) चार महानगरों में सृजित क्षमता	27.5 लाख लिटर प्रति दिन	29.00 लाख लिटर प्रति दिन
आपरेशन फ्लड-2		
(1) कवर की जाने वाली दुग्धशालाओं की संख्या (संख्या)	155	135
(2) लाभान्वित होने वाले फार्म परिवारों की संख्या (10 लाख)	10	3,417
(3) गठित की जाने वाली डेरी सहकारी समितियों की संख्या	34,001	33,830
(4) खर्च की गई धनराशि	485.5 करोड़ रुपए	257.65 करोड़ रुपए (अस्थायी)

(ग) आपरेशन फ्लड 1 के अन्तर्गत राज्यवार धनराशि का उपयोग विवरण 1 में दिया गया है। आपरेशन फ्लड 2 के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वितरित धनराशि विवरण 2 में दी गई है।

विवरण-एक

आपरेशन फ्लड 1 के अन्तर्गत राज्य-वार धनराशि का उपयोग

राज्य	उपयोग किया गया
	(करोड़ रुपए म)
आंध्र प्रदेश	4.82
बिहार	3.20
गुजरात	21.70
हरियाणा	3.70
महाराष्ट्र	17.88
पंजाब	5.12
राजस्थान	3.98
तमिलनाडु	14.17
उत्तर प्रदेश	5.65
पश्चिम बंगाल	14.73

विवरण-2

शुरू से 28-2-85 तक आपरेशन फ्लड 2 के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वितरित की गई धनराशि

(अस्थायी)

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	लाख रुपए में
1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	23.87
2. आंध्र प्रदेश	2 82.09
3. असम	213.57
4. बिहार	366.73
5. दिल्ली	(498.34)
6. गोवा	106.75
7. गुजरात	3934.33
8. हरियाणा	520.70
9. हिमाचल प्रदेश	21.96
10. कर्नाटक	473.60
11. जम्मू एवं कश्मीर	28.93
12. केरल	700.51
13. मध्य प्रदेश	1963.26
14. महाराष्ट्र	1512.05
15. नागालैंड	1.00
16. उड़ीसा	677.81
17. पांडीचेरी	37.63
18. पंजाब	2076.13
19. राजस्थान	454.34
20. सिक्किम	58.58
21. तमिलनाडु	1444.13
22. त्रिपुरा	18 83
23. उत्तर प्रदेश	664.42
24. पश्चिम बंगाल	745.64

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिए अधिकतम सीमा-बढ़ाना

4702. श्री भोला नाथ सेन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों से प्रति माह 1000 रुपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 1600 रुपयों की कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के क्षेत्र को बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिकतम सीमा को बढ़ाने से विभिन्न राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) इस बारे में राज्य सरकारों की विशेषकर पश्चिम बंगाल की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा अधिकतम सीमा बढ़ानें से अपनी असमर्थता व्यक्त करने के संबंध में यदि कोई कारण बताये गए हैं; तो वे क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की परिधि में आने के लिए मजदूरी सीमा को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति-माह कर दिया गया है। यह कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा किया गया तथा इसे 27-1-1985 से लागू किया गया है। इस संशोधन को राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है तथा उन्हें कहा गया है कि वे हाल ही में परिधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा देख-रेख प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रबंध करें।

(ग) विभिन्न राज्यों में लगभग सात लाख अतिरिक्त कर्मचारी (परिवार सदस्यों सहित 27 लाख लाभानुभोगी) इसकी परिधि में आए हैं।

(घ) और (ङ) किसी भी राज्य सरकार ने इसकी परिधि में आने के लिए मजदूरी सीमा को बढ़ाने के संबंध में प्रतिकूल उत्तर नहीं दिया है।

देश में छोटे और मध्यम शहरों के विकास की योजना

4703. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छोटे और मध्यम शहरों के विकास की योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो चुने गए ऐसे शहरों की राज्य-वार संख्या और नाम क्या हैं;

(ग) वर्ष 1980-84 के दौरान इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या आगामी पांच वर्षों के दौरान नए शहरों के चयन की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि विवरण-एक में है।

(ग) जैसा कि विवरण-दो में है।

(घ) और (ङ) नये कस्बों का चुनाव करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के पश्चात ही ब्यौरे उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

विवरण-1

नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन

राज्य-वार शामिल किए गए कस्बों का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश (नियतित कस्बे : 18)			
1. रामचंद्रपुरम	4. विजयनगरम	7. तिरुपति	
2. तेनाली	5. भीमावरम	8. खम्मम	
3. अणाकापल्ली	6. करीमनगर	9. श्री काकुलम	

10. मेडक
11. गुन्तकल
12. चित्तौर
13. गडवल
14. नन्दयाल
15. प्रोदातुर
16. महबूबनगर
17. भीमुनीपतनम
18. जहराबाद

2. असम (नियतित कस्बे : 5)
1. तिनसुखिया
2. सिलचर
3. तेजपुर
4. जारहाट
5. डिबरूगढ़

3. बिहार (नियतित कस्बे : 15)
1. हाजीपुर
2. गोपालगंज
3. सरसा
4. डैल्टनगंज
5. छप्परा
6. दुमका
7. छिबासा
8. बेंगूसराय
9. देवगढ़
10. आरा
11. हजारीबाग
12. बत्तिया
13. गिरिडीह
14. धनबाद
15. कटिहार

4. गुजरात (नियतित कस्बे : 17)
1. आनन्द
2. पाटन उत्तरी
3. पौरबन्दर
4. बलसाद
5. वारांवल पटन
6. पलनपुर
7. अंकलेश्वर
8. दाहोद
9. अहमदाबाद
10. गोधरा
11. भुज
12. महसाना
13. खम्बात
14. अम्बरेली
15. कलोल
16. सानन्द
17. देहगम

5. हरियाणा (नियतित कस्बे : 6)
1- नारनौल
2. सिरसा
3. सोहन
4. करनाल
5. कुरुक्षेत्र
6. हिसार

6. हिमाचल प्रदेश (नियतित कस्बे : 1)
1. शिमला (कासुमपति)

7. जम्मू तथा कश्मीर (नियतित कस्बे : 2)
1. अन्नतनाग

8. कर्नाटक (नियतित कस्बे : 16)
1. हसन
2. चित्रादुर्गा
3. तुम्कुर
4. रायचूर
5. होसपट
6. चन्नापटना
7. कनकनपुरा
8. मगादी
9. हुमनाबाद
10. हेलनसीपुर
11. सागर
12. शाहपुर
13. जमखण्डी
14. कौशल नगर
15. रानीबेनूर
16. केरकला

9. केरल (नियतित कस्बे : 9)
1. गुरु वयूर
2. कोटायम
3. त्रिचूर
4. कायाकुलम
5. तेलीचेरी
6. तिरूर
7. छन्गनछेरी
8. बड़ागड़ा
9. मल्लापुरम

10. मध्य प्रदेश (नियतित कस्बे : 16)

1. बिलासपुर	7. बरहानपुर	13. हारदा
2. खजाराहो	8. महसाना	14. खंडवान
3. देवास	9. डूंगरगढ़	15. सिद्धी
4. इटारसी	10. राजनन्द गांव	16. गूना
5. रीवा	11. बालाघाट	
6. कटनी	12. छिन्दवाड़ा	

11. महाराष्ट्र (नियतित कस्बे : 22)

1. मनमाद	9. प्रभानी	17. सेलू
2. बारासी	10. कामपेट्स	18. डिगरेल
3. पारली वैजनाथ	11. किनवात	19. भण्डारा
4. यावतमाल	12. उस्मानाबाद	20. वाशिम
5. सतारा	13. महर्षि	21. इस्लामपुर
6. रतनागिरी	14. हिंगनघाट	22. बारामति
7. कटोल	15. जलना	
8. आमलनेर	16. अम्बेजोगई	

12. मणिपुर (नियतित कस्बे : 2)

1. चन्देल	2. काकोपिंग

13. मेघालय (नियतित कस्बे : 2)

1. शिलांग	2. तूरा

14. नागालैंड (नियतित कस्बे : 1)

1. कोहिमा

15. उड़ीसा (नियतित कस्बे : 6)

1. पुरी	3. बालासोर	5. जयपुर
2. सम्भलपुर	4. राऊरकेला	6. धनकालन

16. पंजाब (नियतित कस्बे : 8)

1. पठानकोट	4. मोगा	7. भटिण्डा
2. होशियारपुर	5. फगवाड़ा	8. बटाला
3. संगरूर	6. खन्ना	

17. राजस्थान (नियतित कस्बे 11)

1. पाली	5. चूरू	9. गंगानगर
2. बरन	6. सुमेरपुर	10. जैसलमेर
3. भीलवाड़ा	7. नाथद्वारा	11. चित्तौड़गढ़
4. सीकर	8. बाड़मेर	

18. सिक्किम (नियतित कस्बे : 1)

1. जोरथिंग

19. उत्तर प्रदेश (नियतित कस्बे : 23)

1. जौनपुर
2. फतेहपुर
3. आजमगढ़
4. हाथरस
5. बान्दा
6. बाराबंकी
7. रायबरेली
8. अल्मोड़ा
9. गटा
10. बलिया
11. महोबा
12. कासगंज
13. गाजीपुर
14. सीतापुर
15. मैनपुरी
16. हरदोई
17. बिजनौर
18. ओरई
19. देवरिया
20. बदायूं
21. अमेठी
22. काशीपुर
23. पदरौना

20. तमिलनाडु (नियतित कस्बे : 28)

1. ऊटाकमण्ड
2. वरूर
3. धर्मपुरी
4. पुड्डूकोटाई
5. तिरूछन्गोड़ा
6. पलानी
7. गोब्बीछैटीपलायम
8. मनारगुड़ी
9. धर्मपुरम
10. माटुपलयम
11. छंगलपट्टू
12. कुनून
13. अत्तूर
14. तिरुवल्लमलाल
15. उदमालपैड
16. नम्माकल
17. कोविलपट्टी
18. होसूर
19. पोलाची
20. थेनी अल्लीनगरम
21. नागापटनम
22. रानीपैट-वालाजापैट, अरकोट
23. पनरूटी
24. करायकुरी
25. कालाकुरिची
26. अरनी
27. अराकुण्म
28. शिवगंगा

21. त्रिपुरा (नियतित कस्बे : 2)

1. उदयपुर
2. कैलाशनगर

22. पश्चिम बंगाल (नियतित कस्बे : 20)

1. खड़गपुर
2. मिदनापुर
3. बांकुरा
4. क्लीमपोग
5. कूचाबेहड़
6. पुरलिया
7. इंगलिश बाजार
8. कृष्णानगर
9. सूरी
10. तारकेश्वर
11. जलपाइगुड़ी
12. सिलीगुड़ी
13. दारजलिंग
14. बहरामपुर
15. बल्लारघाट
16. विष्णुपुर
17. बसीरहाट
18. रायगंज
19. राणाघाट
20. कटवा

संघ राज्य क्षेत्र

1. अण्डमान, तथा निकोबार द्वीप समूह (नियतित कस्बा : 1)
   1. पोर्ट ब्लेयर
2. अरुणाचल प्रदेश (नियतित कस्बा : 1)
3. दादर तथा नागर हवेली (नियतित कस्बा : 1)
   1. सिल्वस्सा

4. गोआ दमण तथा दीव (नियतित कस्बा :1)
   1. पणजी
5. मिजोरम (नियतित कस्बा : 1)
   1. आईजोल
6. पांडिचेरी (नियतित कस्बा : 1)
   1. करायकल

विवरण-दो

छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों का एकीकृत विकास 31-12-1984 तक दी गई निधियां तथा किया गया व्यय

लाख रुपयों में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियतित कस्बे	दी गई निधियां	व्यय
1. आंध्र प्रदेश	18	329.38	472.16
2. असम	5	174.04	383.20
3. बिहार	15	303.21	370.24
4. गुजरात	17	330.13	503.79
5. हरियाणा	6	115.00	271.64
6. हिमाचल प्रदेश	1	28.12	84.24
7. जम्मू और कश्मीर	2	18.76	उपलब्ध नहीं
8. कर्नाटक	16	214.52	224.35
9. केरल	9	290.35	428.68
10. मध्य प्रदेश	16	232.00	465.62
11. महाराष्ट्र	22	590.92	943.35
12. मणिपुर	2	8.10	उपलब्ध नहीं
13. मेघालय	2	18.90	उपलब्ध नहीं
14. नागालैण्ड	1	10.00	29.15
15. उड़ीसा	6	180.27	298.34
16. पंजाब	8	334.50	644.97
17. राजस्थान	11	423.80	604.67
18. सिक्किम	1	5.50	उपलब्ध नहीं
19. तमिलनाडु	28	744.40	1414.63
20. त्रिपुरा	2	17.40	37.47
21. उत्तर प्रदेश	23	416.60	612.47
22. पश्चिम बंगाल	20	462.82	224.85
संघ राज्य क्षेत्र			
1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	—	13.25
2. अरुणाचल प्रदेश	1	—	—
3. दादर तथा नागर हवेली	1	—	—
4. गोवा दमन तथा दीव	1	30.50	35.70
5. मिजोरम	1	22.50	उपलब्ध नहीं
6. पांडिचेरी	1	4.00	उपलब्ध नहीं
योग :	237	5306.81	8062.77

कृषि जोतों के ढांचे में परिवर्तन

4704. श्री बनवारी लाल बेरवा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 और 1981 के बीच कृषि जोतों ढांचे में क्या उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री बन्बुलाल बन्द्राकर) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

1970-71 तथा 1980-81 के कृषि वर्षों के दौरान परिचालन जोतों तथा परिचालित क्षेत्र के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं—

परिचालन जोतों की श्रेणी तथा आकार	परिचालन जोतों की संख्या (मिलियन)		परिचालित क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)	
	1970-71	1980-81	1970-71	1980-81
1. सीमान्त (1 हेक्टेयर से कम)	36.20 (51.0)	50.52 (56.5)	14.56 (9.0)	19.80 (12.2)
2. लघु (1-2 हेक्टेयर)	13.43 (18.9)	16.08 (18.0)	19.28 (11.9)	22.96 (14.1)
3. अर्ध-मध्यम (3-4 हेक्टेयर)	10.68 (15.0)	12.51 (14.0)	30.0 (18.5)	34.56 (21.2)
4. मध्यम (4-10 हेक्टेयर)	7.93 (11.2)	8.09 (9.1)	48.24 (29.7)	48.34 (29.7)
5. बड़ी (10 हेक्टेयर तथा उससे अधिक)	2.77 (3.9)	2.15 (2.4)	50.06 (30.9)	37.13 (22.8)
सभी वर्ग	71.01 (100.0)	89.35 (100.0)	162.14 (100.0)	162.79 (100.0)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित कालमों में दिए कुल आंकड़ों का प्रतिशत है ।

वर्ष 1980-81 के आंकड़े अनन्तिम हैं ।

राष्ट्रीय मार्ग दर्शक सिद्धांत, 1972 के अनुसरण में बनाये गये भूमि की अधिकतक सीमा कानूनों के कार्यान्वयन से बड़ी जोतों के साथ-साथ उत्तराधिकार की पद्धति के माध्यम से भू-सम्पत्ति के हस्तांतरण पर स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदलना

4705. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बाड़मेर और जैसलमेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, बिकानेर, और सूरतगढ़ के सीमावर्ती जिलों में, जिनका क्षेत्रफल अधिक है लेकिन जनसंख्या कम है, कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदलने के लिए सातवीं योजना में प्रावधान करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग इन प्रस्तावों को सातवीं योजना में शामिल करने पर राजी हो गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) राजस्थान के कुछ स्थानों सहित देश के अनेक स्थानों पर अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाना सातवीं योजना के प्रस्तावों में शामिल किया गया है। सातवीं योजना अभी अनुमोदित नहीं हुई है।

चिकित्सा आधार पर मकानों का तदर्थ आवंटन

4706. श्री रामपूजन पटेल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1979 से दिसम्बर, 1984 तक की अवधि में रक्षा मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों को सादिक नगर क्षेत्र में इस आधार पर तदर्थ आवास आवंटित किए गए हैं कि उनके ससुर को क्षय रोग है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों द्वारा दी गई घोषणा झूठी है क्योंकि कुछ मामलों में ऐसे कर्मचारियों के ससुर रिकार्ड में आश्रित घोषित नहीं किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह तदर्थ आवंटन किस प्रकार किया गया और सरकार का विचार इन मामलों में क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बालासोर और बारिपदा में दूरदर्शन केंद्र स्थापित करना

4707. श्री चिन्तामणि जेना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में बालासोर और मयूरभंज के टेलीविजन दर्शक बहुत लम्बे समय से उक्त जिलों के जिला मुख्यालयों, बालासोर और बारिपदा में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध करते आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने भी उक्त दोनों स्थानों पर दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त स्थानों पर दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) इस प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) उड़ीसा के बालासोर और मयूरभंज जिलों सहित देश के जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है, उनमें दूरदर्शन सेवा का विस्तार करना भावी योजना अवधि के दौरान संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

गुजरात में कपास की खेती की योजना

4708. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कपास की कोई सघन खेती योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा इस योजना के अन्तर्गत कितनी भूमि लाई गई है; और

(ग) अब तक इसके क्या परिणाम रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित सघन कपास विकास कार्यक्रम गुजरात राज्य में 1971-72 से क्रियान्वित किया जा रहा है। 1984-85 में सघन खेती के तहत 3.44 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

(ग) सघन कपास विकास कार्यक्रम के तहत लाए गए क्षेत्र में किसानों ने समय पर बुवाई प्रमाणीकृत बीज के उपयोग, कारगर पौध संरक्षण उपाय आदि पर अधिक जोर देते हुए अधिकांश उन्नत पैकेज पद्धतियों को अपनाया है। गुजरात में (1971-72) से (1983-84 तक) सघन कपास विकास कार्यक्रम के आरम्भ से पिछले वर्षों (1958-59 से) (1970-71 तक) कार्यक्रम की शुरूआत से पहले की 14.69 लाख गांठों की तुलना में वार्षिक औसत उत्पादन बढ़कर 17.68 लाख गांठों तक पहुंच गया है।

जैव प्रौद्योगिकी बायो-टैक्नालाजी अनुसंधान कार्यक्रम

4709. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रमुख खाद्य फसलों की उपज सम्बन्धी अवरोधों को दूर करने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान कार्यक्रमों को तेज करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन अनुसंधान केन्द्रों के नाम क्या हैं, जहां उक्त प्रयोजन के लिए बुनियादी अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां श्रीमान।

(ख) और (ग) जैव-प्रौद्योगिकी का एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र फसल विज्ञान में बुनियादी अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में स्थापित किया गया है। इसी तरह का कार्य केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासारगोड, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे आदि में चल रहा जिसमें प्रगति जारी है जो उपरोक्त केन्द्र के अनुसंधान प्रयासों का सम्पूरक होगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जाने वाले बड़े क्षेत्रों में खाद्य फसलों की अधिक पैदावार प्राप्त करने हेतु नयी-2 पौध किस्मों को विकसित करने के लिए आनुवंशिक परिचा-

लन, पौधों के नाइट्रोजन निर्धारण की क्षमता बढ़ाने, सेल तथा टिस्सू कल्चर आदि से पौधों का तेजी से सम्बर्द्धन करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग शामिल है।

रेतीली भूमि का विकास

4710. डा० फूलरेणु गुहा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेतीली भूमि का विकास करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसी भूमि का विकास करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) व (ख) रेतीली भूमि मुख्यत: रेगिस्तानी इलाकों तथा तटवर्ती इलाकों में पायी जाती है। रेगिस्तानी इलाकों में मरुस्थलीकरण को रोकने, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने तथा भूमि, जल, पशुधन तथा मानवीय संसाधनों की उत्पादकता में सुधार लाने की दृष्टि से 1977-78 में मरूभूमि विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। यह कार्यक्रम 5 राज्यों अर्थात् राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर के 21 जिलों के 126 प्रखंडों में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य घटक ये हैं—वनरोपण (वायुरोधी शेल्टर बेल्ट) पौध रोपण, घास वाली भूमि का विकास तथा रेत के टीले जमाने पर अधिक बल देते हुए, भूमिगत जल का विकास, कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि।

दिल्ली में सातवीं योजना के दौरान पेय जल

4711. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल के प्राकृतिक स्रोत निकट भविष्य में दिल्ली की पानी की आवश्यकता से कम रह जायेंगे;

(ख) क्या वर्तमान यमुना जल परियोजना और गंगा जल परियोजना जो दिल्ली के लिए पेयजल की सप्लाई की मुख्य परियोजनायें हैं; पहले ही अपर्याप्त सिद्ध हो चुकी हैं; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली के नागरिकों को पेयजल की नियमित सप्लाई के लिए सातवीं योजना में क्या प्रावधान किए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान परियोजनाएं 1985 में 472 एम० जी० डी० की आवश्यकता की तुलना में 418 एम० जी० डी० की जलपूर्ति मुहैया करेगी।

(ग) दिल्ली में जलपूर्ति की वृद्धि के लिए सातवीं योजनावधि के अन्त तक नगरीय जनसंख्या के लिए 70 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर पर तथा ग्रामीण जनसंख्या के लिए 30 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर पर 592 एम० जी० डी० तक कर देने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में दिल्ली की जलपूर्ति के लिए 136.95 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में भू-रक्षण

[हिन्दी]

4712. श्री हरीश रावत : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में किन-किन नदी घाटी जलागम क्षेत्रों का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वांगीण विकास और भू-रक्षण रोकने का कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में किन्हीं ऐसी परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से कोई सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नदी घाटी परियोजनाओं के ग्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सातवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में राम गंगा और माटा टिला के स्वीकृत और चालू ग्रवणक्षेत्रों में मृदा संरक्षण संबंधी निर्माण कार्यों को जारी रखे जाने का प्रस्ताव है। उपरोक्त ग्रवण क्षेत्रों के अतिरिक्त बाढ़ प्रवण नदियों के ग्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अपर यमुना और अपर गंगा के ग्रवण क्षेत्रों में सातवीं योजना में मृदा संरक्षण संबंधी निर्माण कार्य को जारी रखे जाने का भी प्रस्ताव है। सातवीं योजना में उपरोक्त केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों को जारी रखने संबंधी प्रस्तावों पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है और उसे वित्त मन्त्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की जानी है।

(ख) से (घ) हिमालयी पारिस्थितिकी पद्धति के अपकर्ष को कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के नयार और पनार की पनधाराओं के अन्तर्गत आने वाली उप-पनधाराओं में पनधारा प्रबंध कार्यक्रम को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हिमालयी पनधारा प्रबंध परियोजना के अन्तर्गत लाया जा रहा है। कुल 65.5 करोड़ रुपये के परिव्यय में 7 वर्षों की अवधि में विश्व बैंक सहायता का 43.8 करोड़ रुपये है। यह परियोजना सितम्बर, 1983 में शुरू की गई थी और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। शुरू से 28.2.1985 तक प्रगति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

185.76 लाख रुपये की लागत से 1668 हैक्टार क्षेत्र को बागवानी और वन रोपण के अंतर्गत लाया गया, 95 इन्जीनियरी संरचनाओं और 0.05 किलोमीटर लम्बी सिंचाई चैनल का निर्माण किया गया।

31 अगस्त, 1984 तक उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हिमालयी पनधारा प्रबंध परियोजना के संबंध मे 1.152 लाख अमरीकी डालर संवितरित किये गये हैं।

भूतपूर्व संसद-सदस्यों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

4713. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन-निर्वाह व्यय सूचकांक में 200 प्रतिशत की वृद्धि को देखते हुए भूतपूर्व संसद-सदस्यों की पेंशन की राशि 500/-रुपये से बढ़ाकर 750/-रुपए प्रति माह करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां तो उसे कब क्रियान्वित किया जाएगा;

(ख) क्या भूतपूर्व संसद सदस्यों को प्रतिवर्ष प्रथम श्रेणी के 4 नि.शुल्क रेल पास दिए जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हर किशन लाल भगत) : (क) जी हां। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों सम्बन्धी संयुक्त समिति ने भूतपूर्व संसद सदस्यों के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली तक और वापसी के लिए, रेल की प्रथम श्रेणी द्वारा चार यात्राओं की सुविधा का प्रावधान करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास निर्माण ऋण दिया जाना

4714. श्री आर० एम० भोये : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋण उनके मासिक वेतनों से वसूल किए जाते हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के जो कर्मचारी सामूहिक आवास समितियों के सदस्य होते हैं, उन्हें अपने मूल कार्यालयों से आवास निर्माण के लिए ऋण नहीं दिए जाते;

(ग) यदि हां, तो उन्हें बाहरी एजेन्सियों से ऊंची दरों पर ऋण लेना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने मूल कार्यालयों से ऋण लेने की अनुमति देगी जिससे कि उनके वेतनों से उन्हें सामान्य दरों पर प्राप्त होने वाला उक्त ऋण उनके वेतनों से काट लिया जाए और या फिर उनकी सेवा निवृत्ति के बाद भी शेष राशि उनकी प्राप्त आनुतोषिक राशि या भविष्य निधि से वसूल कर ली जाए; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी हां।

(ख) गृह निर्माण अग्रिम के नियमों/निदेशनों के अनुसार उन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत किया जाता है जो सहकारी ग्रुप आवास समितियों के सदस्य हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीन व्यक्तियों का सर्वेक्षण

4715 प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीन बेरोजगार व्यक्तियों का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थित सुपर बाजार की औषधि दुकान का कार्यरकण

4716. श्री अनादि चरण दास : क्या स्वास्थ्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित सुपर बाजार की औषधि दुकान पर हमेशा भारी भीड़ लगी रहती है तथा दवा खरीदने के लिए वहां रोगियों को कम से कम 30-35 मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) क्या कम से कम 50 प्रतिशत दवाएं सामान्यतः वहां उपलब्ध नहीं होती हैं; और

(ग) यदि हां तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने तथा वहां सभी दवाओं का उपलब्ध होना सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) ग्राहकों की असुविधा को देखते हुए तथा उन्हें बेहतर सेवा प्रदान करने की दृष्टि से सुपर बाजार ने अपनी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शाखा में अब (मार्च,1985 के अन्त से) कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर दी है और (पहले की एक खिड़की की तुलना में) दो सर्विस खिड़कियां खोल दी हैं, जिनमें उपयुक्त संख्या में भेषजज्ञ तथा एक-एक खजांची तैनात किया है। अब ग्राहकों की ओर तत्परता से ध्यान दिया जाता है और उन्हें केवल 5 से 10 मिनट तक ही प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस समय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शाखा में एक मुख्य भेषजज्ञ, सात भेषजज्ञ, दो खजांची तथा छः अन्य सहायक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

सुपर बाजार ने यह भी सूचित किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की दवाई की दुकान में आमतौर पर मांगी जाने वाली अधिकांश दवाइयां उपलब्ध हैं। भण्डार की नियमित रूप से परिवीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है, भण्डार में नया माल लाने की तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण विभाग का कार्य

4717. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी;

(ख) भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण विभाग के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण विभाग ने क्या कार्य किया;

(घ) उन वर्षों के दौरान भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण विभाग ने विभिन्न गतिविधियों पर कितनी धनराशि खर्च की है;

(ङ) भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण विभाग ने किन विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण और अन्य सम्बद्ध कार्य किया है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) :(क) 1946 में गहरे समुद्र में मत्स्यन केन्द्र के रूप में आरम्भ की गई भूतपूर्व समनवेषी मोत्स्यिकी की परियोजना, बम्बई का दिसम्बर, 1983 में नाम बदल कर भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण कर दिया गया था।

(ख) भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :—

(1) मत्स्य संसाधनों का सर्वेक्षण करना और एकमात्र भारतीय आर्थिक क्षेत्र में समय और दूरी दोनों में मत्स्यन क्षेत्रों का चार्ट तैयार करना।

(2) विनियमन और प्रबंध के प्रयोजन से गहरे समुद्र में मछली संसाधनों की देख-रेख करना।

(3) केन्द्रीय मात्स्यिकी नौवहन और इंजीनियरी-प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षुओं को जलयानों में प्रशिक्षण देकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण देना ; और

(4) अन्तर्देशीय मत्स्य संसाधनों का सर्वेक्षण करना।

(घ) भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण ने 1982-83 से योजना और गैर-योजना बजट का निम्नानुसार समुपयोजन किया :—

(लाख रुपये में)

1982-83		1983-84		1984-85 (फरवरी, 1985 तक)	
योजना	गैर योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
333.36	132.92	304.74	127.27	276.23	114.63

(ग), (ङ) और (च) भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण ने 40 फैदम के भीतर डीमरसल मत्स्य संसाधनों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता लगभग 27 लाख मीटरी टन आंकी गई है। गत 3 वर्षों के दौरान 40 फैदम से परे के सर्वेक्षण क्षेत्र पर बल दिया गया है। भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण के जलयानों ने महाद्वीपी जल क्षेत्र तथा पूर्वी और पश्चिमी तटीय जल क्षेत्र के 500 मीटर तक की गहराई के ढलवान वाले कुछ क्षेत्रों में नए डीमरसल मत्स्य संसाधनों जैसे प्रिएकेनथिड, इण्डियन ड्रिफ्ट फिश, ब्लैक रफ, डीप सी संसाधनों प्रान आदि का पता लगाया है। सर्वेक्षण द्वारा आवृत किया गया कुल क्षेत्र बाटम ट्रालिंग द्वारा लगभग 3 लाख वर्ग कि० मीटर और मिडसी वाटर ट्रालिंग, लोंग लाइनिंग तथा पर्स सेनिंग द्वारा 0.55 लाख वर्ग कि० मीटर आंका गया है। वैज बैंक का मत्स्यन चार्ट पूरा कर लिया गया है और कुछ क्षेत्रों, जहां सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, के मत्स्यन चार्ट तैयार किए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 60 प्रशिक्षु, जो केन्द्रीय मात्स्यिकी नौवहन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में सांस्थानिक प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, वे मेट मत्स्यन जलयान और इंजिन ड्राइवर (मत्स्यन जलयान) की पात्रता परीक्षाओं के प्रयास-पत्र के लिए स्वयं अर्हता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित 36 महीनों के समुद्री एवं अनुभव के लिए बोर्ड सर्वेक्षण जलयान पर जलयान में प्रशिक्षण ले रहे हैं। भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण का 7 वीं योजना के दौरान अन्तर्देशीय जल निकायों जैसे जलाशयों, झीलों इत्यादि का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

अमरीकी फिल्मों का आयात

4718. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या सूचना प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में अमरीकी फिल्मों के आयात का कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे अंग्रेजी फिल्मों की कमी को पूरा करने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। एम०पी०ई०ए०ए० (मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसियेशन आफ अमरीका) कम्पनी समूह की फिल्मों के आयात के लिए एम०पी०ई०ए०ए० और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बीच एक करार पर 1 अप्रैल, 1985 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) करार का मोटा ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(1) करार 1 फरवरी, 1985 से 3 वर्ष की अवधि के लिए है।

(2) इसमें राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अग्रिम में तिमाही किस्तों में प्रतिवर्ष 26.50 लाख रुपए की नियत कैनलेलाइजेशन फीस का भुगतान करने पर प्रति वर्ष 75-100 फिल्मों का आयात किए जाने की व्यवस्था है।

(3) एम०पी०ई०ए०ए० की फिल्मों के कुल वार्षिक किराए का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाएगा :—

(1) प्रचालन व्यय अर्थात भारत में एम०पी०ई०ए०ए० के सम्पर्क कार्यालयों के प्रचालन, प्रबंधकीय तथा प्रशासनिक व्यय, आयात प्रभार, किसी भी तरह के सरकार को देय कर या फिल्म वितरण के लिए प्रचलित या उससे संबंधित कोई भी अन्य व्यय-50 प्रतिशत।

(2) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सहित अर्ध-सरकारी या सरकार द्वारा प्रयोजित संगठनों को ब्याज रहित ऋण-17.5 प्रतिशत।

(3) एम०पी०ई०ए०ए० की सदस्य कम्पनियों द्वारा तिमाही किस्तों में राशि वापस करना -15 प्रतिशत (प्रतिवर्ष 40 लाख रुपए की सीमा के अधीन) ।

(4) भारत में फिल्मों का निर्माण तथा सह-निर्माण, यात्रा तथा ठहरने संबंधी व्यय, कर्मचारियों की यात्रा संबंधी व्यय, भारतीय फिल्मों की खरीद, इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यों के लिए-17.5 प्रतिशत ।

(ग) एम०पी०ई०ए०ए० की कम्पनियां प्रतिवर्ष 75-100 फिल्मों का आयात करेंगी । उम्मीद की जाती है कि अंग्रेजी की फिल्मों सहित ये फिल्में, जिनका आयात भारत के अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोहों/फिल्मोत्सवों के अवसर पर आयोजित होने वाले फिल्म बाजार के आधार पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, अनिवासी भारतीयों तथा निजी भारतीय पार्टियों द्वारा किया जाए, अंग्रेजी की फिल्में दिखाने वाले सिनेमाघरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी ।

टेलीविजन और रेडियो पर बोलने के लिए पत्रकारों को आमंत्रण

4719. **श्री राम भगत पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन पत्रकारों को टेलीविजन और रेडियो पर बोलने के लिए आमंत्रित करने का है जो केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या करण हैं ?

सूचना और प्रासारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा पत्रकारों की वार्ताओं, परिचर्चाओं, या कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनकी व्यावसायिक निपुणता, उनके कार्य-क्षेत्र तथा विशिष्ट विषयों या क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर आमंत्रित किया जाता है ।

यह उल्लेखनीय है कि इस समय भी ऐसे विषयों, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संगत मामलों से संबंधित होते हैं, पर विशेषज्ञों तथा ऐसे पत्रकारों, जो इस प्रकार के विषयों में विशिष्टता रखते हैं, को भी कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुसार आमंत्रित किया जाता है ।

बाड़मेर राजस्थान में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी की नियुक्ति

4720. **श्री बुद्धि चंद्र जैन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री बाड़मेर राजस्थान में प्रचार अधिकारी की नियुक्ति के बारे में 24 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8591 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी की नियुक्ति कब तक की जाएगी और प्रचार कार्य कब तेज किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : क्योंकि क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों (सीमा) के पदों की और भर्ती से संबंधित मामला अभी भी न्याय निर्णयाधीन है, इसलिए राजस्थान में बाड़मेर में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, (सीमा) का पद भरने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करना सभव नहीं है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी को भूमि का कब्जा किया जाना

4721. **श्री मोहम्मद महफूज खां** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी को भूमि का कब्जा दिए जाने के बारे में 1 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1645 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के गैर अध्यापक सदस्यों के कुछ ऐसे मामले है जिन्हें अब तक भूखण्डों के आबटन के उप-पट्टे नहीं दिये गये है जैसा कि अन्य सदस्यों के मामलों में किया जा रहा है ?

(ख) ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी है और उनमें से प्रत्येक सदस्य ने कितनी धनराशि जमा की है, वे किस वर्ष में सदस्य बने और उनकी राशि जमा करने की तारीख क्या है;

(ग) क्या सोसायटी के सचिव ने निजी शिकायतों पर गैर-अध्यापक सदस्यों के विरुद्ध जो कि अधिकांशत: सरकारी कर्मचारी हैं, आपराधिक मामले दर्ज कराए हैं; और

(घ) यदि हां, तो निजी शिकायतों के आधार पर झूठे और तुच्छ मामले दर्ज कराने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) तथा (ख) समिति ने सूचित किया कि सभी गैर शिक्षक सदस्यों जिन्हें उच्च न्यायालय के दिनांक 3.8.1984 के आदेशानुसार उप पट्टों के लिए अनुमोदित किया गया है,उन्होंने अपने उप-पट्टे दे दिए हैं ।

(ग) और (घ) समिति ने सूचित किया है कि निजी शिकायतों के आधार पर ऐसा कोई मामला दायर नहीं किया था, ये मामले उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर दायर किए गए थे ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमा घर खोलना

[हिन्दी]

4722. **श्री आर० एम० भोये** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में जहां अधिकांशत: समाज के कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, सिनेमाघर खोलने के लिए कोई प्रोत्साहन दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सिनेमाघर खोलने के लिए प्रोत्साहन देने की भारत सरकार की कोई स्कीम नहीं है । तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो केन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, की ग्रामीण, अर्ध-शहरी तथा शहरी क्षेत्रों में सिनेमाघरों के निर्यात हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करने की एक स्कीम है । इस स्कीम के अन्तर्गत आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों में थियेटरों के निर्माण के लिए एक लाख रुपए तक का ऋण पाने का पात्र है ।

कलकत्ता दूरदर्शन के लिए दूसरा चैनल

[अनुवाद]

4723. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता दूरदर्शन के लिए दूसरा चैनल शुरू करने का कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां ।

(ख) सेवा 1985 के अन्त तक शुरू हो जाने की उम्मीद है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) का प्रतिवेदन

4724. **श्री मोलानाथ सेन :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बैरकपुरा (पश्चिम बंगाल) द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन से पता चलता है कि हुगली नदी में पकड़ी जाने वाली मच्छलियां भारी धातु युक्त होने के कारण अत्याधिक दूषित होती हैं जिसके खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के प्रदूषण से गुर्दे खराब हो सकते हैं, मानसिक विकार हो सकते हैं, भ्रूण विकृत हो सकते हैं, खून की कमी तथा हड्डी की बीमारियां हो सकती हैं;

(घ) सरकार को सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट का प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं श्रीमान।

(ख) फिर भी, केन्द्रीय अन्त: स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान हुगली मुहाने की पारिस्थितिकी पर अपने समग्र अनुसंधान कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जलीय उत्पादकता और मछली की अधिकता से संबंधित जल प्रदूषण के पहलुओं पर कई वर्षों से अध्ययन करता रहा है। हुगली के मुहाने में भारी धातुओं की निगरानी का कार्य 1977 में शुरू किया गया था लेकिन विस्तृत अध्ययन केवल 1980 से आरंभ किये गये थे। इन अध्ययनों से फिनफिश और शालफिश की कुछ प्रजातियों में भारी धातुओं (जिंक, ताम्बा और क्रोमियम) के जैव-संग्रह का पता चला है।

(ग) केन्द्रीय अन्त: स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने पशु या मानव पर धातु प्रदूषित मछली का उपयोग करके बायोएसे पर कोई कार्य नहीं किया है। इस तरह मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इस विषय में कोई राय नहीं दी जा सकती।

(घ) उपरोक्त (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सरकार किये गये अध्ययनों के आधार पर मुहानो और दूसरे जल व्यवस्थाओं के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाई शुरू करेगी।

सौराष्ट्र और मध्य गुजरात के लिये पृथक चीनी जोन का प्रस्ताव

4725. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने सौराष्ट्र और मध्य गुजरात के लिये पृथक चीनी जोन गठित करने के बारे में गुजरात सरकार से प्राप्त किसी प्रस्ताव के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ जोनिंग प्रणाली का पुनर्गठन करने के उद्देश्य से वर्तमान जोनिंग प्रणाली की जांच करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, ने अपनी रिपोर्ट 1984 में प्रस्तुत कर दी है। पुनर्जोनिंग प्रस्ताव, जिनमें वर्तमान गुजरात जोन के बारे में कुछ सिफारिशें शामिल हैं, ऐसे स्वरूप के हैं जिन्हें कार्यान्वित करने में कानूनी, प्रशासनिक और संभारतंत्र विषयक कठिनाइयां पैदा हो सकती थीं। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से विस्तृत स्पष्टीकरण आदि मांगे जा रहे हैं जिनकी इन सिफारिशों पर निर्णय लेने से पूर्व सरकार द्वारा बारीकी से जांच करनी होगी।

राष्ट्रीय बीज निगम के उद्देश्य

4727. श्री विजय एन० पाटिल : : क्या कृषि ग्रामीण और विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या राज्य स्तर पर बीज निगमों की स्थापना के बाद, उनके कार्यभार और उद्देश्य में कमी कर दी गई थी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य बीज निगमों के बीच समन्वय का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना के समय इसके मुख्य उद्देश्य ये थे :—

1. भारत में कृषि बीजों का उत्पादन, परिसंस्करण, शुष्कन, संचयन, वितरण तथा परिवहन संबंधी कार्य करना।
2. कृषि बीजों को उगाना, परिसंस्करण, शुष्कन, संचयन, वितरण, परिवहन तथा बिक्री करने के कार्य में व्यक्ति विशेष, सहकारी समितियों, निगमों तथा सरकारी एजेंसियों के साथ समझौता करना।
3. निगम की ओर से या उनके सहयोग से किए गए बीज व्यापार के सभी चरणों में निरीक्षण और अन्य किसी साधन द्वारा बीज गुण नियंत्रण संबंधी उपाय शुरू करना।
4. भारत में कृषि का सुधार करने के लिए अपेक्षित किसी बीज की आपूर्ति हेतु भण्डारण तथा सुरक्षित भण्डार बनाना।

(ख) राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के तहत राज्य बीज निगमों की स्थापना से बीज उत्पादन, परिसंस्करण, संचयन तथा विपणन संबंधी कार्यकलापों का विकेन्द्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय बीज निगम की उसके मूल उद्देश्यों के अलावा, अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गईं। ये अतिरिक्त जिम्मेदारियां ये थीं :—

1. बीज मांग का मूल्यांकन, राज्य बीज निगमों के प्रमाणीकृत बीज उत्पादन कार्यक्रमों का समन्वयन और बीजों का अन्तः राज्य विपणन।
2. कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के परामर्श से प्रजनक तथा आधारी बीजों की आयोजना तथा उत्पादन करना।
3. बीज संसाधन संयंत्रों के डिजाइन, खरीद तथा प्रतिष्ठापन में राज्य बीज निगमों तथा अन्यों को तकनीकी सहायता मुहैया करना।
4. राज्य बीज निगमों तथा अन्य एजेंसियों के कार्मिकों को प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं प्रदान करना।

(ग) भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के तहत स्थापित राज्य बीज निगमों की शेयर पूंजी के लिए योगदान करता है। राज्य बीज निगमों में सरकार तथा निगम के हितों की निगरानी के लिए राज्य बीज निगमों के निदेशकों के बोर्ड में सरकार तथा राष्ट्रीय बीज निगम के प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम के निदेशकों के बोर्ड में राज्य बीज निगमों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाते हैं।

राष्ट्रीय बीज निगम अपने उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों की योजना बनाते समय सभी राज्य बीज निगमों के मांग पत्रों को ध्यान में रखता है। राष्ट्रीय बीज निगम अपने ठेके के उत्पादकों तथा अपने फार्मों के माध्यम से तथा राज्य बीज निगमों के माध्यम से उत्पादन करवाया है और राष्ट्रीय बीज निगम अंत: राज्य विपणन के जरिए विपणन का कार्य भी करता है।

राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के तहत, राज्य बीज निगमों द्वारा बीजों के परिसंस्करण तथा भण्डारण की क्षमता के सृजन के कार्य की निगरानी केन्द्र द्वारा की जाती है और राष्ट्रीय बीज निगम संयंत्रों आदि के डिजाइन बनाने और संयंत्र लगाने में राज्य बीज निगम की मदद करता है।

खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने की योजना

4728. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले पांच वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाकर 2500 लाख मीट्रिक टन करने की कोई भावी योजना है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार का अनुमान लगाया है कि उत्पादन का उपरोक्त स्तर प्राप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

खाद्यान्नों का भंडारण

4729. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय उपलब्ध भंडार गृह सुविधाएं पर्याप्त हैं;

(ख) भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण इस समय कितना खाद्यान्न खुले स्थानों में रखा जाता है;

(ग) खाद्यान्नों के उत्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता खाद्यान्नों का स्टाक जमा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 28-2-1985 तक पोलीथीन की चादरों से ढक कर खुले में रखे गए खाद्यान्नों के स्टाक की मात्रा 18.73 लाख मीटरी टन थी। इन स्टाकों को हानियों से बचाने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जाती हैं।

(ग) स्वीकृत स्टाक की मात्रा तथा इसके लिए अपेक्षित भण्डारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए अपेक्षित धनराशि का वर्ष-प्रतिवर्ष के

आधार पर हिसाब लगाया जाता है। 1985-86 की केन्द्रीय योजना में, भारतीय खाद्य निगम, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन तथा राज्य भांडागार निगमों द्वारा भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के लिए 90.52 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) आशा है कि भारतीय खाद्य निगम 1985-86 के दौरान 15.25 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करेगा और वह सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, राज्य भाण्डागार निगमों तथा अन्य स्रोतों से अतिरिक्त क्षमता किराये पर लेने के लिए भी प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त निगम यथावश्यक, कवर-एव-प्लिथ (कैप) भण्डारण सुविधाओं के रूप में अस्थायी भण्डारण की भी व्यवस्था कर रहा है।

उत्तर प्रदेश को गेहूं, चावल और चीनी की सप्लाई

[हिन्दी]

4731. **श्री हरीश रावत** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश को वर्ष 1984-85 में इस राज्य द्वारा की गई मांग की अपेक्षा गेहूं, चावल और चीनी का कितना कोटा जारी किया;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में अधिकांश उचित दर दुकानों में गेहूं की कमी है क्योंकि राज्य को गेहूं का कम कोटा जारी किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्थिति में सुधार लाने हेतु राज्य को और अधिक गेहूं सप्लाई करने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार को 1984-85 के दौरान कुल 16.86 लाख मीटरी टन गेहूं और 3.20 लाख मीटरी टन चावल आबंटित किए गए थे जबकि उन्होंने 12.50 लाख मीटर टन गेहूं और 8.55 लाख मीटरी टन चावल की मांग की थी।

उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को लेवी चीनी के मासिक कोटे समान मानदण्डों के आधार पर, और न कि राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 1984-85 के दौरान, राज्य सरकार को 1-10-1983 को परियोजित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति के मानदण्डों के आधार पर कुल 6.06 लाख मीटरी टन चीनी आबंटित की गई थी।

(ख) राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उनसे प्राप्त मासिक मांग के आधार पर इस समय 45,000 मीटरी टन गेहूं प्रति मास का कोटा आबटित किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वः रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया गया प्रशिक्षण

4732. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान स्वः रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और उनमें से कितने लोगों ने तत्पश्चात् प्रशिक्षण के आधार पर अपने उद्योग शुरू किए;

(ख) क्या इन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित बहुत से युवाओं ने अपने प्रशिक्षण का उपयोग नहीं किया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा स्वरोजगार में लगे हुए युवकों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1983-84 से प्रशिक्षित युवकों के लिए भी मजदूरी पर रोजगार का प्रावधान करने से स्वरोजगार तथा मजदूरी वाले रोजगार के लिए प्रशिक्षित युवकों को नियोजित करने की स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 1983-84 में प्रतिक्षित 2,06,663 युवकों की तुलना में 1,14,339 युवक स्वरोजगार में लगे हुए थे तथा 31,516 मजदूरी पर रोजगार में लगे हुए थे जो कि प्रशिक्षित युवकों के 70.6% बनते हैं वर्ष 1984-85 के दौरान 1,39,823 प्रशिक्षित युवकों में से 69,439 स्वरोजगार में तथा 11,182 मजदूरी रोजगार में लगे हुए थे जो कि प्रशिक्षित युवकों के 57.7% बनते हैं वर्ष 1984-85 के आंकड़े अनन्तिम हैं तथा फरवरी, 85 तक के हैं।

इस योजना की मार्गदर्शिकाओं में प्रशिक्षित युवकों को स्वरोजगार/मजदूरी वाले रोजगार हेतु पूरी तरह से शामिल करने पर बल दिया गया है ताकि उनको दिए गए प्रशिक्षण का सही उपयोग हो सके। परन्तु प्रशिक्षण के पूरा होने तथा वास्तव में धंधा आरम्भ करने के बीच की अवधि, प्रशिक्षित युवकों के पर्याप्त अनुरक्षण में कमी, प्रशिक्षित युवकों में स्वरोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य को पूरा करने में अभिरुचि तथा प्रेरण की कमी, कुछ क्षेत्रों में योजना के प्रशासन में कुछ कमियों आदि के कारण इसे व्यावहारिक तौर पर पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका है। इन कमियों को दूर करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 1985 के दौरान स्थिति में और सुधार लाने हेतु लगभग 200 जिलों में नेहरू युवक केन्द्रों की सेवाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव है तथा संस्थागत प्रशिक्षण में सुधार लाने और ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवकों के अनुरक्षण हेतु नाडल एजेंसियां स्थापित करने हेतु भी कदम उठाये जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1983-84 व 1984-85 के दौरान ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित और स्वनियोजित युवकों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित अवधि के दौरान प्रशिक्षित किए गए युवकों की संख्या		निम्नलिखित अवधि के दौरान प्रशिक्षित युवकों का स्व-नियोजन (संख्या)		निम्नलिखि अवधि के दौरान प्रशिक्षित युवकों में स्वनियोजित युवकों का प्रतिशत	
1	2	3		4		5	
		1983-84	1984-85	1983-84	1984-85	1983-84	1984-85
1.	आंध्र प्रदेश	10071	8608	8287	5028	82.2	58.4
2.	असम	3163	3592	1648	1669	52.1	46.5
3.	बिहार	13640	6275	2565	3665	18.8	58.4
4.	गुजरात	8701	8572	5207	2756	59.8	32.2

(—जारी)

1	2	3		4		5	
5.	हरियाणा	2679	1818	310	188	11.6	10.3
6.	हिमाचल प्रदेश	2859	1491	1696	742	59.3	49.8
7.	जम्मू और कश्मीर	1712	2227	3	641	0.18	28.8
8.	कर्नाटक	असूचित	6534	असूचित	977	—	15.0
9.	केरल	6660	6509	2355	2945	35.4	45.2
10.	मध्य प्रदेश	21427	15448	15773	7971	93.6	51.6
11.	महाराष्ट्र	12238	3798	4552	4430	39.2	116.6
12.	मणिपुर	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	—	—
13.	मेघालय	—	शून्य	—	शून्य	—	—
14.	नागालैंड	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	—	—
15.	उड़ीसा	6700	6114	2051	2687	30.6	43.6
16.	पंजाब	16331	8245	10327	3634	63.2	44.1
17.	राजस्थान	19439	10429	12477	7779	64.2	74.6
18.	सिक्किम	240	असूचित	44	असूचित	18.3	—
19.	तमिलनाडु	30970	11995	15830	3967	51.1	33.1
20.	त्रिपुरा	534	280	318	593	59.6	21.1
21.	उत्तर प्रदेश	38458	33487	26660	19474	69.3	58.2
22.	पश्चिम बंगाल	6926	असूचित	1107	असूचित	16.0	—
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
24.	अरूणाचल प्रदेश	6	44	—	22	—	50.0
25.	चंडीगढ़	—	118	—	29	—	24.6
26.	दादरा और नगर हवेली	39	54	—	18	—	33.3
27.	दिल्ली	834	733	650	23	77.9	3.1
28.	गोवा दमन और दीव	2054	2489	2266	442	110.3	17.8
29.	लक्ष द्वीप	—	—	—	—	—	—
30.	मिजोरम	528	717	323	224	61.2	31.2
31.	पांडिचेरी	178	246	—	69	—	28.0
	अखिल भारत	206663	139823	114339	69439	55.3	49.7

*अनन्तिम आंकड़े फरवरी, 85 तक के हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में शीतोष्ण फलों का उत्पादन बढ़ाने की योजना

4733. श्री हरीश रावत : कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय देश के पहाड़ी क्षेत्रों में शीतोष्ण फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों के सहयोग से कोई योजना तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इन योजनाओं को क्रियान्वित करने का विचार है और उन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम क्या हैं जिनसे आर्थिक सहयोग लेने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां। उत्तर प्रदेश की "पहाड़ियों में बागवानी विकास" नामक एक परियोजना, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में शीतोष्ण फलों की फसलों के विकास के लिए अर्थ कार्य विभाग के माध्यम से विदेशी सहायता के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के 8 जिलों को कवर किया जाना है और सहायता विश्व बैंक द्वारा दी जानी है।

दिल्ली दूरदर्शन से उड़िया कार्यक्रम का प्रसारण

[अनुवाद]

4734. श्री चिन्तामणि जेना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 से आज तक दिल्ली दूरदर्शन से उड़िया भाषा में कितने कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं;

(ख) 1 जनवरी, 1985 से लेकर आज तक उड़िया कार्यक्रमों को कुल कितना समय दिया गया है;

(ग) नया चैनल खुलने के बावजूद दिल्ली द्वारा उड़िया, मराठी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की अपेक्षा करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सभी क्षेत्रीय भाषाओं के लोक गीतों, लोक संगीत, लोक नृत्य, कक्षा चित्रों, नाटकों फिल्मी गानों आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को शामिल करने के लिये प्रयास किए जायेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा 1.1.85 से 24.4.85 तक राष्ट्रीय कार्यक्रम में टेलीकास्ट किए गए 2 कायक्रमों सहित कुल 7 कायक्रम टेलीकास्ट किए गए थे। इन कार्यक्रमों की कुल अवधि 109 मिनट थी।

(ग) से (ङ) कार्यक्रमों के निर्माण के लिए सुविधाओं की कमी और प्रेषण समय के अंदर, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली लोक संगीत लोक नृत्य, नाटक फीचर फिल्में फीचर फिल्मों के गीत और नृत्य अनुक्रमों आदि जैसे रूपों में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है।

ग्रामीण विकास के लिये संसाधनों का उपयोग

4735. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी योजना में की गई वचनबद्धता को ध्यान में रखकर ग्रामीण विकास के लिए, विशेषकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए, संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एक पर्यवेक्षण और निगरानी प्राधिकरण बनाने का है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार और पश्चिम बंगाल में बिना किसी सामाजिक और राजनैतिक भेदभाव के संसाधनों का वितरण नियमित करने के लिए एक सांविधिक अधिकार प्राप्त अधिकारी नियुक्त करने का है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र के पास व्यवस्था है।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम राज्य सरकारी माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं अतः राज्यों में संसाधनों का वितरण नियमित करने के लिए सांविधिक अधिकार प्राप्त अधिकारी नियुक्त करना संभव नहीं है।

दूरदर्शन प्रसारण की सुविधा से लाभान्वित क्षेत्र

4736. श्री गिरधर गोमांगो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूरदर्शन प्रसारण की सुविधा से बचे हुए क्षेत्र अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में किन-किन क्षेत्रों में यह सुविधा प्रदान की जानी शेष है और अब तक कौन-कौन से स्थानों में यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है;

(ग) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों को छोड़कर पर्वतीय, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में एल० पी० टी० और एच० पी० टी० लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो 1985-86 के दौरान राज्यवार किन-किन क्षेत्रों में यह सुविधा प्रदान की जाएगी तथा इसके लिए कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) छटी योजना की स्कीमों के मुकम्मल हो जाने पर, दूरदर्शन सेवा देश के 48 प्रतिशत क्षेत्र में फैली लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र तथा पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं। इसी तरह, कवर न हुए शेष क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र, गैर-आदिवासी क्षेत्र आदि तथा पहाड़ी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं।

(ख) इस समय कार्य कर रहे दूरदर्शन ट्रांसमीटरों तथा कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न पर है।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान पहाड़ी, आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में अनेक दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव किया गया है सातवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अनुमोदित किया जाना है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उच्चशक्ति वाले ट्रांसमीटर (एच०पी०टी० केन्द्र)		अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर (एल०पी०टी० केन्द्र)	
	विद्यमान	कार्यान्वयनाधीन	विद्यमान	कार्यान्वयनाधीन
1	2	3	4	5
1. असम	गोहाटी	सिल्चर डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़ तेजपुर सिल्चर	जोरहाट दिफू

1	2	3	4	5
2. आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	विशाखापटनम	वारंगल	
	विजयवाड़ा*		काकीनाडा	
			विशाखापटनम	
			राजमुंद्री	
			नैल्लोर	
			निजामाबाद	
			कुर्नूल	
			अनंतपुर	
			तिरुपति	
			अडोनी	
			कुड़प्पा	
			मेहबूबनगर	
			करीम नगर	
3. बिहार	पटना*	धनबाद	धनबाद	दरभंगा
	मुजफ्फरपुर		जमशेदपुर	बेतिया
	रांची		गया	
			भागलपुर	
			मुंगेर	
			पुणिया	
4. गुजरात	अहमदाबाद*	द्वारका	सूरत	
	पिज		द्वारका	
	राजकोट		बदोदरा	
			भावनगर	
			नवासरी	
			भरूच	
			पाटन	
5. हरियाणा			हिसार	
			भिवानी	
6. हिमाचल प्रदेश	कसौली*		कुल्लू	
			शिमला	
7. जम्मू व काश्मीर	श्रीनगर	पूंछ	लेह	
		जम्मू	कारगील	
			जम्मू	
8. कर्नाटक	बंगलौर		धारवाड़	
	गुलबर्ग		मैसूर	
			मंगलौर	
			बेलगांव	
			बेल्लेरी	(...जारी)

1	2	3	4	5
			देवनगारे	
			भद्रावती	
			बिजापुर	
			रायचूर	
			गंदगवेतगड़ी	
			हासपेट	
9. केरल	त्रिवेंद्रम*	कोचीन	कालीकट	
			कन्नानोर	
			पालघाट	
			कोचीन	
10. मध्य प्रदेश	भोपाल		जबलपुर	कोरबा
	इन्दौर		ग्वालियर	सिंगरौली
	रायपुर		रतलाम	
			सागर	
			बुरहानपुर	
			रीवा	
			मुरवारा	
			बिलासपुर	
11. महाराष्ट्र	बम्बई		परभनी	
	नागपुर*		सोलापुर	
	पूना		नासिक	
			कोलापुर	
			औरंगाबाद	
			सांगली	
			अमरावती	
			मलंगांव	
			अकोला	
			धुले	
			नंदेड़	
			अहमदनगर	
			जलगांव	
			आलना	
			भुसावाल	
			चन्द्रपुर	
			लातूर	
			गोंदिया	

1	2	3	4	5
12. मेघालय		तूरा	तूरा	
		शिलांग	शिलांग	
13. मणिपुर		इम्फाल	इम्फाल	उखरूल
14. नागालैंड		कोहिमा	कोहिमा	दीमापुर
15. उड़ीसा	सम्बलपुर		राऊरकेला	
	कटक		ब्रह्मपुर	
			कोराटपुर	
16. पंजाब	अमृतसर	भटिंडा	पाठनकोट	
	जलधर		भटिंडा	
17. राजस्थान	जयपुर		जोधपुर	
			अजमेर	
			कोटा	
			बीकानेर	
			उदयपुर	
			अलवर	
			गंगानगर	
			भीलवाड़ा	
			बेतड़ी	
			जैसलमेर	
			सूरतगढ़	
			गंगटोक	
18. सिक्किम				
19. तमिलनाडु	कोडैकनाल*		तिरूचिरापल्ली	नेवली
	मद्रास		सलेम	
			वैल्लोर	
			कुंचकोनम	
			कोयम्बटूर	
20. त्रिपुरा		अगरतला	अगरतला	
21. उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद		बरेली	
	आगरा		देवरिया	
	वाराणसी		मुरादाबाद	
	गोरखपुर		अलीगढ़	
	लखनऊ		झांसी	
	मसूरी		सुलतानपुर	
	कानपुर		रायबरेली	
			फैजाबाद	
			इटावा	(...जारी)

1	2	3	4	5
			बहराइच	
			शाहजहांपुर	
			रामपुर	
			पौड़ी	
			फरूखाबाद	
			सम्भल	
			नैनीताल	
			पिथौरागढ़	
22. पश्चिम बंगाल	आसनसोल		खड़गपुर	
	कलकत्ता		मालदा	
	मुर्शिदाबाद		बर्द्धमान	
	कुर्सियांग*		शांतिनिकेतन	
			बलूरघाट	
संघ शासित क्षेत्र				
1. अरुणाचल प्रदेश		इटानगर	इटानगर	तेलु पासीघाट
2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			पोर्ट ब्लेयर कार निकोबार	
3. गोवा, दमन और दीव	पणजी*			
4. मिजोरम		ऐजवाल	ऐजवाल	
5. पांडिचेरी			पांडिचेरी	
6. दिल्ली	दिल्ली			

टिप्पणी :—चिन्हित ट्रांसमीटरों की शक्ति को बढ़ाकर 10 किलोवाट किया जा रहा है।

रबी की फसल के तिलहनों के दामों में गिरावट

4737. श्री बी० बी० देसाई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिकूल मौसम के बावजूद रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना से रबी की फसल के तिलहनों, विशेष रूप से रेपसीड और सरसों के दामों में गिरावट आयी है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने यह आशंका जाहिर की है कि मूल्यों में निरन्तर गिरावट का रुख उत्पादकों के लिए उक्त महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निरुत्साहित करने वाला सिद्ध हो सकता है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यों द्वारा चिन्तित होने के मुख्य कारण क्या हैं और केन्द्र सरकार द्वारा उक्त आशंका को दूर करने के लिए राज्यों को क्या सुझाव दिए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1984-85 में तोरिया और सरसों का उत्पादन सामान्यत: गत वर्ष की तुलना में अधिक होने की आशा है। चालू मौसम में तोरिया और सरसों तथा अन्य रबी तिलहनों के विपणन मूल्य गत मौसम के विपणन मूल्यों से नीचे रहे हैं परन्तु सामान्यत: उचित औसत गुणवत्ता के तिलहनों के समर्थन मूल्य से अधिक रहे हैं।

(ख) और (ग) तोरिया और सरसों जो रबी की प्रमुख तिलहन फसलें हैं, के अधिक उत्पादन की आशा करते हुए सरकार ने इस फसल के लिए बाजार में समर्थन पाने हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं करने के लिए राज्य सरकारों को तत्काल सतर्क कर दिया है। तोरिया और सरसों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा के तत्काल बाद बाजार में प्रवेश का कार्यान्वित करने के लिए स्थाई व्यवस्था की गई, जो नेफेड के माध्यम से और राज्य सहकारी विपणन संघों के सहयोग से की गई है। इस व्यवस्था के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने सहकारी विपणन संघों को बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए, प्रत्येक राज्य द्वारा केंद्रीय सरकार से पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की अपेक्षा जहां भी आवश्यक हो, बाजार में हस्तक्षेप करने के आदेश दें। भारतीय रिजर्व बैंक को यह निदेश दिया गया है कि वह इस प्रयोजन के लिए सहकारी समितियों को आवश्यक ऋण सुविधाएं प्रदान करे। कुछ राज्यों ने मूल्य गिरावट की ओर ध्यान आकृष्ट किया और केंद्रीय सरकार से समुचित उपाय करने के लिए अनुरोध किया। तथापि सरकार ने इस मामले में पहले ही आवश्यक पहल कर दी है।

चीनी का आयात

4739. श्री बी० बी० देसाई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985 के दौरान चीनी की संभावित कमी पर काबू पाने के लिए इस वर्ष चीनी का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को उत्पादन में तेजी से आयी कमी को पूरा करने के लिए चीनी की प्रचुरता के कई वर्षों के बाद गत वर्ष पहली बार चीनी का आयात करना पड़ा था ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने चीनी के उत्पादन और इसकी मांग के संशोधित अनुमानों के आधार पर चालू मौसम के दौरान संभावित कमी का अनुमान लगाया है;

(घ) चीनी की किस सीमा तक कमी होगी और इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ङ) देश में चीनी के उत्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) चालू मौसम 1984-85 में 7 अप्रेल तक चीनी का उत्पादन 55.14 लाख मीटरी टन तक पहुंच गया है जबकि 1983-84 मौसम में इस तारीख तक 52.59 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष 15 अप्रैल को चल रही फैक्ट्रियों की संख्या 143 है जबकि पिछले वर्ष इस तारीख को 109 फैक्ट्रियां चल रही थीं और इसलिए इस अवस्था में कमी आदि की सीमा का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है।

जब कभी आवश्यक समझा गया है, देश में चीनी की उपलब्धता को प्रर्याप्त मात्रा तक बनाए रखने के लिए चीनी का आयात किया गया है। 1984 में लगभग 5 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने के लिए ठेके लिए गए थे जबकि 31. 3.1985 तक वास्तव में 4.83 लाख मीटरी टन चीनी प्राप्त हुई थी यह आयात इसलिए करना पड़ा था क्योंकि कृषि जलवायु संबंधी स्थितियों तक चीनी मीलों की अपेक्षाकृत कम गन्ना उपलब्ध होने के कारण 1982-83 के मौसम में 82. 32 लाख मीटरी टन चीनी के हुए उत्पादन की तुलना में 1983-84 मौसम में चीनी का उत्पादन गिरकर 59·16 लाख मीटरी टन हो गया था। भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा चीनी के कुछ आयात करने के लिए और ठेके इस शर्त पर किए गए हैं कि चीनी चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 में पहुंच जाएगी लेकिन इस समय, जबकि चीनी का उत्पादन कार्य अभी भी प्रगति पर है, आयात की जाने वाली चीनी की सही मात्रा बता पाना संभव नहीं है।

(ङ) गन्ने और चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने के लाभकारी मूल्यों के भुगतान को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उद्योग की स्थापित क्षमता में वृद्धि करने के लिए, नई फैक्ट्रियों/विस्तार परियोजनाओं को खुली बिक्री चीनी का और अधिक कोटा देकर तथा उत्पाद शुल्क की दर में रियायत देकर, प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

किसानों के लिए सहकारी ऋण आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने की योजनाएं

4740. श्री बी० बी० देसाई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान किसानों के लिए सहकारी ऋण आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये योजनाएं अल्पावधि होंगी अथवा दीर्घावधि;

(ग) प्रस्तावित योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इन्हें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में सहकारी ऋण संरचना को मजबूत बनाने के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि, दोनों तरह की योजनाएं बनाई गई हैं।

(ग) निम्नलिखित योजनाएं विचाराधीन हैं: —

(1) अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के विकास की व्यापक योजना।

(2) दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना की विकास योजना।

(3) सहकारिता की दृष्टि से कमजोर राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के लिए विशेष योजना।

(4) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के लिए विशेष योजना।

(5) विस्तार और प्रशिक्षण।

(6) ऋण आयोजन और प्रबोधन।

(7) कमजोर वर्गों के लिए आपात निधि योजना।

(8) ऋण देने की प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए मार्गदर्शी योजना।

(9) कूप पुनरुद्धार निधि योजना।

(10) कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि।

2. इन सब योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों और कम विकसित क्षेत्रों की ओर ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के साथ कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिए ऋण सहायता में बढ़ोत्तरी करने के लिए सभी स्तरों पर और खासतौर पर ग्रामीण-स्तर पर सहकारी ऋण संरचना को मजबूत बनाना है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां को चरणबद्ध ढंग से ऐसे बहुउद्देशीय सेवा संगठनों में बदलने का प्रस्ताव है जो ऋण ही नहीं बल्कि कृषि उत्पादों के विपणन और परिसंस्करण तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण सहित सभी अन्य आपूर्ति और सेवाओं की व्यवस्था करने में सक्षम हों। मूल विचार यह है कि किसानों की उपभोग ऋण सहित सभी किस्म के ऋण प्रदान किए जाएं। सहकारी समितियों के संसाधनों को बढाने के लिए जमा राशि जुटाने के कार्य को भी महत्व दिया जाता है योजनाओं के तहत, कार्यालय भवन, गोदाम, स्ट्रांग-रूम और लोहे की अलमारी, रोकड़ काउन्टर, कर्मचारी उपलब्ध कराना, अतिदेयों का पुनर्स्थापन, विस्तार और प्रशिक्षण की प्रक्रिया

को सरल बनाना जैसे वस्तुगत सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। छोटे और सीमान्त किसानों, जो अत्यधिक ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, को अतिदेयों का पुनर्स्थापन करके नए ऋण प्रदान करने और उन्हें कूप पुनरुद्धारा जैसे निष्फल निवेशों की भरपाई करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए प्रस्ताव किए गए हैं। सहकारिता की दृष्टि से पूर्वोत्तर क्षेत्र के कमजोर राज्य में ऋण संरचना को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्यत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयोजित सहकारी समितियों को उनके निष्पादन में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सहकारी समितियों के शेयर सारिणी के लिए अनुदान और राजसहायता देने का प्रस्ताव है।

(घ) ये योजनाएं 1985-86 की वार्षिक योजना में शामिल की गई हैं।

एग्रो सेवा केन्द्र योजना

4741. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में एग्रो तकनीशियनों और इन्जीनीयरों को ग्रामीण विकास के लिए अच्छे केन्द्र उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए तकनीकी रूप से दक्ष युवकों को अन्य कार्यों में लगाने के लिए एग्रो सेवा केन्द्र योजना शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना में कितनी सफलता मिली है; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें इन का क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(ङ) तकनीकी रूप से शिक्षित कितने युवक अब ग्रामीण विकास में लगे हुए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इंजीनियरों और तकनीकी कार्मिकों को सेवाओं का उपयोग करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी सुविधाओं का लगातार विकास किया जा रहा है। कुछ तकनीशियन और इंजीनियर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्रों में कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार ने 1971-72 में कृषि सेवा केन्द्र योजना आरम्भ की थी। योजना का दोहरा उद्देश्य रोजगार पैदा करना और किसानों के लिए आदानों और तकनीकी सेवाओं की व्यवस्था करना था। यह योजना देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए 17 कृषि औद्योगिक निगमों के माध्यम से क्रियान्वित की गई यह योजना 1 अप्रैल, 1979 से राज्य क्षेत्र को स्थानांतरित कर दी गई थी। विभिन्न कृषि औद्योगिक निगमों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 13 मार्च 1981 तक कुल 3206 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किए गए थे।

(घ) यह योजना आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा पंजाब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्यों में राज्य कृषि औद्योगिक निगमों के माध्यम से क्रियान्वित की गई थी।

(ङ) इस योजना के तहत कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए 5534 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। यह योजना 1.4.79 को राज्य क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया। कृषि सेवा केन्द्र अपनी आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर लोगों की नौकरी पर रख रही है।

गोवा, दमन और द्वीव में मत्स्य नौकाओं का यंत्रीकरण करने के लिए राज-सहायता

4742. श्री डी० बी० पाटिल : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमन और द्वीव संघ राज्य क्षेत्र में मत्स्य नौकाओं के यंत्रीकरण के लिए ऋण और राजसहायता के रूप में कोई, प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितना ऋण और कितनी राजसहायता दी गई;

(ग) क्या धनराशि वितरित कर दी गई है यदि हां, तो कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) इस संघ राज्य क्षेत्र में मत्स्य नौकाओं के यंत्रीकरण के लिए ऋण की कुल मांग कितनी है;

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) गोवा, दमन तथा दीव सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है ।

गन्ना एवं लेवी चीनी के मूल्य का निर्धारण

4743. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गन्ने के मूल्य निर्धारित करने के बारे में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी करती है अथवा सलाह देती है और यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान क्या निर्देश दिये गये;

(ख) राज्यों में मूल्य किस तरह निर्धारित किये गये;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार 1984 85 के पूरे पिराई सत्र के लिये लेवी की चीनी के मूल्य निर्धारित करने का है और क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) गन्ने के मूल्य के स्तर को निर्धारित करने के बारे में राज्य सरकारों को निर्देश देने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है । केन्द्रीय सरकार गन्ने के केवल न्यूनतम सांविधिक मूल्य निर्धारित करती है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार को ऐसे पैरामीटरों की कोई जानकारी नहीं है जिनके आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य निर्धारित किए गए थे।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र में 1984-85 के मौसम के उत्पादन के लिए 31 जनवरी, 1985, 28 मार्च, 1985 और 25 अप्रैल, 1985 को लेवी चीनी विस्तृत निकासी मूल्य अधिसूचित किए हैं । ऊपर उल्लिखित प्रथम दो आदेशों की प्रतियां 18 मार्च, 1985 और 15 अप्रैल, 1985 को सभा के पटल पर भी रख दी गई हैं ।

गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान

4744. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार गन्ने की कीमतों में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को कोई राजसहायता/सहायता देती है और यदि हां, तो उसका क्या फार्मूला है;

(ख) क्या केन्द्रीय सहायता के बावजूद अभी भी पूरे देश में गन्ना उत्पादकों को देय बहुत बड़ी बकाया धनराशि का भुगतान किया जाना शेष पड़ा है और यदि हां, तो इसका गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार गन्ने की कीमत का भुगतान सीधे करने का प्रबंध करेगी जिससे बकाया राशि में वृद्धि न हो; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 मौसमों के दौरान गन्ने के मूल्य के भुगतान के बारे में तुलनात्मक स्थिति नीचे दी जाती है :—

(राशि रु०/करोड में)

मौसम	को स्थिति	गन्ने का देय कुल मूल्य	गन्ने का दिया गया मूल्य	शेष	कुल राशि के शेष की प्रतिशतता
1984-85	28.2.85	814.42	681.30	133.12	16.3
1983-84	29.2.84	738.78	548.08	190.70	25.8
1982-83	28.2.83	800.26	590.64	209.62	26.2

1982-83 और 1983-84 मौसमों को 28.2.85 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि क्रमश: 6.02 करोड़ रुपये और 9.92 करोड़ थी ।

(ग) और (घ) मिल, जिन्हें गन्ना बेचा जाता है, द्वारा उत्पादकों अथवा उनकी समितियों को पहले ही गन्ने के मूल्य का सीधे भुगतान किया जा रहा है । गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अनुसार, गन्ने की सुपुर्दगी के 14 दिनों के अन्दर गन्ने का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है । इस उपबंध को लागू करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जिनके पास आवश्यक फील्ड संगठन और अपेक्षित शक्तियां हैं ।

महाराष्ट्र में चीनी उद्योग के लिए लाइसेंस नीति को उदार बनाना

4745. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में काफी मात्रा में गन्ना पैदा करने वाले क्षेत्रों को लाइसेंस नीति में पाबन्दियों के कारण चीनी मिलें स्थापित करने के अवसर से वंचित रखा जा रहा है;

(ख) क्या चीनी मिल की स्थापना के साथ कृषि पर आधारित सम्बद्ध उद्योगों का विकास होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान पाबन्दियों पर पुनर्विचार करेगी और उन्हें उदार बनाएगी जिससे कि मिलें खोली जा सकेंगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, अब तक स्वीकृत की गई 60 नई परियोजनाओं में से, महाराष्ट्र को 22 नयी चीनी परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं । चीनी उद्योग में असंतुलित लाइसेंसिंग से बचने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा करना आवश्यक समझा गया था ताकि संतुलित अन्तर्राज्यीय और अन्तर क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित किया जा सके । चूंकि नई चीनी मिल स्थापित करने से वह एक

सशक्त विकास केन्द्र के रूप में काम करती है और औद्योगिक विकास और ग्रामीण जनता के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने में योगदान देती है इसलिये यह निर्णय किया गया था कि नये लाइसेंस देने का कार्य पिछड़े और ऐसे जिलों, जहां पर चीनी उद्योग नहीं हैं, तक सीमित रखा जाए और मौजूदा मिल की विस्तार क्षमता को 3500 टी०सी०डी० तक सीमित रखा जाए। तथापि, 3500 टी०सी०डी० से अधिक विस्तार करने की अनुमति तकनीकी आर्थिक तथ्यों के आधार पर ही देने की व्यवस्था थी ताकि कृषि औद्योगिक काम्पलैक्सों की स्थापना की जा सके। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त 30.9.1985 तक प्रभावी हैं।

(ग) समग्र चीनी उद्योग से संबंधित सातवीं योजना विचाराधीन है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के श्रेणी 'ग' के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

4746. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में श्रेणी 'ग' के कर्मचारियों का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां; तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करके श्रेणी 'ग' के कुछ कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं। तथापि, कभी-कभी प्रशासनिक कारणों से तथा अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण किए जाते हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठते।

देवनगर, नई दिल्ली 'ई' टाइप के क्वार्टर

4747. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवनगर, नई दिल्ली में स्थित 'ई' टाइप क्वार्टरों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा रहने के लिये खतरनाक घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ प्राधिकारी, जो 'ई' टाइप आवास के हकदार नहीं हैं, इन खतरनाक घोषित क्वार्टरों में बहुत से वर्षों से रह रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उन अधिकारियों को, जो मूल रूप से इस टाइप के क्वार्टरों के हकदार हैं, उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है;

(घ) क्या इस क्षेत्र के अनेक निवासियों ने अनधिकृत रूप से आंगन में कमरों का निर्माण कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन

4748. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में ऊंची पैदावार की किस्म के चावल की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण उत्पादकता स्तर में सराहनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में धान के औसत उत्पादकता में पाई गई भिन्नता की तुलना में उसी अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में धान की औसत उत्पादकता में कितनी भिन्नता रही है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त राज्यों में चावल के उत्पादन में क्या सुधार पाए गए हैं; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में चावल के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां। पश्चिम बंगाल में चावल की उत्पादकता 1979-80 के 1200 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 1983-84 में 1478 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो गई है। इसी अवधि के दौरान, चाल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत लाया गया क्षेत्र 16.50 लाख हैक्टर से बढ़कर 20.10 लाख हैक्टेयर तक पहुंच गया है।

(ग) तथा (घ) पश्चिम बंगाल तथा अन्य चुनिंदा राज्यों में गत पांच वर्षों के दौरान चावल के रूप में प्राप्त हुई धान की न्यूनतम तथा अधिकतम उत्पादकता और उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. फसल के तहत सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना,
2. अधिक उपज देने वाली किस्म तथा प्रमाणीकृत बीजों के उपयोग में वृद्धि की गई,
3. प्रतिरोपण फसल बढ़कर की नाजुक स्थिति में प्रभावी जल प्रबंध तथा पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
4. उर्वरकों का वर्धित उपयोग और सूक्ष्म पोषक तत्वों का आवश्यकता पर आधारित प्रयोग,
5. पौध संरक्षण संबंधी पर्याप्त उपाय,
6. समस्यागत क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास,
7. पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी राज्यों में चावल उत्पादन का विशेष कार्यक्रम शुरू करना,
8. मूल्य निर्धारण तथा अधिप्राप्ति संबंधी उपयुक्त नीतियां अपनाना।

विवरण

चुनिंदा राज्यों में चावल की न्यूनतम/अधिकतम उत्पादकता तथा उत्पादन-1979-80-1983-844

राज्य	उत्पादकता किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)		उत्पादन (लाख मीटरी टन)	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
पश्चिम बंगाल	1018	1478	49.5	79.4
आन्ध्र प्रदेश	1818	2109	63.1	85.7
उत्तर प्रदेश	505	1264	25.5	67.9
मध्य प्रदेश	383	970	18.2	47.4
पंजाब	2606	3144	30.4	45.4

डा० बी० आर० अम्बेडकर की जीवनी पर वृत्त चित्र

[हिन्दी]

4749. श्री लाला राम केन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन निदेशालय के पास समाज के कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के संबंध में डा० बी० आर० अम्बेडकर की जीवनी पर आधारित कितने वृत्त चित्र हैं;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान दूरदर्शन पर केन्द्र-वार कितनी बार ये वृत्त चित्र दिखाये गये हैं; और

(ग) डा० बी० आर० अम्बेडकर की जीवनी और योगदन पर आधारित कितने वृत्तचित्र निकट भविष्य में बनाने का विचार है और इनके प्रसारण की क्या व्यवस्था की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) और (ख) फिल्म प्रभाग की "डा० बाबा साहेब अम्बेडकर" नामक डाकुमेंट्री फिल्म को विभिन्न दूर- दर्शन केन्द्रों द्वारा 1-4-81 से 31-3-1985 तक की अवधि के दौरान सात बार टेलीकास्ट किया गया था।

समाज के कमजोर वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के बारे में डा० भीम राव अम्बेडकर के जीवन पर उक्त अवधि के दौरान विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा तैयार किए गए और टेलीकास्ट किए गए टी० वी० कार्यक्रमों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ग) दूरदर्शन का डा० बी० आर० अम्बेडकर के जीवन और उनके योगदानों पर 2 टी० वी० कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव है। फिल्म प्रभाग के वर्तमान निर्माण कार्यक्रम में भी इस विषय पर एक डाकुमेंट्री फिल्म शामिल है।

इण्डियन एसोसिएशन फार दि एडवांसमेंट आफ साइन्स द्वारा ग्रामीण विकास के लिए दिये गए सुझाव

[अनुवाद]

4750. श्री के० प्रधानी
श्री एम० सुब्बा रेड्डी } : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ऐसोशियन फार दि एडवांसमेंट आफ सांइस ने ग्रामीण विकास और गरीबी समाप्त करने के लिए कुछ उपाय करने के लिए सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन सुझावों के कार्यान्वयन के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं। सरकार को एसोसियोशन से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

'हुडको' द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान चलायी जाने वाली आवास परियोजनाएं

4751. श्री के० प्रधानी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) ने वर्ष 1985-86 के दौरान क्रियान्विति हेतु 97 नई परियोजनाएं मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त परियोजनाएं चलायी जायेंगी;

(ग) क्या ऐसी कोई नई परियोजना उड़ीसा के लिए भी मंजूर की गई है;

(घ) उक्त परियोजनाओं के पूरा होने के पश्चात् किस वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा; और

(ङ) उड़ीसा को उक्त परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 5-3-1985 को हुई निदेशकों के बोर्ड की 86 वीं बैठक में हुडको ने 97 नयी आवास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। ये सभी परियोजनायें वित्तीय वर्ष 1984-85 में स्वीकृति की गई थी।

(ख) ये परियोजनायें आंध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में हैं।

(ग) इन परियोजनाओं में तीन परियोजनायें उड़ीसा में हैं।

(घ) उड़ीसा की इन तीन परियोजनाओं से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग से संबंधित परिवारों को लाभ होगा।

(ङ) हुडको ने उड़ीसा की तीन परियोजनाओं के लिए 174.64 लाख रुपये की ऋण राशि स्वीकृति की है।

स्वतंत्रता-सेनानियों को मकानों का आवंटन

4752. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए मकानों/क्वार्टरों का कितना कोटा निर्धारित किया है;

(ख) क्या कुछ क्वाटर उन्हें आवंटित किए गए हैं; यदि हां, तो कितने; और

(ग) आवंटन के लिए कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सरकारी रिहायशी वास का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। प्रत्येक अनुरोध पर विचार गृह मन्त्रालय के परामर्श के गुणावगुण के आधार पर किया जाता है।

(ख) जी, हां। फिलहाल 20 स्वतन्त्रता सेनानी सरकारी क्वार्टरों के आबन्टी हैं। तीन और स्वतन्त्रता सेनानियों को आवंटन स्वीकृत किया गया है तथाउन्हें निकट भविष्य में क्वार्टर मिल जायेंगे।

(ग) 14 आवेदन लम्बित पड़े हैं। मामले प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों में हैं।

सीमेंट की बोरियों पर भारतीय मानक संस्थान के चिन्ह का दुरुपयोग

4752. डा० फूल रेणु गुहा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाजार में उपलब्ध सीमेंट की बोरियों पर भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्ह दुरुपयोग होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्ह के इस प्रकार दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार ने भारतीय मानक संस्थान के निरीक्षकों को पुलिस के संरक्षण में छापे मारने और भारतीय मानक संस्थान के चिन्ह वाली घटिया सीमेंट को पकड़ने का प्राधिकार दिया है/देने का विचार किया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जिन मामलों में शिकायतें सिद्ध हो गई वहां उस वस्तु को बिना पैसे लिए बदल दिया गया और संबंधित विनिर्माताओं को अपने उत्पाद की किस्म में सुधार लाने हेतु उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य किया गया और बाद में भारतीय मानक संस्था के निरीक्षकों द्वारा उसकी जांच की गई।

(ग) प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

विवरण

1 अप्रैल, 1984 से उपभोक्तओं से भारतीय मानक संस्था चिन्ह वाली घटिया किस्म की सीमेंट के बारे में प्राप्त शिकायतें

क्र०स०	शिकायतकर्ता का नाम	लाइसेन्सधारी	सम्बन्धित भारतीय मानक संस्था
1	2	3	4
1.	गोल्डन इण्डिया टाइल्स क० (प्रा०) लि०, चण्डीगढ़।	भूपेन्द्र सीमेंट वर्क्स सुराजपुर।	269-1976
2.	कार्यकारी अभियन्ता, नई दिल्ली	डायमण्ड सीमेंट, जिला दामाह	3535-1966
3.	कार्यकारी अभियन्ता, स्टोर डिवी, नं० 1, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली।	सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया, अकलतारा, (मध्य प्रदेश)	1489-1976
4.	—वही—	सी० सी० आई० लि०, रायपुर	455-1976
5.	ई० एस० टी० सी० लि०, अमृतसर।	जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई बाधोपुर	1489-1976
6.	पब्लिक हेल्ट वर्क्स, गवर्नमेंट पौलिक्लीनिक, अहमदाबाद।	उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर।	269-1976
7.	डिप्टी म्युनिसपिल कमीशनर, अहमदाबाद।	—वही—	269-1976
8.	(सीमेंट) एक्सेन. स्टोर डी० डी० ए०, दिल्ली	ए० सी० सी० लि०, लखेरी, सीमेंट फैक्टरी, राजस्थान।	1489-1976
9.	पंजाब सीमेंट कार्पोरेशन एस० ए० एस० नगर।	ए० सी० सी० लि०, सुराजपुर	1489-1976
10.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसेल्स लि०, विशाखापटनम	आंध्र सीमेंट कं० लि०, विशाखापटनम।	455-1976

1	2	3	4
11.	गैरीसन इन्जीनियर (प्रा०) लि०, बंगलौर	डालमिया सीमेंट (भारत) लि०, डालमियापुरम।	1489 1976
12.	दि कमाण्डर इंजीनियर (ए० एफ०), बंगलौर	—वही—	269-1976
13.	विजय राज एण्ड कं०, कोयम्बटूर।	वेन सीमेंट्स, बंगलौर	269-1976
14.	डा० प्रकाश ऑडी, बेनजुलिन, गोवा।	पान्याम सीमेंट्स माइनरल्स लि०, करनूल डिस्ट्रिक्ट	269-1976
15.	सहायक कार्यकारी अभियन्ता, कोट्टयाम	इण्डिया सीमेंट लिमिटेड मद्रास।	269-1976
16.	कार्यकारी अभियंता कोडनगलूर	ए० सी० सी० सीमेंट, मदुकरई।	269-1976
17.	मुख्य अभियन्ता, हैदराबाद।	आंध्र सीमेंट फैक्टरी, विजयवाड़ा।	269-1976
18.	एफकांस लि०, कलकत्ता।	दुर्गापुर सीमेंट वर्क।	आई एस 455-1976
19.	नेहा बिल्डर्स प्रा० लि०, बड़ौदा।	सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि०,	आई एस 269-1976
20.	गुजरात बिजली बोर्ड, बड़ौदा।	—वही—	आई एस : 269-1976
21.	उप कार्यकारी अभियंता धारोई स्टोर, धारोई कालोनी।	श्री दिगविजय सीमेंट कं० लि०, दिगविजयग्राम गुजरात।	आई एस : 1489-1976
22.	गुजरात बिजली बोर्ड	—वही—	आइ एस : 269-1976
23.	—वही—	ए०सी०सी०लि०, सेवालिया	आई एस : 269-1976
24.	—वही—	—वही —	आई एस : 269-1976
25.	—वही—	सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमीकल लि०, गुजरात।	आई एस : 269-1976
26.	कार्यकारी अभियंता, प्रोजेक्ट कंस्ट. डिवी. हिम्मतनगर।	श्री दिगविजय सीमेंट दिगविजयग्राम, गुजरात।	आई एस : 1489-1976
27.	उप कार्यकारी अभियंता, पोर्ट प्रोजेक्ट, सब डिवी. राजपिपला।	—वही—	आई एस : 1489-1976
28.	गुजरात बिजली बोर्ड, बड़ौदा	—वही—	आई एस : 269-1976
29.	—वही—	—वही—	आई एस : 1489-1976
30.	कार्यकारी अभियंता, सिंचाई परियोजना प्रभाग, बोदली।	—वही—	आई एस : 1489-1976

कागज उद्योग के लिए मजदूरी बोर्ड की स्थापना

4754. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज उद्योग के लिए किसी मजदूरी बोर्ड स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उसे कब स्थापित करने का है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कागज उद्योग के लिए मजदूरी बोर्ड की स्थापना का कोई भी प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

अखबारी कागज का आयात

4755. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज का आयात पूरा नहीं हो पा रहा;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने अखबारी कागज के आयात के लिए अधिक विदेशी मुद्रा की मांग की है;

(ग) क्या आवंटन किये जाने से इन्कार कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या देश के अखबारी कागज की कमी होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) मामले पर सरकार ध्यान दे रही है ।

उड़ीसा में पेयजल की भारी कमी

4756. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पेयजल का गम्भीर संकट है;

(ख) क्या प्रभावित गांवों की संख्या के बारे में केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या उड़ीसा ने केन्द्रीय सरकार को कोई परियोजना रिपोर्ट भेजी है जिसमें उस राज्य में इस समय विद्यमान सूखे की स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता मांगने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) सूखे की स्थिति के फलस्वरूप उड़ीसा के लगभग 1300 ग्रामों में पेयजल की कमी होने की सम्भावना है ।

(ग) निर्माण और आवास मंत्रालय में ऐसी कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । यूनिसेफ के माध्यम से विद्यमान रिगों के लिये ओडेक्स उपकरण प्राप्त करने में सहायता देने के लिये उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया ।

(घ) इस अनुरोध की सिफारिश संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से की गयी थी तथा वे उड़ीसा सरकार के लिये इन उपकरणों को प्राथमिकता के आधार पर खरीदने एवम् सप्लाई करने के लिये सहमत हो गये हैं ।

श्रमिकों की कठिनाइयों का अध्ययन करने हेतु एक त्रिपक्षीय समिति

4757. डा० जी० एस० राजहंस : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में तालाबन्दियों, रुग्णता और उनके बन्द होने के कारण श्रमिकों को होने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करने हेतु एक त्रिपक्षीय समिति का गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति कब तक गठित किये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) श्रमिकों और नियोजकों के संगठनों की 9 और 10 अप्रैल, 1985 को हुई बैठक में, उद्योग में रुग्णता और कामबन्दी द्वारा प्रभावित श्रमिकों की समस्याओं की जांच करने के लिए त्रिपक्षीय समिति गठित करने के सुझाव पर विचार-विमर्श किया गया था। सरकार द्वारा ऐसी समिति को गठित करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उचित दर दुकानों के कार्यकरण की समीक्षा

4758. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर . क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत वर्षों के दौरान देश में उचित दर दुकानों के कार्यकरण की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समीक्षा के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान इस प्रकार की कोई समीक्षा की जाएगी और उसकी संभावित तारीख क्या होगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेंद्र सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की निरंतर पुनरीक्षा एवं परिवीक्षा करती रहती है। ऐसी पुनरीक्षाओं का उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में उचित दर की दुकानें खोली जा चुकी हैं और क्या उपभोक्ताओं को उन उचित दर की दुकानों में, जहां से उन्हें राशन मिलता है, संतोषजनक सेवा मिलती है। ऐसी पुनरीक्षाओं के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गत 3 वर्षों के दौरान समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किये गये हैं कि वे उचित दर की दुकानों के कार्यकरण में, उनको की जाने वाली सप्लाई को सुव्यवस्थित करके, सुधार लायें। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निदेश जारी किये गये हैं कि उचित दर की दुकानों में किसी भी बहाने से आवश्यक वस्तुओं का "स्टाक न होने" की शिकायत का कोई कारण नहीं होना चाहिए। उनका ध्यान इस जरूरत की ओर भी आकर्षित किया गया है कि उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न खुले बाजार में भेजे जाने या उनके स्थान पर घटिया खाद्यान्न रख देने के मामलों को नियमित निरीक्षणों तथा कड़े पर्यवेक्षण के माध्यम से रोका जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसका एक आवश्यक पहलू यह है कि उचित दर की दुकानें ठीक तरह से कार्य करें, के कार्य की भी समय-समय पर सार्वजनिक वितरण संबंधी परामर्शदात्री परिषद् की बैठक में पुनरीक्षा की जाती है। यह बैठक केन्द्रीय खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में होती है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नागरिक आपूर्ति मंत्री इसके सदस्य होते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी चार बैठकें 19 मई, 1983, 7 नवंबर, 1983, 26 मई,

1984 और 29 मार्च, 1985 को आयोजित की जा चुकी हैं। चूंकि उचित दर की दुकानों के कार्यकरण सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य की पुनरीक्षा निरंतर की जाती है, अतः वर्ष 1985-86 के दौरान विशेष पुनरीक्षा बैठक आयोजित करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

प्रधान मंत्री के लिये स्थायी निवास

4759. श्री अमर राय प्रधान : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी तक भारत के प्रधान मंत्री के लिए कोई स्थायी निवास नहीं बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रधान मंत्री के निवास को भारत के सभी भावी प्रधान मंत्रियों के लिए स्थायी वर्तमान निवास माना जाएगा; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री के दखल के वर्तमान वास को प्रधान मंत्री का स्थाई वास बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस आशय के सुझाव प्राप्त हुए हैं कि प्रधान मंत्री के लिए उपयुक्त वास का निर्माण किया जाना चाहिये। इन सुझावों पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

काली मिर्च की बेलों को प्रभावित करने वाली बीमारियां

4760. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च की बेलों को प्रभावित करने वाली मुख्य बीमारियों के क्या नाम हैं, जिनके कारण बेलें नष्ट हो गई हैं;

(ख) उपरोक्त बीमारियों के कारण कितने प्रतिशत बेलें नष्ट हो गई हैं;

(ग) इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तुरन्त मुरझान तथा मंद मुरझान काली मिर्च की आम बीमारियां हैं।

(ख) इन बीमारियों के कारण होने वाली क्षति विभिन्न स्थानों तथा मौसमों में अलग-अलग होती है।

(ग) तुरन्त मुरझान रोग के लिए उत्पादकों को रोग-रोधी उपाय अपनाने की सलाह दी गई है, जिसमें बेला पर छिड़काव और एक प्रतिशत बोर्डिओक्स मिश्रण के साथ दवा से सराबोर करके बोर्डिओक्स पेस्ट से तने पर एक मीटर तक लेप करना शामिल है। मंद मुरझान के मामले में रसायनिक दवा के प्रयोग से गोल कृमियों को नियंत्रित किया जा सकता है।

(घ) नियंत्रण के लिए अपनाए गए उपायों से इन बीमारियों के प्रकोप तथा तीव्रता की रोक थाम करने में मदद मिली है।

काली मिर्च उत्पादकों द्वारा वैज्ञानिक कृषि को अपनाना

4761. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि और ग्रामीण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च के छोटे उत्पादकों को वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने योग्य बनाने के लिए कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) केरल कृषि विकास परियोजना में कन्नानौर, वाइनाड, कोजीकोडे, कोट्टायम और इडुकी जिलों में 19500 हैक्टार क्षेत्र में काली मिर्च के बागानों की पुनर्स्थापना की व्यवस्था है। इस परियोजना में 50 प्रतिशत बेलों के स्थान पर बेहतर रोपण सामग्री लगाने, खेती की वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने और ऋण समर्थन की व्यवस्था है।

केरल कृषि विश्वविद्यालय, द्वारा क्रियान्वित की गई योजनाओं के अलावा त्रिचूर और कोंकन कृषि विद्यापीठ, दपोली और गोवा और अन्दमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में संकर काली मिर्च की प्रजाति बागानों के रख-रखाव और उससे रोपणी सामग्री का उत्पादन करने की व्यवस्था है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के राज्य कृषि/बागवानी विभागों ने भी रोपण सामग्री के उत्पादन के लिये प्रजाति बागानों की स्थापना की है।

(ग) 16736 हैक्टार क्षेत्र की पुनर्स्थापना की गई है जिसमें केरल में 18530 जोतें अंतर्निहित हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और अन्दमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में उत्पादकों को प्रति वर्ष संकर काली मिर्च पानीयू—1 और अधिक उपज देने वाली किस्मों की काली मिर्च की लगभग बीस लाख कलमें वितरित की जाती हैं।

कोचीन बन्दरगाह और शिपयार्ड के आस पास समुद्री उत्पादों पर आधारित औद्योगिक समूह

4762. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कोचीन बन्दरगाह और शिपयार्ड के पास समुद्री उत्पादों पर आधारित औद्योगिक काम्पलैक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसा कोई काम्पलैक्स स्थापित करने का विचार करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) इस बारे में कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मत्स्य पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोचीन मत्स्यन क्षेत्र में दस एकड़ भूमि क्षेत्र को उचित प्लाटों में बांटकर एक सीमित क्षेत्र की व्यवस्था की गई है।

गुजरात में चीनी के कारखाने

4763. श्री मोहन भाई पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में चीनी के कितने कारखाने चल रहे हैं; और उनमें से सौराष्ट्र क्षेत्र में कितने हैं;

(ख) क्या गुजरात में चीनी के और कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां तो कितने; और

(घ) सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले चीनी कारखानों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थापित किये जायेंगे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) गुजरात की 15 स्थापित चीनी फैक्ट्रियों में से, 12 फैक्ट्रियों ने चीनी वर्ष 1984-85 के दौरान कार्य किया, जिनमें से 4 फैक्ट्रियां सौराष्ट्र क्षेत्र में हैं।

(ख) से (घ) गुजरात में नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए कोई आवेदन-पत्र विचाराधं सम्बित नहीं पड़ा हुआ है। जब कभी कोई आवेदन-पत्र प्राप्त होगा, उस पर उस समय लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाएगा।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबको बुलाऊंगा। कृपया बैठ जाइए। मैं आप सबको बारी-बारी से अवसर दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय शपथ वाली मद ली जानी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें भी बुलाऊंगा। किन्तु पहले मैं इस काम को समाप्त करना चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : शपथ मुझे नहीं लेनी है मैं तो शपथ ले चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आप रोज शपथ ले सकते हैं—इसमें कोई बुराई नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय पिछले कुछ दिनों से हम दिल्ली क्लाथ मिल के प्रबन्धकों द्वारा मिल बन्द करने के नोटिस के सम्बन्ध में चर्चा करवाने की मांग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, यह सूचना मुझे प्राप्त हुई है और मैंने आपको बताया है कि मैं इस पर विचार करूंगा·····

श्री बसुदेव आचार्य : 10,000 कर्मचारियों की छंटनी हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सूचना प्राप्त हुई है, मैं इस पर विचार करूंगा। मैंने माननीय सदस्य को भी सूचित किया है। जब वह मुझे इस सम्बन्ध में लिखते हैं तो मैं भी उसके बारे में उनको लिख सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह एक अत्यत गंभीर समस्या है महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा मैं इस पर विचार करूंगा और जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (बसीरहाट) : महोदय इस सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विषय पर हमारे द्वारा प्रश्नों की जो सूचनाएं दी जा रही हैं उन्हें यह कहकर लौटाया जा रहा है कि यह विषय दिल्ली प्रशासन से संबद्ध है इसलिए स्वीकार्य नहीं है। इस तरह का उत्तर हमें दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस की जांच करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि इसी प्रकार की आपत्ति उठाई जाए तो आप ध्यानार्थण प्रस्ताव किस प्रकार स्वीकार करते हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा, कृपया बैठ जाइए। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। कृपया एक-एक करके बोलिए।

श्री के० आर० नटराजन (दिन्डिगुल) : उपाध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों के जरिए मुझे पता चला है कि आनन्दपुर प्रस्ताव सरकारिया आयोग को सौंपा गया है। मुझे प्रस्ताव के ब्यौरों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को उक्त प्रस्ताव सभा पटल पर रखने के निदेश दें।

एक माननीय सदस्य, महोदय आप इसे सभी सदस्यों में परिचालित करवा दें।

श्री जार्ज जोसेफ मुंडाकल (मुवत्तुपूजा) : महोदय शनिवार 27 तारीख को बिना कोई पूर्व सूचना दिए बैंक ऑफ कोचीन के लेन-देन कार्य पर रोक लगा दी गई। इससे केरल के लोगों में आतंक फैल गया है। वे अन्य बैंकों से भी पैसा निकाल रहे हैं। यह बैंक एक अल्पसंख्यक समुदाय का है। इसमें अधिक शेयर अल्प संख्यक समुदाय के हैं। उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया है। तीन वर्ष पूर्व दशा·····

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुंडाकल आप नोटिस दीजिए मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : मैंने नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। श्री माकन आप क्या कहना चाहते हैं। कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय मैं दिल्ली क्लाथ मिल बन्द किए जाने के सम्बंधी मामले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं बता चुका हूं·····

श्री ललित माकन : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह मामला पांच बार उठा चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां आपने इसे उठाया है। मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री ललित माकन : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। पिछले सप्ताह भी जब मैंने यह मामला उठाया था तो आपने कहा था कि दिल्ली प्रशासन ने मिल बन्द करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं होती। समस्या निर्माण और आवास मंत्रालय से भी सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं माकन जी, उस दिन मंत्री महोदय ने आपको उत्तर देते हुए कहा था कि वह मिल बन्द करने की अनुमति नहीं देंगे। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री ललित माकन : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं पिछले दो महीनों से इसे उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माकन आप अपनी बात कह चुके हैं और मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है।

श्री ललित माकन : यह 25,000 परिवारों की जिन्दगी का सवाल है। आपको मेरी बात सुननी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन चुका हूं। बस काफी हो चुका। आप नहीं मानेंगे तो कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात काफी देर तक सुन चुका हूं कृपया अब बैठ जाइए।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ललित माकन : कृपया एक मिनट के लिए ही मेरी बात धैर्य पूर्वक सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात अच्छी तरह सुनी है। मैं जानता हूं समस्या क्या है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सब कुछ सुना है अब काफी हो चुका। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके अनुरोध पर विचार कर चुका हूं। कृपया बैठ जाइए। आप मेरे कक्ष में आइए मैं इस पर आगे बातचीत करूंगा। आप मेरे कक्ष में आइए मैं इस पर आपके साथ चर्चा करूंगा।

श्री ललित माकन : मैं आपके कक्ष में भी गया था।

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : महोदय आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार कर चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कृपया बैठ जाइए, मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विचार करूंगा। कृपया बैठ जाइए। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप जो कुछ भी बोलेंगे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब श्री सोमनाथ

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर नहीं देना चाहता। काफी हो गया। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं। आप बोलते क्यों जा रहे है। मैंने कह दिया है कि मैं इस पर विचार करूंगा। बस।

श्री ललित माकन : आपने इस पर विचार नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं और मैं बस यही कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं, और यह मैंने उन्हें बता दिया है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय यह मिल देश के बड़े उद्योगों में से है और वह लाखों कर्मचारियों की छंटनी करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बता चुका हूं कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

श्री भागवत झा आजाद : आपको उनकी बात सुननी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात सुन चुका हूं।

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बता दिया है । वह मुझसे मिले थे और इस बारे में बातचीत की थी ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनके अनुरोध पर विचार कर रहा हूं । आप इस तरह बीच में क्यों खलल डाल रहे हैं । मैं आपको बता चुका हूं कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं । कई और विषय भी हैं जिन्हें प्राथमिकता देनी है ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : क्या पिछले सात दिनों से यह विचाराधीन ही है ?

प्रो० मधु दण्डवते(राजापुर) : यदि सदन के दोनों पक्षों की इच्छा इस पर शीघ्र चर्चा करने की है तो आप इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को कल ले सकते हैं । (व्यवधान) सौभाग्यवश, समूचा सदन इसके लिए अनुरोध कर रहा है । मेरे विचार में सभा की राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बता चुका हूं कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं ।

श्री बसुदेव आचार्य : इसे कल लिया जाए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें दिल्ली क्लाथ मिल बन्द करने सम्बंधी मामले पर यहां विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है । हमें भी इस मामले में उतनी ही चिंता है जितनी और किसी को । आप निर्णय लें । हमें इस पर चर्चा कराने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि व्यवधानों के दौरान यदि अध्यक्ष पीठ पर/** कोई आरोप लगाया गया है तो उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए, लेकिन आप मामले पर विचार कीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । मैं ऐसे आरोप लगाने की अनुमति नहीं दे सकता । किसी भी सदस्य द्वारा अध्यक्ष पीठ के प्रति आरोप लगाना सरासर अनुचित है ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । यह अनुचित है ।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उड़ीसा के गंजम तथा अन्य जिलों में पेय जल की अत्यधिक कमी है । लोग पानी की तलाश में एक के बाद दूसरा गांव छोड़ रहे हैं । मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है । कृपया इसे स्वीकार कीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : उड़ीसा से एक दर्दनाक खबर मिली है कि वहां 50 बच्चे पेचिश के कारण मर गए हैं । यह बहुत खेद की बात है कि कुछ मित्र यहां इसे गंभीरता से नहीं

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

ले रहे। यही नहीं सैकड़ों बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। यह एक संक्रामक रोग है और यह पड़ौसी राज्यों में भी फैल सकता है। वास्तव में यह समवर्ती सूची की प्रविष्टि 29 के अन्तर्गत आता है। मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस संबंध में वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री अजीज सेठ (धारवाड़ दक्षिण) : महोदय, उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक निर्णय के संबंध में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है मैं आप से अनुरोध करता हूं कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर शीघ्र चर्चा कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मुझे आधे मिनट का समय दीजिए मेरी बात सुनिए। मेरे विचार में सभी सदस्य और आप भी इस मुद्दे से जो मैं उठा रहा हूं पूर्णतया सहमत होंगे।

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं कक्षा के लिए नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें भारतीय संसद को सरकार के एक विभाग के रूप में बताया गया है और जब हमने इस सम्बन्ध में उन्हें लिखा तो उन्होंने कहा "आप अदालत में जा सकते हैं परन्तु हम पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन नहीं करेंगे।" उन्होंने जानबूझ कर हमारी संस्था का अपमान किया है। अगर हमारे बच्चे ऐसी पाठ्य पुस्तकें पढ़ेंगे तो यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उस प्रस्ताव को आगे भेज दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करें। क्या यह आपके विचाराधीन है?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : आपकी बड़ी कृपा है। धन्यवाद

12.11 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत अधिसूचनायें, उर्वरक (दुलाई नियंत्रण) संशोधन आदेश 1985, जम्मू एंड काश्मीर हार्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्किटिंग एंड प्रोसैसिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड, इत्यादि की वार्षिक रिपोर्ट और उनके कार्यकरण की समीक्षा

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 21 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) नियम, 1984, जो 12 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 716(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नारियल विकास बोर्ड भर्ती (संशोधन) विनियम, 1984, जो 6 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1042 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड भर्ती (तीसरा संशोधन) विनियम, 1984, जो 5 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 10 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 797/85]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत उर्वरक (ढुलाई नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 9 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 351(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 798/85]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जम्मू एण्ड काश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसैसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर, के वर्ष 1978-79 और 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एण्ड काश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसैसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर, का वर्ष 1978-79 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक— महालेखापरीक्षक की तत्संबन्धी टिप्पणियां।

(तीन) जम्मू एण्ड काश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसैसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर, का वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की तत्सम्बन्धी टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी, संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 799/85]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्नाटक काजू विकास निगम समिति, मंगलौर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम समिति, मंगलौर, के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की तत्संबंधी टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 800/85]

(7) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास, संस्थान, हैदराबाद, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथागार में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 801/85]

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : मैं समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 702/85]

श्रम मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : मैं श्रम मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 803/85]

महासागर विकास, इलैक्ट्रानिक्स और परमाणु ऊर्जा विभागों की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें।

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) महासागर विकास विभाग की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 804/85]

(2) इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 805/85]

(3) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 806/85]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री काकाडे संभाजीराव साहेब राव (बारामती)

12.14 म०प०

अविलंबनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

आवश्यक तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"आवश्यक तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति तथा इसके बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है। आप इस पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की अनुमती दें..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस समय इसकी अनुमति नहीं दे सकता। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है मंत्री महोदय उत्तर दें।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : वर्ष 1984-85 में समग्र मूल्य स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मार्च, 1984 के 9.2 प्रतिशत की तुलना में मार्च, 1935 में घटकर 5.8 प्रतिशत हो गई है। 1984-85 के दौरान मूल्य स्थिति की एक उल्लेखनीय विशेषता यह रही है कि मूल्यों में मन्दी रही तथा कई आवश्यक वस्तुएं, जिसमें अनाज, तेल तथा सब्जियां शामिल हैं, आसानी से मिलती रहीं। माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि वास्तव में यह एक प्रशंसनीय बात है कि मार्च, 1985 को समाप्त पिछले दो वर्षों में अनाज के थोक मूल्य सूचकांक में 6.6 प्रतिशत गिरावट आई। तथापि, 1984-85 के दौरान कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

2. 1985-86 के आम बजट को प्रस्तुत करने के बाद से 13 अप्रैल, 1985 को समाप्त चार सप्ताहों का थोक मूल्य सूचकांक उपलब्ध है। इन चार सप्ताहों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि अधिकांशत: कुछ वस्तुओं पर बजट में लगाई गई लेवी अथवा उनके निदेशित मूल्यों में की गई वृद्धि के कारण हुई है। बाकी वस्तुओं के मामले में एक मिश्रित रुख रहा है। कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं के मूल्यों में कमी आई है।

3. सरकार, उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं सुलभ कराने के कार्य को बहुत अधिक महत्व देती है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की परिवीक्षा कर रही है। सरकारी नीति में मुख्य बल आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर जिसकी आपूर्ति कम है, का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जा रहा है। अपनी घरेलू आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को विनियमित किया जाता है। देश के भीतर आपूर्ति बढ़ाने के लिए कुछ वस्तुओं का आयात किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विचार किया जा रहा है और इसके प्रबंध से सुधार लाया जा रहा है, ताकि लोगों, विशेषकर समाज के वर्गों को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराई जा सके। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के कानूनों को लागू कर रही हैं। आम बजट के प्रस्तुत किये जाने के बाद केन्द्रीय सरकार ने सरकारों को सलाह दी है कि वे मुनाफाखोरी, जमाखोरी तथा चोरबाजारी करने वाले दोषी व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

4. सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए निरन्तर निगरानी रखे हुए है और देश के प्रत्येक भाग में वे उपलब्ध हो सकें यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सफलता के लिए जनता का जागरुक होना तथा उनका सहयोग मिलना आवश्यक है।

[हिंदी]

श्री जैनुल बशर : उपाध्यक्ष जी, मैंने अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वित्त मन्त्री जी को सम्बोधित किया था क्योंकि जो कीमतें बढ़ रही हैं उनका ज्यादा ताल्लुक वित्त मन्त्रालय से है और उसका थोड़ा ताल्लुक खाद्य और आपूर्ति मन्त्रालय से है । अपने बयान में मन्त्री जी ने यह माना है जो कि 1985-86 का जो बजट आया था, वह एक बड़ा कारण है कीमतों के बढ़ने का । बजट के दौरान मैंने और मेरे बहुत से साथी सम्माननीय सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि बजट से कीमतें काफी बढ़ेंगी और इसके विपरीत अनेकों तर्क किए जाने के बावजूद आज हम देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं । मन्त्री जी ने आंकड़ा दिया है 13 अप्रैल, 1985 को समाप्त चार सप्ताहों का थोक मूल्य सूचकांक जिसमें उन्होंने माना है कि 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । थोक मूल्यों में क्या वृद्धि हुई है—उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है लेकिन खुले बाजार में जो चीजें मिल रही हैं उसकी बात मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बता सकता हूं । आम तौर से बजट आने के बाद शहरों में खुले बाजार में कीमतें 15 प्रतिशत और गांवों में 30 के लगभग वृद्धि हुई है खाद्यान्नों में तो कीमतें कम बढ़ी हैं लेकिन चीनी, खाद्य तेल, दालों, सब्जियों और मसालों की कीमतें लोग गहराई से महसूस कर रहे हैं । गहराई के साथ लोगों पर इसका असर पड़ रहा है । मिट्टी के तेल की कीमत तो आसमान छू रही है । उत्तर प्रदेश में जहां से मैं आता हूं, मैं अपने क्षेत्र में कल गया था । वहां पर मिट्टी का तेल जबकि उसकी निर्धारित कीमत 2.45 रु० लिटर है, वह 6 रु०, 6-50 रु० और कहीं-कहीं पर पौने छः रुपए तक बिक रहा है । मैं अभी समाचार पत्रों को देख रहा था, तो पश्चिम बंगाल और बिहार में 7 रु० लिटर तक मिट्टी का तेल बिक रहा है । डीजल में जो मूल्य वृद्धि हुई है, उससे परिवहन के खर्चों में भी वृद्धि हो रही है । ट्रकों में माल ढोने के भाड़े में वृद्धि हो रही है । बसों के किराए बढ़ रहे हैं । स्कूटर और टैक्सियों के किराए पर भी इसका असर पड़ रहा है । इस प्रकार मालभाड़े और सवारी भाड़े में भी वृद्धि होने से लोगों को काफी कष्ट हो रहा है तथा काफी परेशानी हो रही है । ट्यूबों तथा टायरों के दामों में भी लगभग दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कुछ सूचना मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं । सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के जो आंकड़े मैंने एकत्र किए हैं; खास कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में, उनके बारे में मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं । जलावन लकड़ी जो बजट से पहले 16 रु० मन थी, अब वह 30 रु० मन बिकरही है । मिट्टी का तेल पहले 2.45 रु० था, अब 3.50 रु० से 4.00 रु० तक बिक रहा है । डालडा एक डिब्बे के दाम 265 रु० था, जो अब 315 रु० या इससे भी अधिक कीमत पर बिक रहा है । चीनी जो कि खुले बाजार में 5.50 रु० प्रति किलो बिक रहा था, अब वह 7.00 रु० प्रति किलो तक बिक रहा है । मिर्च जो पहले 13 रु० प्रति किलो थी, अब वह 24 रु० प्रति किलो बिक रही है । नमक, जो कि रोजाना की एक एसेंशियल कामोडिटी है, उसकी कीमत 0.50 रु० प्रति किलो से अब 0·75 रु० प्रति किलो तक पहुंच गई है । हमारे तरफ और देश के विभिन्न भागों में भी पान जो बड़े चाव से खाते हैं और उसके बिना नहीं रह सकते हैं, बनारस के लोग तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं तथा जो पहले 25 पैं० का बीड़ा मिलता था, अब वह 30 पैं० और कहीं पर 50 पैं० का बीड़ा बिक रहा है । चना 3 रु० प्रति किलो से 4 रु० प्रति किलो, अरहर की दाल 5.50 रु० प्रति

किलो से 6.50 रु० प्रति किलो, मोटा चावल 2.50 रु० प्रति किलो से 3.00 रु० प्रति किलो, गोश्त 18 रु० प्रति किलो से 24 रु० प्रति किलो बिक रहा है। मैंने दिल्ली के बारे में भी कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं, वे भी मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। आलू 1.00 रु० से 1.25 रु०, प्याज 1.50 रु० से 2.00 रु०, लौकी 1.50 रु० से 2.00 रु०, बैंगन 1.50 से 2.00 रु०; गोभी 2.00 रु० से 5.00 रु०, कटहल 4.00 रु० से 6.00 रु०, हरी मिर्च 4.00 रु० से 8.00 रु० घूईया 4.00 रु० से 5.00 रु० प्रति किलो की कीमत बढ़ गई है। इस प्रकार चावल और गेहूं में कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन दालों में कीमत बढ गई है। चना 6.00 रु० से 6.50 रु०, अरहर की दाल 5.50 रु० से 6.00 रु०, मूंग की दाल 7.00 रु० से 8.00 रु०, उर्द की दाल 8.00 रु० से 9.00 रु०, चना की दाल 6.00 रु० से 6.50 रु०, चीनी खुले बाजार में 5.00 रु० से 5.50 रु० बिकने वाली चीनी अब 6.00 रु० से लेकर 6.50 रु०, तेल सरसों 14.00 रु० से 15.00 रु०, देशी घी के दाम घटे हैं 50.00 रु० से 45 रु०, डालडा घी 16.15 से 17.10 रु० लाल मिर्च 20.00 रु० 25.00 रु०, हल्दी 20.00 रु० से 22.00 रु०, जीरा 15.00 रु० से 20.00 रु० प्रति किलो के दाम बढ़ गए हैं। इसी प्रकार साबुन-लाइफबॉय और सनलाइट-जो कि नहाने और कपड़े धोने के काम में आते हैं उनकी कीमत भी बढ़ गई है। सनलाईट साबुन 2.25 रु० से 2.50 रु० और लाइफबाय 2.50 रु० से 2.65 रु० एक टिकिया के दाम बढ़ गए हैं। इस प्रकार ये जो एसेन्शियल कमाडिटीज हैं, इन की कीमतें बराबर बढ़ रही है। इस्पात की छड़ और लोहे की चादरों के दामों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सीमेंट के मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सीमेंट जो बजट के पहले 62-64 रुपया बोरा बिकता था, अब 70 रुपये और कहीं-कहीं उससे भी अधिक दाम पर मिल रहा है। नहाने का साबुन, टूथ पेस्ट, कपड़े धोने का पाउडर, सभी कुछ मंहगा है। खास कर जो सौन्दर्य सामग्री है, जो पैट्रोलियम पर आधारित है उन की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्रों में, मैंने अभी बतलाया है, कीमतें 15 प्रतिशत बढ़ी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जहां कम्यूनिकेशन के साधन विकसित नहीं हुए हैं, वहां तो 50 प्रतिशत कीमतें बढ़ गई होंगी। इतना खर्च बढ़ जाने से, सब से ज्यादा असर गरीबी पर पड़ता है। बड़े लोग तो शायद मंहगाई के इस बोझ को बरदाश्त कर लें, क्योंकि वे सक्षम हैं, लेकिन उन की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ी हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, एअर-कण्डीशनर के दाम बढ़े हैं, जिन को विलासता की चीजें कहा जाता है। लेकिन एसेन्शियल कमाडिटीज के दाम बढ़ने का बोझ गरीब आदमियों पर पड़ा है और समझता हूं कि पिछले दो वर्षों में गरीबी की रेखा से जितने लोगों को हमने ऊपर उठाया है उनमें से अधिकतर फिर गरीबी की रेखा के नीचे चले गये हैं, क्योंकि गरीबी की रेखा जो निर्धारित की गई थी, उसका कीमतों का आधार बहुत पुराना है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले या ऊपर रहने वालों का मानकह—62 रुपये कुछ पैसे, जो इस मूल्य वृद्धि से काफी नीचे चले गये हैं। अब गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और जैसा मन्त्री जी ने कहा है, ठीक कहा है कि ये दाम बजट के बाद बढ़े हैं। बजट के पहले कीमतें स्टेबिलाइज्ड थीं, बल्कि कहीं-कहीं तो गिर रही थीं। मेरे पास कुछ पेपर्स की कटिंग्ज हैं-फाइनेंशियल टाइम्ज-16 अक्तूबर, 1984 का लिखता है—

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में और गिरावट

[हिन्दी]

उस के बाद 17 अक्तूबर का अखबार है।

[अनुवाद]

मूल्यों में निरन्तर मौसमी कमी

[हिन्दी]

उस के बाद 27 अक्तूबर का अखबार है।

[अनुवाद]

मूल्यों में मन्दी

[हिन्दी]

उसके बाद 2 दिसम्बर का अखबार है

[अनुवाद]

मूल्यों में निरन्तर गिरावट की प्रवृत्ति

[हिन्दी]

1984-85 में कीमतें स्टेबिलाइज्ड थी और कहीं-कहीं पर गिर रही थी, कम हो रही थीं, लेकिन इस बजट के आने के बाद से—

[अनुवाद]

किसी भी बजट के बाद की अवधि में यह अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि है।

[हिन्दी]

किसी भी बजट के आने के बाद इतनी अभूतपूर्व कीमतें कभी नहीं बढ़ी, जितनी की इस-बजट के बाद बढ़ी हैं।

उपाध्यक्ष जी, एक बात और है—जितनी कीमतें बजट के कारण बढ़नी चाहियें थीं, उनसे बहुत अधिक बढ़ी हैं। यहां पर फूड तथा सिविल सप्लाईज मिनिस्टर साहब का काम आता है। बजट से अगर किसी चीज की कीमत 5 परसेन्ट बढ़नी चाहिये, 7 परसेन्ट बढ़नी चाहिये, या 10 परसेन्ट बढ़नी चाहिए, 10-15 और 20 परसेन्ट बढ़ी हैं और मंत्री महोदय इस बढ़ोत्तरी को रोक नहीं पाये हैं। इन को कैसे रोका जाय, किस तरह से इन में सुधार किया जाय यह हमारे खाद्य और आपूर्ति मन्त्री जी का काम है।

उपाध्यक्ष जी, जहां तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात है, मैं जानता हूं अभी अपने जवाब में मंत्री जी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कथा का गुणगान करेंगे क्योंकि उन को जो फिगर्स राज्य सरकारों या उन के अपने अधिकारियों के माध्यम से मिलती हैं, वे उन्हीं के आधार पर उत्तर देंगे। लेकिन जिस तरह से में चुन कर आया हूं, उसी तरह मंत्री जी भी चुन कर आये होंगे, उन को भी चुनाव लड़ना पड़ा होगा और वे अपने क्षेत्र में जाते भी होंगे और वहां उन्होंने देखा भी होगा कि उन का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गांवों में किस प्रकार से काम कर रहा है। किस प्रकार से गांवों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मजाक हो रहा है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानें चलाई जाती हैं और चार चार और पांच पांच महीने तक उन दुकानों पर गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल नहीं होता। होली बीत गई, ईद बीत गई लेकिन वहां पर किसी को कुछ नहीं मिला। केवल कुछ शहरों में ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कुछ अच्छा है लेकिन देश के और भागों से पब्लिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक होने की खबर नहीं मिलती। इस के लिए आप क्या सोच रहे हैं। आप राज्य सरकारों के लिए कह देते हैं कि राज्य सरकारें इस को कर रही हैं लेकिन राज्य सरकारें संतोषजनक ढंग से काम नहीं करती

हैं। पिछले दिनों मैंने पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब से मिट्टी के तेल के बारे में बात की, तो उन्होंने यह सूचना दी कि उत्तर प्रदेश की सरकर ने जितना मिट्टी का तेल मांगा था, उतना उन्होंने दे दिया, जितनी उन की आवश्यकता थी, उतना उस को दे दिया। पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने तो उन को मिटटी का तेल दे दिया लेकिन यह काम उत्तर प्रदेश सरकार का है कि किस जिले में और किस गांव में वह कितना वितरण करती है।···(व्यवधान)···केन्द्रीय सरकार गेहूं दे देती है, चावल दे देती है, चीनी दे देती है, मिट्टी का तेल दे देती है और दूसरी आवश्यक चीजें दे देती हैं लेकिन वह जिन लोगों के लिए भेजा जाता है उन को ठीक प्रकार से नहीं मिलता। तो मैं खास कर मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सुधार कैसे करेंगे। राज्य सरकारों पर आप छोड़ देंगे, तो काम नहीं बनेगा। आप अपने स्तर पर इस में कैसे सुधार करेंगे, यह आप हमें बताएं। बहुत दिनों से एक मांग इस देश में उठ रही है, इस माननीय सदन में उठ रही है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आदर्श बनाया जाए और एक ऐसा नमूना बनाया जाए, जिस को पूरे देश में लागू किया जाए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों से एसेंशल कोमोडिटीज सभी लोगों को मिल सके और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी उचित मूल्य पर चीजें इन दुकानों से मिल सकें। मैं सब से पहला सवाल मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैसा बनाना चाहते हैं।

फूड एण्ड सिविल सप्लाइज मिनिस्ट्री की जो बहस हो रही थी, उस में मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि राज्य सरकारें ठीक से काम कर रही हैं, ठीक से इन चीजों का बटवारा कर रही हैं। अगर उस तरह का जवाब आज भी मंत्री जी देंगे, तो फिर यह कालिंग एटेंशन मोशन लाने का मकसद ही बेकार हो जाएगा। कीमतें बढ़ी हैं और कीमतें बढ़ने का ट्रेंड है और ऐसा मालूम पड़ता है कि कई वर्षों तक बढ़ती हुई कीमतों का मुकाबला करना पड़ेगा। एक विकासशील देश में, एक डेवलपिंग कन्ट्री में कीमतें बढ़ती रहती हैं और कीमतें बढ़ने का ट्रेंड चलता है, यह जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, वे जानते हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कैसे वेटर मेनजमेंट के जरिये, अच्छे प्रशासन के जरिये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करेंगे।

दूसरी बात यह है कि ब्लैक मार्केटिंग, प्रोफिटियरिंग और होर्डिंग जो ऐसेंशल कोमोडिटीज की होती है, उस की कलई उसी दिन खुल गई जब आप जवाब दे रहे थे और बहुत से मेम्बरों ने इस सवाल को उठाया था। 2 लाख 68 हजार केसेज पकड़े गये और 17 हजार केसेज कोर्ट में गये और कंविक्शन हुआ केवल 700 केसेज में। 2 लाख 62 हजार रेडस हुए और सेम्पल इकट्ठा किये गये और केवल 700 केसेज में कविक्शन हुआ। तो इस से क्या आशा की जा सकती है। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि या तो आप के आदमियों ने गलत लोगों को पकड़ा या फिर लोगों को पकड़ने और अदालत के फैसले के बीच में कुछ गडबड़ हो गई होगी। मैं जानना चाहता हूं कि आप ब्लैक मार्किटिंग, एडल्ट्रेशन, प्राफिटियरिंग, होर्डिंग के मामले में तथा कार्यवाही अपने स्तर पर कर रहे हैं जिससे कि किसी प्रकार से इनको चैक किया जा सके, इनको रोका जा सके? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन-कौन से प्रिवेन्टिव स्टेप लेते हैं।

क्या आप पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोई नई बात करने जा रहे हैं? आपके एक पहले मंत्री हुआ करते थे श्री मोहन धारिया साहब। वे नई बात कहा करते थे और पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम के लिए कुछ नई और व्यापक योजना भी आपके मंत्रालय ने तैयार की थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि मोहन धारिया की योजना का क्या हुआ? उस योजना

को आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं ? अगर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसमें आप सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं ?

मैं ये दो-तीन बातें आपसे जानना चाहूंगा कि कीमतों को रोकने की आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? कैसे ये कीमतें रुकेंगी, कैसे आप कज्यूमर्स को राहत देंगे । हमें कज्यूमर्स मूवमेंट को बढ़ाना है और इसमें हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए । इस कंज्यूमर्स मूवमेंट के लिए आप कौन-कौन-सी सुविधा देंगे ? कंज्युमर्स मूवमेंट को चलाने वालों को, कंज्यूमर्स सोसायटी चलाने वालों को आप कौन-कौन-सी सुविधा देने का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय अर्थात् कीमतों की ओर दिलाया है । मैं इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुका हूं कि अतिरिक्त शुल्क लगाने और भाड़े की दरों में वृद्धि करने से कीमतों में वृद्धि हुई है । ये प्रस्ताव संसद को प्रस्तुत किये गये थे, यह सभी को मालूम था और इसकी भी आशा थी कि कीमतों में वृद्धि होगी । परन्तु यह पूरे तौर पर शुल्क तथा भाड़े में वृद्धि के कारण नहीं है । इस बजट को संसद ने अनुमोदित किया है । प्रत्येक वर्ष इसी अवधि के दौरान बजट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् राज्य भी अपने राजस्व में साथ ही वृद्धि करने के उपाय करने की कोशिश करते हैं । वे विभिन्न मदों पर करों और शुल्क की राशि में भी वृद्धि करते हैं । यहां तक कि राज्य सरकारें परिवहन दरों में भी वृद्धि कर देती हैं । अत: यह जो वृद्धि हुई है यह सिर्फ शुल्क और भाड़ा एवं किराये की दरों में वृद्धि के कारण नहीं है जिससे माननीय सदस्य अथवा सदन परेशान हैं । क्योंकि यह निर्णय आपसी सहमति से लिया गया था । भारत जैसे विकासशील अर्थ-व्यवस्था वाले देश में गांवों तथा शहरों की स्थिति सुधारने, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने आदि में पैसों की जरूरत होती है इसीलिये राजकोष की इतनी अधिक जरूरत रहती है । आखिरकार पैसा तो लोगों से ही मिलता है । यह सर्वविदित है कि आय कीमतों का पीछा करती हैं और कीमतें आय का पीछा करती हैं अतिरिक्त शुल्क की वजह से जब कीमतें बढ़तीं हैं तो अतिरिक्त मात्रा भत्ते, महंगाई भत्ता आदि की मांग होती है । और अगर इन किश्तों का भुगतान किया जाता है तो इससे और मुद्रा स्फीति होती है । अगर विकास के लिये ज्यादा राशि का आवंटन किया जाता है, तो या तो केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही के द्वारा अतिरिक्त राजस्व जुटाना पड़ेगा या घाटे की वित्त व्यवस्था की शरण लेनी पड़ेगी । इसका भी अर्थ हुआ ज्यादा पैसे की पूर्ति करना और उससे मुद्रा स्फिति होना । लेकिन कीमतों में अनुचित वृद्धि का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं । जो कुछ मैं कहना चाहता था और मैंने माननीय सदस्य को बताया कि कीमतों में वृद्धि होना सभी को मालूम था और इसकी आशा भी थी । माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि जहां पर मूल्यों में वृद्धि अतिरिक्त लेवी और किराये तथा भाड़े में वृद्धि तथा अन्य चीजों के साथ असंगत है जिसे जानते हुए, जानबूझ कर लगाया गया था, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती । बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचा जाता है । इस्पात, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न आदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी, नियंत्रित मूल्य का कपड़ा तथा अन्य चीजों के लिये प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय को यह देखने के लिए उपाय करती है कि प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य कायम रहें, प्रचलित रहें और यह भी देखें कि मांग और पूर्ति में गड़बड़ी करके एकाधिकारी और व्यापारी लोगों का शोषण न करें । मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं यह पाया गया है कि बजट प्रस्तुत होने के बाद से मूल्यों में वृद्धि होनी शुरू हो गई है । चार हफ्तों में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि वास्तव में बहुत ज्यादा वृद्धि है । इसका अर्थ हुआ 0.57% प्रति सप्ताह और मेरे विचार से यह वृद्धि अभूतपूर्व है क्योंकि पिछले वर्षों में लगातार मूल्य वृद्धि इतनी ज्यादा नहीं थी।

कुछ मामलों में व्यापारियों ने मनोवैज्ञानिक रूप में चीजों की कमी का वातावरण पैदा कर के अनुचित लाभ उठाया है। हो सकता है जमाखोरी की गई हो जैसाकि आम तौर पर बजट-पूर्व होता है। हमने जमाखोरों और काला बाजार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की है। राज्य सरकारों ने इसकी रोकथाम का कार्य सही ढंग से नहीं किया था। हमने राज्य सरकारों को लिखा था और मैंने स्वयं मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे थे। क्षेत्र-वार देख-भाल करने के उद्देश्य से हमने अधिकारियों की नियुक्ति की थी। हमने उन लोगों को राज्यों का दौरा करने के लिए कहा। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि कानूनों को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। मैं नहीं जानता कि वे केन्द्र सरकार से क्या करवाने की आशा रखते हैं। इस संबंध में जो विभिन्न उपाय लिये जा रहे हैं उनके बारे में मैं उन्हें सूचित करना चाहूंगा। परन्तु मैं इस सदन में किसी भी सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव का स्वागत करूंगा कि किस प्रकार हम वह अधिकार ले सकते हैं जो वर्तमान में मेरे मंत्रालय के पास नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : दिल्ली के बारे में आपकी क्या राय है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : दिल्ली देश का हिस्सा है और देश की राजधानी है अतः यह आशा की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों से दिल्ली की हालत ज्यादा अच्छी होगी जैसा कि स्वयं माननीय सदस्य ने भी कहा है। दूर-दराज के क्षेत्रों में बड़े शहरों की अपेक्षा ज्यादा शोषण है क्योंकि शहरों में सरकार ज्यादा सतर्कता बरतती है और जांच-पड़ताल कर सकती है। महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि पूर्वाधि में कीमतों में गिरावट हो रही थी। जैसा कि मैंने वक्तव्य में कहा है पिछले वर्ष सिर्फ 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, पिछमें वर्ष में 9 प्रतिशत से कुछ ज्यादा वृद्धि हुई थी। कतिपय वस्तुएं जैसे खाद्यान्नों में गिरावट हुई है। पिछले दो वर्षों में अनाज के मूल्यों में 6.6 प्रतिशत की कमी हुई थी।

स्वाभाविक ही है ऐसा उत्पादन बढ़ने की वजह से हुआ है, और यह साबित करता है कि उचित मूल्य स्तर को बनाये रखने के लिए पर्याप्त उत्पादन की आवश्यकता है। अगर किसी भी चीज की कमी है तो सरकार कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कोई भी कदम प्रभावी नहीं होगा। जो कुछ सरकार कर सकती है वह है कानूनी तौर पर राशन प्रणाली को बनाना या अन्य विकल्प है कानूनी तौर पर कीमतें निर्धारित करने की प्रणाली अपनाना। परंतु इन उपायों में भी कुछ दिक्कतें हैं; और इनकी अपनी बुराइयां हैं। कानूनी रूप में मूल्य निर्धारित करना और उस पर नियंत्रण रखना कोई आसान काम नहीं है। इसका अर्थ होगा एक बहुत बड़े पैमाने पर जांच-पड़ताल के लिए व्यवस्था करना, करोड़ों मामलों में अदालती कार्यवाही करना। छापे मारना, निगरानी रखना एवं गिरफ्तार करना आदि-आदि। इसके बावजूद भी यह उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है क्योंकि नियंत्रण का अर्थ है कि चीजों की कमी है और काला-बाजारियों के लिये ज्यादा जमाखोरी का अवसर मिलेगा। जो कि कमी एवं अभाव में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है अतः मेरे विचार से वर्तमान प्रणाली जिस पर हम चल रहे हैं सबसे अच्छी हैं जिसे हमने अपने अनुभवों से वर्षों में विकसित किया है और कर रहे हैं।

कतिपय चीजों के बारे में दोहरी मूल्य नीति है, जैसा कि उदाहरण के लिये चीनी, जो कि एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। खुले बाजार में चीनी के भाव अनुचित रूप से बढ़ने से रोकने के लिये आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति का दूसरा जरिया अपनाना है और चीनी के मामले में हम ऐसा ही कर रहे हैं। पूरे देश में 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उचित दर की दुकानों के माध्यम से

लेवी चीनी बेची जा रही थी। यहां तक की लागत की अलग-अलग राशि तथा अन्य प्रभार की राशि को भी सरकार द्वारा वापस अदा कर दिया गया था। परिवहन और अन्य चीजों में किसी भी प्रकार की वृद्धि से इसके मूल्य में इतना फर्क नहीं पड़ता जितना अन्य वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है अन्य चीजों की खुदरा कीमत पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहली अप्रैल तक चीनी का खुदरा मूल्य 4 रुपये था और अब यह 4.40 पैसे है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्यों कि कारखानों में उत्पादन लागत बढ़ गई और सरकार चीनी मिलों से जो 65 प्रतिशत चीनी खरीदती हैं उसके लिए अधिक राशि देनी पड़ी।

इसी तरह से खाद्यान्नों के बारे में हम लोग खाद्यान्नों को निर्धारित मूल्य पर आवंटित कर रहे हैं। दिल्ली में खाद्यान्न मूल्यों के बढ़ने का क्या कारण है क्योंकि दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में आवंटन होता है; मेरी जानकारी के अनुसार दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से गेहूं 1.78 रु० प्रति किलो है गांवों का जहां तक सम्बन्ध है, अनाज का उत्पादन करने वाले राज्यों में से कतिपय राज्यों में अतिरिक्त अनाज पैदा हुआ है। अतः कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। लोग उचित दर की दुकानों से गेहूं नहीं खरीदते हैं। वे खुले बाजार से खरीदते हैं अथवा अपनी ही खेती से निर्वाह करते हैं। चीनी के लिये महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिये। इस मंत्रालय का कार्य-भार लेते ही दो महीने पूर्व मैंने तुरन्त ही सभी राज्यों का निर्देश जारी किये थे और इसके तुरन्त पश्चात मैंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बेची जाने वाली सभी चीजों का प्रत्येक स्थान पर हरेक व्यक्ति को उसका हिस्सा मिलना चाहिये, चाहे वह मिट्टी का तेल हो अथवा चीनी या खाद्यान्न या फिर उचित मूल्य का कपड़ा ही क्यों न हो। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मुझसे सम्पर्क किया और मुझे बताया कि दूर-दराज के गांवों में उचित मूल्य की दुकानों पर लेवी चीनी की आपूर्ति करना मुमकिन नहीं था; लोग इसे खरीदना नहीं चाहते; और मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ क्योंकि महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन होता है अगर वे उचित दर की दुकानों से लेवी चीनी खरीदना नहीं चाहते तो इसका सिर्फ यही है कि या तो लोगों को खुले बाजार में 4.40 पैसे से सस्ती चीनी मिल रही है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता या फिर फैक्ट्री द्वारा गैर-कानूनी रूप में चीनी बेची जा रही है। इनमें से एक बात का होना मुमकिन है। मैं नहीं जानता कि सही स्थिति क्या है। इसी प्रकार से खाद्यान्नों के बारे में हम आवंटन में वृद्धि कर रहे हैं; हमारे पास पर्याप्त भण्डार हैं, इस समय केन्द्र सरकार के पास हमारे भण्डार में लगभग 220 लाख टन खाद्यान्न की मात्रा है जो कि आज तक की सबसे अधिक मात्रा हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महाराष्ट्र में उचित दर की दुकानें लेवी चीनी नहीं बेचना चाहतीं यह बात सही नहीं है। मैं नहीं समझता कि यह जानकारी सही है।

राव बीरेंद्र सिंह : मुझे महाराष्ट्र सरकार द्वारा यही बात बताई गई थी इसीलिये मैंने इसे बताया है। इसी प्रकार से खाने के तेल के आवंटन को लीजिये। जो कि एक और बहुत ही आवश्यक खाद्य सामग्री है। आवंटित किया गया माल नहीं लिया जाता। कई राज्यों में आवंटित माल की मात्रा से उठाई गई मात्रा नाम है। कुछ राज्यों में थोड़े बहुत खाद्यान्नों के बारे में भी यही हालत है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में आवंटन कर रहे हैं और इसके बाद भी अगर इस मात्रा को उठाया नहीं जाता और वितरित नहीं की जाती तो मेरे विचार से केन्द्र सरकार ने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। परन्तु राज्यों में जिलों में निचले स्तर पर इसकी जांच करवाये जाने की आवश्यकता है। सीमेंट भी एक ऐसी वस्तु है जिसके लिये सरकार ने दोहरी मूल्य नीति अपनाई हुई है। सीमेंट,

मिट्टी के तेल का वितरण सीधे ही संबंधित मंत्रालयों द्वारा पैट्रोलियम मंत्रालय तथा दूसरे मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हम सारी चीजों की देखभाल करने की कोशिश करते हैं। अब हमें उनसे वसूली मिलनी शुरू हो गई है। मैंने यह भी देखा है कि गांव वासियों, गरीब लोगों और समाज के संवेदनशील वर्गों को आवश्यक ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा करनी होती है। बहुत से राज्यों में मिट्टी के तेल का कुछ हिस्सा राज्य प्राधिकरण द्वारा उद्योगों को दे दिया जाता है। उद्योगों के लिये अलग से आवंटन होना चाहिये। उद्योगों की आवश्यकताओं को पेट्रोलियम मंत्रालय पूरा कर सकता है। परन्तु जब यह भारी मात्रा में राज्यों को आवंटित किया जाता है और अगर औद्योगिक इकाईयों को इसमें से काफी मात्रा दी जाती है तो इस पर निगरानी रखना बहुत ही कठिन कार्य है कि यह सारा मिट्टी का तेल कहां गायब हो गया, इसकी कमी क्यों पैदा हो गई। परन्तु हमने सारे मामले की बारीकी से तहकीकात करवानी शुरू कर दी है क्योंकि हम समझते हैं कि अगर पद्धति सक्षम थी, अगर जिला प्राधिकरण, नागरिक आपूर्ति विभाग में राज्य प्राधिकरण, खाद्य विभाग ने अपना कर्त्तव्य भली भांति निभाया है तो अनुचित रूप में कीमतें बढ़ने का कोई कारण नहीं है।

महोदय, उच्च भाड़ा तथा किरायों तथा अधिक शुल्क के बहाना बनाकर व्यापारी कीमतों में वृद्धि करते हैं। अधिकतर उपभोक्ता अनपढ़ हैं और वे कुछ भी नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिये, उपभोक्ता नहीं जानते कि स्थानीय कर क्यों होता है, स्थानीय करों की राशि कितनी होती है और यद्यपि हमने चीजों को नियंत्रित कर दिया है। हमने आदेश जारी कर दिये हैं कि कुल वजन की भांति ही चीजों पर उत्पादन करने की तारीख, उसका अधिकतम विक्रय मूल्य भी उस पर छपा होना चाहिये। जब उस वस्तु को खुदरा बाजार में बेचने के लिये लाया जाता है तो उपरोक्त सभी बातें होनी चाहिये। यद्यपि मूल्य छपे होते हैं, चूंकि बिक्री कर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होता है और कतिपय अन्य स्थानीय लेवी भी होती हैं, नगर-पालिकाओं या निगमों द्वारा लेवी लगाई जाती है; पैकेटों पर स्थानीय करों का समान मूल्य छापना मुमकिन नहीं है। व्यापारियों को ऊंचे दाम वसूल करने का यह अच्छा बहाना मिलता है और वे कहते हैं कि ये शुल्क अतिरिक्त हैं और वे लोग इस शुल्क की राशि को वसूल कर सकते हैं। नियम के तहत उन्हें करों की राशि दिखानी चाहिए अगर वे पैकेटों पर नहीं लिखते तो बोर्ड पर तो होनी चाहिये। कभी कभी वे ऐसा नहीं करते हैं और स्वाभाविक है कि स्थानीय अधिकारी इस की जांच कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को भी सतर्क एवं सावधान होना चाहिये। उन्हें प्रत्येक वस्तु पर शुल्क की राशि के बारे में पूछना चाहिए। कभी-कभी उपभोक्ता स्वयं भी बिल अथवा रसीद नहीं लेना चाहते जिसमें कि शुल्क को लिखित रूप में दिखाया जायेगा और वे लोग शुल्क से बचना चाहते हैं इससे दुकानदार को दोहरा फायदा होता है। वह शुल्क के नाम पर वास्तविक मूल्य से कहीं ज्यादा मूल्य प्राप्त कर सकता है और दुकानदार इस राशि को सरकार को दिये बिना अपने पास रख सकता है जो कि उसे सरकार को देनी चाहिए। इसलिये ये विभिन्न बातें मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के लिये जिम्मेदार हैं विशेष रूप में छोटे स्थानों पर जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। हमने वह सभी कार्य किये हैं जो हम कर सकते थे।

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि हम इस विषय में क्या कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा है सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज है उपभोक्तओं को दूसरे जरिये से चीजें उपलब्ध कराने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाल को कुशलता पूर्वक चलाना।

दूसरी बात यह देखना है कि कानूनों को लागू किया गया है या नहीं।

तीसरी अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है—अथवा सम्भवतः पहली महत्वपूर्ण बात है—उत्पादन को बढ़ाना ताकि मांग को आराम से और आसानी से पूर्ति की जा सके।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिये हम राज्यों से सम्पर्क कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने अपने ही प्रबन्धन की पद्धति में कुछ सुधार किये हैं। हमने देखा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नियमित और सक्षम रूप में चलाने के लिये राज्य सरकारें ही हमेशा उत्तरदायी नहीं हैं। उदाहरण के लिये चीनी को लीजिये। अगर फैक्ट्री समय पर आवंटित चीनी को नहीं भेजती, अगर वेगन उपलब्ध नहीं हैं तो स्वाभाविक ही है कि उचित दर की दुकानें खाली रहेंगी और चीनी नहीं दे सकती। अगर हमारे खाद्यान्न पूरे महीने की अवधि में राज्य में नहीं पहुंचते हैं और भारतीय खाद्यान्न निगम के गोदामों से राज्यों को पर्याप्त मात्रा में भण्डारण सामग्री प्राप्त नहीं होती है तो फिर उपभोक्ताओं को देने के लिये खाद्यान्न नहीं होगा।

1.00 प. म.

अगर तेल निगम या पैट्रोलियम मन्त्रालय से एक महीने के मिट्टी के तेल की पूरी मात्रा की आपूर्ति राज्य को नहीं होती है तो स्वाभाविक ही है कि यह थोड़ा-थोड़ा करके पहुंच रहा होगा और व्यापारी हमेशा इस स्थिति का लाभ उठाते हैं। वे कह सकते हैं कि मिट्टी का तेल अभी नहीं आया है, नियंत्रिण मूल्य का कपड़ा अभी उन्हें नहीं मिला है, उन्हें चीनी प्राप्त नहीं हुई है, आदि-आदि। यही चीज खाने के तेलों के बारे में हैं। अगर राज्य व्यापार निगम राज्य को सम्पूर्ण आवंटित खाद्य तेल की मात्रा देने में असफल होता है तो उपभोक्ता अपना पूरे महीने का राशन लेने में असमर्थ होता है। और अगर इसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं है तो उपभोक्ता गुस्से में आकर अपना राशन दुकान से नहीं उठायेगा और यह राशन काले-बाजार में बिकेगा। इस उद्देश्य के लिये, हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक हो सके सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक चीजें एक ही स्थान पर उपलब्ध हों। इससे इन बाजारों की व्यवहार्यता भी बढ़ेगी। इसके लिये हम राज्यों का सहयोग चाहते हैं यद्यपि हमने उचित दर की दुकानों की संख्या भी बढ़ा दी है। 1-10-84 तक इनकी संख्या 3.11 लाख थी और जनवरी के महीने में 1-1-85 को इसकी संख्या बढ़ कर 3.15 लाख हो गई। हम चाहते हैं कि प्रत्येक 200 व्यक्तियों की आबादी पर एक उचित दर की दुकान खोली जानी चाहिये। दूर दराज के स्थानों, जनजातीय क्षेत्रों पहाड़ी इलाकों और दुर्गम स्थानों पर इन्हें नियमित रूप में और कुशलता से चलाया जाये, जहां पर रोज आवश्यक चीजें उपलब्ध हों और अगर उपभोक्ता की इच्छा पूरे महीने का राशन एक बार में ही उठाने की है तो वह उठा सकता है और अगर वह व्यक्ति गरीब है और हरेक सप्ताह सामान लेना चाहता है तो इसके लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये। हमें उनका सहयोग चाहिये।

राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से परामर्श किया जा रहा है। मैंने मार्च में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में सलाहकार परिषद की बैठक बुलाई थी। हम जिला समितियों को सक्रिय बना रहे हैं ताकि जिला कलेक्टर अपने जिले में समूचे कार्य का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार हो जैसे कि क्या उपभोक्ताओं को नियमित रूप से वस्तुओं की सप्लाई हो रही है, क्या दुकानें समय पर खुलती हैं तथा क्या कानून का उल्लंघन करने वालों और अधिक

मूल्य वसूल करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इस मामले में, मुझे माननीय सदस्यों से भी पूरे सहयोग की आवश्यकता है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) लेकिन हमें उससे संबंद्ध नहीं किया गया।

राव वीरेन्द्र सिंह : यहां तक कि उसके लिए भी मुझे राज्यों के समक्ष प्रस्ताव रखना होगा। मैं उन्हें पहले ही इस सम्बन्ध में लिख चुका हूं। जब तक वे ऐसा नहीं करते मैं बार-बार उनसे अनुरोध करता रहूंगा। लेकिन अपने अपने राज्यों में आप गणमान्य व्यक्तियों में से हैं।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर : कितना कलेक्टर को कहें और वह क्या क्या करे ?

राव वीरेन्द्र सिंह: कलेक्टर वहां करें, पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव हों तो एक्शन लेना उनके हाथ में है। मैं भी किसी को ब्लैक मार्केट करते हुए पकड़ लूं तो मैं कैसे कर सकता हूं ?

श्री राम धन : दिल्ली में जो कीमतें बढ़ी हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : श्री जैनुल बशर ने जो बताया, उनकी इत्तिला कुछ ठीक नहीं है। प्याज और पटेटो,.....

श्री जैनुल बशर : मैंने खुद जाकर कीमतें पूछी हैं, मेरी इत्तिला ठीक है।

राव वीरेन्द्र सिंह : आपने कहा कि आलू सवा रुपये में किलो मिलता है, एक रुपये से सवा रुपया हो गया।

प्याज ज्यादा से ज्याद दिल्ली की मार्किट में दो रुपये मिल रहे हैं। जहां तक लैवी शुगर का सवाल है,

[अनुवाद]

यह उचित दर की दुकानों पर निर्धारित मूल्य 4.40 रुपए प्रति किलो बेची जा रही है। और खुले बाजार में इसका मूल्य 5 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 6 रुपए 25 पैसे अथवा 6.30 या बाजार की हैसियत से कुछ अधिक भी कर दिया गया है। इसका कारण लेवी के मूल्यों में वृद्धि तथा अधिक उत्पादन-लागत के कारण मिलों को दिए जाने वाले मूल्यों में वृद्धि है। अतः यह अपरिहार्य था। लेकिन चीनी के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये मूल्य बहुत अधिक नहीं हैं।

महोदय, जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, दिल्ली में इसका मूल्य 2 रुपए 11 पैसे प्रति लिटर है जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश में यदि गांव में तेल 5 या 6 रुपए प्रति लिटर बिक रहा है, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, तो इसका कारण केवल कुप्रबन्ध-काला-बाजारी तथा कृत्रिम कमी का पैदा किया जाना है, इस कुप्रबन्ध को ठीक करना होगा। इसे राज्य सरकारों के सहयोग से ही व्यवस्थित किया जा सकता है। मुझे आशा है आप इससे सहमत होंगे।

मांस के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर : आप मानिए 24 रुपए किलो में हम मीट रोज खाते हैं।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : मैं भी खाता हूं।

[अनुवाद]

मुझे यह सूचना मिली है कि 20 अप्रैल के आस-पास दिल्ली में बकरों का मीट सभी मुख्य बाजारों में 22 रुपए किलो बिक रहा था।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर : साउथ एवेन्यू में ज्यादा मिलता होगा।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : आपने बहुत बढ़िया वाला खरीदा होगा।

[अनुवाद]

जो भी हो, मैं इसका पता लगाऊंगा कि क्या मुझे गलत आंकड़े दिए गए हैं। मुझे यह सूचना मिली है दिल्ली में तीन मुख्य बाजारों में इसका मूल्य 22 रुपये प्रति किलो था।

महोदय, चावल और गेहूं के सम्बन्ध में माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि, ये उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध हैं तथा भण्डार की कमी नहीं है। हम किसी राज्य को पर्याप्त मात्रा में आवंटन कर सकते हैं। हमारे पास गेहूं बहुतायत में हैं किंतु राज्य सरकारें अधिक गेहूं नहीं उठा रही हैं। गेहूं बाजार में भी उपलब्ध है।

बजट आने के बाद भी अनाज के मूल्यों में अधिक वृद्धि नहीं हुई है सरकार इस मामले में बहुत जागरूक है और इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद हम और भी जागरूक हो गए हैं और हम देखेंगे कि इस मामले में आगे और क्या किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए गत उत्तर को दृष्टि में रखते हुए, मैं अन्य सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे संपेक्ष में बोलें तथा प्रस्तावना आदि देने के बजाय कुछ संगत प्रश्न ही पूछें। मैं समझाता हूं कि इसमें आप मुझे सहयोग देंगे।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) उपाध्यक्ष महोदय, आज जो दाम बढ़ रहे हैं, उसका सबसे सीधा असर उस गरीब आदमी पर पड़ता है जिस के सामने रोटी की समस्या है और वह यह सोचता है कि उस रोटी में से कितना हिस्सा अपनी बीवी को दे, कितना बच्चे को दे और कितना खुद ले। उसकी जेब में पैसे आते हैं और जब वह बाजार में सामान खरीदने जाता है तो वह यह सोचता है कि उसकी जिन्दगी में पेट भरने के लिये कौन सी ऐसी चीज है जो कि उसे मिलनी चाहिए और बाकी को वह छोड़ दे।

अभी माननीय सदस्य ने बहुत सारे दामों का जिक्र यहां किया। कई चीजों के दाम जो उन्होंने बताये उनमें से कुछ तो सही हैं, लेकिन कुछ के दाम उससे भी ज्यादा हैं, जिससे लोग कई जगह तो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। वह सिर्फ डबलरोटी और चाय के प्याले से अपना पेट भरते हैं। क्योंकि और चीजें वे खरीद नहीं सकते हैं। आज उन बातों को मैं यहां पर दोहराना नहीं चाहता लेकिन कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

मन्त्री जी ने अभी कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी पैदावार नहीं होती और इस वजह से दाम बढ़ जाते हैं मैं इसी बात को कहना चाहता हूं क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता जिस तरह से गेहूं की पैदावार बढ़ती है, जिस तरह से चावल की पैदावार बढ़ती है तो किसना सोचता है कौन सी कैश क्राप ऐसी है जिसको बेचकर उसको सीधा पैसा मिल जाता है। वह गेहूं और चावल उगाता है तो उसको सीधा दाम मिल जाता है, फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया से उसको नकद पैसा मिल जाता है। इसलिए वह पल्सेज और आयल सीड्स की बनिस्बत गेहूं और चावल उगाना पसन्द करता है और इसकी वजह से दालों और तेलों के दाम बढ़ जाते हैं।

मैं आपके समक्ष होलसेल प्राइसेज रखना चाहता हूं कि 1983-84 में होलसेल प्राइस क्या थी और 1984-85 में क्या हो गई। चने के दाम 1983-84 में होलसेल में 275 रुपए क्विंटल थे

जो 1984-85 में बढ़कर 460 रुपए प्रति क्विंटल हो गए । मूंग होलसेल प्राइस 1983-84 में 510 रु० प्रति क्विंटल थी जो 1984-85 में बढ़कर 626 रुपए प्रति क्विन्टल हो गई । इसी प्रकार से उड़द भाव 84-85 में 450 रुपए प्रति क्विंटल थे जो 1984-85 में बढ़कर 550 रुपए हो गए । मेरा निवेदन यह है कि यदि इस तरह ध्यान नहीं दिया गया तो प्राइसेज चैक नहीं हो पायेंगी और गरीब आदमी जो रोटी बनाने के लिए बाजार में सामान खरीदने के लिए जाता है उसको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ेगा । हमेशा बजट के बाद दामों में वृद्धि होती रहेगी और उसको आप रोक नहीं पायेंगे । पिछले कई वर्षों में हमने देखा था कि जब गन्ने की पैदावार बहुत ज्यादा होती थी तो लोगों को अपना गन्ना जलाना पड़ा ।

इसके साथ साथ मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि होलसेल और रिटेल प्राइसेज में फर्क हुआ उसको आप रोक नहीं सके । चावल की होलसेल प्राइस में 6.5 परसेन्ट की कमी आई लेकिन रेटेल प्राइस में केवल 16 परसेन्ट की कमी हुई । इसी तरह से ओनियन्स में 27.3 परसेन्ट की होलसेल में कमी आई लेकिन रिटेल में 28.2 परसेन्ट दाम बढ़ गए । मस्टर्ड आयल में 9.6 परसेन्ट की कमी होलसेल में हुई लेकिन रिटेल में केवल 3.0 परसेन्ट की कमी हुई । इसी तरह से कोकोनट आयल में 9 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई रिटेल में 5.7 परसेन्ट की बढ़ोत्तरी हो गई । इसी तरह से दूध में .6 परसेन्ट की कमी हुई लेकिन रिटेल में उसके दाम 0.2 परसेन्ट बढ़ गए । इसलिए मैं समझाता हूं जबतक हम अपने सिस्टम को सुधारना नहीं चाहेंगे तबतक हम प्राइसेज को रोक नहीं पायेंगे और न उन गरीब आदमियों को, जो वोट देकर हमको पार्लमेंट भेजते हैं, हम कोई फायदा पहुंचा सकते हैं । हमारा जो डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है उसमें डेफेक्टस हैं । जो हमारी फेयर प्राइस शाप्स हैं उन्हीं पर बहुत सारी चीजें ब्लैक होती हैं । उन दुकानों पर जब कंज्यूमर्स जाकर सही भाव पर चीजें खरीदना चाहता है तो उससे कह दिया जाता है कि माल नहीं है लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं दुकानों से उन्हीं चीजों को ब्लैक-मार्केट में बेचा जाता है । इस तरह से कंज्यूमर्स को फायदा नहीं मिल पाता है यह बात सही है कि 1979 और 1984
1.12 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासन हुए ।)

के दर्म्यान फेयर प्राइस शाप्स की संख्या 27.6 परसेन्ट बढ़ी है लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हुई है उस अनुपात में दुकानों की संख्या नहीं बढ़ी है । मैं दो बातें रखना चाहता हूं पहले प्राइस-टैग की पालिसी लागू करने से दिल्ली में प्राइसेज में बहुत फर्क पड़ा था, उस समय सही दाम पर सही चीज मिल रही थी । उसको दोबारा लागू नहीं किया गया है । मैं दो सवाल मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा ।

[अनुवाद]

(1) क्या आपने कभी देश की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न कृषि उत्पादों की योजनाबद्ध खेती करने की योजना बनाई है ?

(2) क्या आवश्यक वस्तुओं पर मूल्य-सूची लगाने के लिए कोई अधिनियम बनाया गया है ? यदि हां तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया ?

(3) वर्तमान संसद का मुख्य काम लोक वित्त पर नियंत्रण रखना है । इसके लिए, हमारी तीन विभिन्न महत्वपूर्ण समितियां हैं—लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति - हमें मत देने वाले मतदाता की दृष्टि से भी मूल्यों पर नियंत्रण करने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । मैं जानना चाहता हूं मूल्यों की वृद्धि पर रोक लगाने के लिए अभी तक एक संसदीय समिति का गठन क्यों नहीं किया गया है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, इस विषय से संबंधित सामान्य प्रश्नों का विस्तृत उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

माननीय सदस्य ने कुछ कृषि वस्तुओं जैसे चने तथा अन्य दालों-मूंग तथा सब्जियों के ऊंचे मूल्यों का जिक्र किया है, जिसका जिक्र इनके पूर्व-वक्ता द्वारा भी किया गया था। महोदय, मुझे आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि चूंकि केवल उत्पादन अधिक होने पर ही मूल्यों पर उचित और प्रभावकारी नियंत्रण रखा जा सकता है, तो हमें सोचना चाहिए कि देश में जिन वस्तुओं की पहले ही से कम सप्लाई हो रही है—जैसे दालें तथा अन्य वस्तुएं – उनके मूल्य कहां तक कम किए जा सकते हैं। यदि हम इन दालों, जैसे—चना, मूंग, उड़द और मसूर आदि के कम मूल्य निर्धारित कर देते हैं, तो इसका परिणाम यह होगा कि उत्पादन और कम हो जाएगा। अधिक मूल्यों के बावजूद, कृषकों को बड़े क्षेत्रों में इन फसलों को उगाने से लाभ नहीं होता और इस कमी के कारण मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। जब भी उत्पादन बढ़ता है, स्वभाविक है मूल्य कम हो जाता है। जैसा कि गेहूं के मामले में हुआ। अतः हमें मूल्यों के प्रश्न पर, विशेषकर उन वस्तुओं के मूल्यों के संबंध में संतुलन बनाए रखना होगा जिनका उत्पादन हम पर्याप्त मात्रा में नहीं करते। उदाहरण के लिए तिलहन दूसरी वस्तु है। हम खाद्य तेल के आयात पर 1000 करोड़ रुपए या इससे भी अधिक खर्च कर रहे हैं, ऐसा हम पिछले कुछ वर्षों से करते आ रहे हैं और हमारे अच्छे प्रयासों के बावजूद, तिलहन के उत्पादन में इतनी समुचित वृद्धि नहीं हुई है। एक हम इसके आयात की मात्रा में कमी कर सकें। यदि हम बाजारी शक्तियों को अपनी भूमिका न निभाने देते हुए सरकारी उपायों, विनियमों द्वारा कृत्रिम रूप से मूल्य कम करने की कोशिश करते हैं तो इससे उत्पादन में और कमी आयेगी। अतः माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके लिए हमें कृषकों के लाभकारी मूल्य देने पड़ते हैं, लेकिन जहां खुदरा मूल्यों और थोक मूल्यों या फार्म स्तर पर मूल्यों में अंतर बहुत अधिक होता है, तो सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि इस अंतर को कम करे। वहां हमें कदम उठाने होते हैं और हम कदम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों को लीजिए। दिल्ली में बाजार में भिंडी 8 रुपए किलो बिक रही हैं, और किसान को 1 किलो भिंडी के 2 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक दलाल ही·····

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अन्तर बहुत अधिक है।

राव बीरेन्द्र सिंह : अंतर बहुत अधिक है। मैं भी यही कह रहा हूं और हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जहां खुदरा मूल्य और थोक मूल्य में उपयुक्त तालमेल नहीं है। फार्म स्तर के मूल्यों और थोक मूल्यों में बहुत कम तालमेल है और इसीलिए हम चाहते हैं कि उचित दर की दुकानें और अधिक खोली जायें तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत और मदें लाई जाएं। अधिक सहकारी उपभोक्ता भंडार खोले जा रहे हैं। हम उन्हें राज-सहायता तथा वित्तीय सहायता देते हैं। प्रत्येक नगर और शहर में सरकार तथा अन्य अधिकारियों की सहायता के लिए उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन भी चलाए जाने चाहिए। जनता को गलियों-मोहल्लों में, नगरों में और जहां भी संभव हो अपनी सहकारी समितियां तथा उपभोक्ता भंडार खोलने चाहिए। इसके परिणामस्वरूप हरी सब्जियों के मूल्य तुरंत कम हो जायेंगे। लेकिन यदि हम बिक्री का एकाधिकार कुछ लोगों पर छोड़ दें और अन्य लोग आमतौर पर आगे नहीं आते तो ऐसा करना मुश्किल है। उदाहरण के लिए इस मामले में स्त्रियों को कुछ काम करना चाहिए। किसी कालोनी में एक मोहल्ले की 50-60 स्त्रियां मिलकर सहकारी समिति बनाकर बरामदे में उपभोक्ता भंडार खोल सकती हैं। हर सुबह वे किसी को थोक बाजार भेजकर आवश्यक सब्जियां मंगा सकती हैं और 2 बजे तक या शाम तक

उन्हें बेच सकती हैं। यही एक मात्र उपाय है। अन्यथा जब हम आलीशान बाजार में जाते हैं, स्वाभाविक है वे बहुत अधिक पैसे लेते हैं और हर जगह मूल्य अलग-अलग होते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : आपके सुपर मार्किट में अधिक मूल्य वसूल किए जाते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : सुपर मार्किट के मूल्य ज्यादा नहीं हैं। मैं आपसे सहमत हूं कि सुपर बाजार के मूल्य सम्भवत: और भी कम हो सकते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं तथा हम भी उसी तरह प्रयास कर रहे हैं। हम पहले ही कदम उठा चुके हैं। आम जनता के सहयोग से ऐसे क्षेत्रों में भी, जहां हम अधिक सफल नहीं हुए हैं, सुधार हो सकता है।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे बहुत संक्षेप में तथा संगत बात कहें।

श्री काली प्रसाद पांडे—अनुपस्थित।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : सभापति महोदय, यह बात तो सभी मानते हैं कि जो रोजाना मंहगाई बढ़ती जा रही है इस कमर-तोड़ मंहगाई ने गरीब आदमी का जीना दूभर कर दिया है। मंत्री जी ने खुद माना है कि कुछ आइटम्ज पर एडीशनल लेवी के कारण कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि एडीशनल लेवी 10 वस्तुओं भर लगाई गई, लेकिन कीमत हर चीज की बढ़ी है। इस के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं—कुछ चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में खूब मिल रही हैं, लेकिन होर्डिंग के कारण उन की कीमतें बढ़ती जाती हैं। अगर कोई चीज मार्केट में नहीं मिलती है, अगर उस की कीमत बढ़ती है तो उस का एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है लेकिन जब चीज मार्केट में है लेकिन उस का होर्डिंग किया जाता है और उस की वजह से कीमत बढ़-इस का प्रबन्ध सरकार को करना है।

देश के अन्दर काला-धन इतना अधिक बढ़ चुका है कि धनी लोग रोजाना मंहगाई बढ़ने में योगदान दे रहे हैं। जब तक हमारे समाज के अन्दर से नाजायज धन इकट्ठा करने की होड़ समाप्त नहीं हो जाती तब तक कीमतें कम करना मुश्किल है। जिन के पास काला-धन है वे किसी भी वस्तु की कीमत का ख्याल न रखते हुए हर सम्भव चीज हर कीमत पर खरीदने के लिये तैयार हो जाते हैं, जिस के कारण वह चीज महंगी होती जाती है और उस का नाजायज बोझा गरीब आदमी पर पड़ता है।

इस के साथ ही हमारे वर्तमान कानून में एक बड़ी कमी है। सरकार की तरफ से हमारे जीवन की सुरक्षा के लिये कोई पर्याप्त कानून नहीं है। जब तक हमारी सुरक्षा की गारन्टी सरकार नहीं लेगी तब तक हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने में लगा रहेगा। आज हर व्यक्ति का यह विचार बना हुआ है—यदि उस के पास पांच हजार रुपये हैं तो उस का जीवन सुरक्षित है। अगर दस हजार रुपये हो जायेंगे तो और ज्यादा सुरक्षित हो जायगा। मेरा कहना है कि 'सिक्योरिटी इज एटेच्ड विद दि मनी।' इस के लिये कानून की कमी है। इन हालात में हमारा यह फर्ज है कि इस किस्म की सुरक्षा प्रदान की जाय कि हर नागरिक यह महसूस करे कि जो चीज वह लेना चाहे, उसे समय पर उचित मूल्य पर मिल जाएगी। इससे यह जो बेईमानी या होर्डिंग का घटनाचक्र चला हुआ है, उस में कमी आएगी।

इस के साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी चल व अचल सम्पत्ति है, चाहे वह शहरी है या देहाती है, उस पर जब तक सीलिंग नहीं होगी, उस समय तक प्राइसेज पर कन्ट्रोल नहीं हो सकता। आज आदमी पर कोई लिमिट नहीं है कि वह कितना धन कमाए। जितना ज्यादा वह धन कमाता है, उस का असर गरीब आदमी पर पड़ता है क्योंकि वह हर चीज को, जो उसकी क्षमता है, उससे खरीद सकता है लेकिन गरीब आदमी के बस की यह बात नहीं है, जिस की वजह से गरीब आदमी का शोषण होता रहता है और अमीर आदमी और ज्यादा अमीर बनता चला जाता है। मैं इस सिलसिले में दो, तीन प्रश्न मंत्री जी से करना चाहूंगा।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस बारे में कोई कदम उठाने जा रही है कि हर व्यक्ति अपने आप को सेक्योर समझे और उस को यह भरोसा हो कि वह हर आवश्यक और अन्य वस्तु किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार होर्डिंग को रोकने के लिए कोई ऐसा सख्त कानून बनाने जा रही है, जिससे होर्डिंग को रोका जा सके। इस के साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की ऐसी मंशा है कि हर चीज की, चाहे एसेंशल कोमोडिटी हो या अन्य वस्तु हो, कीमत निर्धारित की जाएगी और हर चीज की कीमत दुकान पर डिस्प्ले हो और अगर डिस्प्ले न करे, उस को सख्त दंड दिया जा सके, जिससे प्राइस राइज पर चैकिंग हो सके और आम साधारण आदमी को उचित मूल्य पर चीजें मिल सकें। इन बातों का जवाब में मंत्री महोदय से चाहता हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : चैयरमैन साहब, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं और यह बात मैं मानता हूं माननीय सदस्य की कि जितना मुद्रा का फैलाव होगा, जितनी मनी सप्लाई बढ़ेगी, उतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ब्लैक मनी को कम करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि टैक्स इवेजन को ज्यादा रोका जाए। उस से बहुत फर्क कीमतें पर पड़ता है लेकिन यह बात मैं नहीं मानता कि एसेंशल कोमोडिटीज की प्राइसेज के ऊपर काला धन कोई ज्यादा असर डाल सकता है। काला धन वाला तो ज्यादा खा भी नहीं सकता है।

हमारे मुल्क में इतनी बड़ी संख्या लोगों की है, जिन के लिए एसेंशन कोमोडिटीज चाहिए और उन के लिए हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बंदोबस्त है। चन्द आदमी अगर ज्यादा पैसा डाल सकते हैं खान मार्केट के अन्दर या किसी और पाश मार्केट के अन्दर, तो आम प्राइसेस के ऊपर सारे देश के अन्दर उस का कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

जहां तक ब्लैक मनी को रोकने का ताल्लुक है, बड़ा सख्त कानून पहले ही हम ने सन 1981 के अन्दर बनाया था। वह कानून है प्रिवेंशन आफ ब्लेक मनी एण्ड मैन्टीनेन्स आफ एसेंशल सप्लाईज एक्ट और उस के अन्दर डिटेंशन का भी प्रावधान रखा गया है। बगैर मुकदमा चलाए किसी को भी 6 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है। अगर कोई होर्डिंग करे या ब्लैक मार्केटिंग करे या एसेंशल कोमोडिटीज के लिए जो दूसरे कानून बने हैं, उन की अवहेलना करे, वायलेशन करे, तो उस को सख्त सजा देने का प्रावधान पहले से ही है। और ज्यादा सख्त कानून बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही कानून काफी सख्त बने हुए हैं। जरूरत इन कानूनों को लागू करने की है और बहुत सी स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यू० पी० ने इस में अच्छा काम किया है, गुजरात ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है और दिल्ली ने भी किया है। लोग पकड़े भी गये हैं, डिटेन भी किया गये है। इस साल 31-3-85 तक 790 डिटेन्शन

हुई। यह उस कानून के तहत हुई जो ब्लैक मार्किटिंग रोकने का है। उनमें से काफी अण्डर डिटेंशन हैं। बहुत से बीच में छूट भी जाते हैं, कुछ की मियाद खत्म हो जाती है।

इसी तरह से असेंशल कमोडिटीज एक्ट है, असेंशल कमोडिटीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट भी है। इसमें भी काफी कड़ी सजाएं हैं। स्पेशल कोर्ट का भी इसमें प्रोविजन है, समरी ट्रायल का भी प्रोविजन है, कम से कम कैद का भी प्रोविजन है, इम्प्रीजनमेंट भी साथ में जरूर होगा।

इस तरह से बहुत कानून मौजूद हैं। बेहद छापे मारे गये हैं। असेंशल कमोडिटीज एक्ट के अन्दर ही कोई 2 लाख 69 हजार रेड्स सन् 1984 में हुई। उनमें से 8 हजार 821 अरेस्ट भी हुए। 5 हजार लोगों का प्रोसीक्यूशन हुआ और 1 हजार 94 आदमियों का कन्वीक्शन हुआ। अब अदालतों में क्या हो रहा है, हो सकता है कि इनमें से बहुत से मुकद्दमे चल रहे हों, यह जरूरी नहीं कि सब का फैसला हो चुका हो। करीब 10 करोड़ की सम्पत्ति पकड़ी गई है। वह भी सरकार ने कब्जे में ले ली है।

कानून तो हैं। हरेक स्टेट इनके ऊपर अमल करे, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आनरेबल मेम्बर भी अपने अपने क्षेत्र में कोशिश करें। आखिर सारे काफी अर्से से पोलिटिकल लाइफ में हैं। पुराने पुराने लोग यहां आते हैं। पुराने खिलाड़ी हैं, वे सब जानते हैं कि कहां क्या खराबी है, किस तरह से वह दूर की जा सकती है।

मैं समझता हूं कि मलिक साहब इस बात से सहमत होंगे कि सरकार की तरफ से कानून और कायदे बनाने में तो कोई कमी नहीं हुई है और हमारी तरफ से कानून और कायदे पर अमल कराने में भी कोई कमी नहीं हुई है। वह कोशिश आगे और किसी तरफ से अच्छी हो सकती है उसमें आप सब के सहयोग की जरूरत है। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं हर स्टेट के अन्दर लेकिन बहुत सी स्टेट इन पर बिल्कुल अमल नहीं कर रही हैं। वेस्ट बंगाल वाले इस ब्लेक मार्किटिंग प्रिवेंशन एक्ट को मानते ही नहीं। वैसे रोजाना यहां यह कहेंगे कि कीमतें ऊपर उठ रही हैं। वे इसमें किसी भी को डिटेन नहीं करना चाहते हैं। इसमें स्टेट्स के अपने अख्तियार हम उसमें क्या करें। बहुत-सी स्टेट्स ने कानून होते हुए इन कानूनों पर अमल नहीं किया। हम उनसे पूछते रहते हैं, वाकायदा रिटर्न लेते हैं। उन्हें प्यार से और वैसे भी मनाने की कोशिश करते हैं। दबाव भी डालते हैं। इससे ज्यादा सरकार क्या करे? आनरेबल मेम्बर के इसके लिए कोई सुझाव हों तो मैं बड़ी खुशी से उस पर गौर करने को तैयार हूं।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : प्राइसिज डिस्प्ले नहीं करते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : कानून के अन्तर्गत यह बेहद जरूरी है। उन्हें प्रिन्ट भी पड़ती है। दूसरी चीज की कीमत लिखनी पड़ती है। यह भी कानून कि उन पर टेक्सिज कितने हैं, वह भी लिखने पड़ेंगे बोर्ड के ऊपर। लेकिन लोग उस पर ध्यान दें।

1.32 अ०प०

श्री लंका में विद्यमान स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : पिछली बार जब मैंने श्री लंका की स्थिति के बारे में सदन में वक्तव्य दिया था तो मैंने माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि जब भी श्रीलंका में नई घटनाएं घटेंगी उनके बारे में सरकार सदन को विश्वास में लेगी। 25 अप्रैल को सदन में वक्तव्य देते हुए प्रधानमंत्री ने सदन को यह बताया था

कि सरकार श्री लंका की घटनाओं तथा उनका भारत पर पड़ने वाले असर पर चिंता के साथ निगरानी रखे हुए है और सरकार श्री लंका सरकार के साथ बराबर संपर्क बनाए हुए है। अब एक विशेष सलाहकार दल का गठन कर लिया गया है। यह दल भारत में बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों तथा पाक जलडमरू मध्य में हमारे मछेरों द्वारा सामना की जा रही असुरक्षा की समस्याओं के गंभीर प्रश्न की भी तत्परता से जांच-पड़ताल करेगा तथा इस संबंध में अपनी सलाह देगा।

श्रीलंका की स्थिति बराबर तनावयुक्त बनी हुई है। हिंसा में कुछ कमी हुई थी किंतु इसमें फिर वृद्धि हो गई है। पूर्वी क्षेत्र में भारी मात्रा में हिंसा की चिंताजनक खबरें हैं जिनमें मुस्लिम तथा तमिल शामिल हैं। यह एक निराशाजनक तथा गंभीर घटना है जो पहले ही जटिल स्थिति को और जटिल बना देगी। ऐसा लगता है कि असुरक्षा और अस्थिरता की भावना और बढ़ गई है।

जैसा कि सरकार ने अनेक अवसरों पर सदन में कहा है, हम श्री लंका की दुर्भाग्यपूर्ण जातीय समस्या के प्रभावों से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हमें जुलाई, 1983 से श्री लंका से बड़ी संख्या में और लगातार आने वाले शरणार्थियों की देखभाल करनी पड़ी है; ये शरणार्थी अब भी भारत आते जा रहे हैं तथा उनकी संख्या अब लगभग एक लाख तक पहुंच गई है। जबकि हमने असहाय शरणार्थियों की मदद के लिए जो कुछ संभव था वह सब कुछ किया, तो भी इन शरणार्थियों का हमारे ऊपर भारी सामाजिक और आर्थिक दबाव पड़ा है। हमारे मछेरों की रोजी-रोटी पर प्रभाव पड़ा है तथा उन पर अत्याचार और हमले किए गए हैं। हमें अपनी निगरानी मजबूत करनी पड़ी है और दूसरे सुरक्षात्मक उपाय भी करने पड़े हैं।

इस जटिल और गंभीर स्थिति में हमारा बुनियादी लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय नागरिक किसी खतरे की स्थिति में न हों और हमारे हित भी सुरक्षित रहें। इसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि श्री लंका में फिर से सामान्य और स्थायी स्थिति कायम हो ताकि शरणार्थी सुरक्षा और सम्मान के साथ वापस लौट सकें। इसी तरह हम यह भी उम्मीद करते हैं कि श्री लंका के तमिलों के सम्मुख उपस्थित समस्याओं का बातचीत के द्वारा शांतिपूर्ण समाधान बिना किसी और देरी के खोज लिया जाएगा। हमने इस बात पर बल दिया है कि श्री लंका सरकार इस समय का सैनिक उपायों से हल नहीं खोज सकती। श्री लंका सरकार को बातचीत के जरिये एक ऐसा राजनीतिक समाधान खोजना होगा जो सभी संबंधित पक्षों को स्वीकार्य हो।

यह जरूरी है कि श्री लंका में सभी संबंधितों के बीच राजनीतिक बातचीत जल्द शुरू हो। इसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाना होगा। श्रीलंका की मौजूदा अशान्त स्थिति बातचीत के किसी भी सार्थक प्रयास के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं होती। हम उम्मीद करते हैं कि इस स्थिति को और तनाव को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए पहल श्रीलंका सरकार को करनी होगी। मेरी हार्दिक कामना है कि वह इस दिशा में आवश्यक राजनीतिक इच्छा और दूरदृष्टि दिखाएगी।

हम एक बार फिर अपना यह मत दोहराना चाहेंगे कि श्री लंका में जो गंभीर जातीय समस्या उत्पन्न हो गई है, उसका जवाब बातचीत के द्वारा एक ऐसा समाधान ही हो सकता है जो सभी संबंधितों को स्वीकार्य हो और जो श्रीलंका की संप्रभुता, अखण्डता और एकता के ढांचे के भीतर हो। मैं एक बार फिर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम पृथकतावाद में विश्वास नहीं करते। इसके साथ ही हम इस बात पर भी विश्वास नहीं करते कि श्रीलंका की जातीय समस्या का हल खोजने में दमनकारी उपाय सहायक हो सकते हैं।

हम राजनीतिक समाधान की तलाश में सहायता देने के लिए बराबर श्री लंका सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। यह संपर्क राजनयिक माध्यमों से और विशेष दूतों की यात्राओं के द्वारा किए जा रहे हैं। अपने हाल ही के विचार-विनिमय के दौरान, जो बहुत ही बेबाक और सुस्पष्ट था हमें यह बताया गया कि राष्ट्रपति जयवर्धने राजनीतिक समाधान की दिशा में कुछ रचनात्मक उपाय करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को शीघ्र ही व्यावहारिक रूप दिया जावेगा जिससे कि सभी संबंधितों के बीच बातचीत के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण हो सके।

1.35 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बरौनी (बिहार) में टेलीफोन सेवाओं को सुधारने की आवश्यकता

(हिन्दी)

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, नियम 377 के अधीन मैं इस महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहती हूं। बरौनी बिहार का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है। यहां पर तेल शोधक कारखाना, उर्वरक कारखाना, ताप विद्युत स्टेशन जैसी बड़ी-बड़ी औद्योगिक प्रतिष्ठान अवस्थित हैं। बरौनी से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित मोकाम बाटा शू फैक्टरी, मैकजेनल, स्पिनिंग मिल आदि कारखाने चल रहे हैं। इस तरह बीस किलोमीटर की परिधि में अनेक बड़े और छोटे कारखाने उत्पादन कार्य में लगे हैं। ऐसे औद्योगिक महत्व के केन्द्र के लिए यह दुख की बात है कि यहां की टेलीफोन सेवा बिल्कुल ही अपर्याप्त है। वास्तव में तो बरौनी का देश की राजधानी से सीधे टेलीफोन संपर्क होना चाहिए, परन्तु दिल्ली तो दूर रही, राज्य की राजधानी पटना से भी बरौनी का टेलीफोन संपर्क नाममात्र का भी नहीं है। बरौनी से पटना तक टेलीफोन संपर्क स्थापित करने में तीन चार दिन आम तौर पर लग जाते हैं। समीप के कस्बे लखीसराय तक भी संपर्क करना असंभव हो जाता है।

इसका सबसे दुखद पक्ष तो यह है कि यहां पर आवश्यक आधारभूत सुविधाएं पहले से ही विद्यमान हैं, फिर भी टेलीफोन सेवा को सुचारू नहीं बनाया जा सका है। यहां पर टेलीफोन के लिए भवन बनवाया जा चुका है। यह भवन लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व स्वचालित (आटोमेटिक) टेलीफोन केन्द्र की स्थापना के लिए बनाया गया। 600 लाइनों की आटोमेटिक टेलीफोन सेवा की व्यवस्था के लिए परियोजना आकलन की स्वीकृति तीन वर्ष से भी पहले मिल चुकी है। परन्तु आश्चर्य है फिर उनको काफी पैसा खर्च करके आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद भी आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना अभी भी नहीं की जा सकी है। गत वित्तीय वर्ष के अंत तक यहां पर 20 लाइनों का एक्सचेंज बनकर तैयार हो जाना था, परन्तु यह कार्य भी अभी पूरा नहीं किया गया है। इस परिस्थिति में मैं मंत्री महोदय से पुरजोर अनुरोध करती हूं कि इस ओर अविलंब आवश्यक कदम उठाए जाएं जिससे लोगों की कठिनाइयां दूर हो सकें तथा संचार सेवा का औद्योगिक प्रगति में समुचित उपयोग किया जा सके तथा अब तक सरकार द्वारा दिए गए धन का व्यर्थ अपव्यय रोका जा सके।

(दो) युवकों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए जिला फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में कुछ भारी उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री निर्मल मंघी (फैजाबाद) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद फैजाबाद जो

उत्तर प्रदेश का एक अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ जनपद है, के नौजवानों के सम्मुख उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह जनपद केन्द्र सरकार द्वारा उद्योग के क्षेत्र में घोषित पिछड़े जनपदों में से एक है जिसकी बीकापुर तहसील अत्यंत ही पिछड़ी है। इस तहसील में ऊसर भूमि का क्षेत्रफल भी काफी होने के कारण यहां के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला नौजवान काफी कुंठित व समस्याग्रस्त है।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए, भूमि की उपलब्धता को देखते हुए तथा क्षेत्र के पिछड़ेपन व कोई बड़ा उद्योग न होने की कमी को मद्देनजर रखते हुए सार्वजनिक उपक्रम के किसी भारी उद्योग को इस क्षेत्र में स्थापित करने की कृपा करे।

(तीन) नागालैंड में मोकोकचुंग और दीमापुर में दो और दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने हेतु तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चिंगलांग कौनयक (नागालैंड) : इस समय कोहिमा में एक टी० वी० रिले केन्द्र है परन्तु यहां कम शक्ति का ट्रांसमीटर होने के कारण और वहां के क्षेत्रों के पहाड़ी तथा दुर्गम होने के कारण फेक, वोखा, जुनहेबोतो, मोकोकचुंग, टयेनसेंग और मोन जिलों एवम् दीमापुर क्षेत्र के लोग कोहिमा टी०वी०रिले केन्द्र से प्रसारित होने वाले टी०वी०कार्यक्रमों को देखने से वंचित रह जाते हैं।

अतः मेरा सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुरोध है कि वह नागालैंड में दो और टी० वी० रिले स्टेशन, अर्थात्, एक मोकोकचुंग में तथा दूसरा दीमापुर में, स्थापित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें।

(चार) बुलडाना जिले में पेय जल की कमी से प्रभावित गांवों में पेय जल की समस्या का समाधान करने के लिये महाराष्ट्र को केंद्रीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री मुकुल वासनिक (बुलडाना) : महाराष्ट्र राज्य में पीने के पानी की समस्या बहुत गंभीर रूप धारण कर गई है। मौसम दिन प्रतिदिन गर्म हो रहा है और समस्या अधिक गंभीर होती जा रही है।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के एक दल ने हाल ही में वहां के कुछ जिला मुख्यालयों में स्थिति का जायजा लेने के लिए दौरा किया था। यह सही दिशा में उठाया गया एक कदम था। इस बात की बहुत ही आवश्यकता है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाए।

हाल ही में लोक सभा के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र, बुलडाना, के दौरे पर मैंने अधिकारियों से बातचीत की थी और मैंने कुछ समस्या ग्रस्त गांवों का दौरा भी किया था। जिले के 1392 देहातों में से 397 देहातों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वित्त की कमी के कारण समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। राज्य के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की स्थिति है।

मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दें तथा आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायें ताकि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो सके।

(पांच) उत्तर प्रदेश में सूखे की अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिये राज्य को केंद्र द्वारा पर्याप्त धन दिये जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (गढ़वाल) : उत्तर प्रदेश के 8 पहाड़ी जिलों अर्थात् पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून और नैनीताल में

गंभीर सूखे के कारण रबी की खाड़ी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है और पेयजल की बहुत कमी है। 12 अन्य जिलों अर्थात् इलाहाबाद, बांदा, कानपुर देहाती क्षेत्र, हमीरपुर, सहारनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, झांसी, आगरा, जौनपुर, गाजीपुर और एटा में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को पीने का पानी पहुंचाने के लिए एक सौ टैंकर तथा 175 कैनवास के थैले उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की मांग को तुरन्त पूरा किया जाये और राज्य में फैले अभूतपूर्व सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त धनराशि भी राज्य सरकार को दी जानी चाहिये।

(छः) धान के लिये जो मूल्य पंजाब के किसानों को दिया जाता है आंध्र प्रदेश के धान उत्पादकों से उसी मूल्य पर धान खरीदने तथा उन्हें बोनस भी देने की आवश्यकता

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : केन्द्र सरकार ने अभी हाल ही में यह कह कर कि हमारे भंडारगृह खाद्यान्नों से भरे पड़े हैं किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान को गेहूं निर्यात करने की अनुमति देने की घोषणा की है। दक्षिण भारत के किसान हैरान हैं कि सरकार ने जैसे गेहूं के निर्यात की अनुमति दी है उसी प्रकार से दक्षिण में पैदा होने वाले बढ़िया तथा सर्वोत्तम किस्म के चावल के भी निर्यात की अनुमति क्यों नहीं दी। हालांकि तकनीकी तौर पर भारतीय खाद्य निगम ने क्रय केन्द्र खोले हैं परन्तु फिर भी यह कृष्णा और गोदावरी जिलों में किसानों से धान नहीं खरीद रहा है। बल्कि मिलों से ही चावल खरीद रहा है। किन्तु भारतीय खाद्य निगम पंजाब के किसानों से लाखों टन धान खरीद रहा है। पंजाब में और आन्ध्र प्रदेश में बढ़िया और सर्वोत्तम किस्म के चावलों के खरीद मूल्यों में लगभग 12 रुपये प्रति क्विंटल का अन्तर है। इसी कारणवश आन्ध्र प्रदेश के किसानों को, जो प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित हैं अकसर हानि होती है। अतः भारतीय खाद्य निगम को आन्ध्र प्रदेश के किसानों को भी वही मूल्य देना चाहिए। वास्तव में, कृषि मूल्य आयोग के एक सदस्य ने इस खतरे को देखते हुए समुद्र-तटीय राज्यों में उत्पादित धान पर अधिक मूल्य देने की सिफारिश की थी। सरकार पंजाब के किसानों के लिए बोनस की घोषणा कर रही है जबकि दक्षिण भारत के किसानों के लिए ऐसा नहीं किया गया है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से इन सभी मामलों पर गौर करके इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए आग्रह करता हूं।

(सात) कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम 1984 के उपबंधों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : राज्य कर्मचारी बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1984 से कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों के अंशदान को बढ़ा दिया गया है परन्तु इसके तुल्य में उन्हें होने वाले लाभ कम कर दिए गए हैं। कर्मचारियों के कार्मिक संघों ने शिकायत की है कि अधिनियम के उपबन्ध तथा सामान्य विनियमों के नियमों से यह स्पष्ट करते हैं कि कर्मचारी बीमा निगम इस संस्थान को कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की बजाय अधिक से अधिक कर्मचारियों की कीमत पर एक लाभ कमाने वाले संगठन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यह उल्लेख करना भी उचित है कि संशोधनों का प्रयोग करने से पहले सरकार की ओर से केन्द्रीय कार्मिक संघों से इस मामले पर उनका दृष्टिकोण जानने की कोई कोशिश नहीं की गई।

उक्त संशोधन से महिला कर्मचारियों को विशेष रूप से कठिनाई हुई है क्योंकि उन्हें प्रसूति अवकाश के बाद के लाभों से वंचित कर दिया गया है। स्थानापन्न और नैमित्तिक मजदूरों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

सरकार इस संशोधन अधिनियम को लागू न करे और केन्द्रीय कार्मिक संघों से मंत्रणा करके उपबंधों में संशोधन करें।

(आठ) उड़ीसा में बंसपाणि जखपुरा रेल लाइन निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

*श्री हरिहर सोरन (क्योंझर) : महोदय, रेल मंत्रालय ने जखपुरा से बंसपाणि तक 179 कि०मी० लम्बी रेलवे लाइन के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमति दे दी थी। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जखपुरा और दायतोरी के बीच रेलवे लाइन बिछा दी गई है। जब तक यह रेलवे लाइन पूरी नहीं बनाई जाती, बरजामदा क्षेत्र से लौह अयस्क का निर्यात पाराद्वीप पत्तन तक छोटे मार्ग से नहीं हो सकेगा। इस समय लौह अयस्क का निर्यात लगभग 640 कि०मी० की दूरी से किया जा रहा है। यदि जखपुरा बंसपाणि लाइन पूरी कर दी जाती है तो यह दूरी आधी अर्थात् 320 कि०मी० रह जाएगी। उसी अनुपात में परिवहन लागत भी कम हो जाएगी। पाराद्वीप पत्तन के रास्ते लौह अयस्क का निर्यात बहुत बढ़ जायेगा। परिवहन की लागत में कमी आने से एम० एम० टी० सी० विदेशी खरीदारों को पाराद्वीप से अयस्क उठाने के लिए प्रेरित करने में अधिक छूट दे सकेगी। पाराद्वीप से लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने से उड़ीसा के खान उद्योग के विकास मे मदद मिलेगी। दूसरी तरफ, निर्यात गिरने से खान-कैपटिव निजी खाने बिल्कुल बन्द हो जायेंगी। इससे हजारों आदिवासी परिवारों को जो लौह अयस्क खान के कार्यकलापों पर निर्भर हैं बेकार हो जायेंगे। अतः बंसपाणि जखपुरा लाइन का पूरा किया जाना आदिवासी लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अतः भारत सरकार को उपरोक्त लाइन के पूरा करने के प्रश्न पर व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए फिर से विचार करना चाहिए तथा इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

(नौ) पेयजल की अत्यधिक कमी के कारण खुर्द तथा नयागढ़ (उड़ीसा) के निवासियों को हो रहे कष्ट को दूर करने की आवश्यकता

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उड़ीसा राज्य के सभी सूखे वाले जिलों जिनमें खुर्द और नयागढ़ सब डिवीजनों पंचायत समुत क्षेत्र शामिल हैं, में पीने के पानी की बहुत कमी है और सभी जलस्रोत सूख गए हैं। बहुत से कुएं सूख गए हैं और प्रभावित क्षेत्र अन्य जलस्रोतों में पानी का स्तर बहुत अधिक नीचे चला गया है। अत्यधिक पानी की कमी ने पहाड़ों पर रहने वाले आदिवासियों को अपने घर छोड़कर मैदानी इलाकों में जाने के लिए मजबूर कर दिया है। साथ ही राज्य में बड़े पैमाने पर विद्युत कटौती से लोगों की कठिनाई और भी बढ़ गई है। यहां तक कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पीने के पानी के लिए लगाए गए ट्यूबवैलों में से 30 प्रतिशत ट्यूब-वैल या तो सूख गए हैं या उचित रख-रखाव के न होने से बेकार हो गए हैं। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह युद्ध स्तर पर तुरन्त विशेष उपाय करें ताकि उड़ीसा के लाखों लोगों को पीने के पानी के संकट में राहत मिल सके।

---

*उड़िया में दिये गये वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

1.52 म०प०

अनुदानों की मांगें सामान्य 1985-86 (जारी)
वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय (जारी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा उन पर मतदान करेगी।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्रीलंका के मामले पर चर्चा 4 बजे शुरू होगी, मैं माननीय मंत्री को 2.45 म०प० पर जवाब देने के लिए कहूंगा। अत: मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है। कि वे बहुत ही संक्षेप में बोलें।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : कितना समय बचा है ? इसके लिए 6 घंटे निर्धारित किए गए हैं।

सभापति महोदय : हर हालत में मन्त्री महोदय अपना जवाब 2.45 म०प० शुरू करेंगे।

श्री के० राममूर्ति : कितना समय बाकी है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : 3 घंटे।

सभापति महोदय : 3 घटे 6 मिनट बाकी बचे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तब, जवाब आज नहीं दिया जा सकेगा।

सभापति महोदय : श्री आनन्द पाठक।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय, वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के नोट में यह बताया गया है कि वाणिज्य का मुख्य उद्देश्य है देश के विदेश व्यापार का संगठन, विकास तथा प्रबन्ध करना है। भारत के उत्पादों तथा वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाना तथा वस्त्र उद्योग, नारियल उद्योग का भी विकास करना एवम् वस्त्र, हस्तशिल्प, नारियल तथा रेशम उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और इससे संबंधित मामलों को देखना है।

बजट में और मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में भी ऐसी सुन्दर तस्वीर खींची गई हैं जिससे यह पता लगे कि सरकार निर्यात को बढ़ाने और व्यापार घाटा एवम् भुगतान शेष को कम करने के लिए कटिबद्ध है। परन्तु तस्वीर क्या है ? आज वास्तविक स्थिति क्या है ? तस्वीर यह है, जैसा कि सरकारी प्रतिवेदन दर्शाता है, कि हाल के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लगभग गतिरोध उत्पन्न हो गया क्यों ? क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था में गम्भीर मंदी व्याप्त है और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा आरक्षण निधि अपनायी जा रही है। यह बात सरकार ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार भी की है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मेरा अपना ख्याल यह है कि पूंजीवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तियां (जो अपना गम्भीर आर्थिक संकट विकासशील और अविकसित देशों की कीमत पर हल करना चाहते हैं) मुख्यत: इसके लिए जिम्मेदार हैं। परन्तु, दुर्भाग्य से भारत सरकार भी देश में पूंजीवाद के विकास के रास्ते पर चल रही है,—यह वह रास्ता है जिसका मुख्य रूप से सम्बन्ध विश्व की संकट ग्रस्त पूंजीवाद व्यवस्था से है—इस तथ्य के बावजूद जैसा कि भारत के संविधान की भूमिका में कहा गया है कि हम भारत को एक 'प्रभुसत्ता, सम्पन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' बनाने का संकल्प करते हैं। परन्तु हम देखते हैं कि सरकार वास्तव में समाजवादी देशों के साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों को विकसित करने का प्रयास नहीं कर रही है। समाज-

वादी देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने की बजाय हम पूंजीवादी देशों पर अधिक से अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। विश्व के व्यापार में भारत का हिस्सा बिल्कुल ही कम है। सन् 1982-83 के 5448 करोड़ रुपये का घाटा 1983-84 में बढ़कर 5895 करोड़ रुपए हो गया। आपकी यह सफलता है। मुझे नहीं पता यह नीति हमें किधर ले जा रही है।

महोदय, आपने दावा किया है कि 1983-84 में भारत का कुल निर्यात 1982-83 की अपेक्षा 10.8 प्रतिशत बढ़ा है तथा अप्रैल से दिसम्बर 1984 की अवधि के दौरान इसमें 18.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी दौरान, यह भी नोट करने की बात है कि 1983-84 में आयात भी 1982-83 की अपेक्षा 9.8 प्रतिशत बढ़ा है तथा अप्रैल से दिसम्बर 1984 की अवधि के दौरान इसमें 12.8 प्रतिशत की और वृद्धि हुई है। बात फिर भी वही है कि विदेश व्यापार अभी भी काफी घाटे में है तथा आप यह आश्वासन देने में सफल नहीं हो पाए कि यह घाटा आने वाले वर्षों में कम हो जाएगा।

आपने 12 अप्रैल को लोकसभा में अपनी नई निर्यात आयात नीति की घोषणा की है तथा इसे 'सन्तुलित नीति' कहा है तथा यह घोषणा की है कि यह न तो 'उदार है तथा न निर्बन्धात्मक'। परन्तु नीति के अध्ययन से पता चलता है कि आयात को काफी उदार बनाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि यह नीति 3 वर्ष तक मान्य रहेगी जबकि पहले हर वर्ष नई निर्यात-आयात नीति की घोषणा की जाती रही है।

आपने 53 वस्तुओं को आयात की सरणीकरण सूची से निकालने का निर्णय लिया है, जिनमें से 17 को 'ओपन जनरल लाइसेंस' के अन्तर्गत रख दिया है। आपने अन्य औद्योगिक मशीनरी की 201 मदों को ओपन जनरल लाइसेंस के अधीन कर दिया है। निर्माता निर्यातकों को आयातित सामान की निःशुल्क सुविधा प्रदान करने के लिए आपने एक नई निर्यात-आयात पास बुक स्कीम बनाई है। बची हुई सरणिबद्ध वस्तुओं के बारे में आपने सरकारी क्षेत्रों में सम्बन्धित वस्तुओं के निर्माण में लगे एककों की भूमिका को उनके निर्माण के लिए सरणिबद्ध एजेन्सियों के रूप में उचित स्थान नहीं दिया। बजट में किए गए वायदे के अनुसार कम्प्यूटर प्रणाली के लिए आयात को उदार बना दिया है। हम देखते हैं कि हर प्रकार से नई निर्यात-आयात नीति का झुकाव आयात में उदारता का है। सरकारी क्षेत्र द्वारा महत्वपूर्ण वस्तुओं, जैसे-तेल तथा उर्वरकों तथा बहुत सी इस्पात की वस्तुओं के आयात में कमी की गई है और गैर-सरकारी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ा दिया गया है। प्रक्रिया को बिल्कुल बदलने तथा इसमें सुधार करने का तर्क देकर आयात केवल शीघ्रता से ही नहीं हो सकेगा बल्कि यह सरल भी हो गया है, जिसके कारण व्यर्थ आयातों का खर्चा बढ़ने की सम्भावना हो गई है।

2.00 म०प०

आयात को उदार बनाने के लिए इस प्रकार के उपाय किए गए हैं। ऐसा कहा गया है कि उदार दृष्टिकोण भारतीय उद्योग की योग्यता में सुधार करेगा तथा प्रौद्योगिकी का नवीकरण करेगा, यह उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचाएगा तथा दीर्घावधि में विदेशी मुद्रा की भी संचय करेगा, जबकि अल्पावधि में इससे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च हो सकती है। परन्तु वास्तव में उदारता की वजह से विदेशी मुद्रा का खर्च अधिक बढ़ने से हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति और कठिन

हो जाएगी, जिससे देश पर ऋण का बोझ बढ़ जाएगा तथा उसके परिणाम स्वरूप ब्याज की रकम बढ़ जाएगी इस प्रकार से दीर्घ काल में सम्भावित लाभ, अल्पावधि में होने वाले कुछ घाटों के कारण, समाप्त हो जाएगा। अन्ततः हमें कोई फायदा नहीं होगा।

इसके साथ, सामान्य आर्थिक भार के अलावा जैसा कि भुगतान को बहुत बुरी स्थिति में होता है हमारे ऊपर इससे भी अधिक गम्भीर बोझ पड़ेगा जिसके कारण हम साम्राज्यवादी एजेन्सियों तथा बहुराष्ट्रीय बैंकों के इशारों पर चलने पर मजबूर हो जाएंगे।

इस स्थिति के आने में अब कोई देरी नहीं है। हाल ही में हमारे वाणिज्य मन्त्री राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के साथ अमरीका के नेतृत्व में हुई बैठकों में भाग लेकर वाशिंगटन से निराश लौटे हैं।

अब महोदय, अद्यतन प्रौद्योगिकी का अर्जन करने के प्रश्न पर आते हुए, हमें यह दिमाग में रखना है कि आयात उदारता स्वदेशी उपकरण—निर्माण आधार तथा प्रौद्योगिकी आधार को नष्ट कर देगी तथा कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी निर्यात के रूप में विश्व के स्तर तक पहुंचने के लिए भारत की छोटी सी सफलता को यह शून्य कर देगी।

नई नीति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन का रास्ता खोल देगी जो स्वदेशी उत्पादन की कीमत पर बाजार में अपने माल की भरमार कर देंगे तथा दुर्लभ विदेशी मुद्रा बरबाद कर देंगे। इससे केवल मुट्ठीभर पूंजीपति, उपभोक्ताओं की कीमत पर, अच्छा मुनाफा कमायेंगे।

अतः, इस भारी मुनाफे को पूंजीपतियों से छीनने का केवल रास्ता यही है कि या तो कर लगाए जाएं या ऐसे क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा जाए। इस दुष्चक्र से बचने का केवल यही रास्ता है।

परन्तु सरकार इस रास्ते को अपनाने की बजाय आयात को उदार बना रही है जिससे अन्य बुराइयों के अतिरिक्त भारतीय कामगारों का रोजगार भी छिन जाएगा। समाजवादी योजना तथा पूंजीवादी योजना में यही मूल अन्तर है। इस नीति में आयात को उदार बनाने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है परन्तु निर्यात की ओर ऐसा कोई जोर तथा बल नहीं दिया गया। निर्यात व्यापार संचालन के लिए आवश्यक संसाधन तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कोई उचित तथा सुधारात्मक उपाय नहीं किए।

इस नीति सम्बन्धी वक्तव्य में छोटे वर्ग के उद्योग पतियों को अपना उत्पादन अधिक से अधिक निर्यात करने के लिए सहायता देने का उपबन्ध तो है ही नहीं, जबकि पिछले वर्ष जिस नीति सम्बन्धी वक्तव्य की घोषणा की थी उसमें यह व्यवस्था थी।

महोदय, हमारे पास अनेक निर्यात योग्य वस्तुएं हैं, जैसे, चाय, जूट, जूट की बनी वस्तुएं काफी, काजू, कपड़ा, सूती कपड़े, गर्म मसाले, फल, इंजीनियरी का सामान आदि। परन्तु निर्यात के लिए उपलब्ध इन सभी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किये गये। यद्यपि रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के मूल्य में कुछ सीमा तक वृद्धि हुई है, परन्तु मात्रा के हिसाब से निर्यात में कमी ही होती जा रही है। उदाहरण के लिए इन्जीनियरी के सामान के निर्यात की कमी को ही ले लीजिए। यह अधिकतम कमी आई है। इन्जीनियरी उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तथा हमारे प्रतिभावान इन्जीनियर भी इससे पीड़ित हैं।

जहां तक हमारी आयात नीति का सम्बन्ध है यदि आप इस नीति का अद्योपान्त गम्भीर रूप से अध्ययन करें तो पाएंगे कि इस नीति सम्बन्धी वक्तव्य में आयात उदारता का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

चाय उद्योग यद्यपि दो वर्ष पहले कीमतों में गिरावट तथा अन्य कारणों से कुछ परेशानी महसूस कर रहा था, पर अब कोई परेशानी नहीं है तथा कीमतें भी बढ़ रही हैं। 1984 में हमारा निर्यात बढ़कर 21.5 करोड़ किलोग्राम हो गया है। 1983 में यह 20.9 करोड़ कि०ग्रा० था। 1985 के लिए हमारा निर्यात लक्ष्य 27.3 करोड़ कि०ग्रा० है। फिर भी चाय के निर्यात में वृद्धि की गुंजाइश है बशर्ते कि चाय बोर्ड तथा अन्य ऐजेन्सियां मिलकर काम करें। परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा। चाय के उत्पादन में वृद्धि हो रही है तथा घरेलू मांग में भी वृद्धि हो रही है, परन्तु भारतीय उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को देखते हुए स्वदेशी बाजार में चाय के दाम बहुत अधिक हैं। सरकार को स्वदेशी बाजार में चाय के उचित दाम निर्धारित करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। पर यदि निर्यात से हमारी चाय के अधिक दाम मिलते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

चाय बागान मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार को यह देखना चाहिए कि चाय बागानों के मालिक अपने मुनाफे को चाय बागानों के विकास के लिए खर्च करें। वरना वे ही पुरानी परेशानियां फिर उत्पन्न हो सकती हैं। वे अपने मुनाफे को कहीं और खर्च कर देंगे। इसीलिए सरकार को तत्काल ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे वे अपने मुनाफे को चाय-बागानों पर लगाने के लिए मजबूर हो जाएं तथा उनके भविष्य के विकास के लिए इन्तजाम कर सकें।

हमें आशा थी कि भारतीय चाय व्यापार निगम हमारे उपभोक्ताओं के लिए चाय की उचित कीमत निर्धारित करने के लिए कुछ करेगा क्योंकि यह मुख्यत: चाय व्यापार में लगा दिया है, परन्तु यह बुरी तरह से असफल रहा है। भारतीय चाय व्यापार निगम कर्मचारी संघ द्वारा वाणिज्य मन्त्रालय में हमारे राज्य मन्त्री को दिए गए ज्ञापन से हमें पता चला है कि भारतीय चाय व्यापार निगम घाटे में चल रहा है, बैंक ऋण तथा सरकारी सहायता पर निर्भर रहता है। इसके पास कोई योजना नहीं है, इसके विदेशी बैंक त्रुटिपूर्ण हैं, यह समझौते ठीक तरह नहीं कर पाता, घटिया किस्म की चाय सप्लाई करता है तथा इसके उपरि खर्चे अनुपात से अधिक हैं इसीलिए भारतीय चाय व्यापार निगम घाटे में चल रहा है। यदि इन कमियों को समय पर ठीक नहीं किया गया या दूर नहीं किया गया तो इस निगम को बन्द करना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त, एकाधिकार के बड़े घराने जैसे लिपटन, ब्रुक बांड तथा उनकी सहायक कंपनियों ने समस्त चाय बाजार पर नियंत्रण किया हुआ है तथा उनका एकाधिकार है। उस तरह का एकाधिकार हमारे चाय व्यापार के भविष्य को खराब कर रहा है, उत्पादकों के लिए अधिक कीमत तथा उपभोक्ताओं के लिए उचित कीमत होनी चाहिए।

आपको यह जानकर अचम्भा होगा कि कुछ वर्ष पहले बहुराष्ट्रीय निगमों की बहुत सा शाखाएं तथा सहायक कम्पनियां चल रही थी जो चाय बगानों का काम करती थी, जिसमें चाय की प्रक्रिया तथा बनाना भी शामिल है। ये निगमें करोड़ों रुपए बाहर भेजती थी। उन्होंने केवल एक वर्ष अर्थात् 1978-79 में 639.78 लाख रुपया भेजा। मैंने आगे आने वाले वर्षों की सूचना पूछने के लिए प्रश्न की सूचना दे दी है अर्थात् मन्त्रालय से इस तरह के पैसे भेजने के बारे में अद्यतन सूचना मांगी है।

इसीलिए मैं सरकार से अग्रहा करूंगा कि हमारे उद्योग, कामगारों तथा देश के हित में इस प्रकार से पैसे को विदेशों में भेजने पर रोक लगाई जाए।

दार्जिलिंग में विश्व प्रसिद्ध 110 लाख किलोग्राम उत्कृष्ट चाय पैदा होती है। परन्तु 440-450 कि० ग्रा० चाय दार्जिलिंग चाय के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिक रही है। इस प्रकार से वे दार्जिलिंग चाय की छवि खराब कर रहे हैं जो हमारे देश की प्रमुख चाय है। इस प्रकार की हेराफेरी एकदम समाप्त की जानी चाहिए। दार्जिलिंग चाय बागान बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जैसे कम उत्पादन, पुरानी पौध बहुत सी समस्याएं हैं। हमने इस बात को सलाहकार समिति की बैठक में तथा संसद में कई बार उठाया। उसके बाद दार्जिलिंग चाय उद्योग के नव निर्माण तथा पुनरुत्थान के सरकार ने 43 करोड़ रुपये मन्जूर किए। परन्तु इसे कार्यान्वित नहीं किया गया। वास्तव में मैंने रिपोर्ट में देखा है कि किसी चाय बागान को भी पैसा नहीं मिला। एक कहावत है रोगी के मरने के बाद आपरेशन सफल हुआ। यहां ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्यथा इतना पैसा खर्च करने का कोई फायदा नहीं है इस योजना को शीघ्र लागू करे कहीं ऐसा न हो कि चाय उद्योग बिल्कुल समाप्त हो जाए।

इसी प्रकार से अन्य उद्योग हैं जैसे जूट उद्योग जिसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य परेशानी यह है कि जूट के व्यापारी पैसे को इसी पर नहीं लगा रहे बल्कि वे लाभ कमाने के लक्ष्य से इसे अन्य व्यापार में लगा देते हैं। पैसे की विविधता के कारण जूट उद्योग को बहुत नुक्शान हो रहा है। बेरोजगरी की समस्या से लाखों लोग परेशान हैं जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए मई 1985 में उन्होंने हड़ताल करने का फैसला किया है। उनकी मुख्य मांग है कि जूट मिलों को खोला जाए तथा छंटनी में निकाले गए कामगारों को रोजगार प्रदान किया जाए तथा जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए। कपड़ा उद्योग का भी यही हाल है। लाखों कामगार यहां कार्य करते हैं। सरकार वहां से राजस्व कमा रही है। हम इसका निर्यात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यह उद्योग भी बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहा है। इसमें बहुत-सी कमियां हैं। बहुत से कामगारों की छटनी कर दी गई है। बहुत सी सूती कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं। वे लाभ कमाने के लक्ष्य से पैसे को अन्यत्र लगा रहे हैं। इसका केवल एक ही समाधान है कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। कुछ कपड़ा मिलों का पहले ही राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, परन्तु उनका कार्य-निष्पादन मानक स्तर का नहीं है। इस पर विचार किया जाए तथा देश के, कामगारों के तथा उद्योग के हित में कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए।

दक्षिण में बहुत सी निर्यात करने वाली वस्तुएं हैं, जैसे काफी, काजू, काली मिर्च, चटाई तथा इलायची, आदि। उनके अधिक से अधिक निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए ताकि हमारे निर्यात को बढ़ाया जा सके तथा हम विदेशी मुद्रा कमा सकें, जिसकी हमारे देश को बहुत आवश्यकता है।

एक शत्रु सम्पत्ति अधिनियम है जिसका प्रवर्तन हमारा वाणिज्य मन्त्रालय कर रहा है। परन्तु मुख्य समस्या यह है कि पश्चिम बंगाल में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी आए हैं वे यहां पहले से आ चुके हैं, वे वापिस नहीं जा सकते। वे अपनी सम्पत्ति तथा अन्य वस्तुओं को पीछे छोड़ आए हैं। वे मुख्तयः पश्चिम बंगाल में ही हैं। उन्होंने अपने दावे कलकत्ता में दाखिल किए हैं। दावों पर कार्यवाही और छानबीन दिल्ली में की जा रही है लेकिन भुगतान बम्बई से किया जाएगा। इस प्रक्रिया

में समय लगता है और अनेक वास्तविक शरणार्थियों को उनके भुगतान से वंचित किया जाता है। इसलिए मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह करता हूं कि दावों की कोशिश कलकत्ता में प्राप्त की जाए और यदि आवश्यक हो तो इसकी जांच की जाए तथा कलकत्ता में ही इसका भुगतान किया जाये। इससे प्रक्रिया को कारगार बनाने में मदद मिलेगी तथा शरणार्थी परेशानी से बच जायेंगे तथा इसमें विलम्ब भी नहीं होगा।

सभापति महोदय : श्री देवी घोसाल।

श्री देवी घोसाल (बैरकपुर) : सभापति महोदय, वाणिज्य तथा पूर्ति मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर माननीय मन्त्रियों और सदस्यों के सामने इस सदन में मुझे पहली बार बोलने के लिए आपने जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

इस विशेष अवसर पर बोलते हुए मैं इस सदन को केवल यह याद दिलाना या सचित करना चाहता हूं कि मैं पश्चिम बंगाल के इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां देश की 62 पटसन मिलों में से लगभग 21 मिलें हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 21 पटसन मिलें चल रही हैं जिसमें से 7 मिलें बन्द हैं।

वस्त्र तथा पूर्ति मन्त्री पिछले दिनों वाद-विवाद के दौरान बोल रहे थे। वह इस अति नाजुक उद्योग पर अपने भाषण में 3 मिनट से अधिक समय तक नहीं बोल सके। इन मिलों के लिए इस क्षेत्र में प्रचलित अनिश्चितता की वर्तमान स्थिति को समाप्त करने के लिए मुझे बहुत दिलचस्पी थी। बंगाल के उन सामान्य श्रमिकों को हटाया जाएगा जो इस महत्वपूर्ण उद्योग तथा सहायक उद्योगों पर निर्भर हैं।

मुझे आशा है कि माननीय वाणिज्य मन्त्री, जो यहां उपस्थित हैं मेरी भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करेंग तथा वह इस बारे में कुछ जरूर करेंगे ताकि एक क्षेत्र या पूरे राज्य में पूर्ण रूप से प्रचलित अनिश्चितता को दूर जा सके और उन लोगों को वर्तमान कठिनाई से बचाया जा सके।

आप जानते हैं कि कार्य कर रहीं लगभग 70 पटसन मिलों में से राज्य में करीब 16 पटसन मिलें बन्द हैं। लगभग 1 लाख लोग इन पर निर्भर करते हैं। इस उद्योग से संबद्ध सहायक तथा अन्य वस्तुओं की सप्लाई करने के अन्य साधनों पर भी कुछेक लाख लोग निर्भर करते हैं। इसके परिणामस्वरूप पूरे राज्य में आर्थिक अनिश्चितता तथा अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह की अनिश्चितता और गतिरोध के कारणों का पता लगाने में हमें ऐसा मालूम हुआ है और कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि यह केवल राज्य सरकार, वित्तीय संस्थाओं, कुप्रबन्ध के रिकार्ड सहित अकुशल प्रबंधकों के कारण हुआ है कि आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है और कुछ पहलुओं में मजदूर संघों या सरकार के किसी विभाग अर्थात श्रम विभाग के बीच मतभेदों से यह औद्योगिक अशांति उत्पन्न हुई है। अब मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया विश्वास दिलाएं कि ये एकक, जो इस समय बन्द पड़े हैं लेकिन जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की कुछ सहायता से चालू किए जा सकते हैं, तुरंत चालू किये जाने चाहिए। मेरे विचार में जो सात मिलें बन्द पड़ी हैं, उनमें से एक मिल इसलिए बन्द पड़ी है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजदूरों के एक वर्ग के शेष से सम्बंधित मामूली विवाद को हल करने या निपटाने के बारे में राज्य सरकार की मशीनरी असफल रही है। इस मिल के साथ अन्य कोई समस्या नहीं है।

लेकिन इस सबसे अच्छे प्रबन्ध वाली बहदेपुर, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक समृद्ध मिल में 5000 स्थायी मजदूरों को उनके रोजगार और आजीविका से इसलिए अलग किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की समझौता मशीनरी बैठक बुलाने तथा वहां चल रहे विवाद को निपटाने में असफल रही है। अन्य पटसन मिल के साथ भी इसी तरह का मामला है जहां एक विशेष विभाग की समस्या है। इसका भी हल नहीं निकाला जा सका और पहले मिल की तरह इस मिल की भी यही स्थिति हुई। यदि आप इन मिलों के बारे में पता लगायें और उन्हें अलग रखें तो मैं आपको बता सकता हूं कि बिना कुछ ज्यादा किए हुए इन दोनों मिलों को तुरंत चालू किया जा सकता है। वहां कुछ अन्य मिलें हैं जिनके बंद होने के कारण भिन्न कारण हैं। कुछ की अपनी समस्याएं हैं जो या तो उनके द्वारा ही उत्पन्न की गई हैं या जो वर्षों से राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हुई हैं। अब ये मिलें रुग्ण हो गई हैं और उनके पास पैसा नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है। जो पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको भविष्य निधि देय राशि ई० एस० आई० अंशदान और उपदान, की राशि की अदायगी न करने की समस्यायें हैं। इस तरह के मामलों में राज्य सरकार ने भी काफी अकर्मण्यता दिखायी है। इस संबंध में वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को भी लिया जाना चाहिए। कुछ मामलों में रिजर्व बैंक और वाणिज्यक बैंकों के बीच तालमेल न होने के कारण समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। इस उद्योग के एक मामले के बारे में हमने देखा है कि अर्थ सलाम बनाने के प्रश्न पर आई० आर० बी० आई० ने कुछ योजनाओं का अनुमोदन किया था और उसी का आर० बी० आई० ने अनुमोदन किया था जिससे विशेष समस्या को सुलझाने के लिए एककों की उदारतापूर्वक सहायता की जाये। परंतु वाणिज्यिक बैंक समय पर आगे नहीं आए जिसके परिणामस्वरूप वे ससमस्याएं जिनसे बचा जा सकता था और मिलों को चालू किया जा सकता था, वैसी ही बनी रहीं तथा मिलों को अपने द्वार बन्द करने पड़े। तथा उसके बाद लम्बी अवधि के पश्चात् इन समस्याओं को निपटाया जा सका और एक लम्बी अवधि के बाद मिल चालू की गई। हाल ही में हमने एक नई बात देखी जो अभूतपूर्व है। राज्य सरकार ने हम मजदूरों से विश्वास प्राप्त करने के लिए जो बातें समझने के लिए पर्याप्त पढ़े-लिखे नहीं हैं, यह निर्णय किया कि 3 या 4 मिलों को खोला जाए। इससे धारा 10(3) के अंतर्गत प्रबन्धकों को इन एककों को यह जानते हुए कि उनके पास पर्याप्त राशि नहीं है और उनके सामने कुछ मजदूर संघ की समस्याएं हैं जिन्हें सबसे पहले हल करना है। खोलने के लिए नोटिस जारी किये। लेकिन राज्य सरकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहती थी और इसने एकक खोलने के लिए उन्हें धारा 10(3) धारा के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। उसी समय प्रबंधकों को इस बारे में पहले से ही सूचना दी गई थी ताकि वे समय पर न्यायालय जा सकें और व्यादेश प्राप्त कर सकें, ताकि राज्य सरकार बाद में यह कह सके कि यह सब कुछ न्याय पालिका की नौकरशाही और बुजुंआ पद्धति के कारण हुआ इसलिए राज्य सरकार क्या कर सकती है। इस तरह के दो मामलों मेरे द्वारा लड़े गए। और नियोक्ता द्वारा प्राप्त किए गए। आदेश का विरोध करने के लिए मुझे पार्टी बनना पड़ा। हालांकि इन मामलों को राज्य सरकार द्वारा लड़ना था, लेकिन उसका प्रतिनिधि अनुपस्थित पाया गया ये बातें हो रही हैं।

एक माननीय सदस्य : पटसन उद्योग के बारे में क्या स्थिति है।

श्री देवी घोसाल : हम यहां पटसन उद्योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार वाणिज्यिक बैंकों के साथ समस्याओं को हल करने में दिलचस्पी नहीं

दिखायेंगी और जब तक इन मिलों के मालिकों से भी अपनी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं कहा जाएगा तथा भविष्य में उनके दक्षतापूर्वक चलाने के बारे में निश्चित आश्वासन नहीं देंगे तब तक इस उद्योग में कुछ और महीनों तक गतिरोध की स्थिति बनी रहेगी जिससे गरीब मजदूरों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अतः मैं माननीय मंत्री से इस समस्या पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

पिछले दिनों जब पूर्ति तथा वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री वस्त्र उद्योग के बारे में जवाब दे रहे थे तो उन्हें पटसन उद्योग के बारे में भी बोलना चाहिए था। चूंकि उन्हें पटसन उद्योग के बारे में बोलने के लिये मुश्किल से 3 मिनट का समय मिला था इसलिए पटसन से संबंधित कई मुद्दों को वे शायद शामिल नहीं कर सके। अतः मैं वाणिज्य मंत्री से जो यहां उपस्थित हैं; अनुरोध करता हूं कि कृपया वह अपने उत्तर में उन पहलुओं को भी लें जिन्हे वस्त्र मंत्री ने नहीं लिया था।

अब मैं चाय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। चाय उद्योग देश में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है यह देश के पूर्वी भागों जैसे बंगाल, असम और इस तरह के अन्य स्थानों में स्थित है। यह एक और उद्योग है जिसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें काफी राजस्व प्राप्त कर रही हैं और इनकी दशा को सुधारने के लिए बैंकों के माध्यम से उन्हें भारी अग्रिम धनराशि दे रही हैं। इस उद्योग में उत्पादन लागत अधिक है जो हमारे निर्यात में बाधक बन रही है और यह अन्य देशों के साथ भारी प्रतिस्पर्धा होने के कारण विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। चूंकि हम अच्छी किस्म की चाय का उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए ताकि यह देश समृद्ध बन सके तथा बंगाल की अर्थव्यवस्था, जो पटसन और चाय पर मुख्य रूप से निर्भर करती है, भविष्य में बिगड़ने नहीं दी जाए और इसके बाद इन दोनों उद्योगों की स्थिति में सुधार होने से राज्य को इसी प्रकार से समृद्ध किया जा सकता है जैसा कि वह पहले था।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात को नोट करें कि हमारे राज्य में कुछ सूती मिलें बन्द पड़ी हैं। मैं एक ऐसी मिल को जानता हूं जिसमें आई० आर० बी० आई० की 85% शेयर पूंजी लगी थी। उस एकक के प्रबन्धक की शेष केवल 15% प्रतिशत शेयर पूंजी थी। यदि इस शेष 15% शेयर को भी आई० आर० बी० आई० द्वारा ले लिया जाता है तो यह मिल आई० आर० बी० आई० की हो जाती है। लेकिन वे चाहते हैं कि निजी उद्योगपति आगे आयें और उस एकक को अपने हाथ में लें जो अभी रुग्ण है। लेकिन 85% शेयरपूंजी आई० आर० बी० आई० की है। इन रुग्ण एककों का ध्यान इस प्रकार से रखा जाना चाहिए जिससे कि निजी उद्यमियों को सरकारी एजेन्सियों द्वारा लगाई गई अधिक शेयरपूंजी न दे दी जाये। बल्कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि क्या इस एकक को एन० टी० सी० के साथ संबद्ध किया जा सकता है या आई० आर० बी० आई० इसको सीधे अपने हाथ में ले सकता है।

अब मैं बंगला देश से आए हुए उन लोगों को, जिन्होंने वहां पर अपनी सम्पत्ति छोड़ दी है, मुआवजे की अदायगी करने के प्रश्न पर आता हूं। जैसा कि दूसरी ओर के एक माननीय दोस्त कह रहे थे कि समुचित जांच करने के बाद मुआवजे के मामले जब निपटा दिए जाते हैं तो यदि मुआवजे का कम से कम कुछ भाग लघु और मध्यम उद्योगों में लगाया जा सकता तो शायद कुछ वर्गों के युवा लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता था।

श्री देवी घोसाल : इस संबंध में हम अभी नहीं सोच सकते । अत: मेरा अनुरोध है कि जिन उद्योगों, वाणिज्य स्थापनाओं को छोड़ दिया गया है और सरकार के विचारार्थ प्रतीक्षा सूची में हैं, उनके संबंध में जल्द निर्णय लिया जाए तथा उपयुक्त ढंग से जांच करने के बाद इन लोगों को कुछ धनराशि दी जाए ताकि वे उसे लघु तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों में लगा सकें । अगर ऐसा किया जाता है तो हमारे राज्य को लाभ होगा और लोगों को रोजगार का एक और जरिया मिलेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभापति महोदय, आप घोषणा कर ही चुके हैं कि मंत्री जी को 2.45 बजे उत्तर देने के लिए बुलाया जाएगा । विषय बहुत विस्तृत है तथा समय बहुत कम है ।

वित्त तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय आप मेरा समय श्री इन्द्रजीत गुप्त को दे सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका मतलब है कि आप जवाब देंगे ही नहीं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं-नहीं मैं जवाब दूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बहरहाल मैं संक्षेप में कहूंगा ।

सभापति महोदय : आपके बल के लिए 6 मिनट का समय निर्धारित है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मालूम है । यहीं मेरा दुर्भाग्य है ।

पश्चिम बंगाल की जूट मिलों तथा श्रमिकों की दशा के बारे में यहां अनेक सदस्यों ने विचार किया है । इस माह की 9 तारीख को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस पर हमने चर्चा भी की थी ।

जहां तक वित्त मंत्री का संबंध है मेरे विचार से यह उनके लिए परीक्षा की कसौटी है । क्योंकि बजट पेश करने के दौरान उन्होंने जो धारणा प्रतिपादित की थी वह यह थी कि कुप्रबंधकों के साथ क्या किया जाएगा; उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा । उन्होंने कहा था कि उन्हें बुरी मुद्रा की तरह बाहर निकलना होगा । जूट मिलें उनके लिए परीक्षा की कसौटी हैं । मालूम नहीं कि सरकार इस बात का पता लगाने के लिए क्या कोई जांच कर रही है कि यह कुप्रबंधकों इन जूट मिलों की संपति को शून्य तक पहुंचाने में किस हद तक जिम्मेदार है । कई जूट मिलों की सम्पति तो घटकर 50% या उससे भी कम रह गई है । मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । बहुत से जूट मिल मालिक ऐसे हैं जिन्हें जूट-उत्पादन से कुछ लेना देना नहीं है । उन्हें जूट उत्पादन में रुचि नहीं है । वे तो सट्टेबाज तथा ठग हैं । जो लोग 'नार्थ ब्रूक जूट मिल' तथा 'डलहौजी जूट मिल' के मालिक हैं उन्होंने जीवन भर कभी भी जूट उत्पादन में रुचि नहीं ली । अब वे लोग इन मिलों में लगे अपने पैसे को निकालकर अन्य जगहों पर लगाना चाहते हैं । यह एक विकट समस्या है । मालूम नहीं इसे हम किस तरह निपटाएंगे । जूट मिल मालिकों ने मिलों को बन्द करने या उनमें तालाबन्दी करने की घोषणा कर दी है और इस समय 16 मिलें प्रभावित हैं तथा लगभग 75-80 हजार मजदूर बेरोजगार हो गए हैं । इन मिलों को बन्द या उनमें तालाबंदी करने का मुख्य कारण वास्तव में यह नहीं है कि वहां कच्चे जूट की कमी है या फाइबर उपलब्ध नहीं है जिसके कारण मिलों को बन्द करना पड़ रहा है । मैंने कहा था कि इसके पीछे कारण है । पहला कारण यह है कि मिल-मालिकों को अधिक रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाए । चार दिन पहले, इस महीने की 25 तारीख

को इंडियन जूट मिल एसोसिएशन के चैयरमैन श्री बी० के० जालान ने इसका रहस्योद्घाटन किया है। उन्होंने कलकत्ता में एक आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, (इस सम्मेलन के बारे में खूब खबरें छपी है) स्पष्ट कहा था कि उनकी कुछ मांगे हैं।

2.34 म० प०

(श्री बक्कम, पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

पहली मांग थी कि जूट उद्योग को तीन महीनों के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों तथा शुल्कों से राहत दी जाए। दूसरी मांग यह थी कि उन्हें बिजली में कटौती तथा पश्चिम बंगाल सरकार के ऊर्जा नियंत्रण आदेश से मुक्त किया जाए। मालूम नहीं उनकी यह मांग कहां तक उचित है क्योंकि ये सभी जूट मिलें अपने स्वयं के जनरेटरों पर चल रही हैं। बिजली की सप्लाई के लिए वे राज्य विद्युत सप्लाई पर निर्भर नहीं है। खैर, वे यह मांग कर रहे हैं। तीसरे, उन्होंने यह भी मांग की है—बड़ी दिलचस्प मांग है, मैं इसके बारे में पहले नहीं जानता था - जूट से बनी वस्तुओं की स्थानापन्न कृत्रिम वस्तुएं बनाने वाली फर्मों पर लगने वाले शुल्क में वृद्धि की जाए। श्री जालान के अनुसार सरकार बहुत-सी फर्मों को जूट से बनी वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। हमें बताया जाता है कि विदेशों में लोग जूट से बनी वस्तुएं खरीदना नहीं चाहते, वे कृत्रिम वस्तुएं खरीदते हैं अतः जूट उद्योग खतरे में है। श्री जालान के अनुसार भारत में एक महीने, में, जूट से बनी वस्तुओं के एवज में कृत्रिम वस्तुएं बनाने वाली 68 यूनिटों को पंजीकृत किया गया। जिनकी कुल मिलाकर वार्षिक उत्पादन क्षमता जूट से बनी 500,000 टन वस्तुओं के बराबर है। इस तरह की 150 और यूनिटों को लाइसेंस दिए गए हैं। मालूम नहीं यह सही है या नहीं। अगर ऐसा है तो मैं इस संबंध में पुष्टि या खंडन करवाना चाहूंगा मालूम नहीं कि अन्य सिंथेटिक निर्माताओं को प्रोत्साहन देकर जूट से बनी वस्तुओं की कामतें कम करने के लिए श्री जालान पर दबाव डालने की यह सरकार की कोई गहरी चाल है। लेकिन मुझे यह सब पढ़कर बहुत हैरानी हुई। पहली बार मैंने जूट मिल मालिकों को इस तरह की शिकायत करते सुना है। बहरहाल बात यह है कि वे करों से कुछ राहत और रियायतें तथा आर्थिक सहायता चाहते हैं और उनका कहना है कि अगर उन्हें यह सब नहीं दिया गया तो वे इन मिलों को चालू नहीं करेंगे।

इस माह की 9 तारीख को यहां चर्चा के दौरान श्री चन्द्रशेखर सिंह ने मेरे एक सुझाव पर स्पष्ट आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी एक उच्चस्तरीय बैठक या सम्मेलन बुलाया जाएगा जिसमें केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें भारतीय जूट मिल एसोसिएशन, राष्ट्रीय जूट निर्माता एसोसिएशन अर्थात राष्ट्रीयकृत क्षेत्र, मजदूर संघ या जिस किसी और संबंधित पक्ष को आप बुलाना चाहें तो बुलाया जाएगा तथा इन बन्द मिलों के संबंध में कोई उपाय ढूंढने यथा उन्हें तथा संभव शीघ्र खुलवाने के प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने कहा था कि इस मामले पर तात्कालिक आधार पर विचार किया जाएगा। यह 9 तारीख की बात है और आज 29 तारीख है। मैं हाल ही में कलकत्ता से लौटा हूं। मैं वे श्री ज्योति बसु से बात की थी। उन्होंने बताया कि ऐसे किसी सम्मेलन के होने या न होने के बारे में उन्हें दिल्ली से उनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा "कि हमने केन्द्र को यही कहा था कि अगर ऐसी बैठक आयोजित की जाती है तो बेहतर होगा उसे दिल्ली के बजाय

कलकत्ता में आयोजित किया जाए। बहरहाल यह छोटी-सी बात है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैठक दिल्ली में आयोजित की जाती है अथवा कलकत्ता में। लेकिन स्थिति की मांग को देखते हुए इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित करना जरूरी है। कुछ कोई राज्य सरकार की लगातार आलोचना कर रहा है—यह यहां आम बात हो गई है—कि यह सब राज्य सरकार की अक्षमता या उसकी असफलता आदि के कारण हो रहा है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इस समय कोई भी इन मिलों को खुलवाने में अपनी कुशलता या क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। हमें मिल बैठकर पता लगाना चाहिए कि समस्या क्या है, और उसका समाधान कैसे हो सकता है या कम से कम इन मिलों को तो चालू करवाना चाहिए ताकि बेरोजगार हुए लोगों को पुनः काम मिल सकें। अतः मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति क्या है। क्या इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है अथवा सदन में हाल में जो कुछ कहा गया था वह मात्र आलोचकों को शांत करने के लिये कहा गया था।

दूसरे मैं हाल ही में घोषित नई आयात-निर्यात नीति के बारे में भी दो शब्द कहना चाहूंगा। तीन सालों के लिए पहली बार यह एक ऐसी नीति है जो केवल एक साल के लिए नहीं बल्कि तीन साल के लिए है—मैं समझ सकता हूं, मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, मुझे यह जानकर हैरानी नहीं हुई कि श्री विश्वनाथ प्रताप वहां से निराश लौटे इन बैठकों के बाद वे विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शरण गए। लेकिन उन्हें इस बारे में और बताना खुलासा करना चाहिए था। मुझे यह जानकर निराशा होती है कि हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, बाहर क्या स्थिति है, किस तरह वे सभी विकासशील देशों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं तथा वे हमारी प्रगति को किसी सीमा तक रोकने में सफल रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं सरकार किन कारणों से इस बात को बता नहीं रही। आप गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुखिया हैं आप गुट निरपेक्ष देशों के नेता हैं और हमें इसे मिलकर सुलझाना है। हम ऐसी पहल करने की कोशिश क्यों नहीं करें जिससे सभी विकासशील देश मिलकर कुछ ऐसी कार्यवाही करे कि लोग हमारा इस तरह शोषण न कर सकें।

सभापति महोदय : आप कितने मिनट और चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब तक मन्त्री जी उत्तर नहीं देते। उन्होंने यही प्रस्ताव तो रखा था।

सभापति महोदय : नहीं, श्री गुप्त, आपके दल के लिए बहुत कम समय निर्धारित है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने प्रस्ताव रखा था, मैं क्या कर सकता हूं ? जैसा उन्होंने कहा मैंने मान लिया।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। हमें विपक्ष तथा सत्तारूढ़ दल के अन्य सदस्यों को भी समय देना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस प्रश्न का उत्तर·····

सभापति महोदय : सामान्यतः मैं यह प्रश्न नहीं पूछता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निर्धारित समय में से केवल तीन घंटे और 6 मिनट बचे हैं, जब हमने इस चर्चा को शुरू किया था·····

सभापति महोदय : मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार मन्त्री जी को अपना भाषण 2.45 म० प० को शुरू करना है और बहुत से सदस्य हैं जिन्हें बोलना है कृपया 5 मिनट में अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह तो असंभव है अगर मैं 5 मिनट में समाप्त कर भी दूं। तो भी अन्य सदस्य बोल नहीं पाएंगे। चर्चा हम जारी रख सकते हैं।

सभापति महोदय : अन्य सदस्यों को ध्यान में रख कर 5 मिनट में अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनकी सरकार की नीति आयात को और उदार करने की है। यह हमारी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की नीति के खिलाफ है और इससे ऋण संकट और बढ़ेगा। इससे बहुत से घरेलू उद्योग प्रभावित होंगे। 53 आयातित मदों को सारणीबद्ध करने तथा औद्योगिकी मशनरी की 201 मदों को ओ० जी० एल० में रखने से यहां के मशीन निर्माण उद्योग मशीन निर्माण संयंत्र के विस्तार को आघात पहुंचेगा। सार्वजनिक उपक्रमों में भी इस तरह के उद्योग हैं जैसे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन आदि। मुझे बतया गया है कि कुछ किस्म के सिले सिलाए वस्त्र भी ओ० जी० एल० में शामिल कर लिए गए हैं। अगर यह बात ठीक है तो सिलेसिलाए वस्त्रों को, जिनका हम निर्यात कर रहे हैं, ओ० जी० एल० में शामिल करने की क्या तुक है ? बहरहाल, आयात—निर्यात की यह नीति समयाभाव के कारण जिस पर मैं चर्चा नहीं कर सकता— बजट पेश करते समय प्रतिदिन की गई विचारधारा का ही अङ्ग है। सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका को कम किया जाएगा तथा निजी उपक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा और अपनी मर्जी से चलने दिया जाएगा।

अन्त में मैं वस्त्र उद्योग के बारे में कहूंगा। मुझे बताया गया है कि कपास की कमी है। अपने उद्योगों के लिए हमें इसकी जरूरत है। लेकिन उनका निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है।]

प्रो० एन० जी० रंगा : लम्बे रेशे वाली कपास की कमी नहीं है। छोटे रेशे वाली कपास की की कमी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : डी० सी० एम० को बन्द करने की धमकी के बारे में आज सुबह कुछ चर्चा हुई थी। मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उसे मामले के बारे में अच्छी तरह जानकारी है या वह मेरे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर की आड़ ले रही है। उत्तर में यह कहा गया है कि "यह दिल्ली प्रशासन से सम्बन्धित मामला है अतः केन्द्र के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती"। मुझे इस प्रकार के तर्कों की आशा नहीं है। यह देश की एक बड़ी कपड़ा मिल को बन्द करने की धमकी है। यह तो छलावा है। मिल को बन्द करने का आदेश धोखा है और कुछ नहीं। यह एक विशाल भूमि से लाभ कमाने के लिए किया जाने वाला घोटला है। मेरे विचार से यह काम दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली प्रशासन आदि के साथ मिलकर किया गया है। इस मिल की कीमत जिसमें मिल के परिसर तथा श्रमिकों के मकान शामिल हैं, 600—700 करोड़ रु० से कम नहीं होगी। दिल्ली में होने के कारण उनकी सम्पति का मूल्य इतना बढ़ गया है, यही चाह है इसीलिए उन्होंने अचानक निर्णय लिया कि वे मास्टर प्लान का उल्लंघन नहीं करना चाहते अतः वे मिल को बन्द कर रहे हैं। मास्टर प्लान 1966 से अस्तित्व में है। इतने सालों तक उसकी किसी ने परवाह नहीं की। किसी ने भी नहीं कहा कि बाड़ा हिन्दू राव स्थित डी० सी० एम० मिल मास्टर प्लान का उल्लंघन कर रही है इसलिए उसे वहां से स्थानान्तरित किया जाना चाहिए, इतने सालों बाद, करीबन बीस साल बाद, डी० सी० एम० के मालिक अचानक मास्टर

प्लान के समर्थक हो गए और उन्होंने मिल को बन्द करने का निर्णय ले लिया। असल बात यह है कि वे लोग इस सारी जगह को व्यावसायिक-स्थापना में परिवर्तित करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा कहा है। व्यावसायिक स्थापनों को इस भूमि को किराए पर लेने या खरीदने की अनुमति होगी और वे लोग इससे 600-700 करोड़ रु० लाभ कमाएंगे। स्थिति का एक पहलू यह है। लेकिन बेरोजगार होने वाले श्रमिक तथा परिवारों को विकट स्थिति से गुजरना पड़ेगा अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर तत्काल विचार करें। और किसी भी स्थिति में उन्हें मिल बन्द करने के लिए मजूरी न दी जाए।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास) : महोदय, आरम्भ में मैं वाणिज्य तथा पूर्ति मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिए जाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठ तीन पर उल्लिखित है कि निर्यात प्राप्त होने वाली 1981-82 में 15.3 प्रतिशत, 1982-83 में 14.1 प्रतिशत तथा 1983-84 में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि निर्यात—आय में वृद्धि हुई है या कमी। उन्हें इससे वृद्धि करने के लिए गम्भीरता से प्रयास करने चाहिए।

सेल्यूलोसिक तथा विसकोस फाइबर का निशुल्क आयात किया जाता है। जिससे कारण कोयम्बटूर जिले में सिरमुगाई स्थित साऊथ इंडिया विसकोस लिमिटेड को बन्द करना पड़ेगा परिणामस्वरूप करीबन 3000 श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें तथा सेल्यूलोसिक तथा विसकोस का निशुल्क आयात बन्द करे तथा उस पर नियंत्रण लगाएं वैसे ही औद्योगिक सूचि में तमिलनाडु का स्थान 13 वें स्थान पर है। मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे उद्योगों को बढ़ावा दें तथा तमिलनाडु को दूसरे स्थान पर लाने का प्रयास करें, उसे पीछे नहीं धकेलें।

वस्त्र उद्योग और रुग्ण होता जा रहा है। मालूम नहीं डाक्टर ने बीमारी का इलाज कर दिया है अथवा बीमारी का कारण ढूंढ निकाला गया है। डाक्टर होने के कारण मेरा विचार है कि रुग्णता का कारण मिल-मालिकों द्वारा बेनामी नाम से पावरलूम चलाना है क्योंकि उनसे उन्हें ज्यादा फायदा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस पहलू पर विचार करें।

हमारे प्रधान मन्त्री ने पांडिचेरी में एक सार्वजनिक सभा में 'एग्लो-फ्रेंच मिल्स' को पुनः खोलने की बात कही थी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस मिल को पुनः खोलने के लिए शीघ्र ही कदम उठायें ताकि कार्मिकों के कष्टों को दूर किया जा सके और इस मिल के राष्ट्रीयकरण करने के लिये भी कदम उठाये जायें।

बी० एण्ड सी० मिल्स को हाल में पुनः खोला गया है। किन्तु कार्मिकों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे प्रत्येक कार्मिक को 2000 रु० की अनुग्रह धनराशि दें। वित्त मन्त्री महोदय, वाणिज्य मन्त्री के पद पर भी हैं वे राष्ट्रीयकृत भारतीय स्टेट बैंक को ऋणों का शीघ्र भुगतान करने के लिये जोर देकर कह सकते हैं। वे मिल का आधुनीकरण किये बिना ही कार्मिकों से कह रहे हैं कि वे अधिक उत्पादन करें। जब तक मिल का आधुनिकीकरण नहीं किया जाता, मेरे विचार से कार्मिक अधिक उत्पादन नहीं कर सकेंगे और मिल

का चलना सम्भव नहीं होगा। मुझे भय है कि यह एकक पुनः रुग्ण हो जाएगा और इसे पुनः बन्द करना पड़ेगा। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे 'बी० एण्ड सी० मिल्स' के आधुनिकीकरण की ओर शीघ्र ध्यान दें।

दुर्भाग्य से, वित्त मन्त्री महोदय ने हथकरघा उद्योग में प्रयुक्त होने वाले धागे पर प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगा दिया है। साथ ही वे यह कहते हैं कि वे हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह तो शिशु को चुटकी काट कर पालना झुलाने के जैसी बात है उन्हें धागे पर लगाया गया उत्पाद शुल्क हटा देना चाहिये ताकि हथकरघा उद्योग फल फूल सके। 200 करोड़ रुपये मूल्य के हथकरघा भंडार बिना बिके पड़े हैं क्योंकि उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है। अतः मैं मन्त्री महोदय से राज सहायता देने का अनुरोध करूंगा ताकि 20 प्रतिशत की छूट को 30 अथवा 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके और भंडार को बेचा जा सके। इस तरह ही हथकरघा उद्योग बना रह सकता है।

मैं एक अन्य सुझाव देना चाहता हूं विशेष प्रकार की धोतियों एवं साड़ियों के बनाने का काम केवल हथकरघा क्षेत्र के लिये रख दिया जाए ताकि इस पुराने उद्योग को नष्ट होने से बचाया जा सके।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रदर्शन कक्ष कार्मिकों को समय वेतनमान नहीं दिये गये हैं जबकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में कार्यरत कार्मिकों को यह वेतनमान दिये गये हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पटना में प्रदर्शन कक्ष कार्मिकों को समय वेतनमान दिये जा रहे हैं जबकि तमिल नाडु में प्रदर्शनकक्ष कार्मिकों को नहीं दिये जा रहे हैं। इस भेदभाव को दूर किया जाना चाहिये और मैं मन्त्री महोदय से इस बात को नोट करने का अनुरोध करता हूं। मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि प्रदर्शनकक्ष कार्मिकों को समय वेतनमान देना सुनिश्चित किया जाए। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विचार करें।

धर्मपुरी जिले में कतिपय स्वर्ण अयस्क खानों का पता लगा है। स्वर्ण अयस्क का पता लगाने के लिये गम्भीर कदम उठाये जाने चाहिए और वहां एक स्वर्ण खान की स्थापना करनी चाहिये।

मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार ने कोबरा और अजगर सांपों के पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। यह ठीक भी है क्योंकि यह जहरीले सांप होते हैं। किंतु मैं यह नहीं समझ सका कि उन्होंने चेतक सर्पों और जलसर्पों पर प्रतिबन्ध क्यों लगाया है। तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और बिहार में इरूला जाति, हरिजन, अनुसूचित, जातियां एवं जनजातियां चेतक सर्पों एवं जल सर्पों को पकड़ती हैं। उन्हें एक सांप पकड़ने के 5 से 10 रुपये तक मिलते हैं। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे चेतक सर्पों एवं जल सर्पों पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लें ताकि यह जातियां अपनी जीविका कमा सकें।

ओ० जी० एल० के अन्तर्गत इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के मुक्त आयात के बारे में मैं यह, कहना चाहता हूं कि तीन वर्षों के लिये लागू की गई आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत अनेक इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के आयात को उदार बना दिया गया है। इससे देश में निर्मित इलैक्ट्रानिक वस्तुओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

हम कृषि प्रयोजनों के लिये पोटाशियम क्लोराइड का आयात कर रहे हैं। इसकी कृषि के लिये कोई आवश्यकता नहीं है इसको उद्योगों के लिये लाभ पर बेचा जा रहा है। इससे बिचौलियों को बिना परिश्रम के आय हो रही है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिये पोटाशियम क्लोराइड के आयात

पर 220 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है। मैं यह मांग करता हूं कि मन्त्री महोदय कृषि प्रयोजनों के लिये पोटाशियम क्लोराइड के आयात पर प्रतिबन्ध लगायें।

जहां तक रेशम उद्योग का सम्बन्ध है, मैं जब सातवीं लोक सभा का सदस्य था तो केंद्रीय रेशम बोर्ड का भी दो वर्ष तक सदस्य रहा। वे रेशम उद्योग के संवर्द्धन के लिये कोई कार्य नहीं कर रहा है। रेशम के निर्यात में हमारे बाजार चीन और अन्य देशों के हाथ में जा रहे हैं। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस उद्योग से दो सदस्यों को केन्द्रीय रेशम बोर्ड में भी शामिल किया जाए।

बंगलूर में 'स्पन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' नाम का एक उद्योग है। वह उद्योग बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड में कुछ सदस्य स्पन रेशम बोर्ड से भी लेने चाहिये। वे रेशम उद्योग में सुधार के लिये कतिपय सुझाव दे सकते हैं।

इसी प्रकार, हम चाय के मामले में श्रीलंका और कीनिया से पिछड़ रहे हैं। हम विश्व की मांग का केवल एक प्रतिशत मछली का निर्यात कर रहे हैं जबकि मछली पकड़ने के लिये हमारे पास 200 किलोमीटर लम्बा समुद्रतट उपलब्ध है। जापान और तायवान मिलकर विश्व की 80 प्रतिशत मांग को पूरा कर रहे हैं। अत: हमें अपने तटीय क्षेत्र का समुचित उपयोग करना चाहिये ताकि हम विश्व की मछली के लिए अधिकांश मांग को पूरा कर सकें।

अपना भाषण पूरा करने से पहले मैं वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 3 से निम्नलिखित अंश उद्धृत करना चाहता हूं :

> "वाणिज्य और कपड़ा विभाग तथा उसके विभिन्न सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों आदि में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की सरकारी नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये मन्त्रालय की राज भाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित रूप से बैठकें की जाती रही हैं।"

यह बिल्कुल समय और शक्ति की बरबादी है क्योंकि हिन्दी संविधान की आठवें अनुसूची में सम्मिलित की गई 15 भाषाओं में से एक भाषा है। इसलिये आपको इस प्रकार के अप्रत्यक्ष साधनों से अहिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी नहीं थोपनी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हिन्दी की प्रगति के विचार को छोड़ दें, उसके स्थान पर आप वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा निर्यात से अधिक आय अर्जित करने तथा उसके कार्यकरण में सुधार करने की ओर अधिक ध्यान दे।

श्री बी० वी० रमैया (ऐलुरु) : महोदय, चूंकि समय बहुत कम है इसलिये मैं कुछ ही मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। निर्यात व्यापार में तीव्र विकास नहीं हो रहा है। हम अधिक से अधिक वस्तुओं का आयात कर रहे हैं 1978-79, में हमने 5726 करोड़ रुपये का निर्यात किया। 1983-84 में यह बढ़कर 9,867 करोड़ रुपये हो गए। किन्तु हमारे आयात में अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। यदि आप कोरिया और अन्य छोटे देशों की बात लें वे अरबों डालर मूल्यों के निर्यात कर रहे हैं जबकि हम पिछड़ रहे हैं और उतनी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं।

खनिज और पशुओं की खाल तथा अन्य प्रकार के कच्चे माल का यहां परिशोधन किया जा सकता है और उसके पश्चात् उनका निर्यात किया जा सकता है। इस प्रकार हम विपुल विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

कपड़े उद्योग के लिए हम उदारता से सहायता दे रहे हैं। हम सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात करके विदेशों में बाजार की अच्छी सुविधाएं बना सकते थे। हम निर्यात योग्य सिले सिलाये कपड़ों का विकास नहीं कर सके हैं। इससे पहले, हमारी गणना उन कतिपय देशों में होती थी जो विदेशों में कपड़े का निर्यात करते थे। हमारा 'ब्लीडिंग मद्रास' नाम का कपड़ा विदेशों में अत्यन्त लोकप्रिय था। किंतु धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता कम होती चली गई क्योंकि हमने कपड़े की नई किस्मों का विकास नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप हमारे हाथ से बाजार जाते रहे।

हाई स्टेपल कॉटन के बारे में हम निर्णय लेने में बड़ा विलम्ब कर देते हैं जिसके परिणाम-स्वरूप किसानों को उनके माल पर उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिये जाने चाहिए। जब तक सरकार निर्णय ले पाती है तब तक तो कृषि वस्तुएं व्यापारियों के पास पहुंच चुकी होती हैं। इस प्रकार किसान को लाभ नहीं मिल पाता। सरकार को शीघ्र ही निर्णय ले लेना चाहिए ताकि यह बाजार और आयोजना की दृष्टि से कामकारी हो सके इस समय शीघ्र निर्णय न लिये जाने के कारण लाभ बिचौलियों और व्यापारियों के हाथों में जा रहा है।

इन्जीनियरिंग वस्तुओं के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें निर्यातोन्मुख इन्जीनियरिंग वस्तुओं का अधिक निर्माण करना चाहिए। तभी हम भारी मात्रा में इन्जीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात कर पायेंगे। हमारे यहां वेगन निर्माण की विपुल क्षमता उपलब्ध है। किंतु वे न निर्माण उद्योग ने अनेक कार्मिकों की छंटनी कर दी है। इस प्रकार वेगनों का निर्माण न कर पाने के कारण निर्यात बाजार भी हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। हमारे देश में उत्पादन क्षमता की स्थिति क्या हो जाएगी, हमें इस बारे में मालूम नहीं है उद्योगिक उत्पादन से पहले ही सेवाओं की आयोजना की जानी चाहिए। यद्यपि सीमेन्ट का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है, दक्षिण मध्य रेलवे सीमेंट उठाने के लिये आवश्यक वेगनों में से 50 प्रतिशत वेगन की भी पूर्ति नहीं कर पा रहा। कोयले को ढोने के बारे भी इसी प्रकार की समस्या बनी हुई है।

हथकरघा और चमड़े की वस्तुओं के निर्यात से पहले उनका परिशोधन किया जाना चाहिए। हमें सस्ती किस्म की वस्तुओं के स्थान पर ऊंची कीमत की वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए। ताकि हमें अपेक्षाकृत अधिक विदेशी मुद्रा मिल सके।

यदि हैदराबाद को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया जाता है तो मांस, अण्डे, खाद्य, पदार्थ, फल और अन्य विभिन्न वस्तुओं का खाड़ी के देशो में निर्यात किया जा सकता है, जहां इन वस्तुओं की बिक्री की बड़े अच्छी सम्भावनाए हैं। वहां इन वस्तुओं की बहुत मांग है किन्तु हम इन वस्तुओं के उत्पादन के सम्बध में विकास नहीं कर सके हैं।

हमने अपने देश के समस्त शीरे (मुलेस) का निर्यात कर दिया है और अब हम बाहर से अल्कोहल का आयात कर रहे हैं। ऐसा इसलिये होता है क्योंकि हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। उदाहरण के तौर पर चीनी उद्योग का समुचित विकास नहीं हुआ है। इसलिए हम चीनी का निर्यात करने के स्थान पर अब हम उसका आयत की कर रहे हैं। हमें चीनी के सम्बध में भी समुचित आयोजना करनी होगी। यदि मोनसून के दौरान हम चीनी का आयात करें तो उसके खराब होने का खतरा रहता है क्योंकि पत्तनों पर उसके भण्डारण की समुचित व्यवस्था नहीं है और उसके परिवहन के लिये वेगन सुविधाएं भी नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त चीनी आर्द्रता ग्राही माल है और यह नमी को सोख लेता है और इस प्रकार के इसके वितरण में भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने कारखानों से काफी मात्रा में चीनी दिलवा दी है; मन्त्रालय द्वारा समुचित

आयोजना न कर पाने के कारण ऐसा हुआ है । इसलिये, इन मामलों में कुछ पहले ही आयोजना कर लेने की आवश्यकता होती है ।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हमें अपना निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिये प्रयास करने होंगे । इस सम्बध में हमारी स्थिति कोई अच्छी नहीं है क्योंकि हम जितना निर्यात कर रहे हैं उससे अधिक आयात कर रहे हैं । उदाहरण के तौर पर, पूर्वी एशिया के देशों के सम्बध में, 1983-84 में हमने निर्यात की तुलना में 1207 करोड़ रुपये के अधिक आयात किये । एसियन देशों से हमारे आयात निर्यात की तुलना में 500 करोड़ रुपये से अधिक रहे । और इसी प्रकार हमने पश्चिम यूरोप से 827 करोड़ रुपये मूल्य के अधिक आयात किये । अत: शायद पूर्वी यूरोपीय देशों को छोड़ कर जहां हम आयात की तुलना में निर्यात कुछ अधिक कर रहे हैं, हम कहीं भी अधिक निर्यात नहीं कर रहे हैं ।

जहां तक तेल रहित चावल की भूसी और बिनौलो से तेल निकालने का सम्बन्ध है इनके निर्यात में काफी कमी आ गई है । सरकार को इन्हें कुछ प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि यह उद्योग बने रह सकें ।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय पटसन की बन्द मिलों के बारे में कामरेड इन्द्रजीत गुप्त ने विस्तार से अपने विचार व्यक्त किये हैं । अत: उन्होंने जो बातें कहीं हैं मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता । मैं तो आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे मिलजुल कर विचार कर इस समस्या का समाधान करें ताकि बन्द मिलों को तथा बीमार मिलों को पुन: चालू किया जा सके और कार्मिकों को पुन: रोजगार दिया जाए ।

कृषि वस्तुओं का निर्यात बढ़े, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं किन्तु हमें साथ ही देश के अन्दर होने वाली खपत के बारे में भी सोचना होगा । देश के उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रख कर आपने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है । हम इसके लिये आपके अत्यन्त आभारी हैं । आप मछली तथा सब्जियों के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा देते ? यदि आप 1980-81 से 1983-84 के वर्षों के मछली और सब्जी निर्यात सम्बन्धी आंकड़े देखें तो आप पायेंगे कि 1980-1981 में 220 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ और 1983-84 के दौरान 312 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ । मछली और मछली से बने व्यजनों के सम्बन्ध में 1980-81 में 213 करोड़ रुपये तथा 1983-84 में 327 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ । मांस और मांस से बने व्यजनों के सम्बध में 1980-81 में यह राशि 55 करोड़ रुपये थी और 1983-84 में 54 करोड़ रुपये थी । आपने मांस सवेन करने वालों के प्रति बड़ी उदारण दिखाई है मैं उसके लिए आपका आभारी हूं । किन्तु आपने मछली और सब्जियों के सम्बन्ध में यह उदारता नहीं दिखाई है । क्या आप मछली और सब्जियों के सम्बन्ध में बाजार की स्थिति से परिचित हैं ? क्या आपने कभी बाजार जा कर देखा है ? टमाटर का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो है बेगन का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो है भिण्डी 10 रुपये प्रति किलो ग्राम बिक रही है और सहंजन 10 रुपये प्रति किलो है । मछली 20 रुपये प्रति किलो से लेकर 60 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है । आप जानते ही हैं कि बंगालियों को रसेदार मछली और चावल खाने का शौक है । यह बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है । अत: मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मछली और सब्जियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा कर हमारे प्रति भी उदारता का परिचय दें । देश में मछली और सब्जियों की मांग को पूरा करने के लिये उनके निर्यात में कमी की जानी चाहिये । राव वीरेन्द्र सिंह आज सुबह कह रहे थे, " सुबह आलू खाइये और रात को प्याज ।" कृपया ऐसा मत कहिये ।

अब मैं चाय पर आता हूं। आप जानते हैं कि दार्जिलिंग चाय के नाम पर आप और हम जो पीते हैं वह दार्जिलिंग चाय नहीं है। इस पर केवल दार्जिलिंग चाय का लेबल लगा होता है। दार्जिलिंग जिले में विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में 110 से 120 लाख किलो चाय का कुल उत्पादन होता है। किन्तु यदि आप दिये गये आंकड़ों को देखें तो यह 430 से 450 लाख किलो है। ऐसा कैसे सम्भव है ? इतनी चाय कहां से आती है ? ऐसा चाय को मिश्रित कर किया जा रहा है। लिप्टन और ब्रुक बांड वाले दार्जिलिंग लेबल का प्रयोग कर अत्यधिक पैसा बना रहे हैं। आप केवल ऐसे लोगों की सहायता कर कर हैं। दार्जिलिंग चाय बागानों के विकास के लिये आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और यह बड़े खेद की बात है। दो वर्ष पहले चाय बागानों के आधुनिकीकरण के लिये 43 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे और यह कहा गया था कि इसे नाबार्ड के माध्यम से बांटा जायेगा। किन्तु दो वर्ष बीत जाने के बाद भी दार्जिलिंग चाय बागानों के लिये एक पैसा भी नहीं बांटा गया है।

3.00 म०प०

ऐसा क्यों नहीं किया गया ? आज दार्जीलिंग चाय की क्या स्थिति है। यह जानकर आपको हैरानी होगी। मुझे उम्मीद है। आपने श्री मुलक राज आनन्द का उपन्यास 'टू लीवज एण्ड ए बड" पढ़ा होगा। चाय बागान के कार्मिकों की स्थिति आज भी वैसी ही है। मंत्री महोदय तथा दोनों पक्षों के सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे—कि चाय बागान के मालिक एक कली तथा दो पत्तों को ही नहीं सभी पत्तों तथा सभी शाखाओं को खाने जा रहे। वे बागान पर एक पैसा भी नहीं लगा रहे तथा स्वतंत्रता के 38 वर्ष बाद भी चाय बागान की हालत तनिक भी नहीं सुधरी। वह वैसी ही खराब है जैसी कि पहले थी।

चाय के पौधों की औसत आयु 100 वर्ष होती है और आज उनकी क्या स्थिति है। ये पौधे पहले पांच वर्ष कोई फसल नहीं देते 5 से 20 वर्ष के बीच अच्छी फसल देते हैं—20 से 50 वर्ष के बीच औसत फसल देते हैं—50 से ऊपर होने पर फसल योग्य नहीं रहते। तब नये पौधे लगाए जाते हैं। परन्तु हमारे चाय बागानों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इनके पौधों की औसत आयु 50 से ऊपर है। चाय बागान मालिक नयी पौध लगाने के पक्ष में नही हैं—वे तो अल्प अवधि में अधिक धन कमाना चाहते हैं। कृपया आप इस पर ध्यान दें।

फिर महोदय, आपने एक पटसन विकास बोर्ड गठित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके कार्य क्या हैं ? क्या यह कार्य कर भी रहा है ? क्या यह पटसन विकास का कोई कार्य नहीं करता।

"भारतीय पटसन निगम" भी एक दूसरा सफेद हाथी है। यह कोई कार्य नहीं करता। यह अत्यन्त लज्जा की बात है कि बहुत सा सार्वजनिक धन कम करके यह कुछ भी कार्य नहीं करता। भारतीय पटसन निगम के अधिकारी लन्दन तथा अन्य स्थानों में मौजें मारते हैं। आपने बंगला देश से पटसन की 1.60 लाख गांठें खरीदी हैं। इन सभी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

वित्त तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : मैं माननीय सदस्यों को उनके मूल्यवान सुझावों एवं उनके द्वारा की गई आलोचनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं।

किसी भी देश के व्यापार का संबन्ध विश्व की अर्थ-व्यवस्था से जुड़ा हुआ है तथा देश के व्यापार का अध्ययन करने के लिए विश्व की परिस्थितियों पर ध्यान देना होता है। अतः उन पर विस्तार से चर्चा करने से पूर्व मैं कतिपय विश्व व्यापार के पहलुओं की चर्चा करना चाहता हूं।

कई वर्षों के ह्रास के पश्चात् जैसा कि कई सदस्यों ने उल्लेख किया है, विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। औद्योगिक देशों में कच्चे माल की बहुलता हुई है। मुद्रास्फीति में कमी आई है, कुछ विकासशील देशों की भुगतान संतुलन में सुधार हुआ है तथा उत्पादन भी अधिक हुआ है। परन्तु अर्थव्यवस्था में यह एक समान नहीं है तथा इसकी स्थिति नाजुक है। यह अमरीका तथा जापान के महान औद्योगिक देशों तक सीमित है। अभी भी कई क्षेत्रों में तनाव तथा विसंगति विद्यमान है। औद्योगिक देशों में असंतुलन, वित्तीय नीतियों में विसंगतियां तथा बेरोजगारी अभी भी विद्यमान है। चिन्ता का विषय है कि कुछ विकासशील देशों में जीवन स्तर पांच वर्ष पूर्व के जीवन स्तर से नीचे आ गया है।

वर्तमान अर्थ-व्यवस्था का अत्यन्त खेद पूर्ण तथ्य यह है कि अमरीकी डालर के ब्याज की दर बहुत ऊंची है। इसने औद्योगिक देशों की बचतों को आत्मसात कर लिया है, जिनका की उन संरचनागत परिवर्तनों में उपयोग किया जा सकता था जिनसे विकासशील देशों के निर्यात में वृद्धि होती। इससे निर्यात का इतना हिस्सा प्रभावित हो रहा है। ब्याज की ऊंची दर के कारण कच्चे माल की वस्तु सूची कम रहती है जिसका दुष्प्रभाव भी विकास शील देशों की कच्चे माल की आवश्यकता पर पड़ता है।

महोदय, हिसाब लगाया गया है कि ब्याज की दर में 1% वृद्धि से ऋण का भार प्रति वर्ष 3 बिलयन डालर बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, इसका विनिमय दर पर भी प्रभाव पड़ता है। डालर को महंगा बना कर विनिमय दर बहुत बढ़ जाती है। हमारे जहां तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थों पर इसका प्रभाव पड़ा। डालर की मूल्य वृद्धि से हमें 1000 करोड़ रुपए की हानि हुई। ऐसी स्थिति में विकासशील देश में आयोजना नाम मात्र की रह जाती है। जिस सुधार की बहुत चर्चा की जाती है वे अमरीकी अर्थ-व्यवस्था के उनके चालू खाते में भारी परिसम्पत्तियों से लक्षित होती है। निःसंदेह ब्याज की इन भारी दरों से डालर का मूल्य बढ़ा है जिससे सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था में संरक्षण वाद का प्रयास शुरू हो गया है जिसका हम पर तथा हमारे निर्यात पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। अमरीका के बजट की घाटे की प्रवृत्ति ने संरचनात्मक रूप ले लिया है क्योंकि संसाधनों का उपयोग ब्याज तथा ऋणों की अदायगी पर लग जाता है। उन्होंने वाशिंगटन में वचन दिये हैं कि वे इसे कम करेंगे परन्तु जब तक विश्वसनीय नीतियां लागू नहीं की जाती भविष्य में विश्व अर्थ-व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। औद्योगिक देशों का शेष विश्व के प्रति दायित्व है कि वे अपनी राष्ट्रीय नीतियों में अर्थपूर्ण नीतियों को सम्मिलित करें।

उनकी अपनी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने कहा है कि यदि औद्योगिक देश अच्छी नीतियों का पालन करते हैं तो उनकी विकास दर में $\frac{1}{2}$% की बढ़ोत्तरी होती है तथा विकासशील देशों की विकास दर में $1\frac{1}{2}$% की परन्तु यदि वे गलत नीतियों का पालन करते हैं कि उनके विकास की दर में 1% कमी आती है और विकासशील देशों की विकास दर में $2\frac{1}{2}$% कमी आती है। इसका अर्थ है विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्था पर इसका प्रभाव अधिक गम्भीर रूप से पड़ता है। इस पूरे संदर्भ में विकासशील देशों को आज की पूंजीगत प्रचुरता और विशेषकर रियायती पूंजी प्रवाह की चुनौति कर सामना करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। इसे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। यह स्थिति हम वाशिंगटन की बैठक में ही नहीं अपितु आगा, बेलग्रेड में भी देखचुके हैं। विकासशील देशों पर वाणिज्यिक ऋण लेने के लिए दबाव अधिक बढ़ता जा रहा है तथा ऊंची दरों पर ऋण लेने से साख भी घटती है। साख की

रूपरेखा पर ध्यान देते हुए ऋण उन देशों को नहीं मिल पाते जिन्हें इनकी अत्यन्त आवश्यकता है। वास्तव में ऐसा ही हो रहा है उस समय बैंक ऋण बन्द कर दिये गये जबकि उसकी अत्यन्त आवश्यकता थी। इस मामले में विश्व बैंक तथा इन संस्थाओं में सुधार का आमूल परिवर्तन का समय आ गया है। परन्तु जो भी उनकी स्थिति है उनके कार्य का विस्तार किया जाना चाहिए—परन्तु ऐसा हो नहीं पाता। 1984 में ही हमने देखा कि प्रमुख ऋण लेने वाले देशों 15 बिलयन डालर धन वापस करना पड़ा। अनुमान है कि यदि स्थिति ऐसे चलती रही तो 1989 तक विश्व बैंक कोई धन नहीं दे पायेगा, उल्टे बैंक को ही धन वापस करना पड़ेगा।

विकास के लिए निजी पूंजी नियोजन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। जहां निर्यात के लिए महत्वपूर्ण पदों के लिए हम उसकी आवश्यकता पड़ी हमने उसे जुटाया पर धन का यह साधन सरकारी रियायती तथा संस्थागत ऋणों का स्थान नहीं ले सकता। चूंकि भारत जैसे विकासशील देश को सिंचाई, बिद्युत, पत्तनों इत्यादि के लिए भारी संरचनाओं की आवश्यकता है। हमें इसके लिए भारी ब्याज पर धन लेना पड़ेगा बैंक तथा वाणिज्यिक स्रोत हमें इन विशेष उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण संरचनागत निर्माण के लिए आवश्यक धन नहीं द सकते। ऐसी स्थिति में यह बहुत कठिन विकल्प है। मण्डी के दौरान, जब निर्यात कम हो गया हो, रियायती दरों पर धन उपलब्ध न हो, अत्यन्त आवश्यक कच्चा माल मिल न रहा हो, इन सब बातों से विकास कार्य को गति धीमी होती है, उससे राजनीतिक नैराश्य पैदा होता है, तथा विशेष रूप से लोकतंत्रीय देश के लिए भारी कठिनाई पैदा हो जाती है। या तो इसे राजनीतिक नैराश्य का सामना करना पड़ता है या वह ऋण से जाल में फंस जाता है। अधिकांश विकसशील देशों की यही स्थित है। ऐसे हालात में केवल निर्यात द्वारा ही बचा जा सकता है। इस बात का श्रेय हमारे नेतृत्व को जाता है हम इन कठिनाइयों के बावजूद ऋण के चुंगल में नहीं फंसे। देश अपने विकास कार्य का 13% अपने संसाधनों से जुटा सकता है। भारत प्रगति पथ पर है जैसा कि मैं देखता हूं निराशा का कोई कारण नहीं है तेल के उत्पादन द्वारा हमारे आयात में बचत होती है। हमारे उत्पादन वृद्धि की दर के बारे में, जैसे कि उत्पादन के मामले में स्वभावतः होता है – शुरू शुरू में उत्पादन दर बढती है, तब यह कम हो जाती है परन्तु हमारे उत्पादन वृद्धि की दर वही रही। जबकि विकास के साथ साथ मांग बढ़ती गई। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किस्तें देय हैं। अतः हमें विदेशी मुद्रा की कठिनाई रहेगी विशेषतः जबकि रियायती दरों पर धन की प्राप्ति समाप्त होती जा रही है। अतः यदि ऐसे अवसर पर चुनौती सामने आती है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अपने ऋणों के प्रबन्ध के बारे में हमें गर्व है कि ऐसी उम्मीद नहीं है कि देश ऋण में फंस जायेगा। परन्तु हमें कमर कसनी होगी। अपनी अर्थ व्यवस्था को स्वतंत्र बनाये रखने के लिए हमें जिन बलिदानों की आवश्यकता है हमें उन्हें जनता को बताना होगा। हमारी स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए हम कहते हैं कि हमने राजनीतिक जगत में इतने सारे बलिदान किये हैं। निर्यात के मामले में बाजार का महत्त्व है। हमने बेलग्रेड में देखा कि जब स्थिति खराब थी तब यह वचन दिया गया था कि विश्व-अर्थ-व्यवस्था में सुधार लिया जाएगा तथा संरक्षण वाद समाप्त हो जायेगा। औद्योगिक विश्व द्वारा यह वचन विकासशील देशों के प्रति दिया गया था। परन्तु सुधार के स्थान पर संरक्षणवाद में वृद्धि हुई है और सुधार के स्थान पर मूल्य वृद्धि, दोहरे शुल्क स्वैच्छिक प्रतिबन्धों, सीमा शुल्क औपचारिकताओं तथा 'मार्केट इंजुरी' जैसी नई शर्तें रखी गयी हैं। यह बहुविद करार श्वेत क्षेत्रों के प्रतीक हैं जो जी० ए० टी० टी० नियमों के अधीन तैयार

हुए हैं। यदि हमें सम्पूर्ण स्थिति के असंतुलन को देखना है तो निश्चय ही विकासशील देश प्रमुख सप्लायर हैं तो भी उनके विरुद्ध स्वविवेकी एवं भेदभाव पूर्ण संरक्षणवादी कार्यवाहियां की जाती हैं।

वस्त्रों, पहनने के परिधानों तथा जूतों के मामलों में विकास शील देशों के साथ भेदभाव बढ़ता जाता है तथा अनुमान लगाया गया है कि यूरोपीय साझा बाजार के इस क्षेत्र के गैर-टैरिफ दरें केवल विकासशील देशों के भिन्न दरें लागू की गई है, वस्त्र के लिए 63% परिधानों के लिए 30%। यदि हम इस अनुपात पर ध्यान दें कि हमने कितना माल उन्हें सप्लाई किया कि यूरोपीय साझा बाजार में वस्त्रो के लिए 11% आंका गया, जूतों के लिए 12% जो कि अन्य पूर्ति कर्त्ताओं का आधा भी नहीं है। अतः, जबकि हम पूर्तिकर्त्ता बने हुए हैं परन्तु विशेष रूप से हमारे साथ भेदभाव बरता जाता है जो कि हमारे लिए चिन्ता का विषय है। मैं समझता हूं कि हमें बताया जाता है कि हम प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है तथा जिन वस्तुओं में हमें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रहा है वहां हमसे कहा जाता है—कि आप बाजार खो रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमने सदा इस बात को उठाया है तथा अपनी चिन्ता व्यक्त की है। अतः एक प्रकार से कृषि क्षेत्र में संरक्षणवाद विकासशील देशों को अपनी क्षमता नहीं प्राप्त करने देता उनके पास प्राकृतिक भूमि है तथा वे उससे विदेशी मुद्रा कमाते हैं। यह संरक्षणवाद न केवल विकासशील देशों के लिए अपितु औद्योगिक देशों के लिए भी महंगा पड़ा है। विश्व बैंक के अध्ययन द्वारा वस्त्र उद्योग में कार्मिकों को 7 सेंट देने के लिए अमरीकी सरकार को एक डालर व्यय करना पड़ता है। अनुपात 14:1 का है। कनाडा में यह अध्ययन किया जा रहा है। यह अनुपात 70-1 है। अतः इन नीतियों का हम सब पर प्रभाव पड़ता है।

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त का विशेष आभारी हूं कि उन्होंने पूछा कि वाशिंगटन में क्या हुआ तथा भारत बोलता क्यों नहीं? श्री आनन्द पाठक ने भी कहा है कि वित्त मंत्री खाली हाथ लौटे हैं। यह नहीं है कि मुख्य मामलों में मैं नाउम्मीद नहीं हूं, परन्तु मैंने इन बहुत सी चर्चाओं में भाग लिया जिनमें से अधिकांश में पूंजी की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता, रियायती देशों पर धन को उपलब्धता पर चर्चा हुई। निःसंदेह ये स्थितियां गुप्त नहीं है परन्तु कुछ समाचार पत्रों ने इन्हें निराशजनक रूप दिया है।

मुझे सदन को विश्वास में लेने और वहां क्या हुआ यह बताने का एक अवसर प्रदान किया गया है। इसमें भारत मजबूती से सामने आया है। और भारत के निश्चित रुख की वजह से कुछ बातों में जहां दबाव डाला जा सकता था उसको रोका जा सका है। दूसरे दौर को व्यापार वार्ता के वायदे को निभाये बिना, संभवतः रियायती समय में कुछ सेवाओं को जोड़ने के विचार से या जी० ए० टी० टी० के अन्तर्गत लाने के विचार से एक सीधा प्रयास किया गया था। वाशिंगटन में इस बैठक के लिए यह मुख्य तैयारी थी। यह भारत का पक्का रुख था जिसकी विकासशील देशों ने एक-मत होकर समर्थन दिया और इन राष्ट्रों को स्वयं यह कहने पर मजबूर कर दिया कि आरक्षण उपायों को खत्म किया जायेगा और 1982 में मंत्रियों की बैठक में जिस कार्यक्रम का वायदा किया गया था और जो विकासशील देशों के हित में था उस पर गंभीरता से अमल करने का प्रयास किया जायेगा और केवल तभी दूसरी वार्ता के दौर के लिए संभव नींव पड़ सकेगी। यह तर्क था जिसे वहां पर माना गया। अतः अब वे जी०ए०टी०टी० नियमों के अन्तर्गत कोशिश कर रहे हैं। आज, विकासशील देश, अपने चालू खाते की संतुलन स्थिति, विदेशी मुद्रा की कमी, अपने नये उद्योगों के

लिए धन जुटाने की आवश्यकता के कारण कानूनी रूप से कुछ संरक्षण के उपायों की अनुमति दे रहे हैं। अत: वे जी०ए०टी०टी० नियमों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।

अब औद्योगिक देशों ने जी०ए०टी०टी० नियमों के विरुद्ध संरक्षण सम्बन्धी उपाय किए हैं। उनका कहना है: "आकर वार्ता कीजिए, बातचीत के द्वारा नान-टैरिफ उपायों में कमी की जाये।" हम किसी ऐसी चीज पर वार्ता कैसे कर सकते हैं जो अनुपयुक्त बात के लिए उपयुक्त हो। यह एक अनुचित व्यापार है। यह इस प्रकार है जैसे कम मांग वाली मुद्रा को अधिक मांग वाली मुद्रा के साथ बदलना और भारत ने यही मुद्दा सामने रखा और उनका जवाब जानना चाहा। हमने यहां तक पूछा कि इन निराशाजनक क्षेत्रों का विकास क्यों हो और इन संरक्षण सम्बन्धी उपायों को क्यों बढ़ावा मिले। हम एक दौर बातचीत का करें, हम दो दौर भी कर सकते हैं और हम दौर पर दौर भी चला सकते हैं परन्तु जब तक हम समस्या के मूल पर नहीं पहुंचते, हम समस्या को कभी हल नहीं कर सकेंगे। समस्या का मूल यह है कि जबकि यह उपबन्ध है कि अगर कोई देश जी०ए०टी० टी० नियमों का उल्लंघन करता है तो वह बदले में कार्यवाही कर सकता है, परन्तु बदले की कार्यवाही करने की शक्ति असमान हैं। आर्थिक शक्ति जो औद्योगिक देशों के पास है वह विकासशील देशों के पास नहीं है। यह एक 25 वर्ष के व्यक्ति और एक पांच वर्ष के बच्चे से कहना है कि "ठीक है, आप दोनों को बदले की कार्यवाही करने का अधिकार है। जब कभी भी आप सहमत न हों आप एक दूसरे के घंसे लगा सकते हैं। अत: जब तक कि यह समानता प्राप्त नहीं होती अथवा कुछ न्याय नहीं किया जाता, संरक्षण उपायों को बढ़ावा मिलेगा और ये सभी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन असहाय होकर देखते रहेंगे कि वे किस प्रकार से कार्य करें। नहीं तो नियमों का पूर्णतया पालन करने का वायदा होना चाहिए।

सेवाओं के प्रश्न का एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें विकासशील देशों की स्थिति अभी भी तुलनात्मक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है। इन क्षेत्रों में कोई भी छूट हमारे लिए गंभीर समस्या पैदा कर देती है। हम यह आशा नहीं रखते कि बैंक और बीमा कम्पनियां हमारे बैंकों तथा कम्पनियों के साथ मुकाबला करें। और सेवाओं के क्षेत्र की भी व्याख्या नहीं की गई है। अमरीका के लिए यह बैंक और बीमा कम्पनियां हो सकती हैं, स्वीटजरलैंड के लिए पर्यटन हो सकता है और भारत के लिए यह नौकरियों का क्षेत्र हो सकता है—यहां देशवासियों को आसानी से नौकरियां मिलने की बात हो सकती है। और यही संक्षेप में समस्या है जिसको मैंने यहां रखा तथा अपना दृष्टिकोण सामने रखा। अन्त में मैं यही कहूंगा कि इसके बावजूद जब उन्होंने समस्या को दबाने की कोशिश की तो भारत ने सबसे पहले इसका प्रतिरोध किया। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी आवाज नहीं उठायी। हमने कहा कि अगर ऐसा होता है तो भारत अपने को उससे अलग रखेगा। इसका अर्थ है कि सरकारी विज्ञप्ति आती कि इस बात से भारत सहमत नहीं है और वह इससे बाध्य नहीं है। और केवल इसके बाद ही, एक ठोस व्यक्ति के रूप में, बारी-बारी प्रत्येक विकासशील देश चाहे वह अर्जेन्टीना, चीन अथवा अल्जीरिया सभी ने कहा : "हमारे विचार अलग हैं।" 6 या 7 घंटे वहां पर गतिरोध रहा और अन्त में एक प्रारूप रखा गया जिस पर औद्योगिक राष्ट्र सहमत नहीं हुए। आखिर में, जी-24 दस्तावेज से, जो कि विकासशील राष्ट्रों का दस्तावेज है, कुछ मुद्दे पढ़े गए, और उन मुद्दों को प्रारूप में शामिल कर लिया गया। केवल उसी के पश्चात् सरकारी संकल्प की विज्ञप्ति जारी की गई। मेरे विचार में यह एक पहल है, यह एक उपलब्धि है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। भारत अपने से संबंधित और सभी विकासशील देशों से सम्बन्धित मुद्दों पर आवाज उठाने में कभी भी भयभीत नहीं हुआ।

नीति के संबन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। कुछ सदस्यों ने तीन-वर्षीय नीति को ठीक बताया है। कुछ सदस्यों ने इसमें आशंका व्यक्त की है। परन्तु लम्बी अवधि की नीति बनाने का मुख्य कारण यह था कि साल के साल होनी वाली अनिश्चिता को समाप्त किया जाये। अगर हम पंचवर्षीय योजना बना सकते हैं, अगर हम देश के सामान्य विकास के लिए आगे सोच सकते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम अपने बड़े व्यापार सम्बन्धी मामलों की दिशा में आगे के लिए नहीं सोच सकते। प्रत्येक वर्ष कोई विवरण, लाइसेंसों का वर्गीकरण, यह मुद्दा तथा वह मुद्दा इत्यादि पर विचार किया जा सकता है अगर हमारे अपने उद्योग का विस्तार होता है तब हो सकता है हम प्रतिबन्ध लगायें अथवा, अगर शक्तिशाली बनने की कोई आवश्यकता नहीं है तो हम इस पर अमल कर सकते हैं। मेरे विचार में मुख्य दिशा निवेश से लम्बी अवधि के लिए पूंजीनिवेश किया जा सकता है। दूसरी कुछ अन्य बातें भी होती हैं क्योंकि हर बार जब नीति सामने आनी होती है तो कुछ समय के लिए अब क्या होने वाला है। सिर्फ यही नहीं : हम सितम्बर में राजस्व नीति सम्बन्धी एक कानून संसद में लायेंगे ताकि यह योजना के साथ-साथ चलती रहे यह हमारी आम विचार-धारा है। अगर हमारी नीति स्पष्ट होगी और लोगों को विश्वास में लेंगे कि सरकार क्या चाहती है, तो उससे बातचीत को प्रोत्साहन मिलता है; और हमें जनता की भावनाओं का भी पता मिलता है। अगर कुछ गलतियां ठीक करने योग्य हैं तो हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम लोगों को आश्चर्यचकित करें और फिर उसमें संशोधन करें।

एक मुद्दा उठाया गया था कि 201 मदों को ओ० जी० एल० में रख दिया है जिससे औद्योगिक तंत्र को नुकसान पहुंचेगा। इन मदों को ओ० जी० एल० श्रेणी में रखने से पहले उद्योग मंत्रालय से विस्तृत बातचीत की गई थी जो कि स्वदेशी पहलू से विचार करता है। केवल उन्हीं क्षेत्रों में जहां अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, ये मदें रखी गई हैं, अर्थात् तेल के क्षेत्रों में, चमड़े के क्षेत्र में, इलेकट्रोनिक्स के क्षेत्र में; पटसन उत्पादकों के लिए, मशीनों के लिए; तैयार वस्त्रों की मशीनों के लिए और न कि हौजरी के लिए; ओटोमोबाइल्स के लिए, टीन डिब्बा बन्दी इत्यादि के क्षेत्रों में जहां हमें वास्तव में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। अतः ऐसा नहीं है कि इससे बेरोजगारी फैलेगी।

कल डा० अदियोडी ने कहा था कि हमें औद्योगिक विकास सम्बन्धी प्रतिशत नियत करना चाहिए। यह एक क्षेत्र में एक यूनिट या एक कारखाने के बारे में नहीं है। हमें सारे देश के क्षेत्र के बारे में सोचना है। अगर सारे देश के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो किसी एक यूनिट को किसी नीति पर अन्तिम फैसला करने अथवा इसका प्रभाव जानने के लिए नहीं चुना जाना चाहिए।

इस नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संगत तत्व का समावेश किया गया है अर्थात शुद्ध विदेशी मुद्रा का। अब तक कुल विदेशी मुद्रा कमाने पर लाभ दिया जाता था। अब इसमें अधिक आयात का भाग खपाया जा सकता है—अर्थात् 70% अथवा 80 प्रतिशत आयात और उसके बाद 100% निर्यात। परन्तु अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने निर्यात करना है, और उतनी ही विदेशी मुद्रा कमाता है, तो उसका अंशदान बहुत अधिक है।

व्यापार और निर्यात गृहों की पात्रता के लिए अब हमने शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित करने को आधार बनाया है। यह है जो हम देखेंगे ! इसका मतलब है कि अब कृषि क्षेत्र में अथवा उन क्षेत्रों में जहां अधिक स्वदेशी हिस्सा है वे ही मुख्य क्षेत्र होंगे और जो शुद्ध विदेशी मुद्रा की योजना से

जिसे हमने शुरू किया है, उससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और केवल यही नहीं है कि ओ जो एल की श्रेणी में हमने 200 मशीनरी रखी हैं और स्वदेशियों को भुला दिया है। ओ० जी० एल० में 67 मदें अधिक प्रतिबंधित तथा सीमित स्वीकृति की सूची में चली गयी हैं। अतः हम ध्यान रख रहे हैं और जब कभी भी स्वदेशीकरण नीति संबंधी कार्यक्रम होता तो उनकी स्वीकृति डी०जी०टी०डी० ले लेनी पड़ती है। केवल तभी लाइसेंस दिये जाते हैं। अतः यह एक प्रकार से संतुलित नीति है। तकनीकी एक चीज है। अगर हमारा संबंध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से है तो हमें तकनीकी में पिछड़ापन दूर करना होगा और उसमें प्रतिस्पर्धा करनी होगी; इतिहास गवाह है कि जब कभी भी हम तकनीकी में पिछड़े हैं या शस्त्र तकनीकी में पीछे रहे हैं, चाहे वह युद्ध सामग्री हो अथवा आर्थिक प्रतिस्पर्धा, हम मुकाबला नहीं कर सकते जब तक कि हम तकनीकी में प्रशिक्षित न हों।

जहां तक प्रशासन का संबंध है हमने विकेन्द्रीकरण किया है। प्रादेशिक अग्रिम लाइसेंसिंग समितियां स्थापित कर दी गई हैं और प्रादेशिक लाइसेंसिंग प्राधिकरणों लाइसेंस द्वारा तत्काल देने के मामले में अधिक शक्तियां दी गई हैं ताकि वहीं पर लाइसेंस दिये जा सकें और उनको दिल्ली न आना पड़े।

कुछ मुद्दे उठाये गये थे कि लघु उद्योगों की उपेक्षा की जा रही है। ऐसा नहीं है। संयंत्रों तथा मशीनों पर पूंजीनिवेश की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 35 लाख कर दी गई है। उद्यमियों, व्यापारियों तथा निर्यातकों के लिए जो कि चुनींदा उत्पादों का निर्यात करना चाहते हैं; न्यूनतम उत्पादन की दर 50 हजार रुपये से घटाकर 20 हजार रुपये कर दी गयी है। इसका अर्थ है अगर भूतकाल में वे इतना नहीं कर पाये हैं तो उन्हें बाहर निकलना होगा। अगर वे स्वयं 20 प्रतिशत विकास की दर बनाए रख सकते हैं तो वे लघु उद्योगों में रह सकते हैं। 'ओटोमैटिक लाइसेंसों' को समाप्त कर दिया गया है। उनमें से 90 प्रतिशत ओ जी एल में चले गए हैं; मुख्यतः लघु उद्योग क्षेत्र का प्रसार किया जाना है और मुख्य तौर पर उनका इससे अधिक लाभ होगा। डी०जी०एस० एण्ड डी० के आवश्यकता सम्बन्धी विश्लेषण के अनुसार 10 प्रतिशत को हमें प्रतिबंधित सूची के लिए रखना होगा न कि ओटोमेटिक लाइसेंस के लिए। अतः हमारे समय में कुछ विचारणीय विषय थे।

कल श्री श्रीहरि राव ने उल्लेख किया था कि सी०सी० एस० और राज सहायता पर्याप्त नहीं हैं। मेरे विचार में डालर कमाना कठिन है और हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आर० ई०पी बहुत ऊंचा है। अर्थात जो हम कमाते हैं वह उसके अनुरूप नहीं है। परन्तु नये कर प्रस्तावों में निर्यात से लाभ 50 प्रतिशत भाग पर रियायत मिल सकती है अगर उसको व्यापार के लिए आरक्षित रखा जाता है। अतः वह उपबन्ध किया गया है और यही कारण हैं कि पहले वाली सुविधाएं जो 80 एच०सी० के अन्तर्गत दी गई थीं, वापिस ले ली गई हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि सी०सी०आई० ने आवेदन पत्रों का निपटान करने में सराहनीय कार्य किया है। वहां पर 4,51,217 आवेदन पत्र थे।

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत केवल 867 आवेदन पत्र अर्थात 0.2 प्रतिशत आवेदन पत्र निपटाए जाने शेष रह गए हैं। उसका कारण यह है कि कुछ आवेदन पत्र या तो न्यायालयों में विचाराधीन हैं या उनमें कुछ त्रुटियां हैं।

उदारीकरण और इसके प्रभाव के बारे में मेरा विचार है कि इस संदर्भ में आयात की जाने वाली कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो मूल नीति के प्रभाव में नहीं आती। चाहे आप प्रतिबंधित नीति बनायें या उदार नीति, उनका आयात करना ही पड़ेगा। अत: ऐसी मदों पर नीति का कोई असर नहीं पड़ता। वे मदें हैं उर्वरक, खाद्य तेल, पी०यू०आई०, लोहा और इस्पात, अलौह-धातु आदि। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1970-78 और 1981-84 के बीच इन मदों का आयात हमारी कुल आयात का 50% बैठता है। अत: आधे से अधिक मदों का आयात अत्यावश्यक है।

1972 से 1980 के दौरान 8 आठ वितीय मदों का आयात किया गया जो करीब 50% है। अत: हमारी नीति के अनुसार 65% से 70% तक आयात नहीं किया गया। शेष 35% आयात अत्यावश्यक है। इसमें पूंजीगत वस्तुएं और कच्चा माल शामिल है। शेष 5-10% मदें रह जाती हैं। अत: राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें असाधारण वृद्धि न हो। आपका कहना है कि व्यापार अंतर बढ़ रहा है और हमारी नीति उदार है। पर चालू मूल्यों और विनिमय की अस्थिर दरों में व्यापार अंतर का पता लगाना कठिन है। विकासशील अर्थ-व्यवस्था में हमें यह देखना है कि कोई अर्थ-व्यवस्था कितना व्यापार अंतर सहन कर सकती है। मैं समझता हूं कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में इसके अंश से पता चल सकता है कि अर्थ- व्यवस्था पर कितना भार है। यदि आप उस ओर देखें तो पायेंगे कि 1980 में जो व्यापार अंतर 50% था वह 1983-84 में 30% रह गया। हमारा अनुमान है कि 1984-85 में इसमें और कमी आयेगी। कुल आंकड़े अधिक हो सकते हैं किन्तु कुल राष्ट्रीय उत्पादन में इसका अंश कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र में हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे मदें भी जो भारी मात्रा में आयात नहीं की जाती और जिन पर नीति का प्रभाव पड़ता है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में उनके अंश में भी असाधारण वृद्धि नहीं हुई है। यह 2.1%, 2.4%, 3% यह सीमित ही है। यही कारण है कि आज हम ऋणी नहीं हैं। इससे अर्थ-व्यवस्था की स्थिति का पता चलता है। 1984-85 के पहले 10 महीनों में निर्यात में 18.6% और आयात में 8.4% वृद्धि हुई है। इसी वर्ष के पहले 10 महीनों में व्यापार अंतर में कमी आई है। अत: इन आंकड़ों से हमारी चिंता बिलकुल समाप्त हो गई है।

श्री प्रभु जी ने विश्व व्यापार में हमारे अंश का जिक्र किया था। विश्व व्यापार में हमारे अंश में कमी आई है। लेकिन 1980 के बाद से इसमें वृद्धि हुई है। 1980 में यह अंश ·42, 1981 में ·50 तथा 1982 में ·51 रहा। यह सीमान्तक है। अत: यह कहना ठीक नहीं है कि हमारे अंश में कमी हो रही है क्योंकि तथ्य अन्यथा हैं।

हमारी हर बार मलेशिया और हांग कांग से तुलना की जाती है। और यह कहा जाता है कि भारत भी उनकी तरह विकास क्यों नहीं करता। आप किसी बड़े उपमहाद्वीप की तुलना शहरों से नहीं कर सकते। क्या इन देशों पर रक्षा का भार अथवा बड़ी जनसंख्या का कोई उत्तर-दायित्व है ? हांग कांग और ताइवान के व्यापार के बारे में गलतफहमी है। सही व्यापारिक पता न्यूयार्क है। सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के व्यापार के आंकड़े उन देशों के आंकड़ों के अंतर्गत आ जाते हैं और हम समझते हैं कि उन्होंने विकास किया है और भारत पीछे रह गया है। ऐसा नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम अपने ही संसाधनों पर निर्भर हैं और ऋण के पंजे से मुक्त हैं। हम आयातों का मूल्य निर्यात और परोक्ष आय से चुका रहे हैं। इसके साथ ही हम अपनी रक्षा करने

और अपनी स्वततंत्रा को बनाए रखने में समर्थ हैं। हमें इस पर गर्व महसूस करना चाहिए। हमें इस संबंध में हमेशा हांगा-कांग या ताइवान के उदाहरण नहीं देने चाहिए।

कल श्री प्रभु जी ने कहा कि अमेरिका के साथ हमारे व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है। इसमें वृद्धि हो रही है। एक वर्ष पूर्व उनके साथ हमारा व्यापार 15 प्रतिशत था और 1984-85 में यह बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया। किसी समय रूस के साथ हमारा व्यापार सबसे अधिक होता है और कभी अमेरिका के साथ अधिक होता है। अत: दोनों ही देशों के साथ हमारा व्यापार सबसे अधिक रहता है।

श्री नटराजन यह शिकायत कर रहे थे कि समाजवादी देशों के साथ हमारे व्यापार पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस पर हम अधिकतम ध्यान दे रहे हैं। इसका बहुत लाभप्रद प्रबन्ध रहा है। जब व्यापार व्यवस्था में उत्तार-चढ़ाव रहा, समाजवादी देशों को हमारा निर्यात जारी रहा। मैं समझाता हूं जिन देशों के साथ हमारी रुपये में भुगतान की व्यवस्था है, वहां यह गारण्टी है कि हम आयात करेंगे उतनी मात्रा में निर्यात अवश्य ही करेंगे हमारा यह प्रबंध बहुत अच्छा है। हमारे व्यापार के स्थायी विकास का इस तथ्य से पता चलता है कि सोवियत रूस के साथ 1980 में हमारा कुल व्यापार 984 करोड़ रुपए का था, ऐसा अनुमान था कि 5 वर्षों के बाद इसमें 1½ गुना वृद्धि हो जायेगी। लेकिन 1984 में हमने न केवल अपने लक्ष्य से अधिक व्यापार किया अपितु यह दुगुना हो गया। यह व्यापार 3764 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और 1985 में हमारी योजना 4620 करोड़ रुपए का व्यापार करने की है। मैं समझता हूं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में जो आधुनिकता लाई जा रही है और हमारे जो पारस्परिक हित है, उन्हें ध्यान में रखते हुए हमें नए बाजार तैयार करने चाहिए और उनका विकास करना चाहिए।

कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में श्री नटराजन और डा० अदियोडी ने कहा कि हमें अपनी नीति को रोजगारोन्मुख तथा श्रम शक्ति-उन्मुख बनाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं क्योंकि चाहे कृषि हो, सूति कपड़ा अथवा हस्तशिल्प, हमारे यहां मानव शक्ति हैं। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। 1984-85 में हमने 1452 करोड़ रु० मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया।

कल श्री अदियोडी ने काफी पर निर्यात शुल्क के संबंध में एक प्रश्न पूछा था। मेरे विचार से कुछ ऐसे सदस्य भी हैं, जिनके मन में यह बात तो है किन्तु वे कह नहीं पाऐ हैं। एक महिला सदस्या ने मुझे इस बारे में एक पत्र लिखा था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने काफी पर निर्यात शुल्क 720 रुपये से घटाकर 570 रुपये करने का निर्णय किया है।

श्री टी० बी० चंद्रशेखरप्पा (शमोगा) : जब आपने चाय पर पूरी छूट दी है तो क्या आप यहां भी पूरी छूट दे सकते है ?

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : इसका दायित्व सरकार पर है। राजकोष में भी कुछ राजस्व डालने की आवश्यकता होती है। जब आप अधिक योजना आवंटनों के लिए कहते हैं तो मुझे इन्हीं का सहारा लेना पड़ता है।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : समस्या यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को देखा जाए तो उसकी तुलना में कॉफी उत्पादकों को बहुत कम लाभ हो रहा है। इसीलिए हम आग्रह कर रहे हैं कि काफी पर निर्यात शुल्क में पूरी छूट दी जाए। कॉफी अधिकतर दक्षिण में ही उगायी जाती है। इसीलिए हम इसकी मांग कर रहे हैं।

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : पहले आप इतना तो करने दीजिए, फिर हम देखेंगे।

यह दलील दी गयी थी कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाई जानी चाहिए। उसके लिए हम कृषि उत्पाद, निर्यात विकास प्राधिकरण बना रहे हैं। यह कृषि-उपज की गुणवत्ता बढ़ाकर निर्यात की जाने वाली मदों पर ध्यान देगा। इस तरह से कृषि क्षेत्र से हम अपनी वसूली में वृद्धि कर सकते हैं।

एक मसाला बोर्ड का भी उठन किया जा रहा है और आपको यह जानकर खुशी होगी कि चाय में····· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम चाहते हैं कि इलायची·····बने रहने दिया जाए (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इलायची के सम्बन्ध में भी बता रहा हूं। यदि आप मेरा समय नष्ट न करें तो मैं प्रत्येक मद के बारे में बताऊंगा। चाय के सम्बन्ध में यह विचार किया गया कि न्यूनतम निर्यात मूल्य, जो कि 31 रुपये प्रति किलो है, अधिक है और इससे हमारे निर्यात में समस्याएं पैदा हो रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम हुए हैं अत: यह निर्णय किया गया था कि इसका निर्यात मूल्य कम करके 26 रुपए से 21 रुपये प्रति किलो कर दिया जाए। श्री पाठक ने कहा कि चाय में पुन: निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। अत: हमने यह प्रावधान रखा है कि यदि पूंजी निवेश के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के साथ किया जाता है और पुन: निवेश के लिए उसका प्रयोग राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की योजनाओं के लिए किया जाता है तो लाभ के 20% को आय कर से मुक्त रखा जाएगा। बजट में पहले ही यह प्रावधान रखा गया है। अत: उस पर पहले ही ध्यान दिया गया है।

तम्बाकू के बारे में मैं कहूंगा कि आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की नीलाम करने की प्रणाली शुरू की गई है और इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। वसूली भी अधिक हुई है। कर्नाटक में भी पिछले वर्ष इसके अच्छे परिणाम निकले।

चाय का रिकार्ड निर्यात किया गया है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि चाय के निर्यात से देश ने 750 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है और इसके लिए मैं इस काम में लगे मजदूरों, श्रमिकों तथा उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने राष्ट्र को इतना योगदान दिया। मसालों के निर्यात से 150 करोड़ रुपए चमड़े के निर्यात से 545 करोड़ रुपए तथा सरसों के तेल के निर्यात से 125 करोड़ रुपए अर्जित किए गए हैं। ये सब रिकार्ड हैं।

श्री कलानिधि ने कहा कि चमड़े की गुणवत्ता को और बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए हमने पहले ही बजट में क्रस्ट लेदर और वेटे ब्ल्यू और वेटटल एक्सट्रेक्टस के लिए व्यवस्था की है। हमने 14 मशीनों पर करों में कमी की है। हमने चमड़े के निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने का निर्णय किया है। मशनरी की 87 मदों पर सीमा शुल्क में 35% तक रियायत दी जायेगी। हमने दो चमड़ा परिषदों को एक परिषद में परिवर्तित कर दिया है और इसका मुख्यालय मद्रास में होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी एक चमड़ा उद्योग बनाने की व्यापक योजना है।

सूखे के कारण जो 25% क्षेत्र नष्ट हो गया था वहां पुन: खेती की गई है।

समुद्रीय उत्पादों के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। झींगा मछली के उत्पादन में नए कदम और नई तकनीक अपनाई गयी है जिसमें एम० पी० ई० डी० ए० का भी अंश होगा। यह निर्णय भी लिया गया है।

इन्जीनियरिंग के संबंध में चिंता व्यक्त की गई किंतु इस चिंता के कुछ कारण थे—संरक्षण प्रवृत्तियां और अफ्रीका में भुगतन की कठिनाइयां, जहां वे इन इंजीनियरिंग वस्तुओं का भुगतान नहीं कर सकते, जो हम उन्हें भेजते हैं। तथापि दिसम्बर 1984 तक निर्यात में 14% वृद्धि हुई है और यह एक अच्छा शकुन है।

परियोजना निर्यात के संबंध में भी 67-83 करोड़ रुपये के ठेके प्राप्त हुए हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या आप रुपया विनिमय के लिए अफ्रीका के देशों से बातचीत कर सकते हैं ?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : मुझे इस बारे में विस्तार से बताना पड़ेगा। मेरे पास समय भी कम है अतः 10 मिनट में जितना कुछ बताना संभव होगा, मैं उतना बताने का प्रयत्न करूंगा। मुझे आपको एक बात यह कहनी है कि सरकारी क्षेत्र में कुछ अच्छी उपलब्धियां हुई हैं। यह आरोप सही नहीं है कि सरकारी क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। मैं आपको खनिज और धातु व्यापार निगम के रिकार्ड के बारे में बताऊंगा। इसने वर्ष 1984-85 में 2,750 करोड़ रुपये का अधिकतम कारबार किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में दुगुने से भी अधिक है। इसने 379 करोड़ रुपये का अधिकतम निर्यात किया है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 38% अधिक है। असरणीबद्ध मदों का कुल आयात में भी पिछले वर्ष की अपेक्षा तिगुना रहा है। इससे पता चलता है कि हम निजी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हमें इसके कार्य-निष्पादन पर गर्व है।

इसी भांति राज्य-व्यापार निगम का कार्य-निष्पादन भी अच्छा रहा है। इसके उत्पादन तथा आयात में भी वृद्धि हुई है। तब मैं इसके कार्य-निष्पादन के बारे में भी अभी कुछ बताऊंगा।

लोहे-अयस्क के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि चीन की भांति हमने कुछ नए बाजारों का पता लगाया है और पहली बार कुदरेमुख के लोह अयस्क को जापान भेजा जा रहा है। 1985-86 के लिए एक करोड़ टन लोह अयस्क के निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अजमदा प्रदेश के बारे में भी एक प्रश्न उठाया जा रहा था। अतः पाराद्वीप से प्रतिबंध हटा लिए जाने के कारण वहां यह समस्या नहीं रहेगी। लेकिन प्रतिबंध होने के बावजूद एम० एम० टी० सी० ने पहले से अधिक खरीद करने का निर्णय लिया है। अतः इसमें प्रगति हुई है।

अब मैं दार्जिलिंग चाय के सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं कहूंगा कि हम इन समस्याओं की ओर ध्यान दे रहे हैं।

यह सच है कि उत्पादन लागत अधिक है और पौधे पुराने हैं। इसी कारण हम योजनाएं बना रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 22 योजनाओं की स्वीकृति दे चुका है और 8 उद्यानों के लिए 25.87 लाख रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं। हम अन्य योजनाओं के लिए भी शीघ्र राशि प्रदान करेंगे। चाय विपणन नीति को सुदृढ़ बनाया गया है और चार रुग्ण चाय बागानों का अधिग्रहण किया गया है। अतः चाय के मामले में हमने ये उपाय किए हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इस जानकारी से संतुष्ट होंगे।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : दार्जिलिंग चाय पर लेबल लगाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। वे इसके लेबल इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह, मैं इस समस्या से अवगत हूं। हमने ब्रिटेन के अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिया है कि इससे हम पर प्रभाव पड़ता है और हमारी इस विषय पर अभी भी उनसे बातचीत चल रही है।

राज्य व व्यापार निगम के उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा 26% वृद्धि हुई है और असरणीबद्ध मदों का निर्यात 15% बढ़ गया है। यह 501 करोड़ रुपये तक अभी नहीं पहुंचा है। राज्य व्यापार निगम ने 50 करोड़ रुपये का विदेशों में भी व्यापार किया गया। अत: मैं समझता हूं कि सीमित समय में मैंने माननीय सदस्यों के सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने कहा है कि मसाला बोर्ड का गठन किया जा रहा है लेकिन इलायची वालों की मांग है कि इलायची बोर्ड बना रहने देना चाहिए और काली मिर्च तथा अन्य मसालों के लिए एक पृथक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए क्योंकि केवल काली मिर्च से ही हम अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। अत: कालीमिर्च तथा अन्य मसालों के लिए पृथक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए तथा इलायची बोर्ड बना रहने दिया जाना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में सरकार का विचार जानना चाहता हूं।

हमारी मांग है कि नारियल के तेल के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ? हम आश्वासन चाहते हैं।

3.45 म. प

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नारियल के तेल का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है। उन्हें जब कहा जाता है वे तभी इसका आयात करते हैं। पिछले वर्ष करीब 10,000 मीट्रिक टन नारियल के तेल का आयात किया गया क्योंकि तेल की कमी थी और इसके उत्पादन में भी कमी हुई थी। लेकिन अब राज्य व्यापार निगम और अन्य एजेंसियां इसका आयात नहीं कर रही हैं। अब कानूनी आदेश अंतर्गत केवल एक ही पार्टी को सूखा खोपरा आयात करने की अनुमति दी गई है। वस्तुत: स्थिति यह है। केवल पुनर्भरण लाइसेंस के आधार पर ही किसी तरह का आयात किया जा सकेगा।

जहां तक जायफल का संबंध है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका कारोबार 'नाफेड' द्वारा किया जाता है। जितनी आय इसे हुई है उससे यह अंतर पूरा नहीं हो पाया है। इससे हमारे देश की मंडी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। काजू के बारे में आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने केरल सरकार को काजू खरीदने की कुछ युक्तियां बताई हैं। अत: समुद्री उत्पादों को लेकर काजू इलायची और जायफल आदि सभी पर विचार किया गया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मसाला बोर्ड के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं माननीय सदस्य को अलग से इस मामले में आश्वस्त कर पाऊंगा ऐसा मेरा विचार है। हम यह अच्छा काम कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि उनके सहयोग से मैं चुनौती का सामना कर पाऊंगा। यदि कुछ समस्याएं हैं, तो मैं निश्चय ही उनका समाधान करता रहूंगा।

डा० जी० एस० राजहंस (झंझारपुर) : फोटो-कम्पोजिंग उपकरण के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्री राजहंस, मुझे इसकी पूरी जानकारी है। मैंने इस पर ध्यान दिया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आपने चाय बागानों में 20% पूंजी पुनः निवेश करने की अनुमति दी है। लेकिन रबर तथा अन्य बागानों के लिए आप यह सुविधा नहीं दे रहे हैं। उसका अर्थ है यह बड़ी सुविधा केवल बड़े बागानों के लिए दी जायेगी, साधारण और मध्यम बागानों को नहीं। यह पक्षपात क्यों किया जा रहा है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह योजना पहली बार बनाई गई है। मैंने आपके प्रश्न पर ध्यान दिया है। इस समय मैं यही कह सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं बशर्ते कि कोई सदस्य अपने प्रस्तावों को पृथक से प्रस्तुत न करना चाहता हो।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न हैं।

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय से सम्बंधित मांग संख्या 10 से 13 के संबंध में 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियों भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

"प्रस्ताव स्वीकृत हुआ"

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय संबंधी अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय				
10.	वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय	57,33,000	—	2,86,69,000	—
11.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	1,35,87,38,000	18,20,58,000	6,85,97,69,000	91,52,93,000
12.	सूती वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प	43,75,32,000	36,62,97,000	219,86,63,000	1,83,14,85,000
13.	पूर्ति और निपटान,	2,54,05,000	—	12,70,28,000	—

3.58 म० प०

श्रीलंका में विद्यामान स्थिति के वारे में चर्चा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। श्री पी० सेल्वेन्द्रन।

***श्री पी० सेल्वेन्द्रन (पेरियाकुलम)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह माननीय विदेश राज्य मंत्री जी ने श्रीलंका में व्याप्त स्थिति के बारे में में एक वक्तव्य दिया। 25 तारीख को हमारे युवा और सक्रिय प्रधानमंत्री, राजीव गांधी ने अपने वक्तव्य में श्रीलंका की स्थिति के संबंध में बताया और यह घोषणा की कि एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जो उन्हें श्रीलंका की स्थिति का मूल्यांकन करेगी तथा समस्या को हल खोजने में सहायता करेगी। हम सबने इस घोषणा का समर्थन किया क्योंकि यह एक सही प्रयास था और हमें कुछ संतुष्टि मिली श्रीलंका की स्थिति का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने के बाद कार्यवाही करने का विचार किया गया है।

श्रीलंका की स्थिति के बारे में बताते हुए मैं बड़ी दुविधा में पड़े गया हूं। मैं उन शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूं जिनके द्वारा में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा। आज श्रीलंका में तमिलों के प्रति जो अभूतपूर्व क्रूरता दिखाई जा रही है उसका वर्णन इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलता।

विश्व के मानचित्र में श्रीलंका द्वीप भारत माता की आंख से टपके अश्रु के समान वहां जो खून-खराबा हो रहा है उसके कारण प्रतीत होता है। लेकिन आज वह द्वीप समुद्र में तैरती हुई। ठोस खूनी-चट्टान के समान लग रहा है। अल्पसंख्यक तमिलों की सामूहिक की जा रही है। तमिल महिलाओं से बलात्कार किया जा रहा है। सिंहली लोग श्रीलका में रह रहे तमिलों की जान और माल को आग की लपटों के हवाले कर क्षति पहुंचा रहे हैं। जिन्हें यह कहना चाहिये कि मैं बुद्ध के प्रति समर्पित हूं वे आज कहते हैं कि मैं रक्तपात के प्रति समर्पित हूं।

यह राष्ट्रीय विजय धुन बन गई है।

4.00 म० प०

मानवीय अधिकारों का निरादर और उल्लंघन किया जा रहा है। मानवीय सभ्यता के एक बड़े भाग का विनाश हो रहा है। मानवीय संस्कृति को दफनाया जा रहा है। जाफना पुस्तकालय, जहां तमिल संस्कृति का भंडार था, अब राख बनकर रह गया। क्रूरता के मामले में जयवर्द्धने सरकार हिटलर से आगे बढ़ गई हैं हिटलर ने यहूदियों के प्रति अत्यधिक क्रूरता दिखाई थी। कानून की परवाह किये बिना हिटलर ने यहूदियों की हत्या की। जयवर्द्धने सरकार कानूनन सेना और पुलिस की मदद से श्रीलंका के मानचित्र से तमिलों का नामों-निशान मिटा रही है। यह कहा जाता है कि हिटलर के 'मेंकेम्फ' के हर अध्याय में 1,20,000 यहूदियों के कत्ल का वर्णन है। लेकिन जयवर्द्धने सरकार की हर बात पर 100 तमिलों की हत्या हो रही है। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति और जयवर्द्धने सरकार के जाति संहार नीति में कुछ अंतर नहीं है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा नामीबिया में की गई बर्बरता भी जयवर्द्धने द्वारा तमिलों। पर किए जा रहे अत्याचार से कम है। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद-नीति भारत माता के पैरों में कांटे के समान है तथा श्रीलंका की जातीय नीति भारत माता की आंख में चुभे कांटे के समान है।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

एक सप्ताह पूर्व श्रीलंका नौ सेना ने श्रीलंका के 200 शरणार्थियों से लदी नाव का पीछा किया और उन्हें हमारे क्षेत्रीय जल में गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले 'पाल्क स्ट्रेटस' में 27 तमिलों की गोली मार कर हत्या कर दी गई। इसराइल के मारक विंग 'मोसैड' तथा ब्रिटेन के एस० ए० एस० के भाडे के सिपाही श्रीलंका सेना के सैनिकों को गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इजराइल की खुफिया पुलिस 'एलम टाइगर्स' का विनाश कर रही है।

श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में, जहां श्रीलंका तमिलों का आधिक्य है वहां श्रीलंका की सेना का अड्डा जा रहा है। श्रीलंका के सैनिकें, जिन्हें ब्रिटेन में प्रशिक्षण दिया गया था, तमिलों पर ऐसे अत्याचार कर रहे हैं जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। श्रीलंका की आये दिन ये घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं इतनी दुःखद हैं कि इनकी और पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं।

ऐसी बात नहीं है कि श्रीलंका सरकार ने तमिलों को बाहर खदेड़ने की नीति मात्र दो-तीन वर्षों से ही बनायी हो। श्रीलंका सरकार ने 1984 में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद से ये कार्यवाही शुरू कर दी थी। 1948 में सबसे पहले श्रीलंका की स्वतंत्र सरकार ने उन 10 लाख तमिलमूल के लोगों की नागरिकता का अधिकार समाप्त कर दिया, जिन्होंने श्रीलंका के विकास के लिये अपना खून-पसीना बहाया था। 1949 के बाद 1,84,771 मूल तमिलवासी शरणार्थी बना-कर भारत भेज दिये गये। श्री मावो शास्त्री के बीच 10 अक्तूबर 1964 को हुये समझौते के अनुसार 9,75,000 मूल तमिलों में से 5,25,000 तमिलों को भारत की नागरिकता और 3 लाख तमिलों को श्रीलंका की नागरिकता दी जानी थी। 1974 में श्रीमावो-इन्दिरा गांधी के बीच हुए समझौते के अनुसार, भारत और श्रीलंका द्वारा शेष नागरिकता विहीन लोगों को बराबर-बराबर नागरिकता दिये जाने का समझौता हुआ था। जबकि भारत ने इस समझौते का पालन किया है, श्रीलका सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। आज भी एक लाख से अधिक भारतीय पासपोर्ट वाले तमिल वहां नागरिकता विहीन हैं और भारतीय वे श्रीलंका में भिखारियों की तरह रह रहे हैं। इसका कारण यह है कि श्रीलंका सरकार ने इन लोगों को बागान श्रमिक भविष्य निधि तथा उपदान आदि की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

श्रीलंका में रह रहे तमिलों को शिक्षा तथा नौकरी के क्षेत्र में भी समान अवसर नहीं दिये गये हैं। सेना और पुलिस में भी उनकी उपेक्षा की गई है। श्रीलंका सरकार 1948 से उन पर निरन्तर अत्याचार कर रही हैं, जो कि अंत हीन हैं, इसकी तुलना केवल हनुमान की सर्वाधिक लम्बी पूंछ, द्रोपदी की साड़ी, की अंतहीन लम्बाई और राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की असंख्य सीढ़ियों से की जा सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीलंका में तमिलों का जो विनाश हो रहा है वह चिरस्थायी है।

विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिये दिये गये इस देश के योगदान से सभी परिचित हैं। भारत ने शांति के दूत बुद्ध को, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने जन्म दिया। यहां पंडित नेहरू ने जन्म लिया, जिन्होंने मानव अधिकारों की रक्षा के लिये अपने जीवन समर्पित किया। भारत का विलक्षण नेतृत्व श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया, जिन्होंने विश्व शांति के लिये अपने जीवन का बलिदान किया।

आज भारत ने स्वतंत्रता सेनानियों के संगठन स्वापो को मान्यता दी है जो नामीबीया के प्रगतिशील नेताओं का, संगठन है। हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने यह साहसिक कदम उठाया है और विश्व के अन्य देशों का पथप्रदर्शन किया है।

मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को श्रीलंका के तमिल लोगों के भय को कम करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिये। श्री जी० पार्थासारथी को वहां के लोगों से आमने सामने वार्त्ता करने के लिये श्रीलंका भेजा गया था। इससे हमारी निराशा में आशा का संचार हुआ है। हमारी चिंतन शक्ति में एक आशा की किरण जागी है। शांतिपूर्ण समझौतों के लिये हमने दिवा-स्वप्न देखने शुरू कर दिये। दुर्भाग्यवश, जयवर्धने सरकार की जिद के कारण हमारे सपने चकनाचूर हो गये। श्री भण्डारी को श्रीलंका भेजने से हमारी आशाएं फिर से प्रदीप्त हो गई थी। लेकिन फिर से हमारी आशाएं झूठी साबित हो गई हैं। अगर यही प्रक्रिया निरन्तर चलती रही और अगर हम अपने निर्धारित कार्यों को स्थगित करते जायेंगे तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब हमें कहना पड़ेगा 'आपरेशन सफल हो गया परन्तु मरीज मर गया'।

हम बातचीत के द्वारा हल निकालना चाहते हैं। इसका कारण है हमारा शांति प्रिय होना। महोदय, आप मुझसे सहमत होएंगे अगर मैं कहूं कि दो संदिग्ध दलों के बीच वार्ता सफल नहीं हो सकती। जब दोनों पक्षों को विवशता पूर्वक समझौते के लिये बैठाया जाये तो हल नहीं निकाला जा सकता। वार्ता तभी सफल होगी जब दोनों पक्ष शांतिपूर्ण रवैया अपनाएंगे, कि प्रतिफल या बदले की भावना से। श्रीलंका सरकार से शांति की आशा करना ऐसे ही है जैसे किसी ऐसे कीड़े से रक्त-दान की आशा करना जो सिर्फ रक्त चूसना ही जानता हो। हम कसाई से दया की आशा नहीं रख सकते। हम बुराई से परोपकारिता की आशा नहीं रख सकते।

विगत दो वर्षों में हुई वार्ता और बातचीत के दौरान श्रीलका सरकार अपने आप को हथियारों से लैस कर रही है। विश्व के विभिन्न देशों से 1000 करोड़ रुपये के हथियार एवं गोला बारूद प्राप्त किया है। आधुनिकतम हथियारों की आपूर्ति के लिये श्रीलका ने अमरीका से सैनिक समझौता किया है। श्रीलंका ने अपना भारत-विरोधी आंदोलन तेज कर दिया है। श्रीलंका के पूर्वी-तट पर अत्यन्त सुन्दर प्राकृतिक बन्दरगाह है। त्रिनकोमाले जिसे हिन्द महासागर की कुंजी कहा जाता है। इसे लम्बे समय की अवधि के लिये अमरीका के बेड़ों को दे दिया गया है। त्रिनकोमाले हिन्द महासागर का दूसरा डियागो गार्शिया बन गया है। इसमें 105 विशाल तेल के टैंक खड़े हुए हैं जिन्हें अमरीका की कम्पनी को पट्टे पर दिया है। अमरीका के सातवें बेड़े को बिना बाहरी ताकतों का ध्यान आकर्षित किये बिना यहां खड़ा किया जा सकता है। सम्पूर्ण श्रीलका तट को लम्बी अवधि के समझौते के तहत अमरीका को वैज्ञानिक शोध कार्यों के लिये दिया गया है।

इन सब बातों से हिन्द महासागर में अन्तर्राष्ट्रीय आतन्क का भय उत्पन्न हो गया है। हमारे देश के दक्षिणी भागों में कभी भी युद्ध का खतरा पैदा नहीं हुआ है। और अब दक्षिणी भाग को भी हिन्द महासागर से खतरा पैदा हो रहा है। अगर हम श्रीलका की समस्या का हल नहीं निकालते हैं तो दक्षिणी राज्यों का खतरा और भी बढ़ जायेगा। हम दक्षिण के राज्यों को तभी सुरक्षा प्रदान करने में सफल हो सकते हैं जब श्रीलंका समस्या को शांतिमय तरीके से सुलझाया जा सके।

हाल ही में हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री डा० एम० जी० रामचन्द्रन के नेतृत्व में सर्व-दलीय प्रतिनिधिमण्डल माननीय प्रधान मत्री से मिला और उन्होंने बताया कि श्रीलंका समस्या को सुलझाने में हमारी तरफ से कार्यवाही में विलम्ब होने के क्या परिणाम हुए हैं। वह भारतीय मछुआरों का संरक्षण चाहते हैं। वह चाहते हैं कि श्रीलंका शरणार्थियों को वापस श्रीलका भेज दिया जाये। हमें श्रीलका में मित्रता का वातावरण पैदा करना चाहिए ताकि दोनों ही, तमिल व श्रीलंका

के व्यक्ति भी आपस में एक-दूसरे पर विश्वास करें। श्रीलका के तमिल लोगों का सम्मान एवं गरिमा हमें पुन: कायम करनी चाहिये। हमारे मेता की इन भावनाओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए हमारे प्रधान मंत्री जी ने श्रीलंका समस्या को सुलझाने के लिये 'सलाहकार समिति' का गठन किया है। प्रधान मंत्री जी की इस तुरन्त प्रतिक्रिया से हम कुछ हद तक शांत हैं। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी भूखें व्यक्ति को यह नहीं कह सकते कि अभी मीठे चावल बनने वाले हैं और तुम्हें दिये जायेंगे थोड़ा इन्तजार कर लो; उसे तुरन्त ही चावल फुडिंग खाने को दी जानी चाहिए। तभी हम उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। इसी तरह से श्रीलंका के लोगों को इस प्रकार की समितियों एवं कोरी वार्ताओं से जिन्दा नहीं रखा जा सकता। उन्हें जीवित रहने के लिये तुरन्त सहायता की जरूरत है।

मैं सदन को पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति संघर्ष के दौरान सरकार द्वारा की गयी तुरन्त कार्य-वाही को याद दिलाना चाहूंगी हमने मुक्ति वाहिनी को मान्यता दी और बंगला देश को आजाद कराने में मदद की। हमने पूर्वी पाकिस्तान से बंगलादेश को लौटाने वाले कई लाख शरणार्थियों के जाने का बन्दोबस्त किया। इसी प्रकार से हमने नामीबीया की स्वतंत्रता में तेजी लाने के लिए स्वापों को मान्यता दी है। फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता देकर हमने स्वय को प्रिय बना दिया है। हम फिलीस्तीनियों का अपना देश बनाना चाहते हैं। श्रीलंका के तमिल लोगों के लिए क्या हमने इस प्रकार के ठोस कदम उठाए हैं ? क्या सरकार का श्रीलंका के तमिल लोगों की तरफ सहायता का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए ? क्या हमें श्रीलका को उन तमिल महिलाओं के आंसू नहीं पोंछने चाहिए जिनकी इज्जत लूट ली गई है क्या हमें उस स्वतंत्रता की खोज को शांत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिसके लिए श्रीलका के तमिल अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं।

महोदय, तमिल जाति इतने लम्बे समय तक तमिल महिलाओं की शुचिता से ही जीवित रह सकी है, पवित्रता की साकार मूर्ति, कन्नागी का तमिल इतिहास में सबसे अधिक सम्मान जनक स्थान है। हमारी सीमा क्षेत्र से सिर्फ 25 मील परे जो घृणित घटनाएँ हो रही हैं कितने समय तक हम उनके प्रति मूक दर्शक बन कर रह सकते हैं ? क्या दुखों की आह सम्पूर्ण तमिल जाति को घेर लेगी ?

महोदय, भारत मानव मूल्यों के प्रति आरम्भ से ही वचन बद्ध है। भारत विश्व में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा है। विश्व को पंचशील भारत की ही देन है जो कि गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का अवलम्ब-आश्रय बन गया है। परन्तु श्रीलंका सरकार न सिर्फ पश्चिमी राष्ट्रों के साथ सैनिक समझौतों द्वारा बल्कि मानव मूल्यों का लगातार उल्लंघन करके गुट-निरपेक्ष नीति की छवि बिगाड़ रही है। मैं इस समय कहना चाहूंगा कि श्रीलका को गुट-निरपेक्ष दल से तुरन्त निकाल दिया जाए।

महोदय श्रीलंका में मानव और भेड़-बकरियों में कोई फर्क नहीं रह गया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर श्रीलंका के कतिपय हिस्सों में बोर्ड रगे हों और उन पर लिखा हो कि यहां पर आदमी का मांस मिलता है। तमिलों को मारा जा रहा है। तमिल महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। यह बात श्रीलंका के तमिलों पर ही समाप्त नहीं हो जाती है। अब भारतीय मछुआरों को मारा जा रहा है। उन्हें गिरफ्तार करके श्रीलंका की जेलों में बन्द किया जा रहा है। उनकी मछली पकड़ने की नावों को बन्दी बना लिया जाता है। श्रीलंका नौसेना के

अत्याचारों से क्या हमें अपने मछुआरों को नहीं बचाना चाहिए ? क्या हमें अपने मछुआरों के अंदर छाये आतंक को दूर नहीं करना चाहिए ।

श्रीलंका की नौसैनिक नाव हमारे जल सीमा क्षेत्र में मछुआरों को परेशान करने के लिए प्रवेश कर गई । हमने उस नाव को पकड़ लिया । हमने हमारी सहज उदारता की वजह से वह नौसैनिक किश्ती श्रीलंका को वापस कर दी । इसी प्रकार से हथियारों और अस्त्रों से भरे श्रीलंका को जा रहा हवाई जहाज जिसे कि त्रिवेन्द्रम में रह रहे श्रीलंका के तमिलों के विरुद्ध प्रयोग में लाना था, परन्तु उस जहाज के पास लगातार चलने के लिये पेट्रोल की कमी थी । हमने जहाज को ईंधन लेने दिया और सैनिक सामान के साथ हवाई जहाज को श्रीलंका जाने की अनुमति दी । हमारा रवैया बहुत ही उदार था । परन्तु उनकी क्या प्रतिक्रिया है ? हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जो नम्रता का रवैया अपना रहे हैं उसे वे लोग हमारी सरकार व प्रधानमंत्री की तरफ से कायरता का कार्य कह रहे हैं ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अपील करूंगा कि हमें श्रीलंका की तरफ अपनाई गई अपनी दृष्टिकोण को बदलना होगा । श्रीलका की समस्या की ओर हमें अपने रवैये में परिवर्तन करना होगा । इस गम्भीर समस्या के समाधान के संबंध में हमें अपनी प्रवृति को भी बदलना होगा । हमें श्रीलका को दी जाने वाली हर प्रकार की सहायता को तुरन्त बंद कर देनी चाहिए जो कि तमिलों का नरसंहार कर रहे हैं और जिन्होंने हमारी जलीय सीमा में निरपराधी मछुआरों को मारा है । हमें अल्प संख्यकों के अधिकारों के दमन के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विचारों को तैयार करना चाहिये । हमें मानव अधिकार आयोग से प्रार्थना करनी चाहिये कि वह अल्पसंख्यक जाति को इस प्रकार से नष्ट किये जाने की निंदा करें ।

समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से मांग करूंगा कि श्रीलंका समस्या को हल करने के लिये हमें अपने रवैये में आमूल परिवर्तन करना होगा । मैं विश्वास करता हूं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी देश के दक्षिणी भागों की सुरक्षा करने एवं हमारे मछुआरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिक गम्भीर कार्यवाही करेंगे । जब तक श्रीलका में तमिल समस्या हल नहीं हो जाती तब तक हमारे देश के दक्षिणी हिस्सों को युद्ध का खतरा है ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह श्रीलंका में तमिल समस्या का हल निकालने के लिये नया दृष्टिकोण, नया तरीका अपनायें ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

4.20 म०प०

दिल्ली में हुए दंगों के सम्बन्ध में जांच आयोग बैठाने के लिये धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिये भारत की आकस्मिकता निधि से धन निकालने के बारे वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : महोदय, जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है, मेरे साथी श्री ए०के० सेन, विधि और न्याय मंत्री ने दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुई संगठित हिंसा के आरोपों की जांच करने के लिए भी न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा जांच आयोग गठित करने की घोषणा करने के लिए दिनांक 26-4-1985 को वक्तव्य दिया है ।

2. आयोग को शीघ्र ही अपना कार्य आरम्भ करना है। आयोग को स्थापना के लिए व्यय तथा दिन प्रतिदिन के खर्च जैसे वेतन तथा भत्ते, कार्यालय व्ययों तथा यात्रा व्ययों इत्यादि को पूर्ति के लिए आवश्यक धन की भी व्यवस्था की जायेगी। इस 'नयी सेवा' के व्यय का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था इसलिए वर्ष 1985-86 के बजट प्रावधानों में इसे शामिल नहीं किया गया है। इसलिए भारत की आकस्मिक निधि से 12 लाख रुपए निकालने तथा इसे आयोग को सौंपने का प्रस्ताव है ताकि आयोग अगस्त, 1985 के अन्त तक अपने खर्चों की पूर्ति कर सके। आयोग के आवश्यक खर्च को संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रथम पूरक प्राक्कलनों में शामिल किया जायेगा और आकस्मिक निधि से निकाली गयी अग्रिम राशि को निधि में डाल दिया जायेगा जैसे ही आयोग के उक्त खर्च के बारे में पूरक-विनियोग अधिनियम पारित कर दिया जाता है।

4.22 म०प०

श्रीलंका में विद्यमान स्थिति के बारे में चर्चा (—जारी)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : पिछली बार जब सदन में विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जा रही थी तो मैं भी इस विषय पर बोला था। परन्तु उस दिन से आज तक स्थिति और भी खराब हो गई है और श्रीलंका की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, विशेषरूप में वहां जातीय समस्या और बिगड़ गई है।

प्रारम्भ में मैं इस समस्या की गम्भीरता को दर्शाने के लिये कुछ आंकड़े दूंगा। इस समय तक जैसा कि माननीय विदेश मंत्री जी ने बताया है कि 100,000 से अधिक शरणार्थी श्रीलंका से हमारे देश में आ गए हैं। ये शरणार्थी अच्छे चारागाहों या अच्छी आर्थिक प्रगति की तलाश में नहीं आए हैं वे वहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें उनके घरों से जबरदस्ती एवं हिंसा द्वारा खदेड़ दिया गया है। उन्हें उनके गांवों से पकड़ कर नावों द्वारा भाग जाने को कहा गया है।

स्वाभाविकत: श्रीलंका से सभी तमिलों का निकालने का विचार है। इतना ही नहीं, 1983 से लेकर 7500 परिवारों को मारा जा चुका है। 'मार दिया गया' का अर्थ यह नहीं कि उन्हें आम जनता द्वारा मारा गया है परन्तु उन्हें सेना और अर्ध सैनिक बलों द्वारा संगठित हिंसा द्वारा मारा गया है। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है कि यह सरकारी आतंक था और इसका नतीजा हुआ 7500 लोगों की मृत्यु। इतना ही नहीं 150,000 से ज्यादा व्यक्ति बेघर हो गये और इस समय वे शरणार्थी कैम्पों में हैं।

इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख सिंहलियों को प्रशिक्षित किया गया है, सशस्त्र एवं अर्ध-सैनिक ताकतों का रूप दिया गया है ये सिंहली कुछ नहीं बल्कि भूतपूर्व कैदी या अवांछित गैर-सामाजिक तत्व हैं और ये लोग उन गांवों मे जाकर बसेंगे जहां से शरणार्थी श्रीलंका छोड़ कर भारत आ गये हैं। यह पुनर्वास अत्यन्त स्वाभाविक है। ये तथ्य मैं इस बात की जानकारी देने के लिये सदन को बताऊंगा कि यह साम्प्रदायिक या समस्या नहीं है जो कि बिना अस्तित्व के प्रकट हो गई है। यह झगड़ा इस बात का भी द्योतक नहीं है कि इन दो समुदायों के बीच पारस्परिक मतभेदों पर लड़ाई होने से यह समस्या पैदा हुई हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है परन्तु यह बात कार्यवाही में आने के लिये आवश्यक है कि श्रीलंका सरकार ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपना लिया है। जातीय समस्या, श्रीलंका की आजादी के बाद से ही वहां पर है। यह रवैया वहां पर किसी विशेष दिन से शुरू नहीं

हुआ। सच तो यह है कि बहुत से प्रधान मंत्री सही रूप में दो प्रधानमंत्री अलग-अलग सिंहली दलों से संबंधित थे, वे आगे आये और उन्होंने विभिन्न प्रकार के सहानुभूति पूर्ण समझौते किये, सत्ता के हस्तांतरण के बारे में बातचीत हुई, समझौतों पर हस्ताक्षर किये परन्तु जब इन्हें लागू करने का समय आया तो वे हमेशा ही पीछे हट गये और उन्होने बौध वर्ग का उपयोग किया इन लोगों ने न सिर्फ इस बात को देखा कि जो समझौते किये गये थे, उन्हें क्रियान्वित न किया जाये। बल्कि समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाने के तुरन्त बाद भयानक हिंसा, आतंक और दंगे हुये जिसमें हमेशा से ही काफी बड़ी संख्या में तमिल व्यक्तियों की मृत्यु होती आयी है न कि सिंहलियों की। यह मैंने इसलिये बताया है ताकि पता चले कि आक्रमणकारी किस तरफ के थे और यह हिंसा कहां से भड़की।

महोदय, हमारे लिये यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस विषय में जांच करवाये जाने के लिये हम एक सलाहकार समिति बनायेंगे और विचार करेंगे कि किस तरह से इस समस्या को हल किया जाये। अब यह ऐसी समस्या नहीं है जिस पर शान्तिपूर्ण माहौल में सोचा जा सके। यह समस्या काफी विकट हो गई है और जल्दी ही यह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगी यहां पर यह बताना सुसंगत होगा कि अगर इस समस्या का तुरन्त हल नहीं निकाला गया तो हमारे अपने देश के टुकड़े हो जायेंगे और श्रीलंका से जो शरणार्थी तमिलनाडु में आये हैं तथा इन्ही के आने के साथ-साथ बलात्कार, आगजनी, लूट तथा हत्याओं का जो वर्णन बताया गया है, इसने प्रत्येक आदमी को झकझोर दिया है। जो ऐसा करते हैं क्या वे नरपशु हैं अथवा मानव है। हमारे लिये एक लाख व्यक्ति कोई सामने नहीं रखते परन्तु एक लाख व्यक्ति जिनके साथ हत्या, बलात्कार, आगजनी और लूट की घटनाऐं जुड़ी हों, ऐसे लोगों पर इन बातों का काफी भारी प्रभाव पड़ता है; ये लोग हमारे देशवासियों का यह बताने में समर्थ हैं कि वहां पर क्या हो रहा है ?

इसलिये, मैं कहना चाहूंगा कि सभा में वक्तव्य देना या सभा पटल पर रखना या सलाहकार समिति बनाना, या उसे मात्र···ही···हमारे लिये पर्याप्त नहीं है। हमें थोड़ी और कार्यवाही करने की जरूरत है। थोड़ा और से मेरा अर्थ है, सरकार को इस बात के बारे में अधिक स्पष्ट होना चाहिये कि वह चाहती क्या है ? और श्रीलंका सरकार को स्पष्ट रूप में बता दे कि यह नरसंहार, मानव अधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर मसला है और हम इस बात को विश्व के सामने लायेंगे और हम विश्व समुदाय की सहायता लेंगे ताकि वे उस सरकार पर, जो तथाकथित रूप से लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित हुई है, दबाव डाले जिससे वह माननीय आधारों पर कार्य करे। लोकतांत्रिक तरीकों से तथाकथित निर्वाचित सरकार कहने का कारण है, सभी क्षेत्रों से जहां से संसद के लिये 'तमिल मुक्ति मोर्चा' के सदस्य खड़े हुये वे बहुत बड़ी संख्या से विजयी हुये। छठे संशोधन की वजह से वे सब लोग आज सदस्य नहीं हैं। यह इसलिये नहीं कि मैं अलगाववाद का समर्थन कर रहा हूं। परन्तु हमें यह समझना चाहिए कि किस दबाव के अन्दर श्रीलंका में तमिल व्यक्ति रहते थे। यह सच है कि इनकी संख्या बहुत कम है। हमें जानना चाहिये किन परिस्थितियों की वजह से उन्हें अलगाववाद के लिये मजबूर किया गया। किसी भी साधारण व्यक्ति की भांति श्रीलंका के तमिल व्यक्ति भी अच्छी तरह समझते हैं कि आर्थिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए श्रीलंका के टुकड़े होने की बजाय अखण्ड श्रीलंका होना आवश्यक है। परन्तु होता क्या है कि प्रगति का लाभ से एक समुदाय के लोगों को वंचित रखा जाता है, होगा क्या जब प्रतिवर्ष धीरे-धीरे करके सुनियोजित तरीके से एक समुदाय अथवा सभ्यता का बिल्कुल सफाया किया जा रहा है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेश राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हर बार जब बातचीत हुई और समझौते हुये तो इन वार्त्ताओं को भंग कर दिया गया, समझौतों को क्रियान्वित नहीं किया गया, दंगे फसाद हुये। ये दंगे-फसाद किये गये। सिंहलियां की सम्पत्ति को कभी भी नुक्सान नहीं पहुंचाया गया। कभी भी सिंहलियों की हत्या नहीं की गई। यह हत्या तमिलों की हत्या है। इतना ही नहीं, हर बार जब बातचीत के दौरान उचित समझौता होता है तो ये सिंहली जातिवादी तत्व अपने आप को अस्त्रों से लैस करके हिंसक आक्रमण करते हैं। चाहे इसे वहां की सरकार करवा रही हो अथवा नहीं परन्तु इस जाति को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय कुछ तथ्य हैं जो विदेश मंत्रालय के लिये जानना सुसंगत होगा। सर्वप्रथम 1956 में पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात प्रसिद्ध भण्डार नाम के चेलवानायागम संधि हुई। इस संधि में पहली दफे कुछ हद तक सत्ता को हस्तान्तरित किया और कुछ तमिल तथा तमिल क्षेत्रों को स्वायत्तता दी गई। परन्तु इस संधि को कभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया। बौध पुरोहितों ने सुनिश्चित किया कि इसको क्रियान्वित नहीं किया जाये इस संधि पर श्रीलंका के अत्यधिक शक्तिशाली प्रधान मंत्री तथा एक जाने-माने तमिल नेता द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। दोनों ही व्यक्ति अपने-अपने राष्ट्रों तथा अपने-अपने समाज के प्रति उत्तरदायी थे। परन्तु फिर भी बौध पुरोहितगण जानते थे किस प्रकार इस समझौते को रोका जा सकता है। जैसे ही इस समझौता का विचार छोड़ दिया गया तथा उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ तो सत्याग्रह तथा अहिंसा का मार्ग अपनाया गया। मैं यह बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई थी, सिर्फ नाम-मात्र का सत्याग्रह था। उन्होंने गांधी जी का तरीका अपनाया उन्होंने कहा, सत्याग्रह के द्वारा हम जनसाधारण में जागृति पैदाकर सकते हैं। परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, सत्याग्रह के फल-स्वरूप आपातकालीन स्थिति की घोषणा हुई। उस आपात स्थिति के दौरान वहां दंगे हुये। ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि किसी देश में आंतरिक आपात स्थिति की घोषणा हो और उस दौरान वहां पर बड़े पैमाने पर दंगे फसाद हुये हो क्योंकि विशेषकर आपात स्थिति के दौरान नागरिकों को उनके कुछ मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है लेकिन वहां यही लोग हमले करने में समर्थ हुये। यहां इस बात का उल्लेख करना भी असंगत नहीं होगा कि तमिल लोगों की संख्या को कम करने तथा उन्हें श्रीलंका में न बसने देने के लिए सिंहलियों की यह कोई नई योजना नहीं है। प्राय: सभी शरणार्थी बताते हैं कि जब सैनिक उनके गांवों में आते थे तो वे उन्हें कहा करते थे 'अपने देश लौट जाओ' उनसे जब पूछा जाता था कि अपने देश से उनका क्या मतलब है तो वे कहते थे तुम्हारा देश भारत है तुम तमिलनाडु लौट जाओ। ऐसे वह बात करते हैं। यह उनका रवैया है। अध्यक्ष महोदय, इस पृष्ठ भूमि में श्रीलंका के राष्ट्रपति को मात्र यह अनुरोध करने से कि वह मामले को गंभीरता से लें, समस्या हल नहीं होगी क्योंकि सिंहलियों द्वारा तमिलों को बाहर निकालने के लिए सुनियोजित प्रयास किये जा रहें हैं। ये प्रयास कभी चालाकी से कभी अपरोक्ष और कभी खुले तौर पर किये जा रहे हैं। इस समस्या को यह देश, यह सभा, यह राजनीतिक व्यवस्था यदि हल कराना चाहती हैं तो हमें इसे कहीं अधिक गंभीरता से लेना होगा। दूसरे शब्दों में हमें अपने सभी राजनयिक प्रभावों का सभी युक्तियों का उपयोग करना होगा ताकि श्रीलंका के सभी दलों में इस समस्या को हल ढूढने के संबंध मतैक्य कराया जा सके। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यदि लंका के राष्ट्रपति किसी विशिष्ट समझौते पर हस्ताक्षर करना भी चाहें और यदि कर भी दें तो भी यह मुमकिन है कि वहां के प्रधानमंत्री उसका समर्थन न करें

क्योंकि उनके प्रधानमंत्री इससे सहमत न होंगे। उनके प्रधान मंत्री तमिलों को खामोश कराना चाहते हैं। यह तो उनके अपने दल का हाल है। लेकिन ऐसा लगता है कि लंका के दलों में भी प्रतिस्पर्धा है अर्थात एक ओर विपक्षी दल है और दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल जो कि इस जाति के हितों का समर्थन कर रही है—वह एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ताकि उन्हें 74% सिंहली जनसंख्या का बहुमत प्राप्त हो और वह यह सिद्ध कर सकें कि इस जातीय समस्या के हल से अधिक वे उनके हितों के प्रति अधिक चिंतित हैं। इस महत्त्वपूर्ण और मूल समस्या के प्रति बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विदेश मंत्री से तथा प्रधान मंत्री से विनम्र निवेदन करता हूं कि सांसदों की एक छोटी-सी समिति बनाई जाए जो श्रीलंका जाकर वहां के विभिन्न संसदीय दलों के नेताओं के साथ बातचीत करे···

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : तथा कुशलता पूर्वक वापिस लौट आए।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : यदि प्रोफेसर हमारा नेतृत्व करेंगे तो हम कुशलता पूर्वक लौट आएंगे हमारे लिए कोई समस्या न होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुशलता पूर्वक लौट आने के लिए केवल गैर तमिलों को साथ ले जाना चाहते हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय भी साथ चल सकते हैं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि वहां स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां के लोग यहां के सरकारी प्रतिनिधि मण्डल के किसी भी सदस्य को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का जोखिम मोल लेंगे। हकीकत यह है कि यदि यहां से एक समिति वहां के राजनीतिक दलों और संसदीय दलों से बातचीत करने के लिए जाती है तो हो सकता है कि हम विभिन्न दलों में मतैक्य कराने में सफल हो जाएं। यदि संसदीय समिति को वहां भेजा जाना संभव नहीं है तो इसी मंत्रणा समिति को, जिसका गठन किया गया, भेज दीजिए। उन्हें वहां जाने दीजिए ताकि यहां भारत में बैठकर वे मात्र योजनाएं बनाते रहे कि किसे भेजा जाए कैसे नेताओं को भेजा जाए या किस विशेष दूत की श्री जयवर्द्धने के पास भेजा जाए इत्यादि जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि श्री जयवर्द्धने स्वयं, अपनी व्यक्तिगत हैसियत अथवा श्रीलंका के राष्ट्रपति की हैसियत से समझौता कराने में बिल्कुल असफल हैं। जब हम असलियत जानते हैं और विगत में एक समझौता करके वह मुकर भी गए तो खुद को धोखे से क्या फायदा। हम क्यों नहीं वास्तविकता का सामना करते और कहते ठीक हैं हम बातचीत के द्वारा मसला हल करना चाहते हैं यदि राष्ट्रपति से इस बारे में कुछ मदद नहीं मिल सकती तो हमें पता लगाना चाहिए कि कौन इसे हल कराने में सहायक हो सकता है। हमें उनका ध्यान इस समस्या के प्रति आकृष्ट करना है। आप उनसे बात कीजिए उन्हें यह महसूस करायें कि यह ऐसा मामला है जिसे अगर हल नहीं किया गया तो बहुत शीघ्र उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।

मैं विदेश मन्त्री और प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे इस मामले को गम्भीरता से लें। केवल एक छोटी सी मंत्रणा समिति का गठन और वक्तव्य देना ही समुचित नहीं तमिलनाडु के और समूचे भारत के लोग इस सम्बन्ध में आगे रचनात्मक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा कर रहे हैं। वह देखना चाहते हैं कि इनका नतीजा क्या निकलता है।

इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस रफ्तार से काम हो रहा है उससे श्रीलंका के तीस लाख तमिलों को भारत लौटने··· (व्यवधान) या समुद्र में

डूब मरने में छह महीने लगेंगे। वे वहां रह ही नहीं सकते इस संबंध में मैं कुछ छोटे से आंकड़े उद्धृत करना चाहता हू जिनका उद्धरण यहां असंगत न होगा। 1947 में श्रीलंका के पूर्वी भाग में। 25,000 सिंहली थे। आज वहां 300,000 सिंहली हैं। पिछले दो दशकों से उन क्षेत्रों में नई बस्तियां बनाई जा रही हैं। दक्षिण और पश्चिमी भाग के सिंहलियों को पूर्व और उत्तरी भागों में बसाया जा रहा है ताकि वहां तमिल जनसंख्या के आधिक्य को कम किया जा सके। एक ओर यह प्रक्रिया पूरे जोरों पर है एक तरह से, आतंकवादियो के छोटे-छोटे दलों ने नहीं, बल्कि सेना ने तमिलों को उनके घरों से निकाला है क्योंकि सेना ही अपने काफिलों के साथ आ रही है और तमिलों को घरों से निकाल रही है।

पिछली बार इस सदन में मैंने समाचार पत्र में प्रकाशित या यह कहिए कि श्रीलंका में प्रकाशित होने वाले "आइलैंड" नामक समाचार पत्र में श्रीलंका सरकार द्वारा दी गई सरकारी सूचना का स्वागत किया था। यह सूचना हमारे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी। जिसके अनुसार श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने आरोप लगाया था कि श्री रमेश भंडारी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच उत्तर तथा पूर्वी श्रीलंका तथा जाफना में प्रभावित क्षेत्रों से सेना की वापसी करने और छठे संशोधन को लागू नहीं करने तथा सभी युवा उग्रवादियों की नियुक्ति और अंत में जिला परिषद् अथवा क्षेत्रीय परिषद् के रूप में सत्ता के हस्तांतरण पर विचार विमर्श करने के लिए कोई समझौता हुआ है। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है जैसा कि 1984, 1981 के शुरू में तथा 1956 में भी लगा था। वही पुरानी कहानी है। 1984 में अनुबंध 'ग' भंडार नायके-चेलवनयागम समझौते की ही तरह है। इसमें कोई नई बात नहीं है। वही नयी बोतल में पुरानी शराब है। अर्थात् समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले तो बदले हैं लेकिन जब जब समझौता किया जाता है तो समझौते का मसौदा सदैव वही रहता है। भारत के विदेश सचिव श्री रमेश भंडारी श्रीलंका जाकर वहां के राष्ट्रपति से मिले थे उनमें परस्पर सहमति भी हुई तो उन्हें कार्यान्वित करने के लक्षण तो नजर आने चाहिए थे। इसके विपरीत मैं तो कहूंगा कि हालत सुधरने के बजाय बिगड़ गए हैं। सेना खुल्लम-खुल्ला जफाना की सड़कों पर लूटमार और लोगों की हत्याएं कर रही है। पूर्वी लंका में मुस्लिम तमिलों में झगड़ा अपने आप पैदा नहीं हो गया। मुस्लिम तमिल भी हैं इसलिए फूट डालो और राज करो नीति के आधार पर इस समस्या को सम्प्रदायिकता रूप दिया गया है। इसलिए धर्म के नाम पर तमिलों में फूट डालो और उन्हें कमजोर करो के लक्ष्य को ध्यान में रखकर आंदोलन शुरू किया गया और समस्या पैदा हुई। स्थिति बदतर हो गई है अतः मुझे संदेह कि श्री भंडारी की यात्रा द्वारा हमें यह फल मिला है कि श्रीलंका सरकार को हथियारों से लैस होने तथा उनके अर्ध सैन्य बलों को अति आधुनिक हथियारों से लैस होने का वक्त मिला है ताकि वे तमिलों को श्रीलंका से निकालने की अपनी योजना बद्ध सक्रिया को कारगर ढंग से जारी रख सकें। समस्या केवल यही नहीं है; और न प्रश्न केवल श्रीलंका से आने वाले इन शरणार्थियों की इस कहानी का अथवा उनकी देखभाल पर होने वाले व्यय का है। वास्तविक समस्या यह है ज्यादातर शरणार्थी केवल मछली पकड़ना जानते हैं और उनके वहां आने से हमारे मछुआरे प्रभावित हुए हैं। चलिए यह बात भी छोड़ दीजिए। हमारे मछुआरे कच्चा टीवू के पार मछली पकड़ने जाते थे। लेकिन अचानक कच्चा टीवू समझौते की कोई व्याख्या किए जाने के कारण—मालूम नहीं ऐसा कब किया गया—भारत सरकार को अचानक महसूस हुआ कि उसने वे अधिकार खो दिए हैं और वहां परम्परागत रूप से मछलियां पकड़ने जाने वाले हमारे मछुआरों ने एकदम से

अपनी जीविका का साधन खो दिया। यह सच है कि हमारे बहुत से मछुआरों को गोली से उड़ा दिया गया है। हमने इसके लिए क्या कार्रवाई की। क्या हमने इसके लिए किसी रूप में कोई बदले की कार्रवाई की। मैं सरकार को आगे आने के लिए या सेना को श्रीलंका के मछुआरों को गोली से उड़ाने के आदेश देने के लिए नहीं कहा रहा। लेकिन क्या हमने दृढ़ता से कोई कदम उठाया है? हमने इस कच्चा-टीवू समस्या का कोई हल क्यों नहीं निकाला? इस समझौते पर दोनों देशों की सरकारों ने हस्ताक्षर किए थे। उस देश की जाति-भेद समस्या से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम अपने मछुआरों के अधिकार सुनिश्चित क्यों नहीं कर सके? मुझे संदेह है कि दोनों देशों के सम्बन्ध उतने अच्छे नहीं हैं जितना कि दावा किया जाता है क्योंकि श्रीलंका सरकार द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत भारत सरकार के अधिकारों की ज्यादा परवाह नहीं करती। माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इस समस्या पर गंभीरता से विचार करें। जातीय समस्या तमिलों की समस्या को अलग-समस्या है। एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है यह तो केवल प्रतिशोध है, हम श्रीलका सरकार को मामले के निपटान के लिए कह सकते हैं और अगर हम नहीं कर सकते तो हमारी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह हमारे मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करें तथा उनके अधिकार की सुरक्षा करे। ऐसा न करने पर हमारे देश का कोई भी नागरिक अपने को सुरक्षित नहीं समझेगा और उसकी यही प्रतिक्रिया होगी कि हम शांति की बात तो करते हैं लेकिन जब उसे कार्यान्वित करने की बारी आती है तो सरकार आगे नहीं आती।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं श्रीलंका की समस्या का हल सभी तरह से किया जाना चाहिए। पहला रास्ता है राजनयिक जरिए द्वारा दूसरा रास्ता है विश्व की जानता के समक्ष प्रचार करके विश्व-सभाओं में इसे रखकर तथा वहां हो रहे जनसंहार का मुद्दा उठा कर। ऐसा करना मुश्किल नहीं है। अमरीका सरकार के मानव अधिकार आयोग ने भी उल्लेख किया है कि श्रीलंका में जनसंहार हो रहा है। ब्रिटेन ने भी यह बात स्वीकार की है। इजरालियों को छोड़कर, संभवत: विश्व की हर शक्ति ने, हर देश ने श्रीलका में नरसंहार की बात स्वीकार की है। वे इसकी प्रतीक्षा में हैं कि क्या भारत की इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी अथवा नहीं। पिछली मानव अधिकार बैठक में भी हर एक को आशा थी कि भारत नरसंहार तथा मानव अधिकारों को अतिक्रमण को मद्दे नजर रखकर मामला उठाएगा। लेकिन हमने इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। हमें चाहिए कि विश्व के समक्ष उस सत्य को जाहिर करा दें जिससे वे वाफिक हैं और उन्हें इस नरसंहार को रोकने, इस दुष्टता को तत्काल रोकने के लिए बाध्य करें।

एक उपाय तो यह है।

दूसरा जरूरी उपाय यह है कि हम श्रीलंका सरकार को साफ शब्दों में बता दें कि यदि किसी भारतीय नागरिक को क्षति पहुंची तो हम चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि वे यह समझते हैं कि हम अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि इस दिशा में हमारी प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक नहीं है। तमिलनाडु में मछेरे यह सोचते हैं कि सरकार कच्चा टीवू में उनके मछली पकड़ने के अधिकार की रक्षा करें लेकिन सरकार तो पीछे हट गई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

तीसरा उपाय यह है कि यह बात बहुत स्पष्ट कर दी जाए—मालूम नहीं हम अपने को इस बात के लिए अपराधी क्यों महसूस करते हैं कि हमारे देश में उग्रवादी युवा उग्रवादी हैं। उग्रवादी हमेशा से रहे हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम यह स्वीकार करने से कतराएं। हम इस

सच से क्यों कतराते हैं कि उन युवा उग्रवादियों को घरों से खदेड़ दिया गया है, उनकी बहनों के साथ बलात्कार किया गया है, उनकी माओं की हत्या कर दी गई है, अपने पिताओं को उन्होंने जो दिखा है, उन्होंने अपने पिताओं को ले जाते हुए देखा है और इस पर अगर वे उग्रवादी बन गए तो इस बात को स्वीकार करने से हमें शर्म क्यों आती है। हम हमेशा पीछे क्यों हटते हैं ? हमारा कहना है कि हम अलगाववाद के विरोधी हैं।

मुझे विश्वास है कि सारा सदन अलगाववाद का समर्थन नहीं करेगा। यहां तक की श्रीलंका के तमिल भी अलगाववाद की बात नहीं करेंगे। उन्हें उनके न्यूनतम अधिकार दीजिए। एक मानव को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वे उन्हें दीजिए। अगर वे पृथकतावाद की बात करते भी हैं तो इसलिए क्योंकि उन्हें अपने मूल अधिकार प्राप्त करने के कोई लक्षण या अवसर नजर नहीं आते। चुनाव में अलगाववाद के आधार पर जीतने वाली तमिल संयुक्त मुक्ति मोर्चा क्या क्षेत्रीय परिषदों के लिए समझौता करने पर राजी नहीं हुई, तथा उसने समझौते, जिसमें अनुलग्नक 'ग' संलग्न है, पर हस्ताक्षर नहीं किए और उसे इसलिए स्वीकार नहीं किया कि श्री जी० पार्थासारथी तथा भारत सरकार ने कहा था कि यह युक्ति युक्त हैं और उन्होंने खुद भी ऐसा महसूस किया था। यह सब क्या इसका परिचायक नहीं है कि टी० यू० एल० एफ० तथा तमिल संगठन वास्तव में समझौता करना चाहते हैं। यह तो श्रीलंका सरकार है जो 'अलगाववाद' शब्द को तूल दे रही है।

श्री ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : अधिकार की बहाली के लिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मेरे मित्र ने सही कहा। यह अलगाववाद नहीं है। यह मूल अधिकारों को बहाल करने के लिए है। श्रीलंका में हमें कभी अधिकार प्राप्त नहीं थे।

विदेश मंत्री से अनुरोध है कि वे इस मामले को अधिक गंभीरता से लें।

उपाध्यक्ष महोदय, अधिक समय नहीं लेकर मैं यही कहूंगा कि यही उपयुक्त समय है जब सदन को लिखित में उल्लेख करना चाहिए कि हम तात्कालिक आधार पर इस समस्या का हल करना चाहते हैं तथा हर उपलब्ध साधन का उपयोग यह सुनिश्चय करने के लिए किया जाएगा कि समझौते का शांतिपूर्ण हल किया जाए।

पिछली बार मैंने विशेषतौर पर कहा था और यह बात मैं फिर कहूंगा कि तमिलनाडु तथा भारत की जनता समझौते के लिए अनंत काल तक इंतजार नहीं करेगी। रोज होने वाले इस नरसंहार को वे सह नहीं सकते। अगले तीन से छः महीनों में अगर इस समस्या को सुलझाया नहीं गया तो विदेश मंत्री की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आंदोलन एक अलग रुख अपना लेगा चाहे भारत सरकार आगे आए अथवा नहीं।

श्री एन० वेंकट रत्नम (तेनाली) : जो लोग इस संबंध में बोल चुके हैं मैं उनसे सहमत हूं। तेलगु जनता इससे प्रत्यक्षतः कोई यातना नहीं भोग रही लेकिन अपने तमिल भाइयों द्वारा झेली जा रही यातनाओं के प्रति हमारी सहानुभूति है।

श्रीलंका को हिंद महासागर में आंसू की बूंद कहा जाता है। पौराणिक आधार पर मैं यह और जोड़ दूं। कि यह सीता जी के आंसू हैं पौराणिक कथाओं के आधार पर सीता जी को वहां रखा गया था। वहां उन्होंने अपने पति के लिए विलाप किया था और शायद उनकी आंख से एक आंसू वहां गिरा था।

उनका कहना है कि श्रीलंका सिंहलियों की मूल भूमि है जैसे सिंहली ही श्रीलंका के जन्मदाता हों। इतिहास बताता है कि भारतीयों ने इस द्वीप को बसाया था। सीलोन को हमने अपनी संस्कृति दी है अपना धर्म बुद्ध धर्म दिया है लेकिन दुर्भाग्य से हम उन्हें बुद्ध की करुणा नहीं दे सके। बड़े खेद की बात है कि सिलोन में बुद्ध के ऐसे अनुयायी हैं।

सीलोन भारत के अनेक लोग रहते हैं—शुरू में बंगाली, इसके बाद दक्षिण भारतीय तथा तेलगु लोग। यह बहुत सी संस्कृतियों तथा देशों से मिल कर बना है। इस समय हम इसे भारत की आंसू की बूंद ही कहेंगे।

5.00 म० प०

इस द्वीप में शुरू हीं में किसी तरह सिंहाली अधिक प्रभावशाली हो गए थे। उन्होंने और लोगों को अधिकतर तमिलों को परेशान करना शुरू कर दिया। श्रीलंका द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से वहां तमिलों मुख्यत: दक्षिण भारतीयों के साथ सौतेले भाई या बेटे का सा व्यवहार किया जाता है। उस द्वीप में उन्हें पूरे अधिकार कभी नहीं दिये गये। तमिलों द्वारा उत्तर तथा पूर्वी श्रीलंका के 16 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के बावजूद उन्हें उन चुनाव क्षेत्रों का सदस्य नहीं माना गया। संविधान के छठे संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया है। यह विशेषत: तमिलों तथा साधारणत: दक्षिण भारतीयों के साथ अन्याय है।

उत्तर तथा पूर्वी श्रीलंका में सभी परियोजानाएं ठप्प कर दी गई हैं। 4 बिलियन के बजट की धनराशि में जो कि श्रीलंका में बहुत अधिक समझी जाती है, तीन-चार गुणा वृद्धि हो गई है। इस हालत में, श्रीलंका में दक्षिण भारतीयों के साथ किये गये इस अन्याय के विरोध में अगर युवकों ने थोड़ा सा विद्रोह प्रदर्शित किया भी तो इसे मैं विद्रोह, हिंसा आदि की संज्ञा नहीं दूंगा। मैं यहां तक कहूंगा कि श्रीलंका में युवा तमिलों ने इस विद्रोह का प्रदर्शन करके ठीक ही किया है। वे सीलोन की सत्ता तो हथिया नहीं रहे। अब हालात बहुत बदल गये हैं। तमिल संयुक्त मुक्ति मोर्चा के महासचिव श्री अमृतलिंगम्, जिन्हें हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने आदर्श राजनयिक की संज्ञा दी थी, अब पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों के कारण ही शायद वह कुछ अधिक हिंसक या उत्तेजक बन गये हैं। यह विचार है कि अभी अधिक समय नहीं बीता है जबकि हम सम्पूर्ण श्रीलंका में उदार पंथी सिंहाली और उदारपंथी तामिलियनों के देखेंगे। यह परिस्थितियों के कारण है। 1983 में श्रीलंका में हिंसा हुई थी और उसे सभ्यता की असफलता कहा गया था। हिंसा सिंहलियों अर्थात श्रीलंका की सरकार की ही देन है। मैं श्रीलंका में अपने छोटे भाइयों की हिंसक गतिविधियों की निन्दा करने की स्थिति में नहीं हूं। ये श्रीलंका सरकार के कार्रवाई के प्रति यह प्रतिक्रिया है और हम उन्हें दोषी नहीं कह सकते। हमें यह देखना है कि समयस्या कैसे हल की जाए।

मैं बहुत ध्यानपूर्वक श्री कुमार मंगलम के भाषण को सुन रहा था। मुझे आशा थी कि वह हमारी सरकार को कुछ सुझाव देंगे लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके भाषण में बहस के अलावा कोई हल नहीं निकाला गया.....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह कांग्रेस के हैं इसलिए उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया।

श्री एन० वेंकट रत्नम : मैं दलों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। हमारी भिन्न स्तरों पर है। वह इसका हल निकालने के लिए पूरे विश्व के अनुरोध कर रहे थे। यह बहुत लम्बे समय से अर्थात 1460 से ही हो रहा है जैसा कि उन्होंने हमें बताया है। व्यवहारिक समाधान क्या है ?

विदेश मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में भी उल्लेख है कि भारत ने पूरे विश्व से अपील की है। निगरानी क्षेत्र, वर्जित क्षेत्र के कारणों से तमिलों द्वारा सहन की गई यंत्रणा से भारत भी दुःखी है। श्रीलंका में कोई भी सुरक्षित नहीं है। किसी मछुए को उस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है। किसी सिविलियन को उस द्वीप में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। अतः वहां इस तरह के दुःखों को सहन किया जा रहा है। लेकिन यहां क्या समाधान है ? हिंसा को हिंसा से ही निपटाया जाना चाहिए, क्या यही समाधान होना चाहिए जिसका सुझाव युवा लोगों द्वारा दिया गया था ? अतः हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि सिर्फ बैठने और उपदेय देकर ही समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्हें ठोस कदम उठाने के बारे में सोचना चाहिए, यदि संभव हो तो श्रीलंका पर दबाव डालकर इस समस्या के समाधान के लिए आगे आना चाहिए। हम समाधान का पता लगाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : लेकिन उन पर दबाव कैसे डाला जाए।

श्री एन० वेंकट रत्नम : प्रयास करना सरकार का काम है और सारी राष्ट्रमंडल इतना असहाय नहीं है कि समाधान ही न कर सके। अतः हमारी सरकार को सोचना चाहिए और इस समस्या के समाधान का पता लगाना चाहिए जैसा कि मेरे दोस्त बहुत सहानुभूतिपूर्वक कह रहे थे कि इस मामले में समय मूल तत्व है और यदि आप समाधान पाने के लिए राष्ट्रमंडल को अपील और उपदेश देते रहते हैं तो आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप श्रीलंका के पूरे द्वीप में एक भी तमिलियन को नहीं पाते हैं तो आप स्थिति का नहीं समझाते। अतः मामले के लिए समय मूल तत्व है। हांलांकि हम तेलुगू देशम के लोग समाधान का पता लगाने के लिये सरकार की कोशिशों की नीति के साथ में है। सरकार श्री पार्थासारथी और श्री भंडारी के द्वारा अपने बहुत प्रयास कर रही है तथा सिंहाली सरकार का समथन कर रही है। यह पहला कदम है जो भारत सरकार को लेना है। अतः मैं अपनी सरकार से आगे आने के लिए अपील करता हूं। राष्ट्रमंडल देशों में हमें आगे बढ़ना है क्योंकि श्रीलंका के सारे लोग फिर भी हमारे ही लोग हैं। वे सभी भारतीय हैं। इसलिए हमें आगे आना चाहिए और तथाकथित बड़ी शक्तियों के कार्यों की निन्दा करनी चाहिए। कोई पूछ सकता है कि हम इससे कैसे जाए। क्योंकि भारतीय अर्थ-व्यवस्था, समस्त भारत की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव प्रतिबिम्बित हो रहे हैं, क्योंकि हजारों, लाखों लोग भारत आ रहे हैं और ये केवल तमिलनाडु राज्य के ही नहीं बल्कि समस्त। भारत पर बोझ हो गये हैं। अतः इन शरणार्थियों द्वारा हमारी अर्थ-व्यवस्था प्रभावित हो रही है। हमने इसका क्यों बुरा माना और इस मामले में हमें हस्तक्षेप करने के लिए हमारे पास कारण और आधार है क्योंकि यदि हम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते तो हमारे पास धीरे चलने के लिए कारण है लेकिन श्रीलंका की राजनैतिक गतिविधियों से हम सीधे प्रभावित हुए हैं। इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। और यह केवल तमिलनाडु का ही नहीं बल्कि समस्त भारत का कर्त्तव्य है कि वे शरणार्थियों की रक्षा करें। सबसे पहले मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को व्यापार का विस्तृत विवरण के बारे में आना चाहिए और तथाकथित बड़ी शक्तियों से आग्रह करना चाहिए क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं श्रीलंका में बड़े सैनिक बल नहीं हैं तथा जैसे वे कहते हैं कि अब केवल नाम मात्र के सिपाही समाज के गुण्डे हैं वे प्रशिक्षित सिपाही नहीं हैं लेकिन वे सिर्फ समाज विरोधी तत्व हैं, फिर भी वे सिपाही कहलाए जाते हैं और वहां हमारे लोगों पर अनेक अत्याचार किये जा रहे हैं। अतः इस बारे में हमें व्यापार के विस्तृत विवरण में आना चाहिए। श्रीलंका की अर्थ-

व्यवस्था भी इस तरह प्रभावित हुई है कि एक दिन वह भी भुखमरी का शिकार हो जायेगा। इस पृष्ठ भूमि में राष्ट्रमंडल देशों को इस पर विचार करना चाहिए। मैं बताता हूं कि श्रीलंका में विदेशी निवेश 1983 में 70 अरब रुपए से घटकर पिछले वर्ष 30 अरब रुपये रह गया। कनाथासेन्थामराई सीमेंट फैक्ट्री जो जफना जिले में सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो पूरे द्वीप को सीमेंट की सप्लाई कर रही है वह अब बन्द होने की स्थिति में है तथा जाफना-मनार-मुल्लाईटिवू के रूप में जाना त्रिकोन मछली क्षेत्र जहां 40 प्रतिशत तक मछली पकड़ी जाती थी वे अब दुर्बल हो गये हैं। अब, यह विचार है कि मछली उद्योग में कुल हानि 8000 लाख रुपये की हुई है तथा योग्यता प्राप्त लोगों की कमी के कारण 24 ग्रामीण अस्पताल अब बन्द होने की स्थिति में हैं। इस तरह श्रीलंका की अर्थ-व्यवस्था बहुत रुकावट पर आ गई है। इस स्थिति में सभी देशों की यह ड्यूटी हो जाती है कि वे बचाव के लिए साथ-साथ आए।

अन्त में मैं जैसा कि मेरे एक दोस्त श्री जयवर्धने के भाषण के बारे में बता रहे थे उस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा। जिसे सहानुभूतिपूर्वक समाचार पत्रों में बताया गया है। इन्होंने कहा था, "मैं क्या कर सकता हूं ? मैं परिस्थितियों का कैदी हूं।" यह जयवर्धने का वक्तव्य समझा जाता है। क्या यह सही है ? पूरे द्वीप में यह विश्वास था कि यह सही नहीं था। क्योंकि वह अब समूचे श्रीलंका में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है, वह ऐसे व्यक्ति हैं जो काम कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अतः यह विश्व को दिखाया गया है कि वह परिस्थितियों के वशीभूत व्यक्ति हैं। यह सच नहीं हो सकता। यह किसी तरह सही नहीं है। अतः इस संकट को सुलझाने के लिए सभी राष्ट्रों को अपना दबाव उस पर डालना चाहिए। वह केवल वही व्यक्ति है जो यह कर सकता है और उसे भारत सहित बड़ी शक्तियों के दबाव की आवश्यकता है। हालांकि मुझे विश्वास है कि विश्व के कई भागों में से इस स्थिति में भारत बचाव के लिए आ सकता है। हमने इसकी इराक और ईरान में कोशिश की थी। यह सही है कि इराक और ईरान हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। हमने अपने प्रचारकों को हल निकालने की कोशिश के लिये वहां भेजा जहां दो पड़ोसियों के बीच लड़ाई चल रही है। यहां भी वे ऐसा कर सकते हैं। हालांकि यह कहना न्याय संगत नहीं होगा कि हमारी सरकार बहुत पीछे है। कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के कारण भारत इतनी सक्रियता के साथ आगे नहीं आ सका जितनी हमको आशा थी या जैसा तमिलनाडु के हमारे भाइयों ने कहा था। लेकिन यह हमारे लिए समय है कि हम श्रीलंका में अपने भाइयों को बचाने के लिए आगे आएं। अतः इस समय मैं श्रीलंका सरकार से अपने शब्दों में नहीं बल्कि विश्व बैंक के उपाध्यक्ष श्री डेविड होपर के शब्दों में अपील करता हूं। कुछ महीने पहले श्रीलंका सहायता भाईचारा बैठक में विश्व बैंक के अनुभवी उपाध्यक्ष डेविड होयर ने कहा था :

> "मैं इस मेज पर सभी के साथ इस आशा से सम्मिलित हू कि दो समुदायों के बीच समझौता होगा। मिनिस्टर डे मेल ने अल्पसंख्यक वर्ग की (अर्थात तमिल समुदाय) अनेक शिकायतों के बारे में बताया जिसमें सुधार की आवश्यकता है क्योंकि हमारा संबंध सभी देशों के लोगों की आर्थिक भलाई के लिए है, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह सामुदायिक दबाव के आर्थिक मामलों पर अपने विचार तुरन्त व्यक्त करें।"

अतः श्री डेविड होपर के इन शब्दों के साथ मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह श्रीलंका में स्थिति की तुरंत सहायता में आगे आएं और समाधान निकालने में सहायता करें।

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, 10 अप्रैल को जब मैं इस सदन में बोला था मैंने देखा कि मेरे अनेक साथियों ने बहुत विरोध किया था और मैं समझता हूं कि हम बहुत आवेग में आकर बोले थे। ऐसा नहीं है कि आज आवेग खतम हो गए हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि इस तरह के वाद-विवाद में श्रीलंका की स्थिति के बारे में पूरा विषय होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सदन के बहुत से तथ्य जानने चाहिए। इसे समस्याओं का इतिहास जानना चाहिए और इसे सरकार द्वारा की गई कारंवाई की भी प्रशंसा करनी चाहिए।

शुरू में, मैं 25 अप्रैल को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य और श्रीलंका की स्थिति पर आज माननीय विदेश मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का स्वागत करता हूं। मेरे पास माननीय मंत्री के वक्तव्य पर टिप्पणी देने के लिए आज समय होता। 10 अप्रैल को मैंने दो समस्याओं के बारे में बताया था। एक समस्या शरणार्थियों की थी और दूसरी भारतीय मछुआरों की समस्या थी। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय और माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्यों में एक तरफ तो शरणार्थियों की समस्या और दूसरी तरफ भारतीय मछुआरों की समस्या के बीच महत्वपूर्ण भेद रखा है हालांकि दोनों समस्याएं उसी स्थिति से निकली हैं। आज फिर भी एक अन्य समस्या है। मुसलमानों और तमिलों के बीच संघर्ष। हमें क्षण भर के लिए रुकना चाहिए और समाचारपत्रों से पूछें कि अंग्रेजी भाषा को समझने में हमारी क्या गलती हुई है ? मुस्लिम और तमिल दो भिन्न श्रेणियां नहीं हैं। मुस्लिम तमिल है। इस्लाम इंगल माथम तमिल इंगल मोझि इस्लाम हमारा धर्म है और तमिल हमारी भाषा है। यह जो मुस्लिम कहते हैं। यदि आज तमिलों के प्रति मुस्लिम को दया दिखाई जा रही है तो हमें यह पता लगाना चाहिए कि यह कैसे हुआ, यह कब हुआ और इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं। क्या इस विनाशक "बांटो और शासन करो" के उद्देश्य पर विश्व की राय नहीं उत्पन्न होनी चाहिए जिसकी मैं निश्छलता से आशा करता हूं कि इसका परिणाम श्रीमती थ्रचर के श्रीलंका के द्वीप की यात्रा से नहीं हुआ है ?

श्रीलंका सरकार के उपमंत्री श्री एम० ए० मुजीद ने जो कुछ कहा है वह यह है :

> "तमिल-मुस्लिम संघर्ष के कारण ही हिंसा नहीं है। मेरे पास सूचना है कि कुछ बाहरी तत्व मुसलमानों को हमला करने के लिए उकसा रहे हैं।"

यह तीसरा महत्व है।

मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री के वक्तव्य ने इस बहुत गम्भीर समस्या के ये तीनों पहलुओं को नोट किया होगा और विशेषकर तमिलनाडु में तथा भारत में इसके प्रभाव को भी देखा होगा।

मैं इतिहास की कुछ पिछली बातें संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। इस सदन में भण्डार नायिका चेलियान्याकम समझौते और सेनानियेकी-चेलियाग्याकम समझौते के बारे में बताया गया है। इस पर बातचीत हुई थी। चर्चा की गई थी। तमिलों की मांगें क्या थी ? तमिलियन तीन आधार पर भाषा, भूमि और मूल अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। वे तमिल भाषा की सुरक्षा चाहते थे; वे उपनिवेशवाद और तमिलों की जन्म भूमि को जो हड़प रहे थे उन्हें समाप्त करना चाहते थे तथा वे श्रीलंका के प्रत्येक नागरिक की तरह मूल अधिकारों को चाहते थे। "केवल बुद्ध धर्म और केवल सिन्हाली" ही श्रीलंका की सफलता का उत्तर है। इस उत्तर को श्रीलंका के सभी लोगों के

ऊपर, एक धर्मतंत्र राज्य, एक ही भाषा वाला राज्य और एक ही धर्म वाला राज्य पर लागू किया गया है।

वर्षों से तमिलियन अपने आपको श्रीलंका में पूरी तरह से दूसरी श्रेणी के नागरिक के रूप में महसूस कर रहे हैं और वे यह भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें वंचित किया जाता है। उन्होंने तमिल यूनाइटेड फ्रन्ट स्थापित किया है। मैं समझता हूं कि सदन को यह जानना चाहिए कि तमिल यूनाइटेड फ्रन्ट कब तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट बनेगी। तीन मांगों को पेश करने के लिए तमिल यूनाइटेड फ्रन्ट को बनाया गया था। जब ये तीनों मांगें अस्वीकार कर दी गई थीं तो उनके पास तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट को बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम जनतंत्र द्वारा शपथ लेते हैं। जुलाई 1977 में तमिल यूनाइटेड फ्रन्ट ने अलग राज्य के लिए चुनाव लड़े थे। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वे चुनाव लड़े थे उनमें उनकी भारी विजय हुई थी। इसलिए आप नहीं कह सकते कि तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट एक मान्यताप्राप्त संघ नहीं है। टी०यू०एल०एफ० श्रीलंका क्रांति का एक मान्यताप्राप्त संघ है। श्रीलका में विकासात्मक राजनैतिक प्रक्रिया की यह एक मान्यता प्राप्त संघ है जो लोगों के पास गए और जनमत प्राप्त कर विजय प्राप्त की।

मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं; श्रीलंका की आज क्या स्थिति है? जब हम बातचीत के बारे में बात करते हैं तो मेरे दिमाग में कोई शंका नहीं होती है कि भारत सरकार ने यह मामला बहुत गंभीरता से लिया है। मैंने उस सूचना को स्वीकार किया है जो मेरे पास अन्यथा जो देश के पास सूचना उपलब्ध है और जो सूचना लोगों के पास उपलब्ध है कि यह सरकार और माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी इस समस्या से गंभीरता से चिंतित हैं। लेकिन हमें श्रीलंका की स्थिति को समझना चाहिए। न्यायपालिका को सर्वविदित रूप से अवमानित किया गया है। क्योंकि राष्ट्रपति जयवर्धने के सामने जब अपनी शपथ नहीं लेते हैं। वे उन्हें न्यायाधीश पद से हटा देते हैं तथा न्यायालय को बन्द कर देते हैं और अपनी इच्छा से कुछ न्यायाधीशों को दोबारा से नियुक्त करते हैं। श्रीलंका में सभी समाचार-पत्र सरकार के नियन्त्रण में हैं। राष्ट्रपति जयवर्धने ने 1982 में संसद का कार्यकाल 1989 तक बढ़ा दिया। इस समय श्रीलंका की संसद को लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह संसद जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है इस समय 16 तमिल निर्वाचन क्षेत्रों का संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं हैं। छठे संशोधन के अन्तर्गत तमिल निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने हुए संसद सदस्यों को संसद से निष्कासित कर दिया गया। इस समय श्रीलंका की स्थिति ऐसी नहीं है जिसे सभ्य कहा जा सके, न ही वहां सभ्य सरकार है जिसके साथ आप सामान्य ढंग से व्यवहार कर सकें। इसके बावजूद हमारी सरकार प्रतिदिन प्रयास कर रही है और वह न उत्तेजित हो रही है और न ही भावनाओं में बह रही है तथा अब भी श्रीलंका की एकता अखण्डता और प्रभुत्ता में निष्ठा रखती है। ऐसी स्थिति में मैं गहरे दुःख और चिन्ता से यह पूछता हूं कि श्रीलंका के स्वतंत्रता सेनानियों से हम यह कहने वाले कौन होते हैं कि "आप इसकी मांग कर सकते हैं, इससे अधिक की नहीं।" श्रीलंका के स्वतंत्रता सेनानियों पर हम अपने सिद्धांत कैसे थोप सकते हैं। यदि आत्मनिर्णय का अधिकार प्रत्येक मानव समाज का, प्रत्येक जातीय अथवा अन्य किसी ग्रुप का बुनियादी अधिकार है तो ऐसे देश में जहां वे पूर्णतया अधिकारों से वंचित हों और संघर्ष कर रहे हों तो मेरे विचार में हमें उन्हें यह नहीं बताना चाहिए कि "आप इसकी मांग करो इससे अधिक की नहीं।"

हम उन्हें हथियार नहीं भेज सकते। हम भारतीय सेना नहीं भेज सकते। हम पृथक प्रांत की मांग करके उनकी सहायता नहीं कर सकते। परन्तु हम श्रीलंका के तमिलों से जो अपने अधि-

कारों से, वासभूमि से बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं यह कहने वाले कौन होते हैं कि "आपको इसकी मांग करनी चाहिए इससे अधिक की नहीं "?

भारत क्या कर सकता है ? सभा इसी असमंजस में है। हमें हल सुझाने हैं। हम सिंहलियों और तमिलों के बीच समझौता कराने के लिए क्या कर सकते हैं ? पहला कदम तो अपने हितों की रक्षा करना है। हमारे हित क्या हैं ? हमारे हित भारतीय मछुआरों के हित हैं। हमारा हित यह सुनिश्चित करना है कि भारत में शरणार्थी न आएं और श्रीलंका में हिंसा न हो। मंत्री महोदय ने आज कहा है कि हमारा लक्ष्य अपने हितों की रक्षा करना है और यही हमारा प्रथम लक्ष्य है। हम क्या कर सकते हैं ?

भारत सरकार को सबसे पहले राष्ट्रपति जयवर्धने को यह बताना चाहिए कि तमिलों को जो कुछ अपने लिए चाहिए उसका फैसला करने में भारत सरकार कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी। यह भारत का काम नहीं है कि वह लोगों को बताए कि आप यह लक्ष्य प्राप्त करें और यह न करें। अपना भविष्य सुरक्षित बनाना तमिल लोगों का काम है।

1876 में एक प्रसिद्ध उद्घोषणा की गई थी। मैं उसमें से कुछ शब्द पढ़ कर सुनाता हूं :

> "जब कभी कोई सरकार इन उद्देश्यों को नष्ट करने लगे तो यह लोगों का अधिकार है कि वे उस सरकार को बदल डालें या खत्म कर दें और नई सरकार स्थापित कर दें··· परन्तु निरन्तर उसी उद्देश्य पर चलते हुए सत्ता के दुरुपयोग और अपहार से ऐसा प्रतीत हो कि वह पूर्णतया निरंकुश हो गई है। तो यह उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है कि वे अपने भावी सुरक्षा हेतु नई रक्षक सरकार बनाएं।

मेरे विचार में हमें सम्पूर्ण विश्व को यह बता देना चाहिए कि श्रीलंका के लोगों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। इस संघर्ष से उन्हें स्वायत्तता मिलेगी अथवा महासंघ बनेगा अथवा वे पृथक राज्य का मार्ग अपनाने के लिए बाध्य होंगे।

यह बताना हमारा काम नहीं है कि "आपको इसकी मांग करनी चाहिए इसकी नहीं।" इसका भार स्वयं राष्ट्रपति जयवर्धने को वहन करना होगा।

एक अन्य बात जिसकी हमें यहां अभी घोषणा करनी चाहिए यह है कि श्रीलंका और भारत को पृथक करने वाले समुद्र की रक्षा और उसमें शान्ति स्थापित करने की जिम्मेवारी केवल भारत की होगी और इस समुद्र की सुरक्षा और शांति की जिम्मेवारी श्रीलंका द्वारा बांटने अथवा बांटने का दावा करने को हम सहन नहीं करेंगे। मेरे विचार में हमें स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर देनी चाहिए कि भारत की भूगौलिक स्थिति को देखते हुए, भारत के आकार और श्रीलंका के आकार को देखते हुए, समुद्र की प्रकृति को देखते हुए मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य की सुरक्षा और वहां शान्ति की जिम्मेवारी भारत की होगी और वह भारत और श्रीलंका दोनों के मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकार की रक्षा करेगा। इससे श्रीलंका सरकार को पता चल जाएगा। वास्तव में हमें राष्ट्रपति जयवर्धने को स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहिए कि भारत अब केवल एक ईमानदार मध्यस्थ नहीं रहेगा बल्कि परिस्थितियों से बाध्य होकर समझौता कराने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए विवश होगा।

मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं :

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग ने श्रीलंका में हुए कुछ अत्याचारों का एक प्रलेख में उल्लेख किया है। पिछली बार मैंने सरकारियों से स्वयं बात की थी। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायविदों के

आयोग ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को बताया कि श्रीलंका में सुरक्षा सेनाएं उन्मत्त हो गईं और उन्होंने तमिलों पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलाईं और उनकी हत्या की। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के समक्ष अगस्त-दिसम्बर, 1984 में 74 घटनाओं से संबंधित 108 हस्ताक्षरित हलफनामे प्रस्तुत किये गए।

कैथोलिक शान्ति आन्दोलन 'पेक्स क्राइस्टी इन्टरनेशनल' ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग से समक्ष साक्ष्य देते हुए कहा "श्रीलंका सरकार ने विदेशी सलाहकारों और भाड़े के सैनिकों को बुलाया है, श्रीलंका सरकार उपनिवेशवाद और कत्ले आम की नीति का पालन कर रही है हत्या की कई मिसालें है जिनमें 'फादर मेरी बास्तियन' की हत्या भी शामिल है।"

एमनेस्टी इन्टरनेशनल ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के समक्ष साक्ष्य में कहा कि श्रीलंका में मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

'ट्रिब्यून' में श्री श्याम भाटिया ने एक साक्षात्कार के बारे में जो उन्होंने स्वयं लिया था, लिखा है :

> "जाफना विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के विज्ञान के विद्यार्थी श्री मनेन्द्र केसिवपिल्लै ने मुझे बताया कि उससे कुछ कबूल कराने के लिए उसके पैरों की एड़ियों में कील ठोके गए, उसके शरीर के नाजुक अंगों पर पिसी हुई लाल मिर्चें लगाई गईं और उसे जेल में हथकड़ी बन्धी कलाइयों से आठ घंटे तक लटकाए रखा गया। डाक्टर कहते हैं कि उसका बाजू सदा के लिए बेकार हो गया है क्योंकि नाजुक नाड़ियां फट गई हैं।"

प्रतिबन्धित 'सेटरडे रिव्यु' के संपादक श्री गैमिनी नवरत्ने ने "पत्रिका का प्रकाशन पुनः आरम्भ होने के बाद लिखा है कि "लोगों को समुद्रतट से लगभग एक सौ से अधिक मीटर के क्षेत्र से निकाल दिया गया है। और भारत में आए 100,000 शरणार्थियों के अतिरिक्त श्रीलंका में 250,000 शरणार्थी हैं।"

नरसंहार की ये मिसालें प्रलेखबद्ध हैं। 'नरसंहार' शब्द का प्रयोग केवल मैं नहीं कर रहा हूं स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 15 अगस्त, 1983 को गम्भीरतापूर्वक सोचने के बाद 'नरसंहार' शब्द का प्रयोग श्रीलंका की घटनाओं की निन्दा करने के लिए किया था। यदि हमारा यह विश्वास है कि श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है वह नरसंहार है, यदि हम वास्तव में यह विश्वास करते हैं कि वहां के तमिलों को मूलभूत अधिकारों का हक है, समान अधिकारों का हक है, स्वदेश का हक है, भाषा का हक है तो भारत सरकार को इस सम्बन्ध में उनके प्रयासों को पूर्ण उत्साह से आगे बढ़ाना चाहिए।

मैं 'विशेष सलाहकार ग्रुप' की नियुक्ति का स्वागत करता हूं मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने अवसर का लाभ उठाया है और अवसर अभी विद्यमान है श्रीलंका के विदेश मन्त्री श्री हामिद ने यह वक्तव्य दिया है कि वहां जो कुछ हो रहा है उसे देखने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का श्रीलंका में स्वागत है। मेरे विचार में भारत अभी अवसर का लाभ उठा सकता है। भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और सांसदों के दल को श्रीलंका में भेजना चाहिए जो वहां देश का दौरा करे और देखे क्या हो रहा है और लोगों को आश्वासन दे कि वे अकेले नहीं हैं भारत कठिनाई में उनकी सहायता करेगा। मेरे विचार में भारत को जोरों से प्रयास करना चाहिए। विशेष सलाहकार ग्रुप को चाहिए कि वह हमें साक्ष्य देने के लिए बुलाये। ऐसे अनेक बातें हैं जिन्हें मैं यहां नहीं कह सकता। सैनिक हस्तक्षेप के अलावा अनेक हल हैं, अनेक

कदम उठाये जा सकते हैं। मेरे विचार में हममें बुद्धि या कल्पना की कमी नहीं है। मेरे विचार में विशेष सलाहकार ग्रुप को हमें बुलाना चाहिए, लोगों के दल को, पार्टी के नेताओं को बुलाना चाहिए और साक्ष्य लेना चाहिए, उसे हमारी राय लेनी चाहिए। मेरे विचार में उन्हें एक सक्रिय और प्रगतिशील विदेश नीति का पालन करना चाहिए। मेरे विचार में विशेष सलाहकार ग्रुप की नियुक्ति का, इसको दी गई महत्ता का तथा स्वयं प्रधान मन्त्री द्वारा की गई घोषणा का यह अर्थ है कि इस ग्रुप को अत्यधिक अधिकार प्राप्त हैं, इस ग्रुप की बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्रधान मन्त्री और माननीय विदेश मन्त्री सभा में व्यक्त की गई भावनाओं पर गौर करेंगे और विशेष सलाहकार ग्रुप अपने अधिकारों और जिम्मेवारियों को ध्यान में रखकर कार्यवाही करेगा। मैं इस अवसर पर विश्व को, विश्व के देशों को श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसकी ओर ध्यान देने की और भारत पुरजोर समर्थन करने की और भारत द्वारा किए गए उपायों का समर्थन करने की तथा उत्पीड़ित लोगों के पक्ष में विश्व जनमत जुटाने की अपील करता हूं ताकि वहां तत्काल और इस वर्ष समाप्त होने से पूर्व श्रीलंका के तमिलों को अपने उचित अधिकार प्राप्त हों और वहां शांति स्थापित हो जाए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : यह आवश्यक नहीं है कि मैं इस मामले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करूं क्योंकि मेरे से पहले के वक्ता इस पहलू पर विस्तार से बोल चुके हैं। यह टूटे समझौतों की एक लम्बी कहानी है। मैं वर्तमान घटनाओं पर बोलना पसन्द करूंगा।

मेरे विचार में श्रीलंका सरकार ने दक्षिणी अफ्रीका की पुस्तक से सबक लिया है और एक सबक इस्राइल की पुस्तक से लिया है। श्रीलंका सरकार इसी नीति का पालन कर रही है और अपनी रंगभेद नीति अपना रही है। यह जानबूझकर लगातार आग्रहपूर्वक तमिलों के साथ भाषा के आधार पर न केवल व्यवहार में बल्कि कानून बना कर भेदभाव कर रही है। विश्व के अन्य भागों के लोगों का तो क्या भारतीयों को भी इससे अवगत नहीं कराया गया है। मेरे विचार में इसने इस्राइल की पुस्तक से भी एक सबक लिया है क्योंकि हमने देखा है कि इस्राइल ने अरब देशों की भूमि पर कब्जा करने के बाद वहां किस प्रकर अपने लोगों को बसाने का प्रयास किया है ताकि विजित क्षेत्र उनके राष्ट्र का एक स्थायी भाग बन जाएं। जाफना में तमिलों को न केवल उत्पीड़ित किया जा रहा है, न केवल उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है बल्कि उन्हें अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है यह बुनियादी तौर पर मानव अधिकार का प्रश्न है। हमारी सरकार निष्क्रियता की नीति का पालन कर रही है। इसकी कोई नीति ही नहीं है। हम बिना किसी उद्देश्य के झुक रहे हैं। हम श्रीलंका की वास्तविक स्थिति के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मत नहीं बना सके हैं। जब भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान की समस्या उठी थी तब हमारी सरकार ने अपने बचाव के लिए एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक सम्पर्क और प्रचार आरम्भ किया था। परन्तु कुछ रहस्यमय कारणों से, जैसा कि श्री कुमार मंगलम ने कहा है, हम स्वयं को दोषी समझ रहे हैं और मैं नहीं समझता कि हमें स्वयं को दोषी क्यों समझना चाहिए। मैं कई भारतीयों से मिला हूं जो यह महसूस करते हैं कि यह श्रीलंका का अन्दरूनी मामला है। परन्तु बात इतनी सी नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि तमिलनाडु के लोगों को इस संबंध में चिन्तित होना चाहिए। यह समस्या जितनी सम्पूर्ण भारत की है उतनी ही तमिलनाडु की है। मैं नहीं चाहता कि तमिल भाषी यह महसूस करने लगें कि शेष भारत को उतनी चिन्ता नहीं है। मैं हाल ही में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के सिलसिले में, जो हार गया तमिलनाडु गया था। वहां मुझे लोगों की दिल की भावनाएं जानने का अवसर

मिला। उनकी यह धारणा थी कि केवल तमिलनाडु के लोग इससे चिन्तित हैं और शेष भारत के नहीं। यह देश के हित में नहीं है कि तमिलनाडु के लोगों की इस प्रकार की भावना हो यद्यपि यह भावना बिल्कुल गलत है।

महोदय, यद्यपि, कई अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं और पत्रकार मानव अधिकारों के उल्लंघन के समाचार छापते रहे हैं फिर भी श्रीलंका सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख अभियान चलाया है और पश्चिमी जनमत के एक महत्वपूर्ण वर्ग को यह विश्वास दिलाने में सफल रही है कि तमिल विद्रोही गतिविधियों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सच नहीं है। हम जानते हैं कि यह सच नहीं है परन्तु भारत के बाहर के लोगों को इस वास्तविकता के बारे में बताने की जिम्मेवारी हमारी है। क्या हम इस दिशा में सफल हुए हैं ? मेरा अपनी राय है कि हमारी सरकार इस संबंध में बुरी तरह असफल हुई है। वह विश्व को श्रीलंका की वास्तविकताएं और एक लाख से अधिक शरणार्थियों के हमारे देश में आने के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयां नहीं बता सकी है।

दूसरे, हम यह चाहते हैं कि श्रीलंका की एकता एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित रहे और बनी रहे। परन्तु हम श्री जयवर्धने से बात करने की गलती करते रहे हैं। मेरे विचार में श्री जयवर्धने से बात करने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि जयवर्धने स्वयं शक्तिहीन हैं और उग्रवादियों के बन्धक हैं हमारे सभी दूत वह चाहे श्री जी० पार्थसारथी हों या रमेश भण्डारी जयवर्धने से ही बात करते रहे हैं। हमारे पास यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि ऐसी शक्तियां जिनकी भारत से सहानुभूति नहीं है जिनका वास्तव में श्रीलंका से कोई संबंध नहीं है श्रीलंका में कार्यरत हैं और हम उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने से नहीं रोक सके हैं।

अतः इस संबंध में मेरी राय यह है कि हमारी सरकार सक्रिय हो और एक बड़े प्रचार और कूटनीतिक अभियान के लिए तैयार हो जाए। हमारे विचार में श्रीलंका एक छोटा सा द्वीप है और हमारा राष्ट्र बहुत बड़ा है इसलिए प्रचार अभियान चलाना उचित नहीं होगा और न ही हमारे लिए श्रीलंका के साथ सैनिक लड़ाई करना उचित होगा। मैं वास्तव में इस हल का समर्थन नहीं कर रहा हूं परन्तु इससे भारत द्वारा कूटनीतिक अभियान चलाने में भी बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। क्योंकि श्रीलंका किसी तरह भारत का चित्रण एक ऐसे बड़े भाई के रूप में करने में सफल हो गया है जो उसकी गर्दन पर सवार है। हमें इस वास्तविकता का सामना करना होगा। इस प्रकार से तो हमें दो तरह से हानि हो रही है। हमारे तमिल भाइयों को सताया जा रहा है और लंका से निकाला जा रहा है उनकी सम्पति और उनका जीवन छीना जा रहा है। विश्व के देशों में हमारे देश की छवि को अपार क्षति पहुंच रही है। हमें श्री जयवर्द्धने को समझाने से पहले समूचे अन्तर्राष्ट्रीय जन मत को भी प्रभावित करना होगा। इस दिशा में हमारी सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। इसका यही समाधान है क्योंकि श्रीलंका में श्री जयवर्द्धने तथा उनके अन्य मित्र विश्व के कतिपय अन्य देशों से समर्थन मिले बिना भारत के दबाव को नहीं सह सकेंगे। जब तक हम उन देशों से लोगों को यह विश्वास नहीं दिलाते कि श्रीलंका गलती पर है, हम श्री जयवर्द्धने को इस बात के लिए कभी राजी नहीं कर सकेंगे कि वह विवेकपूर्ण रवैया अपनाये। मैं यही निवेदन करना चाहता था। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

डा० पी० वल्लल पेरुमान (चिदम्बरम्) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम श्रीलंका के तमिलों के कल्याण के लिए जो बातें मुझ से पहले के वक्ताओं ने कही है, मैं उनका समर्थन करता हूं।

हम श्रीलंका समस्या से आरम्भ से ही इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वहां राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है, सैनिक समाधान की नहीं। राष्ट्रपति जयवर्धने का दृष्टिकोण दूसरा ही है। सिंहलियों तथा तमिलों और तमिलों तथा मुसलमानों में झगड़े तमिल आतंकवाद तथा श्रीलंका की सेना द्वारा क्रूर कृत्य गहरे संकट के चिन्ह हैं।

यदि हम एक राजनीतिक समाधान पर बल दे रहे हैं तो हमें राष्ट्रपति जयवर्धने को यह समझाना चाहिए कि श्रीलंका को इस सम्बन्ध में डरने का कोई कारण नहीं है कि तमिलों की क्षेत्रीय परिषदों सम्बन्धी मांग, को स्वीकार करने से श्रीलंका की क्षेत्रीय अखण्डता खतरे में पड़ जायेगी। श्री जयवर्धने अभी भी जिला परिषदों का राग अलाप रहे हैं हालांकि तमिलों को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री श्री एम० जी० रामचन्दन के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्ट मंडल द्वारा प्रधान मन्त्री को दिये गये ज्ञापन में निम्नलिखित मांगे की गई थी—

तमिल भाषी क्षेत्रों से श्रीलंका की सेना और कमांडो बलों को हटाया जाए।

श्रीलंका के तमिल भाषी शरणार्थियों के भारत में आने पर रोक।

भारत में रहे शरणार्थियों को श्रीलंका वापस जाने में सहातता करने के लिये उपाय करना।

सिंहली नागरिकों द्वारा तमिल भाषी क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण को रोकना।

महोदय, कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि ये मांगें श्रीलंका समस्या के राजनीतिक समाधान का आधार हैं।

हमने इस सम्बन्ध में राजनयिक प्रयासों को अभी तक तेज नहीं किया है।

यहां यह उल्लेख करना उचित रहेगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से श्रीलंका की सरकार किस तरह से जातीय संघर्ष भड़काता रहा है। श्रीलंका सरकार ने सर्वप्रथम बागानों में कार्यरत तमिल कार्मिकों की नागरिकता समाप्त करने का प्रयास किया था। ऐसा करने के बाद, उन्होंने श्रीलंका द्वीप से सिंहली तमिल लोगों को समाप्त करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

श्रीलंका सरकार के लिए कोई भी समझौता अलंघनीय नहीं है। सभी समझौतों का उपयोग सिंहली कट्टरपंथी विचारधारा को मजबूत बनाने के लिये किया जाता है। इस प्रसास में महात्मा बुद्ध को भी नहीं बख्शा जाता। तमिल प्रतिमा तमिल बहुल क्षेत्रों में उपनिवेश बनाने का सुगम साधन है।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि श्रीलंका ने तमिल मूल के लोगों की तरफ हमेशा शत्रुता का रवैया अपनाया है। तमिल बागान कर्मकार 1827 से ही लंका में जाना आरम्भ हो गये थे। और उस समय उनकी संख्या 10,000 थी। डानोघमोर आयोग ने ब्रिटेन की संसद में जुलाई, 1928 में प्रस्तुत किए गए अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ श्रीलंका में उस समय रह रहे 2,26,000 भारतीय बागान कर्मकारों के लिये मतदान के अधिकार की सिफारिश की थी। सोलबरी आयोग के उपबन्धों के अन्तर्गत भारतीय बागान कर्मकारों के प्रतिनिधि के रूप में 7 सदस्य 1948 में श्रीलंका संसद के लिए निर्वाचित हुए थे।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद श्रीलंका सरकार ने अपने नागरिकता अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 15 नवम्बर, 1948 के पश्चात् पैदा होने वाले लोगों के लिए, चाहे उनके माता-पिता श्रीलंका में क्यों न पैदा हुए हों, श्रीलंका की नागरिकता देने से इन्कार कर दिया। श्रीलंका संसद में उनके प्रतिनिधित्व के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तब हमारे

प्रिय स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू तथा व श्रीलंका के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री डडेले सेना नायके ने इस्टेट्स में कार्यरत भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता देने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था। उनके बीच यह विचार-विमर्श जून, 1953 में हुआ जब दोनों लन्दन में साम्राज्ञी के राज्यारोहण समारोह पर गये थे। हमारे प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने श्रीलंका के प्रधान मन्त्री द्वारा इन व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से भारत में वापसी के सुझाव को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने भारत की इस नीति को दोहराया कि जिन भारतीय मूल के व्यक्तियों ने विदेशों में अपने घर बसा लिए हैं उन्हें उस देश का पूर्ण और प्रभावी रूप से नागरिक बन जाना चाहिये और उन्हें उस देश के लोगों और सरकार द्वारा पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। प्रधान मन्त्री श्री नेहरू तथा श्रीलंका के प्रधान मन्त्री सर जान कोटलेवाला के बीच नई दिल्ली में जनवरी 1854 के बीच हुए समझौते में स्वदेश वापसी का उल्लेख नहीं था। किन्तु 1964 में प्रधान मन्त्री शास्त्री तथा प्रधान मन्त्री सिरीमाओ भंडारनायके ने निर्धारित अनुपात विशेष के अनुसार भारत मूल के अधिकांश नागरिकता विहीन लोगों का लेना स्वीकार कर लिया। 1974 में प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा प्रधान मन्त्री सिरीमाओ भंडारनायके इस बात पर सहमत हो गईं कि जो 1964 समझौते के अन्तर्गत नहीं आ पाये हैं उन लोगों में से आधे भारत ले लेगा और आधे श्रीलंका ले लेगा। भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार को सूचित किया है कि 1964 के शास्त्री सिरीमाओ समझौते में निर्धारित 15 वर्ष की अवधि तथा दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों के बीच 1974 में हुए समाचार के परिणामस्वरूप बम्बई गई अवधि 30-10-1981 को समाप्त हो गई है।

किन्तु राष्ट्रपति जयवर्धन ने हाल में घोषणा की है कि उपरोक्त दोनों समझौतों से अन्तर्गत आने वाले तमिल मूल के नागरिकता विहीन लोगों को भारत में वापस भेजा जाए। 26 जून, 1974 को भारतीय मछुआरों के अधिकारों के सम्बन्ध में हुआ समझौता पाक जल संधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के सम्बन्ध में है। भारतीय मछुआरे तथा तीर्थ यात्रियों को कच्चा तीवू में जाने की अनुमति थी। वहां वे सदियों से जाते रहे हैं। उन्हें इस उद्देश्य के लिए कागजात अथवा वीसा नहीं लेना पड़ता था। भारत तथा श्रीलंका के जलपोतों को एक दूसरे की समुद्री सीमा में परम्परागत अधिकार मिले हुए थे।

भारत और श्रीलंका के बीच 23 मार्च, 1676 को हुए समझौते, जो कि पहले समझौते का अनुपूरक है, के अन्तर्गत भारतीय जलपोत तथा मछुआर किसी काल्पनिक सीमा नियन्त्रण रेखा के पार नहीं जा सकते। भारतीय प्राधिकारी श्रीलंका की इस बात से सहमत हो गये हैं।

इससे श्रीलंका की तो सेना को भारतीय मछुआरों को अपनी ही समुद्री सीमा में सताने, और अपमानित करने का एक साधन मिल गया है। कच्चा तीवू के पास श्रीलंका की नौ सेना के पास 15 प्लास्टिक नावों के साथ हमारी समुद्री सीमा में घूम रहे हैं। एक प्लास्टिक नौका के साथ हमारा तट रक्षक पोत इन लुटेरों को रोकने में समर्थ नहीं है।

बात यह नहीं है कि श्रीलंका सरकार श्रीलंका में रह रहे केवल तमिलों को ही नष्ट करने की कोशिश कर रही है। श्रीलंका में हो रहा बर्बर नर संहार केवल तमिलों की समस्या नहीं बल्कि एक मानवीय संकट की समस्या है। हिटलर ने, जो काम बिना कानून बनाये किया था वह आज जयवर्धने सरकार कानून बनाकर उससे कहीं ज्यादा कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने 'स्वापो' (ए० डब्लू० ए० पी० ओ०) को मान्यता दे दी है। हमने पी० एल० ओ० को मान्यता दे दी है। हमने बंगला देश की मुक्ति से पहले मुक्ति वाहिनी को

को मान्यता दे दी थी। हम ईरान और इराक में शिष्टमंडल भेज रहे हैं। हम दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की मांग कर रहे हैं। हम फिलिस्तीनियों को अलग देश न बनाये दिये जाने के कारण इजरायल की भर्त्सना करते हैं। जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी भारत आये थे तो हमने उस सम्बन्ध में समूचे विश्व में एक जबरदस्त प्रचार अभियान चलाया था। आज जब कि श्रीलंका में तमिल भाषी अल्पसंख्यकों को बर्बरता से मारा और सताया जा रहा है तो हमें मानव अधिकार अभिसमय का सहारा लेना चाहिए। हमें श्रीलंका में कतिपय कट्टरपंथियों के कार्यों के विरुद्ध जनता में चेतना जगानी होगी। क्या हम सार्वजनिक रूप से यह बात नहीं कह सकते कि भारत श्रीलंका में तमिल भाषी अल्पसंख्यकों के विनाश को एक मूक दर्शक की तरह नहीं देख सकता ? हम यह बात जानते हैं कि इजरायल की मोस्साद संस्था तथा ब्रिटेन मूल की एस०ए०एस० भाड़े के सैनिकों की संस्था श्रीलंका के सिपाहियों को छापामार युद्ध में प्रशिक्षण दे रही है। क्या हम इस बात की भर्त्सना नहीं कर सकते ?

श्रीलंका के लगभग एक लाख शरणार्थी भारत आ गये हैं तथा और भी आते जा रहे हैं। तमिलनाडु शरणार्थी परिवारों की इतनी संख्या को नहीं सम्भाल सकता। केन्द्र को श्रीलंका को कम से कम यह चेतावनी देनी चाहिए कि राष्ट्रपति जयवर्द्धने के लिये इसे उप महाद्वीप में तमिल भाषियों का कोप भाजन बनना बुद्धिमानी का काम नहीं है।

अन्त में, मैं श्रीलंका की जातीय समस्या का शीघ्र तथा दीर्घकालीन समाधान खोजने के लिए सहायता देने हेतु केन्द्रीय गृह मन्त्री के नेतृत्व में एक उच्च-शक्ति प्राप्त छः सदस्यीय सलाहकार दल का गठन करने के लिये प्रधान मन्त्री के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति देने से पहले मैं सभा की अनुमति लेना चाहता हूं। हमने बहस के लिए दो घंटे की अवधि की अनुमति दी है। हम कितना समय और बढ़ा सकते हैं ? फिलहाल हम अब दो घंटे का समय और बढ़ा रहे हैं और उसके बाद फिर देखा जाएगा।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : छः बजे आरम्भ करने की बजाय हमने बहस 4 बजे आरम्भ की थी। यह 10 बजे अथवा 12 बजे तक चल सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आवश्यक हुआ तो हम इसे और बढ़ा देंगे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : जब तक सभी सदस्य नहीं चले जाएंगे हम तब तक बहस जारी रखेंगे।

प्रो० एम० जी० (गुंटूर) : अन्त में क्या निर्णय रहा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह समय तब तक बढ़ा दिया गया है जब तक सभी माननीय सदस्य अपने भाषण समाप्त नहीं करते।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी ने श्रीलंका की समस्या की विशदता का पहले ही जोरदार शब्दों में निरूपण किया है। अत : मैं स्थिति के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। श्रीलंका सरकार की सहायता से वहां की सेना कड़े व्यवस्थित ढंग से जिस तरह के अत्याचार कर रही है वह किसी भी समय सरकार के लिए शोभनीय नहीं है। श्रीलंका की दैनन्दिन राजनीति में साम्राज्यवादी शक्तियों की अत्यन्त प्रमुख भूमिका रही है। अब ये शक्तियां श्रीलंका में अस्थिरता पैदा करने के लिए तत्पर हैं क्योंकि ये शक्तियां नृजातीय

समस्यायें उत्पन्न करके भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं। वास्तव में हर कोई जानता है कि यह इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की उनकी विदेश नीति का अंग है।

श्रीलका की तमिल जनसंख्या वहां का अभिन्न अंग है। वे स्वयं उसी तरह से श्रीलंका के निकलो है जिस तरह से श्रीलंका में रहने वाले सिंहली लोग।

6.00 अ०प०

ये तमिल लोग एक अल्पसंख्यक राष्ट्रीय समूह के रूप में, अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक परम्परा को कायम रखने के लिए, श्रीलंका सरकार से संरक्षण चाहते हैं, पर्याप्त संरक्षण चाहते हैं। जयवर्धने सरकार यह सब सुनिश्चित नहीं कर रही है। जब तक जयवर्धने सरकार या श्रीलंका में जो भी सरकार हो, वह (इन तमिल लोगों को) संरक्षण प्रदान नहीं करती तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। यह खेद की बात है कि इस समस्या को हल करने की बजाय श्रीलंका की सेना, जोकि श्रीलंका के नागरिकों की रक्षा के लिए है, सुनियोजित ढंग से तमिल लोगों पर हमला कर रही है और उन्हें श्रीलंका से बाहर धकेल रही है।

कुछ बड़ी ताकतें, इसे मात्र श्रीलंका का आन्तरिक मामला बता रही हैं—जो कि ऐसा नहीं है। प्रथम तो यह बुनियादी मानव अधिकारों और मानव-मर्यादा का उल्लंघन है। दूसरे, इन सारी बातों का उद्देश्य मात्र श्रीलंका से तमिलों को निकालना ही नहीं है। इससे हमारे देश की सुरक्षा को भी खतरा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मन्त्री और विदेश मन्त्री से मांग करता हूं कि हम इस संदर्भ में विश्व में जन चेतना जगाएं। इस संदर्भ, में हमने क्या किया है? हमने व्यावहारिक दृष्टि से कुछ भी नहीं किया है।

हम गुट-निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता करते हैं। क्या इस मामले को गुट-निरपेक्ष आंदोलन में उठाने के बारे में हमने कुछ किया है? विश्व में कहीं भी मानव अधिकारों पर हुए कुठाराघात के मामले को उठाने के लिए हम सबसे आगे होते हैं। यह हमारी स्वतन्त्रता-संग्राम और उसके बाद की परम्परा रही है। परंतु क्या इस समस्या को गुट-निरपेक्ष आंदोलन के समक्ष उठाने और इस गतिविधि अर्थात् श्रीलंका सरकार द्वारा मूल मानव मान-मर्यादाओं पर किये जा रहे हमले के विरुद्ध देशों का जनमत जमाने हेतु हमने कुछ भी प्रयास किया है। इस बारे में हम असफल रहे हैं।

हमें विश्व की जनता और विश्व की सरकारों के सामने अमरीकी साम्राज्यवाद की भूमिका की पोल खोलनी चाहिए। यह प्रश्न मात्र श्रीलंका सरकार द्वारा तमिल लोगों पर हमला करने या भारत के खतरे तक ही सीमित नहीं हैं। हमें इसके पीछे कार्य कर रही ताकतों का पता लगाना होगा। इस विशेष मामले पर श्रीलंका में अमरीकी साम्राज्यवाद के हथकण्डों को लोगों के सामने लाना होगा।

इजरायली भाड़े के सैनिक पहले ही वहां मौजूद हैं। इस विशेष कार्य बल को इजरायली भाड़े के सैनिकों द्वारा तमिल लोगों के विरुद्ध हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इजरायल के खुफिया एजेंट और कमांडो श्रीलंका में रह रहे हैं। इस मुस्लिम-तमिल दंगों, जिसके बारे में मेरे माननीय सहयोगी श्री चिदम्बरम ने भी जिक्र किया है, के परिणामस्वरूप विशेष कार्य बल की स्थापना हुई है, जिसे इजरायली कमांडों ने प्रशिक्षित किया है। श्रीलंका के जिम्मेदार विपक्षी राजनैतिक नेताओं ने पहले ही काफी कहा है और इस बारे में सबूत जुटाए हैं कि ये दंगे, इन्हीं भाड़े के सैनिकों, इजरायली कमांडों और विशेष कार्य बल के ही काम है। हमें इन बलों को

विश्व जनमत के सामने लाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके इजरायली एजेंट इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। तमिलों पर हमला करने की कोशिश करते हैं और इन्हें श्रीलंका से निकालना चाहते हैं और इससे भारत को भी गम्भीर खतरा पैदा हो रहा है। इसको हमें लोगों के सामने लाना चाहिए। क्या हमने इसके लिए विश्व मंच का प्रयोग किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग किया जा सकता है। हम यह मांग नहीं कर रहे हैं कि भारत श्रीलंका में अपने सैन्य दल भेजे। लेकिन हमें संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग करनी चाहिए कि राष्ट्रसंघ की शान्ति सेना लंका में भेजी जाये ताकि श्रीलंका की सरकार की सहायता से वहां की सेना तमिलों को प्रभावित न कर सके। कम से कम हमें यह करना चाहिए।

जब बंगलादेश में संकट पैदा हुआ था तो हमारी सरकार ने विश्व के देशों की राजधानियों में विशेष दूत भेजे थे। ताकि हम अपना पक्ष स्पष्ट कर सकें और बंगलादेश में पाकिस्तान सेना द्वारा किये जा रहे हमले को उजागर कर सकें। क्या इस संदर्भ में हमने कुछ किया है? आज तक विश्व जनमत तैयार करने के लिए हमने कुछ नहीं किया है। हमें अपने सभी राजनयिक माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। अपने साथी श्री कुमारमंगलम और श्री जयपाल रेड्डी से पूरी तरह से सहमत हूं कि विश्व जनमत तैयार करने के लिए हमें अपने सभी राजनयिक माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए और श्रीलंका सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला जाना चाहिए कि वह इसका राजनैतिक समाधान करे।

हमें अपनी समुद्री सीमा में मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के दौरान उन पर हो रहे हमलों के मामलों को भी उठाना चाहिए। श्रीलंका की नौ सेना यह कैसे साहस कर सकती है कि वह हमारे मछुआरों को अपनी सीमा के अन्दर मछली पकड़ते समय उन पर हमला करे? अन्य सदस्यों द्वारा भी इस मामलों को पहले भी इस सभा में उठाया गया है। इस संदर्भ में हमने क्या किया है? और यह हमले अभी भी जारी हैं। भारत सरकार को इन हमलों को रोकने के लिए सभी समुचित कदम उठाने चाहिए और विश्व की किसी भी ताकत को हमारे मछुआरों द्वारा अपनी सीमा में मछलियां पकड़ते समय उन पर हमला नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा करने का पूरा न्यायसंगत अधिकार है। भारत सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्ट उत्तर दें।

काफी शरणार्थी हमारे देश में आ रहे हैं। श्रीलंका भी यही चाहता है। हमें मांग करनी चाहिए कि श्रीलंका सरकार हमें इन शरणार्थियों की देखभाल के बारे में मुआवजा दे क्योंकि वहां की सेना ने इन पर जुल्म किये हैं और हमें इस मांग को विश्व मंच के समक्ष रखना चाहिए।

मैं पुनः मांग करता हूं कि सभी राजनयिक माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए, राष्ट्र संघ का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें मांग करनी चाहिए कि राष्ट्र संघ की शांति सेना श्रीलंका जाए और वहां तमिलों पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त कराये। जैसा कि हमने बंगलादेश संकट के समय किया था, हमें विश्व के देशों की राजधानियों में विशेष दूत भेजने चाहिए ताकि हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें और अमरीकी साम्राज्यवाद के सपनों को नंगा कर सकें। हमें गुट-निरपेक्ष देशों के सामने, गुट निरपेक्ष आन्दोलन के मंच के माध्यम से श्रीलंका सरकार के कार्यों को उजागर करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूं तो मेरा हृदय भर आता है। इसके पहले भी जब विदेश मंत्रालय की मांगों पर बहस हुई थी तो मैंने कहा था कि यह मामला केवल श्रीलंका का नहीं है, भारत का भी है। एक लाख

शरणार्थी, एक लाख रिफ्यूजी श्रीलंका से भगाए जा चुके हैं जो भारत आ पहुंचे हैं, जो भारत की इकानमी पर परमानेंट बर्डन हैं, हमेशा के लिए बोझ बने हुए हैं और इन शरणार्थियों का आना रुक नहीं रहा है। इसलिए यह कहना कि यह श्रीलंका का आंतरिक मामला है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैंने उस बार भी कहा था, आज भी जोर देकर कह रहा हूं और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हम होस्टाइल नेबर्स से घिर गए हैं। एक तरफ श्रीलंका है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तीसरी तरफ बंगलादेश है, ऊपर चाइना बैठा हुआ है, बर्मा से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं और मैं नेपाल के पास रहता हूं इसलिए मैं कहता हूं कि नेपाल से आपका संबंध अच्छा नहीं है। आज जो श्रीलंका में हो रहा है, मैं इस सदन में कहता हूं कि यह रिकार्ड में लिख लिया जाए, दो साल के बाद नेपाल में होने जा रहा है। आपने श्रीलंका में कोई कदम नहीं उठाया तो सारे नेपाल में भारत मूल के लोगों को मारकर निकाल दिया जाएगा। मैं नेपाल के पास रहता हूं, मैं इस बात को जानता हूं। इतिहास अपने को दोहराता है। कहावत है कि

[अनुवाद]

लोगों की याददाश्त कम होती है। लेकिन वह उतनी कम है, जितनी हम महसूस करते हैं।

[हिन्दी]

आप इतिहास की तरफ देखें जब 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुई थी तो 4-5 साल पहले से ऐसा ही होता था। कोई चीन का नेता हमारे यहां आ जाता था और हम कह देते थे कि दोनों देशों के संबंध बड़े अच्छे और मधुर हो गए हैं। हमारा कोई नेता चीन चला जाता था तो हम कह देते थे कि "हिन्दी-चीनी भाई-भाई", हम धोखे में रहते थे और चीन हमारे खिलाफ तैयारी करता था। नतीजा क्या हुआ ? हमने मात खाई और आज 23 वर्षों के बाद भी हम 23 इंच जमीन चीन से नहीं ले पाए। हम उस बेइज्जती, उस अपमान को पीकर बैठे हुए हैं और सारा ससार सैकण्ड रेट, थर्ड रेट पावर के रूप में हमें जानता है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह समस्या केवल श्रीलंका की समस्या नहीं है। हम होस्टाइल नेबर्स से घिरे हुए हैं और यदि हमने अपनी नीति ठीक नहीं बनाई तो हमें उसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

पिछली बार जब एक्सटर्नल अफेयर्स की डिमांडस पर मुझे बोलने का मौका मिला था तो मैंने कुछ बातें कही थीं, संभव है कि दक्षिण भारत के किसी अखबार ने उसे छापा हो। मेरे पास दर्जनों ऐसे पत्र आए जो श्रीलंका से शरणार्थी बनकर तमिलनाडु आए हैं, उनकी जो कहानी उन पत्रों में लिखी हुई है वह बड़ी दर्दनाक कहानी है। ये सारे पत्र कांग्रेस पार्टी के आफिस के पते से मेरे पास आए हैं जो री-डायरेक्ट होकर मेरे पास भेजे गए हैं। उनमें से अधिकतर लोगों ने लिखा है कि आश्चर्य है और सुखद आश्चर्य है कि एक उत्तर भारत का आदमी दक्षिण भारत के बारे में बोल रहा है। मैं कहता हूं कि यह भारत एक है। कोई दक्षिण भारत नहीं है, कोई उत्तर भारत नहीं है। हमारी समस्याएं एक हैं और सारे भारतवर्ष की तरफ से, उत्तर भारत के लोगों की तरफ से कहना चाहता हूं कि यह जो तमिल समस्या है, केवल दक्षिण भारत की समस्या नहीं है, यह उत्तर भारत की भी उतनी ही समस्या है, जितनी कि यह दक्षिण भारत की समस्या है। उन दर्दनाक पत्रों में से एक पत्र अत्यन्त दर्दनाक है। जाफना में रहने वाली एक बहन का पत्र मेरे पास आया है। श्रीमन्, वह पत्र मैं लाकर आपको दिखा दूंगा। उसने लिखा है कि वह भागकर तमिलनाडु आई है। उसका कहना है कि आधी रात को सरकारी फौज मेरे घर में घुस आई और मेरे पति को मार दिया, मैं विधवा हो गई और मेरी बेइज्जती की। मैं भागकर भारत आ गई हूं और अब भारत

का समाज भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं है। मेरा वह राम कहां है, जिसने सीता को स्वीकार कर लिया था लेकिन यह समाज मुझे अपनाने को तैयार क्यों नहीं है ? मैं, उसे पत्र लिखना चाहता हूं कि बहिन तुम्हारा राम मर गया है, अब वह जिंदा नहीं है और हमने शर्म से अपना सिर झुका लिया है। मेरे पास तुम्हारी सांत्वना के लिए कोई शब्द नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। उसने यह भी लिखा है कि मेरे साथ जो मोलेस्टेशन हुआ है, वह केवल मेरे साथ ही नहीं हुआ है बल्कि हजारों ऐसी औरतों के साथ हुआ है; जो शर्म से बोलती नहीं हैं। आज चुपचाप मूक-दर्शक बने हुए देख रहे हैं। हमें सूझ नहीं रहा है कि हम क्या करें ? अब समय आ गया है जबकि हम अपनी बात को कम से कम दो टूक कहें। हम यह कहें कि हम लोगों की बेइज्जती बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्रीलंका में तमिलों के इतिहास को देखिए। हमारे भाईयों ने इस इतिहास को दोहराया है। मैंने भी श्रीलंका का इतिहस पढ़ा है। तमिलों को सिस्टेमेटिकली बहुत सोच-विचार कर कई सालों से उन्हें दीन-हीन अवस्था में कर दिया गया। जाफना में, उत्तरी श्रीलंका में और पूर्वी श्री लंका में जहां वे काफी संख्या में थे, वहां की सरकार ने दबर्दस्ती सिंहलीज पापुलेशन को लाकर भर दिया और इसके साथ ही वहां पर फौज की छावनी बना दी जिससे कि उन्हें सुरक्षा मिलती रहे और वे तमिलों पर कोई भी अत्याचार करें तो फौज उनकी सहायता करे। पहले जहां पर 13, 17 या 20 परसेंट तमिल पापुलेशन फौज में थी, अब वहां केवल दो परसेंट है। वह भी धीरे-धीरे खत्म हो जायेगी। जब-जब इतिहास में अत्याचारियों का नाम आयेगा तो लोग रावण, हिटलर, मुसोलिनी और चंगेज खां का नाम लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि आने वाला इतिहास सबसे ज्याद जयवर्धने का नाम लेगा जिसने कि वहां की जनता को तबाह कर दिया है। आज यदि हिटलर जिन्दा होता तो शर्म से वह झुक जाता। जिस तरह का जेनोसाइड आज श्रीलंका में हो रहा है, वैसा दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है सरकार की फौज निहत्थे लोगों पर हमला करती है और उनका कत्ले-आम कर देती है। लोग सामान खरीदने बाजार जाते हैं और उन्हें लाइन में लगाकर मार डाला जाता है। हजारों ऐसे लोग हैं जो गुमशुदा हैं। सच बात यह है कि उनको अज्ञात स्थान पर ले जाकर गोली मार दी गई है और उन्हें जला डाला गया है। श्रीलंका में जो आज अत्याचार हो रहा है, वह दुनिया के लोगों को अच्छी तरह से मालूम नहीं है क्योंकि न तो हमने और न वैस्टर्न प्रेस ने इस बात को दुनिया को बताने की तकलीफ की। आपको याद होगा कि जब ईस्ट पाकिस्तान या बंगलादेश के साथ हमारी टेन्शन चल रही थी तो हमारे देश के सभी लीडर पार्लियामेंट के सदस्य यहां तक कि प्रधान मंत्री भी विदेश गई थीं। और उन्होंने उस स्थिति से समस्त देशों को अवगत किया था। आज हम सारी दुनिया को क्यों नहीं बताना चाहते हैं, क्यों झिझक रहे हैं जब कि श्रीलंका में इस तरह का भीषण अत्याचार हो रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग विदेशों में जाएं, उनकी वर्ल्ड ओपीनियन बनायें कि श्रीलंका में बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है। यदि आज हिन्दुस्तान के बदले कोई और देश होता तो श्रीलंका की ब्लौकेड कर देता, वहां के सैनिक शासन को तबाह कर देता। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप वहां ब्लौकेड कर दें, वहां के सैनिक शासन को तबाह कर दें, बल्कि मैं तो इस पक्ष का हूं कि श्रीलंका की समस्या का कोई न कोई राजनैतिक समाधान निकाला जाना चाहिए। मैं अपने प्रधानमन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी गम्भीरता से इस मामले को लिया है और एक एडवाईजरी कौंसिल का निर्माण किया है लेकिन उसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है जब कि हमें श्रीलंका सरकार को दो टूक कह देना चाहिए कि हम बहुत दिनों तक इस स्थिति को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं क्योंकि यह आपका ही मामला नहीं रह

गया है, इसके कारण हमारे देश पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपको बताऊ कि हमारे फिशरमैन के साथ, हमारे मछुआरों के साथ श्रीलंका की सेना ने क्या व्यवहार किया, उनके साथ क्या-क्या घटनाएं हुईं, यदि कोई दूसरा देश होता तो वह कभी इसे बर्दाश्त न करता। इस सदन के हर सदस्य को महसूस करना चाहिए कि श्रीलंका इस समय जो शेखी दिखा रहा है, वह अपने बल पर ही नहीं दिखा रहा है, उसके पीछे अमेरिका है, यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। आज वाइस आफ अमेरिका का स्टेशन वहां स्थापित किया जा रहा है जो हम लोगों की जासूसी करेगा और वह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा। उस समय तक यह मामला और ज्यादा उलझ जाएगा और तब हम कुछ नहीं कर पायेंगे, फिर हम उसके खिलाफ आवाज उठाकर भी कुछ हासिल नहीं कर पायेंगे। इसलिए हमें अभी से विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए जिससे कि सारी दुनिया को पता चल सके कि हम क्या चाहते हैं।

श्रीमन्, जब जब दुनिया में इस तरह का अत्याचार हुआ है, जब-जब लोगों को इस तरह टैररिज्म से मारा गया है, तब तब दुनिया में ह्यूमन राइटस के लोग सिर उठाते हैं। हमारे भागलपुर कांड में तो ह्यूमन राइटस के लोग आ गए, अमेरिका से ह्यूमन राइटस के लोग आ गए, लेकिन आज श्रीलंका में जिस तरह हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसमें पता नहीं ह्यूमन राइटस के लोग कहां चले गए।

इसके अलावा एक और विचारणीय प्रश्न हमारे सामने यह है कि जब भी जयवर्धने साहब हमारे यहां आते हैं अथवा हमारे रिप्रेजेन्टेटिव श्रीलंका जाते हैं तो वे हमेशा एक ही बात कहते हैं कि श्रीलंका और भारत तो आपस में भाई-भाई हैं और हम इस समस्या का राजनैतिक समाधान निकलवा लेंगे, लेकिन जब वे पाकिस्तान जाते हैं तो वहां जकर कश्मीर की चर्चा करने लगते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि आजकल श्री जयवर्धने एक बड़ी चालाकी कर रहे हैं। उनको पता है कि तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार है। उन्होंने पिछले दिनों विदेशी पत्रकारों को इन्टरव्यू देते समय यही बात कही थी कि इस समस्या के साथ भारत का सम्बन्ध नहीं है बल्कि इसमें तमिलनाडु की सरकार उलझी हुई है। वही उग्रवादियों को उकसा रही है। हमें विचार करना चाहिए कि जिस तरह से वे तमिलनाडु की सरकार और भारत सरकार के बीच फर्क डालने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की जनता उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उनकी यह कोरी बकवास है, झूठी बात है। न तो उग्रवादियों को तमिलनाडु की सरकार उकसा रही है न भारत सरकार छापामरों को उकसा रही है, तथ्य यह है। हम चाहते हैं कि इस समस्या का कोई न कोई राजनैतिक समाधान निकले वह समाधान सम्मानपूर्वक हो। आप श्रीलंका का पिछला इतिहास देख लीजिए, जब-जब तमिल जनता को वहां थोड़ी बहुत स्वायत्तता देने की कोशिश की गई, तब तब सिंहलीज लोगों ने वहां पर गजब ढाया है और इतना परेशान कर दिया कि लाचार होकर उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए। लेकिन इस समय तो वहां सेना कत्ले-आम कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समस्या बहुत भयानक रूप धारण कर चुकी है। श्रीलंका के मामले में यदि हम चुप बैठे रहे तो एक समय वह आयेगा जब हम हिन्दुस्तानी अपने पड़ोसी देशों से निकाल दिए जाएंगे, आप नेपाल से निकाल दिए जाएंगे, आप कनाड़ा से निकाल दिए जाएंगे, आप अफ्रीका से निकाल दिए जाएंगे और दूसरे उन सब देशों से निकाल दिए जाएंगे और तब हमारी जनता हमें मुआफ नहीं करेगी।

भारत की जनता हमें माफ नहीं करेगी। वह कहेगी कि आप ससद में थे, आपने क्यों आवाज नहीं उठाई। तो मैं आगे आने वाले इतिहास को साफ देख रहा हूं। इसलिए आवश्यक यह है कि हम बहुत सोच-समझ कर श्रीलंका में कदम रखें।

मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, जितने हिन्दुस्तानी बाहर हैं, उससे कई गुने चीनी बाहर हैं, लेकिन किसी चीनी को किसी देश से बाहर निकाला गया हो, आप मुझे बतला दीजिए ? किसी चीनी को किसी देश से बाहर इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि उसके पास ताकत है और हम केवल भाषण देते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम सारी समस्याओं पर बहुत गम्भीरता से सोचें और कहें कि यह तमिल-समस्या उसकी आंतरिक समस्या नहीं है और हम बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं, और हम बहुत दिनों तक अब आगे और परेशान नहीं होंगे।

[अनुवाद]

श्री कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : सर्वप्रथम, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नियम 193 के अन्तर्गत इस मामले पर चर्चा की अनुमति दी। मैं माननीय प्रधान मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे माननीय मुख्य मन्त्री की जब वह दिल्ली आये थे। बात शीघ्र मानी। शीघ्र ही प्रधान मन्त्री ने श्रीलंका की जातीय समस्या को सुलझाने के लिए एक विशेष सलाहकार ग्रुप के गठन की घोषणा की। मैं विदेश राज्य मंत्री को भी वक्तव्य देने के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन आरम्भ में, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनका वक्तव्य कोई नया नहीं है। इसमें कोई नई बात नहीं है वही पुरानी बोतल वही पुरानी शराब।

मैं इस समस्या का यहां इतिहास बताना चाहता हूं। तभी कुछ माननीय सदस्य समझ सकेंगे कि ऐलम क्या है, श्रीलंका क्या है, सीलोन क्या है और कैसे वहां तमिल और सिंहली बसे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि तमिल अपने उन अधिकारों की बहाली चाहते हैं जिन्हें कि अंग्रेजों ने छीन लिया था। यह उनकी पहली मांग है।

अगर मैं संस्कृत में इसके इतिहास का पता लगाऊं तो हम इसे लंका कहेंगे और तमिल में इसे एलंगाई कहेंगे और तमिल लोग इसे ऐलम कहते हैं। हमें इस पहले के इतिहास को जानना चाहिए। तभी हम तमिलों की समस्या हल कर पायेंगे।

करीब 2,500 वर्ष पूर्व सिंहली और तमिल इस द्वीप में बसे थे। इसके बाद के वर्षों में इस द्वीप को यूरोपवासियों ने 'सिलोन' कहा। आरम्भ में इस द्वीप पर तमिल और सिंहली राजाओं का राज्य था और चोला तथा पाण्डिया तमिलों के प्रसिद्ध राजा थे। करीब एक हजार वर्ष पूर्व प्रसिद्ध चोला राजा, राजा चोला ने इस द्वीप पर राज्य किया और बाद में इस द्वीप की उत्तरी और पूर्वी शक्तियां तमिलों के अधीन आ गईं और शेष सिंहलों के अधीन आ गईं। यह स्थिति है। 1282 में आर्य चक्रवर्ती ने इस द्वीप पर राज्य किया। बाद में 1585 में पुर्तगाली वहां जाकर बस गये। और वास्तव में 1582 में पुर्तगाली इस द्वीप पर शासन करने लगे जयवर्धने पुरम उनकी राजधानी थी। 1619 में उन्होंने तमिलों की राजधानी जाफना पर कब्जा किया और तमिलों के अन्तिम राजा सांगलियन को पुर्तगालियों ने गोआ में फांसी दे दी। यह इतिहास है, जिससे पता चलता है कि मूलतः इस द्वीप पर तमिल राजाओं का राज्य था। इस प्रकार तमिलों द्वारा एक अलग राज्य की स्थापना की मांग सही है।

इस द्वीप पर कब्जा करने के बाद 1755 में ब्रिटिश शासकों ने इस द्वीप पर अपना राज्य स्थापित किया। एक प्रसिद्ध व्यक्ति वेलिंग्डन प्रभू ने कहा था कि "जिस किसी का श्री ट्रिंकोमाली पत्तन पर कब्जा होगा, वही इस द्वीप पर कब्जा कर सकेगा।" इसका क्या तात्पर्य है ? उन्होंने कहा था कि इस द्वीप पर नियत्रण करने के लिए आवश्यक है कि ट्रिंकोमाली पर कब्जा किया जाए।

यहां एक सर्वोत्तम स्थान होगा। अगर वहां पर किसी का कोई अड्डा है, तो वह तमिलनाडु पर हमला कर सकता है, भारत पर हमला कर सकता है। हेवलिग्डन प्रभू ने यही मुख्य बात कही थी। 1815 में अंग्रेजों ने केन्डी पर कब्जा करके सारे द्वीप को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अंग्रेज पर्वतीय क्षेत्रों में काफी, चाय और रबड़ पैदा करना चाहते थे। परन्तु सिंहलियों ने उनके निमंत्रण में रहकर काम करने से इन्कार कर दिया। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि तमिल-वासियों को तमिलनाडु से लाया जाए। यहां से करीब 10 लाख तमिल वहां ले जाकर बसाये गये। इस द्वीप में करीब तीन राजधानियां थीं। परंतु इसे अर्थक्षम बनाने के लिए और इसे एक ही सत्ता के अधीन लाने के लिए इन तीनों राजधानियों को ब्रिटिश राज्य के अधीन कर दिया गया। इस कदम से तमिलों को नुकसान पहुंचा और इसी से तमिल अपना अगल अस्तित्व बनाए रखने से वंचित हो गये। इस प्रकार अंग्रेज लोग इसके लिए जिम्मेवार थे और उन्होंने तमिलों को अपना अलग अस्तित्व बनाये रखकर वहां नहीं रहने दिया। बाद में भारत को स्वतन्त्रता प्रदान की गई और श्रीलंका ने भी स्वतन्त्रता की मांग की। 1948 में श्रीलंका को स्वतन्त्रता प्रदान की गई और 1948 से श्री सेनानायके, श्री भंडार नायके, श्रीमती भंडार नायके और श्री जयवर्द्धने इस द्वीप पर राज्य करते आ रहे हैं। 1948 में जब सेना नायके का शासन था तो वहां की जनसंख्या 70 लाख थी। इसमें से 69.4% सिंहली थे, 27.9% तमिल थे और 1.7% अन्य लोग थे। सिंहलियों में अधिकांश बौद्धधर्म के अनुयायी हैं और तमिलों में हिन्दू, मुसलमान और ईसाई हैं। श्रीलंका में यह हालत है और तमिलों को रोजगार के अधिकार से वंचित रखा गया। वहां सिंहली लोगों को रोजगार के अवसर 72% हैं जबकि तमिलों को यह मात्र 11.2% ही हैं। वे लोग कैसा भेदभाव कर रहे हैं? श्रीलंका में आज यह स्थिति है।

श्रीमन्, यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, 'चोग्म' आदि के चेयरमैन हैं, नाम्बिया के लिये काफी कुछ कर रहे हैं, स्वापो के लिए काफी कुछ कर रहे हैं और उन्होंने नाम्बिया को अब मान्यता भी दे दी है। कम से कम श्रीलंका में श्रीलंका मुक्ति आंदोलन, तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, जो कि अब वहां संगठित है, को मान्यता देने में क्या आपत्ति है? वह इसे श्रीलंका में और श्रीलंका के बाहर मान्यता क्यों नहीं देते हैं? मात्र संगठित तमिल मुक्ति आंदोलन को ही मान्यता देने से समस्या सुलझ जायेगी। मैं यही कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए कि श्रीलंका में और इसके बाहर सभी मुक्ति आंदोलनों को भारत मान्यता प्रदान करता है। अगर आप युवकों की युद्ध प्रियता को स्वीकार करेंगे तो युद्ध प्रिय लोग जो कि वहां आन्दोलन कर रहे हैं, निस्सन्देह अपना पृथक ऐलम बना सकेंगे, अपना अलग अस्तित्व रख सकेंगे। अब स्थिति यह है। लेकिन भारत सरकार, प्रधान मंत्री और अन्य मन्त्रियों को ऐसा न करने से कौन रोक रहा है? वे इस समस्या का व्यावहारिक हल नहीं ढूंढ रहे हैं। वे वहां पर कुछ बातचीत कर रहे है, वहां कुछ लाबी हैं। श्री जी० पार्थासारथी को क्या हुआ? श्री जी० पार्थासारथी श्रीलंका जाते रहे हैं। वह वहां कई दफा गये हैं। क्या उनकी वार्ता फलदायक रही है! मैं कहना चाहता हूं कि वह बेकार और निष्फल रही है। सचिव श्री भंडारी, की यात्रा का क्या हुआ? उनकी श्री जयवर्धने, अथुलतमुदाली, श्री प्रेमदास और श्री टोन्डामन से गुप्त बातचीत हुई है।

इसका क्या हुआ? इसे गुप्त रखा जा रहा है। यदि इसे गुप्त रखा गया तो यह महत्वपूर्ण समाचार है। वे व्यावहारिक बातों को सामने नहीं ला रहे। अतः मैं चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय ठोस प्रस्तावों के साथ सामने आयें। इस समय विकट एवं बिगड़ती हुई स्थिति में भारत का उत्तर-

दायित्व भी उतना ही बढ़ जाता है। उसकी अपनी प्रभुसत्ता अपना आत्म-सम्मान, आत्म-गरिमा तथा नैतिक शक्ति है। इसे भगवान बुद्ध के गृह ही समझ सकते हैं तथा लोकतंत्रीय व्यवस्था का प्रतीक हैं। इन सभी बातों का भारत से संबन्ध है—निर्दोष व्यक्तियों की हत्या एवं महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये बातें तुरन्त बंद होनी चाहिएं। इस समस्या तथा विभीषिका का समाधान क्या है। भारत को अब कार्यवाही करनी चाहिए। वहां के तमिलवासियों को नई आशा नया जीवन देने के लिए भारत को निर्णयात्मक कार्य करना चाहिए। बात इतनी ही नहीं है। हमारे बड़े भाई तथा महान् नेता अन्ना जी ने जब 1962 में उन्हें जेल से छोड़ा जा रहा था, उस समय जब चीन का हमला हुआ था, कहा था—कि चीन ने हमारे क्षेत्र में हमला किया है। राष्ट्र को पहले बचाया जाना चाहिए। तभी मैं द्राविड़ नाडु के लिए आन्दोलन करूंगा। यदि चीनी मित्र के नाते आते हैं तो मैं उनकी सहायता करूंगा। परन्तु यदि वे शत्रु के रूप में आते हैं तो मैं उनका मुकाबला करूंगा। हमारे बड़े भाई अन्ना साहब ने यही शब्द कहे थे। आज प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार को क्या हो गया है? क्या जयवर्धने मित्र के नाते भारत आये हैं या शत्रु के रूप में? इसका निर्णय करें। यदि वह शत्रु के रूप में आये हैं तो उनका मुकाबला क्यों नहीं करते। यदि वह मित्र के रूप में आयें तो उन्हें सहयोग दें। यह कठिनाई है।

क्या आप समझते हैं कि तमिल भारत से पृथक् कौम है? क्या आप समझते है कि तमिल दिल्ली से दूर हैं तथा वे लंका के बहुत निकट रह रहे हैं। दिल्ली से यह 1500 मील से कम नहीं? परन्तु तमिलनाडु से लका बहुत निकट है। हो सकता है आपको वास्तविक समस्या की जानकारी न हो। तमिलनाडु में भी लोग प्रतिदिन लंका के बारे में बातें करते हैं। हम 'हिन्दुस्तान टाइम्स" "टाइम्स ऑफ इण्डिया", 'स्टेट्समैन', तथा 'पैट्रीयट' में प्रति दिन लंका के बारे में लेख पढ़ते हैं। भारत सरकार को क्या हो गया है? आप इस समस्या का हल क्यों नहीं करते? आप मात्र-वक्तव्य देते हैं। आप केवल यही कहते हैं कि कोई राजनीतिक समाधान करना होगा। यह क्या है? आपके पास ठोस समाधान होना चाहिए। अन्यथा आप श्रीलंका में रह रहे तमिल लोगों को बचा नहीं सकते। यह एक दर्दनाक विभीषिका है। मैं सभा में कुछ फोटो दिखाना चाहता हूं। देखिए कैसे स्थिति भीषण से भीषणतम हो गई है। यह तमिल लोगों की विभीषिका है। उनकी हत्या की जा रही है। देखिए कैसे निर्दोष व्यक्ति मारे जा रहे हैं। क्या आप इस महिला को नहीं जानते जिसके साथ बलात्कार किया गया तथा उसकी हत्या कर दी गई। यह घटनाएं श्रीलका में प्रतिदिन हो रही हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरन्त कुछ ठोस कार्यवाही करें। यह कदम हमारी मां श्रीमती इन्दिरा गांधी की मृत्यु के बाद पहला कदम होगा। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने जीवन में बंगलादेश को स्वतन्त्रता दिलाई। मां 9 महीने में बच्चे को जन्म देती है उन्होंने 14 दिन के युद्ध में बंगलादेश को जन्म दिया। हमारे युवा प्रधान मन्त्री अपने उत्साहपूर्ण दृष्टिकोण एवं नेहरू परिवार के शौर्य के साथ यह कार्य क्यों नहीं कर सकते? उनमें उत्साह है—उनके साथ सेना है—युवा व्यक्ति हैं—उनके साथ 70 करोड़ की जन शक्ति है। वह इस कार्य को क्यों नहीं करते? श्रीलंका एक छोटा सा द्वीप है। क्या इसे 24 घण्टे में परास्त नहीं किया जा सकता? परन्तु मैं इसे परास्त करने को नहीं कह रहा। मैं केवल यही कहता हूं कि तमिल लोगों की जान और माल की रक्षा करें। मैं प्रधान मन्त्री से तथा विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री से निवेदन करता हूं कि तमिल लोगों की जान की रक्षा के लिए कोई ठोस कायवाही करें।

हर रोज तमिल जनसंख्या कम हो रही है। एक लाख तमिल लोग भारत अर्थात् तमिल-नाडु आ गये हैं। यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसे रोका जाना चाहिए। भारत सरकार

को ऐसे प्रस्ताव लेकर सामने आना चाहिए जिससे तमिल लोगों को स्वायत्तता मिल सके। कृपया यह कार्य शीघ्र करें। यह मेरा सुझाव है।

अब आपने एक सलाहकार ग्रुप तैयार किया है। परन्तु दुर्भाग्य से तमिलनाडु को उसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इसमें विशेष रूप से मुख्यमन्त्री, वित्त मन्त्री अथवा तमिलनाडु के मुख्य सचिव को लिया जाना चाहिए।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् दोपहर के बाद से मैं वाद-विवाद को सुन रहा हूं परन्तु मामले पर सही प्रकाश नहीं डाला गया। इसमें सन्देह नहीं है कि श्रीलंका सरकार एवं सेना तमिल लोगों की हत्या कर रही है। इतना ही नहीं श्रीलंका सरकार का उद्देश्य तमिल जनसंख्या को समाप्त करना है। समस्या का एक पहलू यह है।

हत्याओं महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाओं से समझदार व्यक्तियों का मन भी रोषपूर्ण हो जाता है। परन्तु रोष से समस्या का हल नहीं हो सकता।

इस पर लोक सभा में चर्चा की जा चुकी है तथा यही सर्व सम्मति रही थी कि भारत श्रीलंका की एकता का समर्थक है। श्रीलंका के बटवारे से साम्राज्यवादी तत्वों को बढ़ावा मिलेगा किन्तु भारतीय ऐसा नहीं हैं तमिल ऐसे नहीं हैं। भारत ने सैद्धान्तिक रुख अपनाया है कि हम श्रीलंका की एकता के समर्थक हैं। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सैनिक कार्यवाही न करने के प्रति भी सर्व-सम्मति है। हम शान्तिपूर्ण बातचीत के माध्यम से राजनीतिक हल के पक्ष में हैं।

निःसन्देह श्रीलंका सरकार का सहयोग उत्साहजनक नहीं रहा। परन्तु समझौता करने के हमारे प्रयास चल रहे हैं। हाल ही में हमारे विदेश सचिव श्रीलंका गये तथा उनके साथ जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति का भारत में सबने स्वागत किया है। इसे कैसे क्रियान्वित किया जायेगा ? यह समस्या है।

विदेश राज्य मंत्री को चाहिये कि जो संयुक्त विज्ञप्ति तथा करार हुआ है उसके बारे में स्पष्ट रूप से बतायें कि उन्हें कैसे कार्यान्वित किया जायेगा। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी समाधान श्रीलंका की एकता पर आधारित होना चाहिए। उसके साथ ही बातचीत से पूर्व दोनों ओर से श्रीलंका की सेना द्वारा तथा हमारे रोषयुक्त युवकों द्वारा हिंसा की कार्यवाही समाप्त होनी चाहिए।

क्या विदेश राज्य मंत्री बताएंगे कि कैसे हिंसा समाप्त की जा सकती है तथा श्रीलंका सरकार तथा तमिल नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

श्रीलंका सरकार का प्रयत्न रहा है कि किसी भी प्रकार 'तुल्फ' को कमजोर किया जाये जो कि हिंसा में विश्वास नहीं करता वह उसे कमजोर करके उनके साथ के जन समर्थन को समाप्त करना चाहते हैं।

यही समय है कि शिखर नेता आगे आयें तथा स्पष्ट रूप से हिंसा की निन्दा करें। दृढ़ता पूर्वक यह मांग की जानी चाहिए कि श्रीलंका की सेना हिंसा समाप्त करे तथा उत्तर और पूर्व के भाग से हट जायें।

यदि श्रीलंका सरकार विभिन्न देशों से श्रीलंका में सेना बुलाकर तमिलों का विध्वंस करती है तो क्या होगा ? यदि वे विदेशी सरकारों से इस बारे में बातचीत जारी रखें तो हमारा रवैया क्या होगा ?

मेरा निश्चित सुझाव है कि सरकार को श्रीलंका सरकार से स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि यदि वे विदेशों के साथ उनके सैनिक बुलाने की बातचीत जारी रखते हैं तो भारत तटस्थ नहीं बना रह सकता, उस हालत में भारत सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। श्रीलंका सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह विदेशी सरकारों से सैनिक लेने की वार्ता बन्द करें।

क्या यह श्रीलंका का आंतरिक मामला है अथवा उसका अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। श्रीलंका सरकार प्रतिदिन मामले को बाह्य बना रही है। उन्होंने इजराइल के परामर्श-दाताओं को श्रीलंका में क्यों बुलाया है? सबसे पहले श्रीलंका सरकार को उन्हें वापस भेजना चाहिए। उसके बाद ही श्रीलंका के साथ समझौते की बातचीत की जानी चाहिए।

हर रोज श्रीलंका में मिथ्या कहानियां प्रचालित की जाती हैं। यह आरोप लगाया गया है कि तमिल आंतकवादियों ने साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के लिए मुसलमानों पर हमले किये हैं। परन्तु श्रीलंका में विपक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। यह स्पष्ट रूप से मिथ्या कहानी थी। श्रीलंका की संसद के विपक्ष ने पूछा है "यह कहानी कहां से आई है? आंतकवादी मुसलमानों पर हमला क्यों करेंगे? इससे पता चलता है वहां की सरकार का विश्वास नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, झूठी कहानियां प्रचालित की जाती हैं कि अराफात संगठन, फलास्तीनी मुक्ति मोर्चा तमिल लोगों को गुरेल्ला युद्ध का प्राशिक्षण दे रहे हैं। इस कहानी में कोई सचाई नहीं है। मेरा निवेदन है कि बातचीत के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि श्रीलका सरकार का उद्देश्य क्या है? हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में उन्होंने तमिल समस्या को भारत की सिख समस्या के समान बताया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर तमिल लोगों को समान सामाजिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक अधिकार प्राप्त हैं जो भारत में सिखों को प्राप्त हैं? वे केवल मामले को जटिल बनाना चाहते हैं उसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप देना चाहते हैं।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ विदेशी शक्तियां श्रीलंका के भीतर तथा बाहर जटिलताएं पैदा कर रहे हैं तथा उन साम्राज्यवादी शक्तियों का उद्देश्य है श्रीलंका का बंटवारा करना। इससे उनका स्वार्थ पूरा होगा। श्रीलंका सरकार को इसे समझने में देरी लग सकती है। श्रीलंका में कार्य कर रही विदेशी शक्तियों का लक्ष्य है श्रीलंका की स्थिति को जटिल बनाना। हिंसा में जुटने वाले, मुक्ति आंदोलन का समर्थन करने वाले उन सभी को किन्हीं विदेशी तत्वों द्वारा बढ़ावा मिल रहा है। (व्यवधान) इससे समस्या का हल कभी नहीं होगा। इससे समस्या और भी जटिल होगी। समस्या के हल का यह रास्ता नहीं है। समस्या के समाधान का एक ही रास्ता है कि बातचीत द्वारा समाधान किया जाये। (व्यवधान)

इससे मामला और जटिल हो जाएगा। (व्यवधान) मेरा निवेदन यह है कि भारत के लिए यह संभव नहीं कि वह तमिल लोगों को वैध अधिकार दिलाने के लिए हिंसा का शस्त्र अपनाए। हमें इस संबंध में बड़ा सतर्क रहना होगा। श्रीलंका की अखंडता और एकता को स्वीकार करना होगा। हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जाना चाहिए। इस का स्वायत्तता-उन्मुख हल निकाला जाना चाहिए। यह समाधान शांतिपूर्ण होना चाहिए।

जहां तक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकता अथवा अंतर्राष्ट्रीय मत अपनाने का संबंध है, मुझे इस बारे में बहुत संदेह है क्योंकि हमारा अनुभव भिन्न रहा है। काश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संगठन को सौंपा गया था। लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ? उस बारे में कौन नहीं जानता? यहां तक कि महात्मा गांधी ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संगठन को सौंपने के लिए या अपना

आशीर्वाद दिया। लेकिन इससे संयुक्त राष्ट्र संगठन में विवाद बढ़ने के अलावा कुछ परिणाम नहीं निकला। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकता अपनी भूमिका निभाती है। (व्यवधान) जहां तक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकता का संबंध है, मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं है कि वहां न्याय को माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है, आप जानते हैं। महाशक्तियों की विभिन्न क्षेत्रों में क्या भूमिका रही है ? स्वभावतः, मैं निवेदन करूंगा कि हमें अपने सिद्धांतों पर ही अटल रहना चाहिए अर्थात हमें ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जिसमें हिंसा किए बिना बातचीत द्वारा समस्याओं का समाधान किया जा सके।

मैं विदेश मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसका समाधान कैसे किया जाएगा, किस तरह बातचीत द्वारा इसका हल निकाला जायेगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या श्रीलंका सरकार ने हमेशा के लिए इसे स्वीकार कर लिया है कि तमिल लोगों को स्वायत्ता दी जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी झूठी कहानियां गढ़ना बंद करेंगे जिससे लोगों में फूट पड़ जाती है और जो स्थिति को जटिल बना देती हैं। क्या वे श्रीलंका में शस्त्र सेना भेजने के लिए विदेशों से संधिवार्ता करना बंद करेंगे; क्या वे इस समय की जा रही हर तरह की हिंसा को बंद करेंगे; क्या वे श्रीलंका सेना द्वारा किए जा रहे कत्लेआम को रोकेंगे—क्या श्रीलंका सरकार इन सब बातों को बंद करायेगी। मेरा निवेदन है कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता, बातचीत द्वारा इसका हल निकालना संभव नहीं होगा। अतः मैं चाहता हूं कि विदेश मंत्री सदन को इस बारे में बतायें। दूसरी बात यह कि हमें बड़ा स्पष्ट होना चाहिए तथा उन्हें साफ बता देना चाहिए कि यदि उपमहाद्वीप में एक भी विदेशी सैनिक गया तो हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे। इसका और कोई रास्ता नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं समझता हू कि सदन श्रीलंका में हमारे आंखों के सामने हो रही त्रासदी जिसमें कई लोगों की हत्यायें की गई, बेइज्जत किया गया उत्पीड़ित किया गया और अपने घर छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, उन लोगों के प्रति एकमत होकर सहानुभूति प्रकट करेगा। भारतीय संसद को कम से कम उन के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए और उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि हम उनके दुःख और व्यथा से पीड़ित हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक है। मैं माननीय सदस्यों विशेषकर उन सदस्यों की भावनाएं समझता हूं जिनकी श्रीलंका से आए शरणार्थियों से रोज मुलाकात हो रही है तथा वे उनकी कहानियां सुन रहे हैं। मैं उनका दुःख समझता हूं किन्तु वास्तव में मैं नहीं समझता कि इस बारे में विस्तार में जाना और उन पर हो रहे अत्याचारों का वर्णन यहां करना आवश्यक है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यह जातिसंहार है या नहीं। मैं समझता हूं कि इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। जातिसंहार का अर्थ है किसी समुदाय या वर्ग का जानबूझ कर विनाश करना। किसी समुदाय या दल के जानबूझकरविनाश को जातिसंहार माना गया है। आप कोई भी शब्दकोष देख सकते हैं। उनमें जातिसंहार की यह परिभाषा दी गई है। उस परिभाषा के अनुसार, श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है निश्चित रूप से वह जातिसंहार ही है।

मैं आपको यह स्मरण कराना चाहता हूं कि 1946 में जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ ही था तो पूरे विश्व को यह जानकर बहुत धक्का लगा और वे बहुत भयभीत हुए कि हिटलर के फासेस्टवादी शासन में ऐसा जनसंहार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की महसभा में एक वक्तव्य में यह कहा गया था—

"अंतर्राष्ट्रीय कानून में नरसंहार एक अपराध है और समूचा सभ्य जगत उसकी निंदा करता है और यह नरसंहार करने वाले और इस दुष्कृत्य में सहयोग देने वाले दंड के पात्र हैं।"

9 दिसम्बर 1948 की संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने जातिसंहार पर रोक और उसके लिए दंड संबंधी अभिसमय का अनुमोदन किया। 1960 तक 64 देशों ने इस अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया था। मैं यह पता नहीं लगा पाया कि क्या भारत और श्रीलंका ने भी उस समझौते पर हस्ताक्षर किया है या नहीं लेकिन मेरा अनुमान है कि भारत भी उस समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक है। श्रीलंका के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरा अनुमान है कि उस पर हस्ताक्षर करने वाले 64 देशों मे श्रीलंका का नाम भी है। दिलचस्प बात यह है कि उसमें स्पष्ट कहा गया है कि :

"नरसंहार ऐसा मामला नहीं है जो अनिवार्यत: उस देश के घरेलू क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है जहां यह नरसंहार हो रहा हो।

7.00 म०प०

वह देश यह दावा नहीं कर सकता कि यह आंतरिक अथवा स्वदेशी क्षेत्राधिकार का मामला है। अगर इसे नरसंहार समझा जाये तो यह अन्तर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है और कोई भी करार पर हस्ताक्षर करने वाला देश संकुचित राज्य भी इसका अर्थ है कोई भी देश जो उस सम्मेलन का पक्षकार है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के तहत उचित कार्यवाही करने और हस्तक्षेप करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील कर सकता है। मैं इस बात की याद मंत्री जी को दिलाता हूं कि इस बारे में प्रत्येक व्यक्ति की यह आम शिकायत है और मैं भी यह शिकायत करूंगा कि इस विषय को लाने के लिये संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र और अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटियों के तहत भी सरकार के समक्ष कई तरीके हैं, पर उनका उपयोग नहीं किया गया है उपाय हैं मैं नहीं जानता, क्या मानव अधिकार आयोग के समक्ष इस नरसंहार के मामले को नहीं रखा जा सकता। इस बात को हमारे पास उपलब्ध, तथ्यों, आंकड़ों और दस्तावेज से साबित किया जा सकता है। इनको इस मांग के लिये भी उपयोग में लाया जा सकता है कि नरसंहार के लिये श्रीलंका जिम्मेदार होने की वजह से इसकी निंदा की जानी चाहिये। और हमें संयुक्त राष्ट्र से पूछना चाहिये कि इस विषय में हस्तक्षेप करने के लिये वे क्या कर रहे हैं और हस्तक्षेप न करने के लिये क्या कारण हैं जबकि भारत सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया है। प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है क्यों नहीं किया गया है ?

ऐसी बात नहीं है कि हम अपने आप को अपराधी समझें क्योंकि हमारा राष्ट्र काफी बड़ा है और हमारे पड़ौस में काफी देश लगे हुए हैं, इसलिये हम कुछ भी करें तो यह समझा जा सकता है कि हम छोटे राष्ट्रों पर हावी होने या उन्हें धमका रहे हैं, निश्चय ही, मैं सैनिक हस्तक्षेप के पूर्णत: विरुद्ध हूं। मैं इस प्रकार की किसी भी मांग से सहमत नहीं हो सकता। मैं इसके एकदम विरुद्ध हूं। मेरा दल इस बात के खिलाफ है। मुझे ऐसा प्रस्ताव कहीं से नहीं मिला। तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में अखिल भारतीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा चार दिन पहले प्रधान मन्त्री जी को दिये गये अभ्यावेदन की प्रति मेरे पास है। (व्यवधान) इसमें मुझे ऐसा कोई भी प्रस्ताव नजर नहीं आया। परन्तु मुद्दा यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर इस विषय को उपयुक्त तरीके से लिया जाना और यह मांग करना कि उचित कार्यवाही की जाये तो यह ऐसा कुछ नहीं है जिससे ऐसा लगे कि हम एक बड़ा देश होने के नाते श्रीलंका जैसे एक छोटा राष्ट्र को कुछ कह रहे हैं। इस मामले में इजराइल एक छोटा देश है। यह सभी प्रकार की बर्बरता और क्रूरता कर रहा है और

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित सभी संकल्पों का उल्लंघन कर रहा है, इजरायल की निंदा की जानी चाहिये। इजरायल यह दावा नहीं कर सकता कि छोटा राष्ट्र होने के नाते इसे इस प्रकार की छूट दी जानी चाहिए। यह एक बात है जिस पर मैं जानना चाहूंगा कि सरकार हमें बताये कि वे इसे कर रहे हैं अथवा नहीं।

किसी भी हालत में, मेरे विचार में उन युवकों को जिन्होंने अस्त्रों का सहारा लिया है—हम उन्हें आतंकवादी मुक्ति सेनानी या तमिल टाइगर्स कुछ भी कहें इन्हें निश्चित रूप में दूसरे पक्ष के लोगों के बराबर नहीं माना जा सकता।

सरकार के वर्दीधारियों, देश की फौजों, द्वारा संगठित तौर पर उग्रवाद और हत्या करने की कुछ मिसालों में से यह एक है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सबसे गन्दे प्रकार का उग्रवाद तथा जंगलीपन कर रहे हैं और सही मायनों में इसे दूसरी तरफ के युवाओं के बराबर नहीं ठहराया जा सकता जिन्हें यह सब कुछ करने के लिए भड़काया गया है और वे ऐसा कुछ कर रहे हैं जिस पर इस समय वह स्वयं नियन्त्रण नहीं कर सकते। परन्तु सरकार उग्रवादियों की हत्या करने और तमिल समुदाय का सर्वनाश करने पर तुली हुई है। और वह आतंक फैला रही है। मेरे विचार में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तमिल टाइगरों अथवा उग्रवादियों—मैं ऐसा निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि एक भी घटना नहीं हुई है—लेकिन मैं यह स्पष्ट कह सकता हू का निशाना आम सिंहाली नागरिक नहीं है। पुलिस अथवा फौजी लोग या ऐसे ही अन्य लोग उनका निशाना हैं। इन लोगों पर वे हमला करते हैं। हो सकता है आप इससे सहमत ना हों परन्तु दूसरी ओर के लोग तमिलों की आम जनता का बुरी तरह से कत्लेआम कर रहे हैं। दोनों को सम्भवत: एक जैसा नहीं कहा जा सकता। महोदय, अब इस शिष्ट मण्डल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह बातचीत द्वारा समझौता करने के लिए सभी संभव कदम उठाये। इसके अतिरिक्त उन्होंने हालांकि इस नरसंहार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय राय बनाने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त शिष्ट मण्डल की मांग की है। यह एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका सरकार को उन क्षेत्रों से जिनमें श्रीलंका के तमिल बसे हुए हैं फौज को वापस बुला लेना चाहिए और इसके राजनीतिक हल आदि के लिए कोशिश करनी चाहिए। मेरे युवा मित्र, श्री कुमारमंगलम ने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं यहां विरोध प्रकट करता हूं। इस समय वह यहां नहीं है। अगर मैंने ठीक से उन्हें सुना है तो उन्होंने यह आरोप लगाया है कि श्रीलंका की सभी पार्टियां, दोनों सरकारी पार्टियां तथा सभी विरोधी पार्टियां लोकप्रियता पाने के लिए तमिलों के विरुद्ध सिंहालियों की अन्ध देश भक्ति को भड़काने में एक दूसरे के साथ स्पर्धा में लगी हुई हैं। यह वास्तव में ठीक नहीं है। उन्हें शायद मालूम नहीं हैं। और मैं इसे उनकी अज्ञानता समझकर कुछ नहीं कहना चाहता।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यहां तक कि उनके पिताजी भी ऐसा नहीं कहते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे पास यहां एक श्रीलंका में जारी की गई संयुक्त अपील है जिस पर बर्नार्ड सोयसा, महासचिव, लंका समासमाज पार्टी, के० पी० सिल्वा, महासचिव, श्रीलंका की कम्युनिस्ट पार्टी तथा विजय कुमारतुंग, महासचिव, श्रीलंका महाजन पार्टी ने हस्ताक्षर किये हैं। ये सभी विरोधी पार्टियां हैं। श्रीलंका में रहते हुए इन्होंने यह अपील जारी करने की हिम्मत दिखाई है तथा अपने कथन में यू० एन० पी० सरकार की कड़ी निन्दा की है। और उन्होंने यह कहा है:

"अनुभव दर्शाता है कि बहुकोणीय संकट जिससे हमारे देश के लोग अब घिरे हुए हैं, इसका मूल कारण यू० एन० पी० सरकार है तथा इस संकट के किसी लोकतांत्रिक समाधान अथवा कोई समझौता करने में मूल अड़चन है।"

उन्होंने यह भी कहा है—

"स्थिति को और बिगाड़ने के लिए, भारत के विरुद्ध व्यवस्थित रूप से एक अभियान चलाया जा रहा है जिससे हमारी स्वयं की सुरक्षा खतरे में पड़ गयी है, पुराने पड़ोसी सम्बन्धों में जो हमारे दो देशों के बीच ये दरार डाल दी है, धर्म-निरपेक्ष आन्दोलन को आघात पहुंचाया है तथा अमरीका और दूसरी साम्राज्यवादी ताकतें जो हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनने से रोकने के लिए भरपूर कोशिश में हैं, की सहायता की है।"

और इसके बाद उन्होंने कहा—

"अतः हमारी पार्टियां देश के सभी भागों से उठ रही इस मांग का स्वागत तथा समर्थन करती है कि सरकार तथा हथियार बन्द युवा ग्रुप तुरन्त युद्ध बन्द करने की घोषणा करें। इस युद्ध को बन्द कराने के लिए तथा श्रीलंका की सरकार और तमिल दृष्टिकोण के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों जिसमें हथियार बन्द युवा ग्रुप के भी प्रतिनिधि हों के मध्य एक सीधी वार्ता के लिये शर्तें तय करने के लिये किसी भी इच्छुक पार्टी, देश को अथवा विदेश की, के प्रभाव का तुरन्त सहयोग लेना चाहिये।"

अतः यह कहना, कि श्रीलंका की सभी पार्टियां जयवर्धने के इस नरसंहार का समर्थन करती है, बिल्कुल ठीक नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मेरे विचार में इस चर्चा के लिये यह लाभप्रद होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : आपका 'सुनो, सुनो' कभी भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाता.....।

उपाध्यक्ष महोदय : बिना अनुमति के अगर वह बोलेंगे तो मैं उसको कार्यवाही वृतांत में शामिल करने की अनुमती नहीं दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस समय ऐसा लगता है कि श्री जयवर्धने—राष्ट्रपति जूलियस जयवर्धने—जो कि एक बौध राष्ट्र के इसाई राष्ट्रपति हैं—वार्ता के द्वारा समझौता करने के लिए चिंतित नहीं हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हमारे देश में भी इससे मिलते जुलते लोगों के उदाहरण हैं जो व्यक्तिगत रूप से कुछ कहते हैं और फिर ऐसी उग्रवादी ताकतों के दबाव से सार्वजनिक तौर पर ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। मुझे नहीं मालूम कि कहीं उनकी स्थिति ऐसी ही तो नहीं है। लेकिन वह यह भी चाहते हैं कि श्रीलंका को पश्चिमी छत्र के नीचे सुरक्षा मिलें। क्योंकि इससे उनको सहायता मिलेगी। अगर वह यह कहानी पर विश्वास कराने में सफल हो जाते हैं कि छोटे से व गरीब श्रीलंका की सुरक्षा को भारत से जिसकी बस यही इच्छा है और देश पर आक्रमण करने का इन्तजार कर रहा है, खतरा बना हुआ है। आपको याद होगा कि वह यह कहते रहते थे कि "हमारे ऊपर भारत किसी भी दिन आक्रमण कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो हम अपने खून की अन्तिम बूंद तक लड़ेंगे तथा इस प्रकार की अन्य बातें भी कहते रहे हैं।" एक वर्ष पूर्व भी उन्होंने अपने एक कथन में कहा था कि "इससे उनको बाहर से हथियार प्राप्त करने में, विदेशों से आर्थिक सहायता लेने में, सेना तथा पुलिस के सलाहकार मंगाने में, गुप्त सेवाएं

संबन्धी सलाहकार इजरायल जैसे राष्ट्रों से प्राप्त करने और अगर आवश्यक हो तो विदेशी फौजें भी प्राप्त करने में मदद मिलती है।" उन्होंने श्रीमती थैचर से कहा है कि आवश्यक होने पर वह उनके अनुरोध पर सहानुभूति पूर्वक रुख अपनावे। और उन्हें उनकी आवश्यकता है क्योंकि हिन्द महासागर के बीच में स्थित यह एक सामरिक चौकी है। अगर आप नक्शे को देखें तो आप श्रीलंका की महत्वपूर्ण स्थिति को देखेंगे और एक बात आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं, जब तक कि कोई करिश्मा न हो जाये, कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए 1986 में जो सम्मेलन फिर होने वाला है, कोलम्बो में नहीं होगा। यह कोलम्बो में नहीं हो सकेगा और अमरीका की वास्तव में रुचि होगी कि ऐसी स्थिति चलती रहे ताकि यह कहना संभव हो सके कि वहां पर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कराना असंभव है। पहली दो कोशिशें वहां पर सम्मेलन कराने की अमरीका द्वारा विफल कर दी गई थीं। यह सभी को विदित है।

उसके बाद त्रिनकोमाल्ले के बारे में मैं नहीं जाना चाहता। बहुत बार इसे सदन में उठाया गया है। इन सारी योजना का विशेष प्रयोजन है। जिसमें एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर वहाँ पर अमरीका द्वारा स्थापित किया गया है और ऐसी अन्य बातें हैं, एक विशेष स्थिति है। अतः जो हो रहा है उस की सारी पृष्ठभूमि में यही बात है कोई भी इसे समझ सकता है अगर ऐसा कुछ कमजोर करने के लिए हो रहा है तो यह बहुत ही गम्भीर बात है और एक बहुत ही खतरनाक समस्या है तथा जिससे हमारी स्वयं की सुरक्षा पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

महोदय, भारत-विरोधी अभियान इस प्रकार का है—आप इसे यहां पर महसूस करेंगे—मेरे पास यह लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा 20 फरवरी, 1985 को श्रीलंका की संसद में दिये गए भाषण की प्रति है तथा सब जगह जिसका वह गीत गाते रहते हैं। वह अन्तर्राष्ट्रीय उग्रवादी शक्तियों की रट लगाये रखते हैं और कहते हैं कि तब तक समस्या का हल नहीं हो सकता है जब तक कि पहले उग्रवाद को समाप्त नहीं कर लिया जाता जिसका अर्थ है तमिलों का सफाया। यही सब कुछ है जो वे चाहते हैं।

> "श्रीलंका सरकार ने बहुत से अवसरों पर भारत सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं जो इस बात के सबूत हैं कि श्रीलंका में कार्यरत उग्रवादियों को भारत में स्थित शिविरों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। हमने यह भी शिकायत की है कि इस आंदोलन के नेता भारत में रहते हैं और भारत से आपस में मिलकर इन गतिविधियों का संचालन करते हैं।"
>
> यह एक दूसरा झूठ है। सभी पार्टियां इस बात से सहमत नहीं हैं।
>
> "भारत सरकार ने इस बात से इन्कार किया है कि उग्रवादियों को भारत स्थित शिविरों में प्रशिक्षित किया जाता है और यह कि वे यहां से कार्य करते हैं और हथियारों के साथ श्रीलंका पहुंचते हैं। हमने एक संयुक्त निरीक्षण क्षेत्र का सुझाव दिया है जिससे भारतीय भूमि से श्रीलंका में घुसने वालों को रोका जा सकेगा। इस निरीक्षण से श्रीलंका से भारत में आने वाले शरणार्थियों को भी रोका जा सकेगा। भारत को इस से एतराज ही क्या है?"
>
> तब वह कहते हैं:
>
> "इस बात के लिखित प्रमाण-मौजूद हैं कि दक्षिण भारत में सत्ता प्राप्त कुछ अधिकारी एक समान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रीलंका के तमिल उग्रवादियों को संगठित करने के लिए जिम्मेवार हैं।"

ये सारी बातें भारत-विरोधी प्रचार अभियान है।

"हमें अपने को अन्तर्राष्ट्रीय उग्रवादियों से सुरक्षित रखना है। परन्तु व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के साथ उग्रवाद से सुरक्षित रहना बहुत ही कठिन है। अगर आप उग्रवाद को दबाना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर अधिक ध्यान नहीं दे सकते। हमें उग्रावाद के खिलाफ लड़ना है और हमारे पास जितने संसाधन हैं उनके साथ इसे शिकस्त देनी है। हमें विकास और सामाजिक तथा आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं की कीमत पर अपने आपको इसके लिए तैयार करना पड़ सकता है। आओ हम मिलकर ऐसा करने का निर्णय लें और एक देश तथा एक व्यक्ति के रूप में इस कार्य को करने में जुट जायें।"

किसी सदस्य ने ठीक ही जिक्र किया था कि पाकिस्तान के दौरे पर उन्होंने संयुक्त बयान पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हस्ताक्षर किये हैं। अत: मुख्य बात यह है कि उग्रवाद का किस प्रकार से मुकाबला किया जाए। 'उग्रवाद' शब्द अब एक मुहावरा बन गया है। भारत को एक दोषी पार्टी के रूप में देखा जाता है। भारत उग्रवादियों को शरण देता है, उग्रवादियों को संगठित करता है, उग्रवादियों को प्रशिक्षण देता है और यहां से उन्हें श्रीलंका भेजता है।

मुझे पूरा विश्वास है कि सारे संसार में, विश्व के बहुत से राष्ट्रों में, जितना हम अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं उससे भी अधिक जोरों से वह इसका प्रचार कर रहे हैं। यद्यपि मेरे विचार में इस भारत-विरोधी प्रचार का मकसद केवल हमें उकसाना है। और मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि हमें भड़कना नहीं चाहिए। हमें ऐसी गलत कदम उठाने वाली बातों में नहीं आना चाहिए जिससे बाहरी ताकतों को और हस्तक्षेप करने में मदद मिले जैसा कि वे करना चाहते हैं। वे चाहेंगे कि हम कुछ करें जिससे उन्हें सारे विश्व में शोर मचाने का मौका मिले कि भारत आक्रमक है, भारत यह कर रहा है, भारत वह कर रहा है और इसलिए सारे संसार के लोग श्रीलका की सहायता करने के लिए आगे आयें। हमें इससे सतर्क रहना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम शांत होकर बैठे रहें और पॉक स्ट्रेटस के आसपास के भारतीय मछुआरों को जब कभी भी तंग किया जाये, उन पर हमला किया जाये या यहां तक कि भारत की समुद्री सीमा क्षेत्र में उनकी हत्या हो, और जैसा कि कच्चाथीवू में हो रहा है तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी न करें। संधी के अनुसार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा जल क्षेत्र कौनसा है और उनका जल क्षेत्र कौनसा है। अत: मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे तट-रक्षक, जल-सेना और ऐसे संगठन इन भारतीय मछुआरों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में अधिक कारगर, कुशल तथा सतर्क क्यों नहीं हो सकते। निश्चित रूप से हम ऐसा कर सकते हैं। यह हमें पूरा अधिकार है कि अगर कोई हमारे जल क्षेत्र में गोली चलाता है तो अवश्य ही हम उसका प्रतिकार कर सकते हैं। कोई भी हमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। अत: महोदय मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक समझौता, वास्तव में, जरूरी है, यद्यपि यह इस समय दूर के ढोल सुहावने जैसी स्थिति है। परन्तु इस राजनीतिक समझौते के लिए वार्ता तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक कि लड़ाई समाप्त न हो जाये और लड़ाई समाप्त नहीं हो सकती जब तक कि जयवर्धने सबसे पहले अपनी सेना को वापस नहीं बुला लेते। उत्तर और पूर्व के तमिल बाहुल्य क्षेत्रों से सेना को वापस नहीं बुलाते। केवल तभी, दूसरे लोग इन युवाओं, उग्रवादियों, टाइगरज पर हावी हो सकते हैं और कुछ समय के लिए एक तरह का अस्थाई युद्ध विश्राम रखें। आप उनसे पहले हथियार डालने की

आशा नहीं रख सकते जबकि सेना पागलों की तरह से उन्हें कुचलने के लिए सभी स्थानों पर घूमरही है भारत सरकार इस दिशा में क्या कोशिश कर रही है इसकी मुझे जानकारी नहीं है । मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री ने जो यह सलाहकार ग्रुप बनाया हैं इसका क्या काम होगा और क्या यह एक ग्रुप है भी या नहीं ? मुझे इसकी जानकारी नहीं है । हालांकि सलाह देने हमेशा लोग उनके पास होते हैं परन्तु इस सलाह के लिए अगर वह दूसरी पार्टी के नेताओं तथा राजनीतिक दलों एवम् विरोधी दलों से सलाह-मश्वरा लेना चाहे तो मेरे विचार में यह बुरा ख्याल नहीं है । हमारी सलाह लेना उनके लिए आवश्यक नहीं है । परन्तु कम से कम हमें विशेषतौर पर उन दलों को जो तमिलनाडु में मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिदिन उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें सुनाना चाहिए । मुझे शिविरों में रह रहे शरणार्थियों की दशा के बारे में जानकारी नहीं है और मुझे विश्वास और आशा है कि तामिलनाडु सरकार इस काम में पूरी सहानुभूति तथा समर्थन के साथ उन शिविरों में जहां शरणार्थियों को रखा गया है अवश्य ही पर्याप्त प्रबंध कर रही होगी ताकि उन्हें खाने अथवा आवास कपड़ों और बच्चों के लिए दूध इत्यादि अन्य किसी भी चीज की कमी न हो । जब तक वह समझौता नहीं होता वास्तविकता का सामना करना हमारे लिए बेहतर होगा । वास्तविकता क्या है ? शरणार्थी अधिक संख्या में आयेंगे । क्या आपको याद है बंगलादेश से कितने शरणार्थी भारतीय सीमा में, ज्वार-भाटे के वेग की तरह घुस आये थे, यहां पर बीच में जल होने के कारण यह मुश्किल हो गया है ।

अगर वहां पर जल सीमा न होती और अगर वहां पर भूमि सीमा होती, मैं नहीं बता सकता कि अब तक कितने लाख लोग यहां आ गये होते । लेकिन वे आ जायेंगे । उन्हें यहां आना पड़ेगा और हमें उन्हें आश्रय और सहायता देनी पड़ेगी । जब तक यह समझौता नहीं होता और लोग अपने देश वापस जाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो जाते तब तक दूसरा कोई अन्य उपाय नहीं । यही बंगलादेश में हुआ था । परन्तु मैं सदन को याद कराऊं कि हमारी सेना ने तब तक बंगलादेश के अन्दर हस्तक्षेप नहीं किया जब तक हमारी पश्चिम सीमा पर हमला नहीं किया गया था । याहिया खां की फौजों ने जब हमारी पश्चिमी सीमा पर आक्रमण कर दिया था केवल तभी हमने अपनी फौजों को बंगलादेश में भेजने का निर्णय लिया था । उस समय तक हम बंगलादेश के अन्दर नहीं घुसे थे । हम बस सीमा के पास इन्तजार कर रहे थे । बंगलादेश के लोगों ने भी पाकिस्तान की सेना के भयावह जुल्म सहे थे । आपको ये सब याद हैं ।

अत: मेरे पास और अधिक कहने के लिए कुछ नहीं है । मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सरकार से जाननी चाहते हैं और सरकार से पक्का आश्वासन चाहते हैं कि राजनयिक गतिविधियों के अतिरिक्त जिनके संबंध में हमें अधिक विश्वास में नहीं लिया जाता है—श्री भंडारी की वहां क्या बातचीत हुई, और उसका क्या नतीजा निकला, जहां तक सरकार को मालूम है,—वे उस बातचीत के आधार पर अथवा श्री पार्थासारथी की पूर्व कोशिशों और अन्य बातों को ध्यान में रखकर उचित स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं । लेकिन हम एक ऐसा राजनयिक तथा राजनीतिक रूप से प्रचार चाहते हैं लेकिन वह ऐसा ही जिससे हमें बिलकुल किसी अप्रिय अथवा कठिन स्थिति में न पड़ना पड़े । मैं नहीं चाहता कि राष्ट्र पति जयवर्धने सारे संसार में जाकर अथवा अपने दूत संसार में भेजकरयह प्रचार करें कि हम अन्तर्राष्ट्रीय उग्रवाद के सबसे बड़े समर्थक हैं, जबकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं । अगर हम

सावधान नहीं रहे तो श्रीलंका एक दूसरा लेबनान अथवा साइप्रेस बन जायेगा। एक बहुत बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय चाल चली जा रही है। आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा जो कुछ ही वर्षों में साइप्रेस में हुआ : किस तरह से इसका विभाजन हो गया तुर्की अधिकार वाला क्षेत्र और बाकी का वैसे ही छोड़ दिया गया जैसे पहले था, और वेइस के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते; या गत तीन वर्षों में लेबनान में क्या हुआ है। श्रीलंका को वैसा बनाने में कोई भी बाधा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इसके बाद हमारे तटों से कुछ ही मील दूर यह एक हमारे लिए हमेशा का कांटा बन जायेगा।

अतः हमारे अपने तथा हमारे वहां के तमिल भाई और बहनों के समान हित में मुझे आशा है कि सकार अधिक सक्रिय होगी अगर वह सक्रिय और उत्सावर्धक कदम उठाती है और हमें विश्वास में लेती है तो सारा देश उसका समर्थन करेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : सभा को श्रीलंका में उन तमिल भाषियों के प्रति सर्वसम्मति से गहरी सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिये जिन्हें वहां की सरकार की सेना सता रही है। सभा में मुझ से पूर्व वक्ताओं ने इस सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं।

हम इस समय भारत श्रीलंका के सम्बन्धों के इतिहास में एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। मैं अपने प्रधान मन्त्री, भारत सरकार तथा विदेश मन्त्रालय की इस बात के लिये प्रशंसा करता हूं कि आज की स्थिति को देखते हुए वे श्रीलंका में हमारे तमिल भाषी भाईयों के हितों की सुरक्षा के लिये बातचीत द्वारा शान्तिपूर्ण समझौते के लिये भरसक प्रयास कर रहे हैं।

इस समस्या के समाधान के बारे में सोचने से पहले, हमें इस समस्या की पृष्ठ भूमिका पर विचार करना चाहिए जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस सभा के समक्ष चित्रण किया है। श्री जय वर्धने की श्रीलंका सरकार दुर्भाग्य से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के हाथों खेल रही है जिसके कारण अब यह महा शक्तियों की अन्तर्राष्ट्रीय कूट चालों का शिकार हो रही है। आज श्रीलंका कतिपय महाशक्तियों की विशेष रक्षा अधिग्रहण निधि का लाभभोगी बना हुआ है। और वे श्रीलंका में अत्याधुनिक खुफिया सूचना एकत्रण पद्धति का निर्माण कर रही हैं। श्रीलंका के साथ संयुक्त चौकसी का कार्य महासागरीय क्षेत्रों के समीप किया जा रहा है। श्रीलंका ने वहां संयुक्त चौकसी के सम्बन्ध में भारत के साथ परामर्श नहीं किया है अतः सैनिक दृष्टि से जैसे पश्चिमी मोर्चे की सीमाओं पर खतरा पैदा हो गया है श्रीलंका भी एक सुरक्षा समस्या बन गया है। इस प्रकार अनजाने ही श्रीलंका महा शक्तियों की कूटनीति के कारण उन के हाथों में खेलता रहा है। जिसके कारण भारतीय क्षेत्र के लिये यह सुरक्षा की दृष्टि से खतरा पैदा कर रहा है। अतः आज श्रीलंका के तट से लेकर द्वारका तक समूचे क्षेत्र का सैन्यकरण कर दिया गया है। अतः हमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना होगा कि श्रीलंका भारत के लिये सैनिक समस्या बन गया है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक तमिल भाषियों की समस्याओं का सम्बन्ध है, स्थिति को देखते हुए कोई समाधान नजर नहीं आ रहा और हम इस समय संघर्ष की स्थिति नहीं चाहते। अतः हमारे मन्त्री महोदय और प्रधान मन्त्री ने यह सुझाव दिया है कि हमें उनके साथ बातचीत द्वारा शान्तिपूर्ण समझौते का प्रयास करना चाहिये जिसके अन्तर्गत सर्वप्रथम तो श्रीलंका सरकार और तमिल भाषियों के बीच युद्ध विराम लागू किया जाना चाहिये जो श्रीलंका की सेना के आक्रमण से बचने के लिये उसका मुकाबला कर रहे हैं। अतः हम मन्त्री महोदय से यह जानना चाहते

हैं कि जब हमारे मछुआरों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और वे अपनी ही जलसीमा में मछली पकड़ने नहीं जा सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिये कौन से कदम उठाये गए हैं ? श्रीलंका से शरणार्थियों का भारत में आना बन्द हो जाये। यह सुनिश्चित करने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं अब श्रीलंका से आये शरणार्थियों की संख्या एक लाख हो गई है। अतः हम चाहते हैं कि हमारे मन्त्री महोदय उठाये जाने वाले उपायों पर प्रकाश डालें क्योंकि उन्होंने सभा में एक बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया है। समस्या को और आगे गम्भीर न होने देने के लिये श्रीलंका के साथ बातचीत द्वारा शान्तिपूर्ण समझौते की दिशा में उठाये जाने वाले निश्चित कदमों के बारे में हमें जानना चाहते हैं।

आज हम यह देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय महाशक्तियां हमारे पड़ोसी देशों को यह बताने का प्रयास कर रही हैं कि भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ सर्वदा एक बड़े भाई का सा व्यवहार करता है और वे सुनिश्चित करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत की दोनों सीमायें- पश्चिमी सीमायें और हिन्द महासागर की सीमाओं पर अशान्त स्थिति पैदा हो जाए, वे चाहते हैं कि भारत को एक प्रकार के संघर्ष में उलझा दिया जाये ताकि श्रीलंका अपनी सेनाओं को तैनात करने के लिये ले आये और तब पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर आक्रमण करने का प्रयास करेगा। जहां तक श्रीलंका के बारे में सैनिक कार्यवाही का सम्बन्ध है, हमें आगे कार्यवाही करने से पहले इन घटनाओं की ओर ध्यान देना होगा। क्या श्रीलंका की सरकार के साथ बातचीत के दौरान आपको कोई ऐसा रचनात्मक संकेत मिला है कि वे श्रीलंका की सेना के हमलों का मुकाबला करने के लिये स्वयं को संगठित करने वाले इन तमिल भाषियों की समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान करना चाहते हैं ?

जब वियतनाम का विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महाशक्ति अमरीका से युद्ध चल रहा था तो मैं वहां गया था। उन दिनों में मैंने वहां उस महाशक्ति की पराजय के स्पष्ट चिन्ह देखे थे। उन दिनों में वहां सम्राट 'बाओ दाई' का साम्राज्य था। 'बाओ दाई' का शासन दिन में और 'हो चिमिन' का शासन रात में चलता था अतः श्रीलंका सरकार का यह कर्तव्य है कि अपने दृष्टिकोण को उदार बनाये क्योंकि उन्हें हमसे सबक लेना चाहिए। हम भी अपने देश में समस्याओं का सामना कर रहे है। किन्तु हम अपने दृष्टिकोण को उदार बना रहे हैं क्योंकि हमारा एक लोकतन्त्र देश है। विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे किसी भी समाज अथवा देश में आन्तरिक संघर्ष और विरोधाभास मौजूद रहते हैं। किन्तु इन आन्तरिक विरोधाभासों का लोकतान्त्रिक ढग से समाधान किया जा सकता है। साम्यवादी समाजों में इन आन्तरिक विरोधाभासों का अनुशासनात्मक ढंग से समाधान किया जाता है। विकास की इस प्रक्रिया के दौरान अनेक समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं और इन आन्तरिक विरोधाभासों के लिये हम लोकतान्त्रिक ढंग से समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और, इसी प्रकार चूंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, हमें उन्हें यह बताने का प्रयास करना चाहिए कि वे आज जिस जातीय समस्या का सामना कर रहे हैं उसका लोकतान्त्रिक ढग से समाधान खोजें। जयवर्धने सरकार इस समस्या का कभी भी सैनिक समाधान नहीं कर सकेगी, मैंने वियतनाम के उन दिनों को देखा है। जयवर्धने सरकार कभी भी युवा व्यक्तियों युवा तमिल भाषियों को, जो सेना के आक्रमणों का सामना कर रहे हैं, दबाने से सफल नहीं होगी। मैं यह कहता हूं कि इतिहास भी यही बताता है। श्रीलंका सरकार को इस प्रकार की स्पष्ट बातों को समझना चाहिए और इसे समूची समस्या के समाधान करने में विलम्ब नहीं करना चाहिये। यदि वे समस्या के समाधान में विलम्ब

करेंगे तो युवा तमिलभाषी, जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिये हथियार हाथ में लिये हैं सफल हो जाएंगे और अन्ततः 'ईलम' की स्थापना हो जायेगी। यह इतिहास के सबक हैं जिन्हें उन्हें सीखना चाहिये। अतः अब समय आ गया है जब श्रीलंका सरकार को बातचीत के द्वारा हल निकालने के लिये उपाय खोजने चाहिए। अतः मैं उनसे तथा अपनी सरकार से जोरदार शब्दों में अपील करता हूं कि श्रीलंका तथा अन्य स्थानों पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिमत तैयार करे और हमें विश्व के सभी देशों की राजधानियों में यह जन अभिमत बनाना चाहिए कि श्रीलंका की सरकार अपने यहां की तमिल जाति की जनसंख्या को दबाने का प्रयास कर रही है और उसका पूरी तरह विनाश कर देना चाहती है।

अतः मैं यह निवदेन करना चाहता हूं कि हम जितना विलम्ब करेंगे समस्या और जटिल हो जाएगी। अतः हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या श्रीलंका से इस दिशा में कोई रचनात्मक संकेत मिले हैं। हमें इस बात का भी प्रयास करना चाहिये कि इस समस्या का समाधान हो, श्रीलंका सरकार ही किसी समाधान का प्रस्ताव करे। यदि इस प्रकार की धारणा कि हम बड़े भाई की तरह व्यवहार करना चाहते हैं, बनी रहती है तो तब श्रीलंका सरकार इस प्रकार के दृष्टिकोण का लाभ उठायेगी और हमें एक कठिन सैनिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में श्रीलंका किसी महाशक्ति का अड्डा बन जायेगा और महशक्तियां परस्पर प्रतिस्पर्द्धा के कारण भी हमारे देश की सुरक्षा को कमजोर करने के लिये श्रीलंका सरकर की सहायता करेगी। अतः इस समस्या पर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा बातचीत के माध्यम से एक शान्तिपूर्ण समझौते के लिये शीघ्र प्रयास किये जाने चाहिये। यह समस्या श्रीलंका में तमिल भाषियों की समस्या है। जैसा कि हमारे मित्रों ने संकेत किया है इस समस्या का हमारे देश पर भी प्रभाव पड़ेगा। तमिल नाडु श्रीलंका के समीप है इसकी दूरी केवल 25 किलोमीटर है और आशा है कि प्रधान मन्त्री द्वारा गठित विशेष परामर्शी समूह के माध्यम से शीघ्र ही समाधान निकल आयेगा। यह सही दिशा में किया गया एक अच्छा कदम है। मुझे आशा है कि दो तीन महीनों में इस मामले को शान्तिपूर्वक ढंग से निपटाने के लिए कुछ कदम उठाये जाएंगे।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के हमारे माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा माननीय प्रधान मन्त्री को भेजे गये ज्ञापन के कारण श्रीलंका के सम्बन्ध में हो रही बहस में मुझे भाग लेते हुए खुशी हो रही है। मैंने उस ज्ञापन को पढ़ा है। मुझे यह ज्ञापन व तारीख को विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की तरह लगा।**...

श्री पी० कुलनवईवेलू : माननीय सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिये। व्यवधान)

डा० एस० जगत रक्षकन (चिंगलपट्टू) : भारतीय साम्यवादी (मार्कसवादी) दल, भारतीय साम्यवादी दल सहित अन्य दल इससे सहमत थे।

श्री पी० कुलनवईवेलू : वे ऐसा कैसे कह कहते हैं? यह सभी से सम्बद्ध मामला है।

एक माननीय सदस्य : यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० कलानिधि, आप को चाहे ज्ञापन पसन्द हो अथवा न हो, आप इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। इस प्रकार का कोई आरोप न लगायें।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा० एस० जगत रक्षकन : कृपया उस शब्द को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दें। सभी दलों ने उसमें भाग लिया था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिये तो कह रहा हूं, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूं।

उन्हें भाषण पसन्द है या नहीं, यह नितान्त भिन्न बात है। किन्तु ऐसी बात करना आरोप लगाना है (व्यवधान)

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली (मद्रास दक्षिण) : हमसे यहां छोटे भाषण देने के लिए कहा जाता है (व्यवधान)

डा० ए० कलानिधि : मैं आपकी कभी आलोचना नहीं करूंगा।

जले पर नमक छिड़कते हुए हमारे प्रधान मन्त्री ने 25 अप्रैल को इस सभा को एक वक्तव्य भेजा है जिसका उद्धरण हमारे अनेक मित्रों द्वारा किया जा रहा है उनमें से श्री कुलनदईवेलू भी है जिन्होंने कहा है कि यह पुरानी बोतल में नई शराब की तरह है। इससे मुझे एक कहानी याद आ गई कि एक पुराने चर्च को गिराकर उसके स्थान पर एक नये चर्च की स्थापना की जानी थी और पुराने गिरजाघर के पत्थरों का प्रयोग एक नये गिरजाघर के निर्माण में किया जाना था। यह वक्तव्य इस सभा में दिये गये अनेक वक्तव्यों का संयुक्त रूप है। अत: मैं यह अनुभव करता हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य सारहीन था और इससे समूचे देश को तथा विशेष रूप से तमिलनाडु की जनता तथा श्रीलंका में तमिल भाषियों को भारी निराशा हुई है। इसमें शब्दों का जाल बुना गया है। अब आपने इस समस्या के हल के लिए एक विशेष सलाहकार दल गठित किया है। यह तो विलम्ब करने की चालें है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से लेकर अब तक हम अन्तहीन समितियों, आयोगों, समूहों को देखते आ रहे हैं किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला है।

उपाध्यक्ष महोदय : गोल मेज कान्फ्रेन्स का भी कोई परिणाम नहीं निकला।

डा० ए० कलानिधि : मैं सीधे आप पर आरोप लगाता हूं कि आप नाजीवादी जयवर्धने को अत्याधुनिक सैन्य उपकरण एवं गोला बारूद एकत्रित करने के लिये समय देना चाहते हैं। अब भी वहां इसरायल की मोस्साद तथा ब्रिटेन की एस० ए० एस० पहले ही पहुंच चुकी है। अब त्रिंकनमाली में महाशक्तियां एक उच्च शक्ति परेषण केन्द्र स्थापित कर चुकी हैं। अब उन्हें समय देकर आप श्रीलंका सरकार को वहां के समस्त तमिल भाषियों के विनाश करने में सहायता दे रहे हैं।

मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि दिल्ली में इस माह आयोजित गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में आपने 'स्वापो' को मान्यता देने में अतिरिक्त चिन्ता और उत्साह का प्रदर्शन किया था और आपने 'नामीबिया' को दक्षिण अफ्रीका से स्वतन्त्र कराने के लिए अन्य देशों से भी अनुरोध किया था। इसके लिए आप संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद से भी सहायता मांग रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आपने 'स्वापो' की मान्यता की याद में एक टिकट भी जारी किया था। 'स्वापो' की तुलना में हमारा महत्व किस प्रकार कम है ? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तमिल भाषी दिल्ली से 1500 मील की दूरी पर रहते हैं। क्या आप यह सोचते हैं कि इस देश में तमिल भाषियों का कोई महत्व नहीं है ? इस देश की स्वतन्त्रता के लिए तमिल भाषियों ने भी अपना रक्त बहाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नामीबिया में आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक दृष्टि से

जनता को सताया जा रहा है और लोगों की हत्या की जा रही है ? वहां केवल जातीय रंग भेद की समस्या है। आपने स्वापो के डा० नाजुमा की सहायता करने का भरसक प्रयास किया है किन्तु आप हमारे तमिल भाषी भाइयों को ही भूल गये हैं।

मुझे दैनिक समाचार पत्रों में वह चित्र देखकर भी आश्चर्य हुआ जिसमें गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक में हमारे माननीय प्रधान मन्त्री यासर अराफात का एक हाथ थामे हुए थे और श्री नटवर सिंह उनका दूसरा हाथ थामे थे। जब यासर अराफात का हाथ थक गया तो विदेश राज्य मन्त्री उनकी सहायता के लिए दौड़े गये। वे अत्यधिक उत्साह दिखा रहे थे। मेरे मन में यासर अराफात के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। मैं उनका आदर करता हूं मैं उनका अभिनन्दन करता हूं। साथ ही जब 'ईलम् मुक्ति संगठन' की बात आती है तो आप उन्हें बिल्कुल भूल जाते हैं। जब उनकी बात आती है तो आप कहते हैं कि वे हिंसक हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पी० एल० ओ० के लोगों के हाथों में गुलाब होते हैं और तमिल भाषियों के हाथ में बन्दूकें और गोलियां होती हैं। किसी भी मुक्ति आंदोलन में थोड़ी बहुत हिंसा तो होती ही है। अतः पी० एल० ओ० तथा इ० एल० ओ० में कोई अन्तर नहीं है। जब आप कहते हैं कि उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया है तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने हिंसा और सैनिक उपाय क्यों अपनाये हैं ? तमिल भाषियों से उनके समस्त अधिकार छीन लिए गये और वे अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके लिए हिंसा के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। पाकिस्तान में जो हुआ था वही वहां हो रहा है जबकि आप कह रहे हैं कि तमिल भाषी उग्रवादी हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिटिश काल में स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान हमने भी हिंसा की थी। भगत सिंह ने हिंसा का सहारा लिया था। महात्मा गांधी को हिंसा कभी पसन्द नहीं थी किन्तु भगत सिंह भारत के इतिहास में अमर हो गये। आप इस बात को न भूलें। मैं पी० एल० ओ० तथा इ०एल०ओ० की तुलना करना चाहता हूं। इसरायल की स्वतन्त्रा के बाद 15 लाख अरबों को मतदान अधिकारों से वंचित कर दिया गया था और अरब देशों में यहूदियों को उपनिवेशवाद का शिकार होना पड़ा था। अरबों की असैनिक जनता पर बम बरसाये गये, उनकी हत्याएं की गई। श्रीलंका में भी यही हो रहा है इसलिये वहां इ० एल० ओ० बना। 1948 में श्रीलंका की स्वतन्त्रता के बाद वहां भी वही बात हुई। तमिल भाषियों से मतदान के अधिकार और वैधिक उपचार के अधिकार वापस ले लिए गये। 10 लाख इस्टेट बर्करों के मतदान अधिकार तथा वैधिक उपचार अधिकार वापस ले लिये गये। असैनिक जनता पर बम बरसाये गये, उनका वध किया गया और धीरे-धीरे तमिल भाषी क्षेत्रों में तमिल भाषियों को उपनिवेशवाद का शिकार होना पड़ा। अतः पी० एल० ओ० तथा इ० एल० ओ० में मूल रूप से कोई अन्तर नहीं है। अतः मैं सरकार से इस विषय पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं।

युगांडा में जो हुआ, अब मैं वह बताऊंगा। जब युगांडा के राष्ट्रपति अदी अमीन थे, उन्होंने गुजरातियों को नोटिस दिया कि वे 24 घण्टे के अन्दर देश छोड़ कर चले जायें। हमारी सरकार ने उस पर गम्भीरता से विचार किया और एक विशेष हवाई जहाज को भेजा और वहां से सभी गुजरातियों को सकुशल यहां लाया गया जबकि तमिल भाषियों के मामले में यदि हमारे छोटे भाई टाइगरों द्वारा नौकाएं भी ली जाती हैं तो आप उनका रास्ता रोक देते हैं। जब ईंधन की कमी के कारण जोर्डन का हवाई जहाज त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर उतरा तो मुझे रात के ग्यारह

बजे इसकी सूचना मिली। मैंने विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री को इस उड़ान को रोकने के लिए तार दिया किन्तु उन्होंने कहा कि यह हथियार तमिल भाषियों को मारने के लिए नहीं ले जाये जा रहे। क्या आपके कहने का अभिप्राय यह है कि वे हवाई जहाज पर लिख देंगे कि यह हथियार तमिल भाषियों को मारने के लिए हैं? मैं यह नहीं समझा कि आपके मन में क्या है? हमारे प्रधान मंत्री ने ईरान और इराक में युद्ध समाप्त करने का भी प्रयास किया और वे दोनों देशों में युद्ध की समाप्ति चाहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है और मैं इसका स्वागत करता हूं। जब वे इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिये अथक प्रयास करते हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि वे पंचशील सिद्धान्त के प्रतिपादक श्री जवाहर लाल नेहरू के नाती हैं। मेरे विचार से आप में तो अमरीकी लोगों-सा साहस भी नहीं है। ग्रेनाडा में मात्र 1000 लोगों को बचाने के लिये उन्होंने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जबकि श्रीलंका में लाखों लोग अत्याचारों के शिकार हो रहे हैं और आप उनके बारे में सोचने का कष्ट भी नहीं करते। मुझे इस बात का बहुत खेद है। विदेश मंत्रालय को मैं यह बताना चाहता हूं कि श्रीलंका भारत का मित्र देश कभी भी नहीं था। मैं आपको जोरदार शब्दों में कहता हूं कि श्रीलंका भारत का मित्र देश कभी भी नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए डियागो गार्शिया को सैनिक अड्डे में परिवर्तित करने के लिए जब अमरीका के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव रखा तो वह श्रीलंका ही था जिसने इस प्रस्ताव का विरोध किया। आपको यह समझना चाहिए। वह श्रीलंका सरकार ही थी जिसने श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा उठाए गए प्रस्ताव का प्रभावी ढंग से विरोध किया। दूसरे, सन् 1971 में बंगलादेश को आजाद कराने के लिए जब भारत तथा पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो श्रीलंका सरकार ने अपने यहां ईंधन के लिए उतरने की अनुमति केवल पाकिस्तान के वायुयानों को ही दी थी। ये भूलिए नहीं। अब उन्होंने हमारे देश में जासूसी करने के लिए त्रिनकोमाल्ले में उच्च शक्ति वाला ट्रान्समीटर लगाने की अनुमति दे दी है। कच्चाथीवु सन्धि की धारा 5 तथा 6 का उल्लंघन किया गया है। मच्छेरों को मच्छली पकड़ने नहीं दी जाती। पिछले 4 वर्षों से पर्यटकों को त्यौहार मनाने के लिए भी वहां नहीं जाने दिया जाता। अन्नाद्रमक के मेरे प्रिय छोटे भाई धनपती जब वहां पर्यटक के रूप में गए, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। हाल ही में त्रिनकोमाल्ले में एक श्री अमृतालिंगम की हत्या कर दी गई। ये अमृतालिंगम वह नहीं है जो तमिल युनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट के नेता हैं परन्तु मैं किसी अन्य युवा मित्र की बात कर रहा हूं। श्रीलंका में एक ब्राह्मण मार्ग है। रस भरे ओंठ तथा चमकीली आंखों वाली सुन्दर ब्राह्मण लड़कियों के साथ, उन्हें उनके घरों से निकाल कर, बलात्कार किया गया, एक बार नहीं बल्कि कई बार, एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि बहुत से व्यक्तियों द्वारा, अन्य लोगों के समक्ष नहीं बल्कि उनके अपने माता-पिता तथा भाइयों के सामने। केवल यही नहीं बलात्कार के बाद उनके स्तन काटकर ब्राह्मणों के जनेऊ में लटका दिए गए। आपका कहने का क्या मतलब है, क्या आपको अभी और प्रतीक्षा करनी है तथा जो उस देश में घिनौनी बातें हो रही हैं उन सभी को देखना अभी और बाकी है? गर्भवती औरतों के पेट को संगीनों से चीर कर गर्भ को निकाल कर, दीवार से मार कर तथा सैनिकों के जूतों की ऐड़ी में लगे बक्सुओं के नीचे उन्हें कुचला जा रहा है। फिर भी आप हमें शान्ति रखने के लिए कह रहे हैं तथा आप चाहते हैं कि हम शान्ति बनाए रखें। हाल ही में जाफना से एक दम्पति को लाया गया। औरत को उसके पति के सम्मुख लिटाया गया। सुपारी के पेड़ की रस्सियों को मिलाकर उसके पैरों को बांध दिया गया। अन्त में सुपारी के पेड़ के सिरों को अलग कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप औरत के दो टुकड़े हो गए।

इन हालातों के बावजूद भी आप हमारे से शान्ति बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। आप अभी भी चाहते हैं कि हम मूक दर्शक बने रहें।

मेरे विचार से केन्द्रीय सरकार के दिमाग में यह डर है कि यदि हम तमिल ऐलाम को मान्यता दे देते हैं तो महाशक्तियां इसका उल्लेख करेंगी तथा इसका खालिस्तान आन्दोलन से मुकाबला करेंगी। यदि कोई महाशक्ति श्रीलंका का मुकाबला खालिस्तान से करती है तो मैं आपको बता देता हूं कि वह मूर्ख है। देश में सिखों को समान अधिकार प्राप्त हैं। वे अपने बच्चों को देश के किसी भी कोने में शिक्षा दिलवा सकते हैं। उन्हें और अधिक अधिकार प्राप्त हैं। वे तमिलनाडु में आ सकते हैं तथा अपनी शैक्षिक संस्था चालू कर सकते हैं। वास्तव में मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में सिखों द्वारा दो स्कूल खोले गए हैं। सिखों द्वारा खोला गया आदर्श विद्यालय मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में है। इस देश में सिखों को हर अधिकार प्राप्त है। वास्तव में वे इस देश में वे दूसरों से भी अच्छे समुदाय की तरह रह रहे हैं तथा वे और भी अच्छे तरीके से रहते हैं। तमिलनाडु में सारी आटोमोबाइल की दुकानें सिखों की ही हैं। इसीलिए खालिस्तान आन्दोलन का श्रीलंका आन्दोलन के साथ मुकाबला करना बेतुका है। इसीलिए आपको इस तरह का डर नहीं होना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार के दिमाग में एक और डर भी है, मैं जानता हूं कि तमिलनाडु के तमिल क्या अलग देश मांगेंगे ? जैसा मेरे प्रिय मित्र श्री कुलनदईवेलु ने उल्लेख किया है कि पार्टी के नेता संस्थापक, महान् अरिगनार अन्ना, ने अलग द्रविड़ का विचार बहुत पहले ही छोड़ दिया था। देश की अखण्डता, एकता, प्रभुसत्ता तथा प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हम इस देश में पहले व्यक्ति हैं। सन् 1971 में पाकिस्तान तथा भारत की लड़ाई के दौरान तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्य मंत्री, डा० करुणानिधि ने 6 करोड़ रुपए दिए, जबकि उत्तर प्रदेश ने, जो देश में सबसे बड़ा राज्य है, केवल 4 करोड़ रुपए दिए थे। यह दर्शाता है कि हम भी देश की अखण्डता बनाए रखना चाहते हैं।

कई लोगों ने हमारे नेता, श्री करुणानिधि के हाल के वक्तव्य को पृथकवादी वक्तव्य के रूप में गलत व्याख्या की है। यह बिल्कुल बेतुका है। उन्होंने कहा था कि अपने जीते जी मैं अपने भाइयों को अलग देश बनाने की अनुमति नहीं दूंगा, यदि आप ऐलाम को अलग होने को या ऐलाम आन्दोलन को मान्यता नहीं देंगे तो मेरी मृत्यु के बाद मेरे भाई इसकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे तथा इसे सहन नहीं करेंगे। परन्तु जब तक मैं जिन्दा हूं मैं उन्हें अलग देश बनाने की अनुमति नहीं दूंगा। मेरे दोस्तों ने इसकी गलत व्याख्या की है।

प्रो० मधु दंडवते : उस दशा में तो उन्हें शाश्वत रहना होगा।

डा० ए० कलानिधि : क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में कुछ गलत बात आ गई है, इसीलिए मुझे यह स्पष्टीकरण करना पड़ा।

मद्रास शहर में आज एक आन्दोलन हुआ था। मेरी पार्टी के 5 हजार लोग गिरफ्तार किए गए। 7 विधान सभा के सदस्य तथा एक विधान परिषद् का सदस्य भी गिरफ्तार हुआ। मेरे प्रिय मित्र श्री एन० वी० सोमु, जो उत्तर मद्रास निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, भी गिरफ्तार हुए। हम न केन्द्रीय सरकार तथा न ही राज्य सरकार के विरुद्ध हैं यह केवल आपको गहरी नींद से जगाने के लिए है, यह केवल केन्द्रीय सरकार को यह महसूस कराने के लिए है कि वे बहुत सो चुके हैं, उन्हें कृपया अब जागना चाहिए तथा तमिलनाडु के लोगों की आवाज को उन्हें सुनना चाहिए। यही हमारी प्रार्थना है।

अन्तिम बात यह है कि बहुत से सदस्य कहते हैं कि हमारा सुझाव क्या है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि हम सबसे पहले श्रीलंका से राजनयिक सम्बन्ध समाप्त कर दें। दूसरे हमें श्रीलंका के साथ आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध समाप्त कर देने चाहिएं ताकि श्रीलंका में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाए तथा जयवर्धने की सरकार को दबाव में आकर भारत सरकार की बात सुनने पर मजबूर होना पड़े। अन्त में, गोली तथा संगीन उठानी चाहिए। इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। जब शरणार्थियों की समस्या से पड़ौसी राज्य जैसे पश्चिम बंगाल तथा भारत के अन्य हिस्से प्रभावित हुए तो तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्णसिंह ने एक वक्तव्य में कहा कि याह्याखान के शासन के कारण ही लोगों को याह्याखान के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ा। इसीलिये बंगलादेश में भारत का हस्तक्षेप करना हर प्रकार से न्यायसंगत था। "बंगला देश को स्वतन्त्र करवा तथा हस्तक्षेप करना भारत के लिए हर प्रकार से न्यायसंगत था।" सरदार स्वर्णसिंह ने ऐसा कहा। इसीलिए तमिल एलाम को स्वतन्त्र कराने के लिए मुझे उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने दीजिए तथा उन्हीं के शब्दों को उद्धृत करने दीजिये।

मंत्री ने आज जो वक्तव्य दिया है मैं उसी में से उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा :

"पूर्वी राज्य से मुसलमानों तथा तमिलों के झगड़ों की परेशान करने वाली खबरें बड़े पैमाने पर आ रही हैं। इससे बहुत बुरी तथा गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण पहले से चली आ रही जटिल समस्या और भी बढ़ जाएगी। लगता है, असुरक्षा तथा अनिश्चितता और बढ़ गई है।" इसमें मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक बताया है कि इसका कारण क्या है!

इस बारे में मैं 27 अप्रैल, 1985 के 'दी हिन्दू' से उद्धृत करता हूं :—

"श्रीलंका की स्वतन्त्र नागरिक समिति ने, जिसने तमिल-मुस्लिम दंगों की जांच की है, कहा है कि विशेष कार्य बल के कुछ इन दंगों में शामिल थे।"

श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्री जे० आर० जयवर्धने को कल प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार कराएटीवु, इरावुर तथा कथानकुडी में दंगों को विशेष कार्य बल के कार्मिकों ने भड़काया तथा उत्प्रेरित किया। कराएटीवु में, जो अमराई जिले में एक तटवर्तीय गांव है, युवाओं की एक भीड़ ने विशेष कार्य बल के लोगों की सहायता से, उस गांव के सभी 2 हजार मकानों को नष्ट कर दिया।

यह जांच, डा० फ्रंक जयसिंह द्वारा, जो कोलम्बो स्थित जाति-सम्बन्धी अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के परामर्शदाता हैं, की गई है।

"रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 दिन से चल रही इस हिंसा के कारण भारी क्षति हुई है, जिसमें 11 व्यक्ति मारे गए, 40 से अधिक को अस्पताल में चिकित्सा दी गई तथा 12 हजार बेघर हो गए हैं। दुर्घटनाओं के इस तेज सिलसिले के कारण पूर्वी "राज्य को पूरी तरह उखाड़ दिया गया है।"

रिपोर्ट में बताया गया है कि कथानकुडी के समीप एक तमिल गांव, नवाटकुलम को 2 अप्रैल को नष्ट कर दिया गया तथा हमले के दौरान पुलिस कमाण्डो की बख्तरबन्द गाड़ी को वहां उपस्थित रहने दिया गया। 24 अप्रैल को बट्टीकलोआ निगम क्षेत्र में दो बार आग लगी जिससे 125 मकान नष्ट हो गए।

"रिपोर्ट में पूछा गया कि हिंसात्मक दंगों को समाप्त करने तथा शान्ति स्थापित करने के लिए सरकार ने कोई भी प्रयास क्यों नहीं किया? इस बारे में सुरक्षा प्राधिकारियों को स्पष्ट आदेश क्यों नहीं दिए गए?"

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप खुलकर यह नहीं कहना चाहते कि ये सभी चीजें पुलिस तथा सेना से मिलकर हो रही हैं तथा आप सुविधापूर्वक ये सब बातें भूल गए हैं। मैं माननीय मंत्री को यह कहना चाहूंगा कि श्रीलंका के विरुद्ध सेना के जरिए कार्रवाई करने में कोई बुराई नहीं है। सन् 1971 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं तो उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध का सहारा लिया। इस सदन में सभी उनकी प्रशंसा करते हैं तथा पूजा की जाती है, यहां तक कि हमारे विरोधी दल के नेताओं द्वारा भी, जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं जो उनकी काली माता देवी के रूप में पूजा करते हैं तथा प्रशंसा करते हैं। यहां मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि आप उसी प्रकार लंका के विरुद्ध युद्ध लड़ें तो मैं आपके सामने झुक जाऊंगा तथा मैं आपकी देश के नेता के रूप में पूजा करूंगा। यहां तक कि मैं पद से त्यागपत्र देने के लिए भी तैयार हूं तथा अपनी सीट कांग्रेस (इ) को देने के लिए तैयार हूं।

प्रो० मधु दंडवते : भगवान के लिए, ऐसा न कीजिए।

डा० ए० कलानिधि : यदि यह भी सम्भव नहीं है तो तमिल लिबरेशन संगठन को मान्यता दे दीजिए। वे फिर अपने आप हर चीज की देखभाल कर लेंगे। तमिल में एक कहावत है कि :

कन्नियार कडैक्कन कचोबोट्टल
कलैयारकु ममालैयुम कादुगाकुम

इसका यह अर्थ है कि यदि आंखों के माध्यम से भी स्त्रियां संकेत कर दें तो युद्ध वीर पहाड़ों का चूरा करके सरसों के दाने के बराबर कर दें। इसीलिए उनकी आंखों का एक इशारा ही वीरों द्वारा पहाड़ों को चूरा कर सरसों में बदलने के लिए पर्याप्त है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे इतने समय तक बोलने की अनुमति दी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी को अनुमति देता हूं।

डा० ए० कलानिधि : यदि कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन होता तो उन्होंने मुझे शीघ्र ही बिठा दिया होता। इसके लिये मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का बहुत आभारी हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी को बोलने की अनुमति देता हूं। मैंने किसी को कभी नहीं रोका।

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली (मद्रास दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय मुझे कुछ शब्द बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं आपको आश्वासन दे सकती हूं कि यदि मैं अपनी बात 5 मिनट में कह सकती हूं तो मैं 20 मिनट नहीं लूंगी।

मैं अपने प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका की अद्यतन स्थिति के बारे में 25 अप्रैल को दिये वक्तव्य का स्वागत करती हूं। हमारे माननीय विदेश मंत्री ने भी इस महत्वपूर्ण मामले पर वक्तव्य दिया है।

महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्रीलंका के इतिहास तथा जो खस्ता हालत आजकल वहां चल रही है उसके बारे में, पहले बता चुके हैं। इसीलिये उन चीजों के बारे में मैं विस्तार से नहीं बताना चाहती। परन्तु उनका रोष तथा दर्द भलीभांति समझा जा सकता है क्योंकि मैं भी तमिलनाडु से हूं तथा तमिल होने के नाते उनकी परेशानी में भागीदार हूं तथा मैं प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि श्रीलंका की बुरी स्थिति को अति तत्काल ठीक किया जाए। अब

मैं कहती हूं "कि एक तमिल होने के नाते" तो मैं यह भी कहती हूं कि एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस समस्या से केवल तमिलनाडु के ही लोग परेशान नहीं हैं बल्कि सारे भारत के लोगों के लिए यह चिन्ता का विषय है। महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने कहा है कि भारत के पास हथियार हैं। हम सुसज्जित हैं। हम श्रीलंका जैसे छोटे देश के विरुद्ध हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? महोदय, मैं महसूस करती हूं कि यह जितना कहना आसान है, उतना करना नहीं। क्योंकि हम इसकी प्रतिक्रिया के बारे में सोच सकते हैं। जिस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का हमें सामना करना पड़ेगा उसके बारे में क्या होगा? मैं सोचती हूं कि केवल·····माध्यम से।

श्री पी० कुलनदईवेलू : आप यह मत भूलिए कि आप दक्षिण मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से हैं।

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली : मैं यहां एक तमिल के नाते बात नहीं कर रही बल्कि एक भारतीय होने के नाते बात कर रही हूं। मैं उसे फिर दोहराती हूं। इसीलिये बड़ी सावधानी से इस नाजुक स्थिति का समाधान करने का प्रयास करना चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री इस समस्या का समाधान बड़ी सावधानी तथा गम्भीरता से कर रहे हैं।

स्थिति गम्भीर है और हम सब इससे प्रभावित हैं भारत की नीति अच्छे सम्बन्ध, पारस्परिक सद्भाव विश्वास और मैत्री की है। खेद की बात है कि श्रीलंका सरकार उसे समझ नहीं पाई। श्रीलंका के हालात दिन-प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। हत्यायें और हिंसक कार्यवाहियां प्रतिदिन हो रही हैं। इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। अपने तमिल भाइयों के साथ हो रहे व्यवहार पर हमें न केवल खेद है अपितु पीड़ा भी है। तमिलनाडु शरणार्थियों से भर गया है जिनकी दशा दयनीय है। उन्हें उजाड़ दिया गया है उनके परिवार तबाह हो गये हैं। वे निराश हो चुके हैं। मैं कुछ महिला विस्थापितों से मिली थी तथा उनकी बातें सुनीं। उनकी कहानी इतनी दर्दनाक है कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती इन गरीब तमिल बन्धुओं पर कितने भयंकर अत्याचार हुये हैं उनको सुनकर विश्वास नहीं होता।

महोदय, मेरा सुझाव है कि संसद के दोनों सदनों का एक उच्च शक्ति प्राप्त शिष्टमंडल गठित किया जाये जोकि श्रीलंका जाये तथा वहां के सांसदों से मिलकर इस बात का अध्ययन करें कि किस प्रकार स्थिति को सुधारा जा सकता है। विपक्ष के सदस्य ने भी व्यक्त किया है कि केन्द्र सरकार सोयी हुई है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्र से क्या अपेक्षा की जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके नेता श्री करुणानिधि वहां पर जाकर स्थिति का अध्ययन कर समाधान क्यों नहीं निकालते? केन्द्र पर आक्षेप लगाने की अपेक्षा यह कार्यवाही श्री करुणानिधि के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण होगी।

8.00 म०प०

सभा से मैं सभी सदस्यों से अपील करती हूं कि शिष्टमण्डल के वहां जाने तथा इस मामले पर बातचीत शुरू करने से पहले वहां से पहले हिंसा को समाप्त करायें। इससे विश्वास पैदा होगा। मस्तिष्क ठंडे होने पर ही शांति स्थापित होगी।

मैं प्रधान मंत्री को बधाई देती हूं जिन्होंने जनता को समस्या के तत्काल समाधान की आवश्यकता के संबंध में तथा इस उद्देश्य हेतु विशेष सलाहाकार बोर्ड गठित करने का आश्वासन दिया है।

मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि श्रीलंका सरकार हमारे मुस्लिम बन्धुओं के बीच दरार पैदा करना चाहती है तथा यह सभी बातें वे किसी प्रभाव के कारण कर रही है जिससे कि हम सभी परिचित हैं। अतः इस समस्या के साथ बुद्धिमत्ता से निपटना चाहिए। यह एक संवेदनशील मामला है मुझे विश्वास है कि प्रधान मन्त्री इस समस्या का शांतिपूर्ण हल ढूढ़ने में समर्थ होंगे।

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीलंका के 30 लाख तमिलवासियों की हालत बद-से बदतर होती जा रही है। हजारों तमिल लोगों की सेना द्वारा हत्या कर दी गई। उनमें से अधिकांश भोले नागरिक हैं। हजारों तमिल युवकों की सेना द्वारा हत्या कर दी गई।

सेना आंतक पैदा कर रही है। तमिल उग्रवादियों की कार्यवाहियों के उन्मूलन के नाम पर वे सभी तमिल वस्तुओं का विनाश कर रहे हैं। वे महिलाओं वृद्धों एवं बच्चों की भी हत्या कर रहे हैं। बहुत से सदस्यों ने इस बारे में विस्तार से बताया है जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता।

श्रीलंका सरकार ने तमिल लोगों को समाप्त करने के लिए कुछ प्रयास शुरू किये हैं तथा इन सुरक्षा विनियमों ने उत्तर तथा पूर्व देश में आपातस्थिति पैदाकर दी है। पूरा जाफना क्षेत्र विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया गया है। कोई निजी वाहन का उपयोग नहीं कर सकता एक साईकल का उपयोग करने के लिए पुलिस अधीक्षक से परमिट लेना पड़ता है। श्रीलका में तमिल लोगों के मौलिक अधिकार के हनन का यह विशिष्ट उदाहरण है। जाफना छोड़ने तथा वहां प्रवेश करने के लिए सरकारी एजेंट से परमिट लेना पड़ता है।

श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिलों के प्रति सेना द्वारा अत्याचार किए जा रहे। कत्लेआम, अन्धाधुन्ध गोली चला के, तंग करके उत्तर में सेना तमिल लोगों में निरन्तर भय की स्थिति पैदा कर रही है।

पृथकतावादी होने से तमिल उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष ने नैतिक जातीय संघर्ष का रूप ले लिया है। सिंहली सेना ने उत्तरी क्षेत्रों में जहां पर तमिल लोगों की बहुसंख्या है के दबाने के लिए सभी नियम ताक में रख दिये हैं।

तमिल आंतकवाद के विरुद्ध सेना का कार्यवाही से इस क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था ठप्प हो गई है। 25000 मछुआरों को मछली पकड़ने में मना किया गया जबकि उनकी आजीविका का यही एक-मात्र साधन है। जाफना क्षेत्र मे पहले ही अनाज और अन्य वस्तुओं की कमी है, और अगर अपेक्षित मात्रा में अनाज वहां सप्लाई न किया गया तो लोग भूखों मरने लगेंगे खाना खरीदने के लिए महिलाओं को अपने नैकलस तथा चूड़ियां बेचनी पड़ रही हैं, परन्तु ऐसे थोड़े से ही दुकानदार बचे हैं जिनके पास जेवरात खरीदने के लिए धन बचा है। व्यवसाय ठप्प पड़ा है।

हजारों तमिल श्रीलंका छोड़कर भारत आ गये हैं तथा कई यूरोप चले गये हैं। हजारों युवकों को पकड़ कर सैनिक कैम्पों में रखा गया है। सेना की हिरासत में बहुत से युवकों की हत्या मारपीट के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। बहुत से इन्जीनियर तथा डाक्टर द्वीप छोड़ गये हैं।

लोग, 6 बजे सायं से 5 बजे सुबह तक कर्फ्यू के कारण हस्पताल नहीं जा सकते अतः उन्हें मृत्यु को वरण करना पड़ रहा है। जाफना अस्पताल में महत्वपूर्ण दवाइयां ऑक्सीजन तथा चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि नहीं हैं।

सेना के बर्बरतापूर्ण कृत्यों से नरमपंथी तमिल लोगों की राय भी अधिकारियों के विरुद्ध हो गई है। फादर माइकल सामी, जाफना के विकार जनरल ने कहा है :

"लोग भयभीत तथा निराश हैं। वे विवशता अनुभव करते हैं। जहाँ पर समानता लोकतंत्र नहीं बचा। तमिलों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों की भाँति व्यवहार किया जा रहा है। तमिल लोग श्रीलंका में अपना तथा अपने बच्चों का कोई भविष्य नहीं समझते। उन्होंने समझ लिया है जीवन के सभी क्षेत्रों से उनका सिंहालियों द्वारा उन्मूलन किया जा रहा है।

"वास्तव में सेना तथा पुलिस के अत्याचारों, तथा सरकार द्वारा तमिल लोगों को मूलभूत लोकतंत्रीय अधिकारों से वंचित करने तथा सिंहली लोगों द्वारा परेशान किए जाने के कारण विवश होकर तमिलों ने पृथक् तमिल एलम की माँग की है। सेना द्वारा की जा रही ज्यादतियों के कारण उग्रवादी युवकों की बदले की भावना के कारण आतंकवादी कार्रवाहियाँ बढ़ गई हैं।"

श्रीलंका सरकार की इस घोषणा से कि 30,000 सिंहली परिवार उत्तर तथा पूर्वी प्रदेशों में बसाये जायेंगे, स्थिति और भी खराब हो गई है। यह आग में ईंधन का काम करेगी। यह नवम्बर 1983 में दिये गये वचनों के विरुद्ध है। परिशिष्ट 'ग' में कहा गया है "उपनिवेशवादी पालिसी" से उत्तरी तथा पूर्वी प्रदेशों की जनसांख्यिकीय ढाँचा परिवर्तित नहीं होगा।

इसका अधिक घातक भाग है :

"तमिल क्षेत्रों में बसाये जाने वाले लोगों को आग्नेय अस्त्रों के उपयोग में प्रशिक्षण दिया जायेगा।"

मैं श्री जयवर्धने को चेतावनी देता हूं कि इससे उप-महाद्वीप में गृह युद्ध छिड़ जायेगा। अतः श्रीलंका सरकार को चेतावनी दी जानी चाहिए कि किसी भी हालत में उसे उपनिवेशवादी को नहीं अपनाना चाहिए।

दुर्भाग्य से चीन तथा पाकिस्तान दोनों ही श्रीलंका को शस्त्र बेच रहे हैं। श्रीलंका द्वारा अपने सैनिकों की सहायता हेतु इसरायली प्रशिक्षक तथा ब्रिटिश एस० ए० एस० मंगाये गये हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये देश श्रीलंका सरकार की तमिलों की हत्या के लिए सहायता कर रही है। हमें इन सभी सरकारों से अपील करनी चाहिए कि श्रीलंका को शस्त्रों की सप्लाई बन्द करें।

फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि न तो उग्रवादी तमिल युवकों के कृत्यों तथा न और न ही सैनिक कार्यवाहियों से समस्या का समाधान हो सकेगा। इस जातीय समस्या का समाधान केवल राजनीतिक स्तर पर ही हो सकता है।

राजनीतिक समाधान के अंतर्गत तमिलों को अपने बहुसंख्या वाले क्षेत्रों में कुछ प्रमुखता मिलनी चाहिए। इन्हें संयुक्त श्रीलंका देश के लिए तमिलों के लिए कुछ अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। क्योंकि कई तमिल नेता पृथक् होने के पक्ष में नहीं हैं।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हाल ही में श्रीलंका द्वारा नामित सलाहकार निकायों को सुझाव देना चाहिए कि उत्तर तथा दक्षिण के तमिल-बहुलता वाले क्षेत्रों में मुख्य मन्त्री वहाँ की जनता द्वारा निर्वाचित किये जाने चाहिये न कि राष्ट्रपति जयवर्धने द्वारा नामांकित किये जाने चाहिये। प्रादेशिक परिषदों को कुछ सीमित विधायी अधिकार दिये जाने चाहिये तथा प्रदेशों में

उनका प्रशासनिक मशीनरी तथा पुलिस पर नियंत्रण रहना चाहिये। सलाहकार समिति को श्रीलंका सरकार के साथ अपनी बातचीत के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि श्रीलंका द्वारा इन मूलभूत अधिकारों को स्वीकार किया जाता है।

यदि श्रीलंका सरकार राजनीतिक समाधान की चेष्टा नहीं करती तथा दूसरी ओर तमिल जनता पर अत्याचार जारी रखती है तो मेरा सुझाव है कि भारत सरकार को मौन नहीं रहना चाहिए—जब हजारों तमिल भाइयों की हत्या की जा रही है तो सरकार बहुत देर तक अपने नेत्र बन्द नहीं रख सकती, इसे समय की मांग को देखते हुए श्रीलंका सरकार से कहना चाहिए कि तमिलों की हत्या तुरन्त बन्द की जाये अन्यथा भारत को 30 लाख तमिल जनसंख्या के हितों के संरक्षण के लिए कार्यवाही करनी पड़ेगी।

एक सुखद संकेत है कि सभी उग्रवादी तमिल ग्रुप अपने भेदभाव भुलाकर इकट्ठे हो गये हैं। वे राष्ट्रपति जयवर्धने को बातचीत के लिए विवश कर सकते हैं। जिसके लिए उन्होंने इन्कार कर दिया था।

मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने 30 लाख तमिल लोगों के हितों के संरक्षण का अभिवचन दिया है। उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने से बातचीत के लिए एक सलाहकार ग्रुप का गठन किया है। इस कार्य को अब अविलम्ब किया जाये।

एक विस्थापित राहत निधि स्थापित होनी चाहिए क्योंकि उनमें से बहुत से व्यक्तियों ने श्रीलंका में अपना सर्वस्व लौटा दिया। मैं अपनी पार्टी की ओर से 30 लाख तमिल जनसंख्या के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं तथा मूलभूत लोकतंत्रीय अधिकार आत्म सम्मान, उनके बहुलता वाले क्षेत्रों में स्व-शासन प्राप्त करने में समर्थन करने का वचन देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम रतन राम (हाजीपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीलंका के तमिलों के सम्बन्ध में चल रहे वाद-विवाद पर हमारे माननीय सदस्यों ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया है, मैं भी उनके साथ हूं। आज हमारे सामने प्रश्न यह नहीं है कि श्रीलंका की समस्या इन्टरनल समस्या है, श्रीलंका और तमिल लोगों के बीच की समस्या है, बल्कि हमें इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि श्रीलंका और भारत के बीच का यह सम्बन्ध है। वहां पर हमारे तमिल भाइयों के साथ श्रीलंका गवर्नमेंट जो व्यवहार कर रही है, उसमें हमारा क्या योगदान होना चाहिए ?

भारत एक नान-एलाइन्ड नेशन है, हम नान-एग्रेशन में विश्वास करते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी विश्वास करते हैं कि सारी दुनिया के जो मानव अधिकार और मौलिक अधिकार हैं वह दुनिया के हर व्यक्ति को उपलब्ध होने चाहिये। हम सारी दुनिया के सामने नान-एलाइन्ड नेशन्ज में यह बताने की कोशिश करते हैं कि भारत का स्टैंड क्या है। जहां मौलिक अधिकार और मानव अधिकार छीने जाते हैं, उनके लिये हम अपने मुल्क में और नान-एलाइन्ड नेशन्ज की कांफ्रेंस में वकालत करते हैं।

श्रीलंका के हमारे तमिल भाइयों के साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है, अगर हम उस बारे में चुप लगाकर बैठें, तो वह विदेशी तत्व जो हमारे मुल्क में देखना चाहते हैं, और जो एक तरफ हमारे लोगों को भड़काते हैं तथा भड़काकर अलग राज्य की मांग करवाने की कोशिश

करते हैं, हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश करते हैं, वही तत्व जो हैं उनका श्रीलंका में आज दूसरा रुख होता है। वहां जब उनके मौलिक अधिकारों की बात आती है तो वही तत्व हमारे देश के फिर से टुकड़े कराने की कोशिश करते हैं, वहां पर रहने वाले जो तमिल हैं, जो श्रीलंका के नेशनल्स हैं उनके अधिकार दिलाने की बात वे नहीं करते हैं बल्कि वे चाहते हैं कि जो भारतीय नेशनल्स हैं उनको वहां से मारकर भगा दिया जाए और इस प्रकार से वे हमारे देश के सामने एक समस्या खड़ी कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में हम भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि आजादी के पहले जो ब्रिटिश इण्डिया था, अंग्रेजों के शासन में उस समय हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा और श्रीलंका अलग नहीं थे, उनको ब्रिटिश इण्डिया ही कहा जाता था। वही अंग्रेजी तत्व और दूसरे मुल्कों ने, जब हिन्दुस्तान की आजादी की बात आई तो उन्होंने देश के दो टुकड़े कराकर पाकिस्तान का निर्माण कराया। इन बातों को मैं इसलिए दोहराना चाहता हूं कि ब्रिटिश इण्डिया में उस समय पाकिस्तान क्रिएट कराकर हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हुए और उसके बाद जब बंगलादेश में रहने वालों के लिए मौलिक अधिकारों की बात हुई तो वहां भी युद्ध हुआ और मौलिक अधिकारों की बात हुई तो वहां भी युद्ध हुआ और मौलिक अधिकारों के लिए हमें भी वहां इन्टरफीयर करना पड़ा और इस प्रकार से बंगलादेश का निर्माण हुआ। आज हमारे सामने समस्या यह है कि एक तरफ हम वकालत करते हैं कि मौलिक अधिकार दूसरे लोगों को मिलने चाहिए, हम भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे कि इस बात से हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि विदेशी तत्व यह कहेंगे कि एक तरफ हम श्रीलंका में वहां रहने वालों पर जो अत्याचार हो रहा है उनके मौलिक अधिकारों के लिए हम वहां मदद करते हैं तो कल हमारे सामने समस्या खड़ी हो जायेगी कि हम नागालैंड को क्यों न आजादी दें और खालिस्तान को क्यों न मानें परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि आजादी के बाद जब हमारा संविधान बना यान टू नेशन थ्योरी के बाद जब हिन्दू मुसलमान अलग हुए और उसके बाद जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान भी बना तो हमारे अपने संविधान में भारत के रहने वालों ने इस बात को अंगीकृत किया कि हम इण्डियन नेशनल्स हैं, भारत के नागरिक हैं वह चाहे पंजाब में रहते हों, कश्मीर में रहते हों या तमिलनाडु में रहते हों या किसी भी हिस्से में रहते हों, सभी को बराबर मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई। सभी इण्डियन हैं, सभी भारत के नागरिक हैं और सभी को भारत की नागरिकता के अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त हैं। इसलिए चाहे कोई पंजाब का रहने वाला हो या नागालैंड का रहने वाला हो किसी के साथ भी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। यदि कोई विदेशी तत्व किसी प्रकार से यहां इन्टरफीयर करना चाहते हैं तो यह उनका हमारे इन्टर्नल मैटर में इन्टरफेन्स है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि पहले जो ब्रिटिश इण्डिया कहलाता था उसमें उन्होंने टू-नेशन के आधार पर देश का बटवारा कराया और जिसके बाद बंगलादेश का भी निर्माण हुआ। आज श्रीलंका में लाखों तमिलियन्स रहते हैं लेकिन वहां की सरकार उन पर अनेकों प्रकार के अत्याचार कर रही है। आप प्राचीन इतिहास को देखिए, जब लंका में अन्याय और अत्याचार बहुत बढ़ गया था तो हमारे पुरुषोत्तम भगवान राम यहां पर पैदा हुए जिन्होंने वहां पर होने वाले अन्याय और अत्याचार को रोका। यदि आज अगर हम पुरुषोतम राम की तरह खड़े नहीं होंगे, तो श्रीलंका में पुरुषोतम राम पैदा होगा और जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जिस मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जिस फण्डामेंटल राइट के लिए लड़ रहे

है, जिस मानव अधिकार के लिए लड़ रहे है, उन लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त कराने में सहायता करेगा। इसे न हम रोक सकते हैं और न दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है। श्रीलंका की सरकार भी यदि उसको रोकना चाहेगी, तो वह भी उसको नहीं रोक पाएगी। इसीलिए हम चाहते है कि भारत सरकार को समय से पहले उठना चाहिए। हम नॉन-एलाइन्ड की अध्यक्षता करते हैं और हम यह नहीं चाहते हैं कि हम चढ़ाई करें, हम उस पर आक्रमण करें और आक्रमण करके हम दुनिया को बतायें कि हम एक तरफ नॉन एलाइन्ड की अध्यक्षता करते हैं। और नॉन-एग्रेशन पर विश्वास करते है। इस बारे में हम वर्ल्ड-ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं। जिस मौलिक अधिकारों के लिए, जिस मानव अधिकारों के लिए हम अध्यक्षता करते हैं, दुनिया के सामने वकालत करते हैं और आज श्रीलंका में रहने वाले हमारे भाई मारे जा रहे हैं तथा हमारी बहनों और माताओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस चीज को रोकने के लिए हमें समय से पहले खड़ा होना चाहिए। दुनिया के सामने उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वर्ल्ड ओपीनियन क्रिएट करनी चाहिए और दुनिया को यह बता देना चाहिए श्रीलंका की सरकार अगर उनके साथ न्याय और इन्साफ नहीं करेगी तो जिस प्रकार भारत सरकार दूसरे मुल्कों को आजाद कराने के लिये लड़ी है, उनके लिए भी लड़ेगी।

[अनुवाद]

*श्री श्रीहरि राव (राजमुन्द्री) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, हम एक महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे है जि के सम्बन्ध में पूरा देश चिन्तित है। श्रीलंका की स्थिति का सम्बन्ध केवल हमारे तमिल बन्धुओं से ही नहीं है अपितु हम सभी से है। श्रीलंका बौध देश है। बौध धर्म अहिंसा का ही पोषक है। श्रीलंका बौद्ध होते हुए उस महान धर्म के मूलभूत मन्तव्य को ही नहीं मानता। श्रीलंका के तमिल बन्धुओं पर किये गये अत्याचार बहुत अधिक हैं। वे तमिल महिलाओं का मानहरण भी कर रहे हैं। बच्चों की भी हत्या की जा रही है। किसी न किसी बहाने युवकों को मारा जा रहा है। पहले बोलने वाले सदस्यों ने श्रीलंका की घटनाओं की विस्तृत चर्चा की है। महोदय, मुझे भय है कि यदि यही स्थिति जारी रही तो श्रीलंका से विस्थापितों का आना लगा रहेगा। मुझे भय है कि यदि कुछ समय तक यह स्थिति बनी रही तो श्रीलंका से शायद ही कोई तमिल बचेगा। शायद श्रीलंका इसी तरह तमिल समस्या का समाधान करना चाहता है। इसके बावजूद भी हम मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं।

महोदय श्रीलंका ने पूरे विश्व में हमारे विरुद्ध अभियान चला रखा है कि हम बड़े भाई के रवैये का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे प्रचार कर रहे हैं कि उनका देश एक छोटा सा द्वीप है तथा भारत सा महान देश उनके अस्तित्व को खतरा बना हुआ है। श्रीलंका यह झूठा प्रचार कर रहा है यह वैसी ही बात है जैसे कि एक पत्नी अपने पति का मार-मार कर कचूमर निकाल दे तथा बाहर जा कर मदद के लिए चिल्लाए। इससे हमारी नम्रता प्रकट होती है। शायद हम श्रीलंका के प्रति अति उदार हैं अब कुछ ठोस कार्यवाही करने का समय आ गया है। इसे उन्होंने हमारी कमजोरी समझा है। जब बिल्ली अन्धी हो जाती है तब चूहे विद्रोह करते हैं। अब समय आ गया है कि इस नीति को त्यागा जाये। श्रीलंका हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का हमारे समुद्री क्षेत्र का अतिलंघन कर रहा है। वे हमारी जलसीमा में प्रवेश कर हमारे मछुआरों को मार देते हैं। उनके

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

कृत्यों पर ध्यान दें। कब तक हम इन सभी बातों को सहन करते रहेंगे ? सरकार को श्रीलंका के प्रति भद्रता त्याग कर कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

महोदय, समय की मांग है कि इस जटिल समस्या का समाधान तुरन्त किया जाए। चाहे यह शान्तिपूर्ण तरीकों से हो चाहे दूसरे तरीकों से। सरकार को समस्या के स्थाई समाधान की बात सोचनी चाहिए। श्रीलंका के समस्या को हल करने के लिए कोई प्रयास अछूता नहीं रहने दिया जाए। सरकार को यह सोचना चाहिए कि किस तरह इसे स्थाई तौर पर हल किया जा सकता है।

हमें जवाबी प्रचार करना चाहिए। हमें सभी स्तरों पर श्रीलंका के प्रचार का निषान करना चाहिए। इसे झूठे प्रचार का विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए।

महोदय, यहां इस विषय पर चर्चा करना तथा प्रेस द्वारा इसे प्रकाशित करना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस समस्या को तत्काल सुलझाने का प्रयास किया जाए। सदन में इस संबंध में व्यक्त विचारों को ध्यान में रखकर सरकार को विचार करना चाहिए कि इस समस्या को अधिक उपयुक्त ढंग से कैसे सुलझाया जा सकता है क्या शांतिपूर्ण समझौते द्वारा अथवा किसी और उपाय से।

उत्तर तथा दक्षिण भारतीयों में इस मुद्दे को लेकर गलतफहमी हो सकती है। दक्षिण भारतीय को यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि तमिलनाडु की जगह अगर-उत्तरी राज्य होते तो स्थिति भिन्न होती। लोगों को ऐसा सोचने का मौका नहीं देना चाहिए। हम एक हैं। हमारा देश अखंड है। दक्षिण भारतीयों की इस भावना को शांत करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

महोदय, भारत सरकार ने इस मामले को जिस रूप से लिया है उसकी मैं सराहना करता हूं। बहुत बार उत्तेजनापूर्ण स्थिति होने पर भी भारत सरकार शांत बनी रही है। हर रोज आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए तमिलनाडु सरकार तथा वहां की जनता द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी मैं सराहना करता हूं। उनके शरणार्थियों के लिए समस्त राष्ट्र को आगे आना चाहिए।

इस समस्या का कोई हल निकालने के लिए मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं और इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुंदरराज (पुदुक्कोट्टई) उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह न केवल तमिल भाषी लोगों के लिए बल्कि सारे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। श्री राजीव गांधी के प्रेरक नेतृत्व में श्रीलंका की इस समस्या के हल के लिए एक नीति तैयार करने के लिए यही उपयुक्त समस्या है।

श्री जयवर्धने के राष्ट्रपति पद पर होते हुए श्रीलंका में मौजूदा हालत नयी नहीं है। श्री लंका में रहने वाले तमिलों के लिए रंग भेद या धार्मिक आधार पर हिंसा का सामना, सशस्त्र सेनाओं द्वारा उनके प्रियजनों की अचानक हत्या, आगजनी तथा लूटमार द्वारा उनकी धन संपत्ति को क्षति पहुंचना एक आम घटना है। वहां की सशस्त्र सेनाएं आतकवाद से निपटाने के नाम पर ये हिंसक तथा विध्वंसक कार्य कर रही हैं।

महोदय, आजादी प्राप्त करने के तुरन्त बाद श्रीलंका में रहने वाले लगभग, एक करोड़ भारतीय तमिलों को मतदान से वंचित कर दिया तथा संसद में उनका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। इस सुनियोजित दमन की कार्रवाई की पहली मार उन पर यह पड़ी। उसके बाद

मुस्लिम तथा तमिलों से पारम्परिक निवासस्थानों को श्रीलंका सरकार द्वारा सिंहली उपनिवेशवाद में परिवर्तित किया गया, केवल सिंहली विधेयक पारित किया गया तथा तमिलों की इच्छा के विरुद्ध पारित किये गये 1972 के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों से तमिलों को वंचित कर दिया गया।

उन्होंने तमिलों की शिक्षा तथा रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिए। तमिलों ने अहिंसक आंदोलनों द्वारा उक्त अधिनियमों का विरोध किया किन्तु कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी शिकायतें दूर करने के बजाय उन्हें बन्दी बनाया गया, यातनाएं दी गईं, हजारों निर्दोष व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा गया और अन्त में उन्हें संसदीय प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया गया। वे अपनी लड़ाई अहिंसक ढंग से लड़ रहे हैं लेकिन उन पर सशस्त्र सेनाओं ने आक्रमण किया और उन्हें निर्दयता से मौत के घाट उतारा गया। मेरे मित्र डा० कलानिधि ने कुछ घटनाओं का उल्लेख करके बताया है कि वहां किस तरह तमिलों की हत्याएं की जा रही हैं यहां तक कि छोटे-छोटे बच्चों और 12-13 साल के लड़कों को इस आधार पर बन्दी बनाया जा रहा है कि उन्होंने कर्फ्यू आदेशों का उल्लंघन किया है और उसके बाद जेलों में उनकी हत्याएं करके उनकी लाशें नदी-नहरों में फेंकी जा रही थीं। महोदय, श्रीलंका में इस तरह की नृशंस हत्याएं की जा रही हैं। अपने देश की नाजुक स्थिति को हम समझ सकते हैं। केन्द्रीय सरकार मामले पर विचार कर रही है। लेकिन साथ-साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रीलका के साथ हमारी पुरानी दोस्ती है। हमारे संवैधानिक उत्तरदायित्व हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता होने के कारण हमारे उत्तरदायित्व अधिक हैं। विदेश राज्य मंत्री ने अपने विवरण में कहा है कि हम इस समस्या का राजनैतिक हल करने में उनकी सहायता करने के लिए उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। महोदय, पिछले तीन सालों से हम आशा कर रहे हैं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति इस समस्या का शांतिपूर्ण हल निकाल लेंगे। लेकिन इस सम्बन्ध में उन्होंने अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। अभी तक वे कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाए हैं। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि इस समस्या का हमेशा के लिए हल कब होगा। श्रीलंका की सेना द्वारा नृशंस हत्याएं कब बन्द होंगी। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस समस्या के हल के लिए समय निर्धारित करे जैसे तीन महीने या छः महीने। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह श्रीलंका में स्थिति के और बदतर होने से पहले ही इस ज्वलंत समस्या के हल के लिए गम्भीरता पूर्वक विचार करे। कुछ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे वहां रह रहे तमिलों को सहायता मिले। अगर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई तो एक-दो साल के बाद अगर माननीय मन्त्री कोलम्बो जाएंगे और श्रीलंका के राष्ट्रपति से पूछेंगे कि क्या आपके तमिल-समस्या को हल कर दिया है तो वे इसका जवाब 'हां' में देंगे और कहेंगे कि 50% तमिलों को श्रीलंका की सेना ने मौत के घाट उतार दिया है, 25% शरणार्थी के रूप में भारत लौट गए हैं तथा शेष 25 प्रतिशत भूख से मर गए हैं। इस प्रकार समस्या को शत प्रतिशत हल कर दिया गया है। समस्या होगी ही नहीं। श्री जयवर्धने यही जवाब देंगे। अतः महोदय, समस्या को ऐसे बने रहने न दिया जाए। वैसे ही श्रीलंका में 13% तमिलों की मृत्यु हो चुकी है। तमिलों को आशा है कि भारत सरकार निकट भविष्य में उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ करेगी। भारत सरकार को पहल करनी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां स्थिति सामान्य हो ताकि श्रीलंका में रहने वाले तमिल मूल के लोग शांती से रह सकें, उनके मौलिक अधिकार उन्हें मिलें तथा उनकी सम्पत्ति और उनके निकट सम्बन्धी उन्हें लौटाए जाएं।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री विपक्षी दलों के नेताओं के साथ दिल्ली आए और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया लेकिन श्री करुणानिधि न तो मद्रास न ही दिल्ली में श्रीलंका पर सर्वदलीय सम्मेलन में साथ लेने आए। पता नहीं इसके पीछे क्या तर्क है।

एक माननीय सदस्य : तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री ने श्री करुणानिधि को दिल्ली आने के लिए कहा था (व्यवधान)

श्री सुंदरराज : महोदय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की सद्भावना की मैं व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा करता हूं तथा मद्रास में दो-तीन बार सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने के लिए पहल करने तथा श्रीलंका की समस्या को हल करने की उनकी हार्दिक इच्छा के कारण मामले पर विचार विमर्श करने के लिए धन्यवाद देता हूं। डाक्टरों ने उन्हें सलाह दी थी कि वे दिल्ली न जाएं क्योंकि गुर्दा-प्रतिरोपण का आपरेशन होने के कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था लेकिन इसके बावजूद वे मामले पर विचार विमर्श करने तथा उसका हल निकालने के लिए दिल्ली आए। और भूतपूर्व मुख्यमंत्री गली-कूचों में लोगों को आन्दोलन करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं।

डा० ए० कलानिधि : सरकार के खिलाफ नहीं।

श्री सुंदरराज : क्यों नहीं। लेकिन आप अभी भी वह सब करते चाहते हैं जिससे कुछ प्राप्त नहीं हो।

डा० ए० कलानिधि : वे राजनीतिक अखाड़े में लोगों को गहरी नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री सुंदरराज : लेकिन समस्या का हल मद्रास के गली-कूचों में नहीं हो सकता। समस्या का हल दिल्ली में प्रधानमन्त्री के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। समस्या का हल तभी हो सकता है जब हम बातचीत करेंगे। मद्रास में या गांवों में बोलकर समस्या का हल नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

डा० ए० कलानिधि : उनके अपने विधायकों ने विधान सभा में सैनिक कार्रवाई की मांग की थी।

श्री सुंदरराज : कांग्रेस दल ने सैनिक कार्रवाई की कभी मांग नहीं की।

डा० ए० कलानिधि : मैं उनके वक्तव्य को चुनौती देता हूं। कांग्रेसी विधायकों ने सैनिक कार्रवाई की मांग की थी.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री सुंदरराज : कांग्रेस दल ने सैनिक कार्रवाई के लिए कभी भी नहीं कहा। मैंने सैनिक कार्रवाई की कभी मांग नहीं की। मैं तमिलनाडु विधान सभा में पिछले 7-8 सालों तक रहा। मैंने कभी सैनिक कार्रवाई की मांग नहीं की। हमारे अपने आदर्श हैं तथा हम अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे।

डा० ए० कलानिधि : आप दोहरी नीति अपना रहे हैं।

डा० सुंदरराज : हमारा सदैव एक-दृष्टिकोण रहा है। मैं केन्द्रीय सरकार तथा विश्व के कमजोर और दलित लोगों के रक्षक श्री राजीव गांधी से अनुरोध करूंगा कि वे आगे आएं और यह सुनिश्चित करें कि श्रीलंका में तमिलों को, चाहे वे युवा हो या वृद्ध, स्त्री हो या बच्चे शांति से जीवन बिता सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिए है तथा श्रीलंका में व्याप्त तनाव के संबंध में चिन्ता प्रकट की है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि भारत को केवल इकतरफा असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ रहा अपितु दक्षिण में भी उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ बाहरी ताकतें श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और वह अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ की सरकार को समस्या का हल न करने के लिए विवश कर रही हैं और इस तरह भारत में एक असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। यह बाहरी ताकतें श्रीलंका के लिए निरन्तर तनाव पैदा करके भारत के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। कुछ सदस्यों ने श्रीलंका में तमिलों के मारे जाने के संबंध में भी चिन्ता व्यक्त की है। हमें समाचार पत्रों में भी ऐसी खबर मिल रही हैं।

इन सब बातों से मुझे रामायण की याद आती है। श्रीराम ने बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए श्रीलंका पर चढ़ाई की थी उस समय समुद्र पार करने हेतु भारत से श्रीलंका तक एक सेतु बनाया गया था। श्रीलंका में कुछ बाहरी ताकतें जोरों पर हैं वह वहाँ समस्याएं पैदा करके भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। श्रीलंका भारत हमले के लिए सेतु बनाने में समर्थ नहीं है। वह तमिलों को मार रहे हैं और उनके शवों को समुद्र में फेंक रहे हैं। समुद्र में इतने अधिक शव हो गए हैं ऐसा लगता है कि वह शवों का सेतु बना रहे हैं। रामायण में बुराई पर विजय प्राप्त करने हेतु भारत से श्रीलंका तक एक सेतु बनाया गया था। मैं नहीं जानता कि उन्हें हमसे कुछ वैमनस्य है। वह तमिलों को मार रहे हैं और हम सब इसके प्रति चिंतित हैं। मन्त्री महोदय इन बातों को ध्यान में रकें और उत्तर दें।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : समझा था कि उपाध्यक्ष महोदय मेरे भाषण को पढ़ा हुआ मान चुके हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं और वे लोग जो महसूस करते हैं, वही मैं महसूस करता हूं। न केवल यह सभा बल्कि पूरा देश ऐसा ही महसूस करता है। तमिलनाडु को अपने भाइयों को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह मामला न केवल तमिल नाडु अथवा तमिलों का है बल्कि यह एक राष्ट्रीय मामला है। हम लोग इसे एक राष्ट्रीय मामला समझते हैं। इसलिये, इसके बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिये, क्योंकि हमलोग इन सभी मामलों को राष्ट्रीय मामले के समान समझते हैं। हम सब एक हैं। किसी तरफ से आने वाली चुनौती का मुकाबला हम सब मिलकर करेंगे।

यह सच है कि पर्याप्त समय से श्रीलंका के तमिल यह महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ भेद-भाव बरता जा रहा है। नागरिकता, अधिकार, तमिल भाषा का दर्जा, बौद्ध धर्म को राज्य धर्म का दर्जा दिया जाना, परम्परागत तमिल क्षेत्रों में राज्य द्वारा प्रयोजित उपनिवेश योजनायें, रोजगार में भेद-भाव, शिक्षा में भेद-भाव तथा तमिल बहुल क्षेत्रों के औद्योगिक और आर्थिक विकास में असमानता संबंधी विभिन्न प्रकार का भेद भाव बरता जा रहा है।

स्वाभाविक है कि इन सब भेद-भावों के कारण निराशा हुई है और यह निराशा स्वतः विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों में अभिव्यक्त हुई है; जिसे वे आतंकवाद कहते हैं किन्तु यहाँ मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस देश में, हम लोग किसी भी प्रकार के आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते और न ही इस देश में हमने आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने की किसी प्रकार की सुविधा प्रदान की है। श्रीलंका के ये आरोप नितांत निराधार हैं श्रीलका के प्रति हमारे यही आरोप हैं।

यह सच है कि 1983 की हिंसा के बाद स्वर्गीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने श्रीलंका की सरकार, विशेषकर राष्ट्रपति श्री जयवर्धने के साथ मामला उठाया था और उन्होंने उनसे कहा था कि श्रीलंका के तमिलों का मामला बातचीत के जरिये हल करना होगा, उसका राजनैतिक समाधान ढूंढना होगा और यह भी कहा था कि सेना के बल पर वह उस समस्या को नहीं सुलझा सकते। दोनों सरकारों की इस राय से श्रीलंका के तमिल तथा राष्ट्रपति जयवर्धने दोनों ही सहमत थे। किन्तु, दुर्भाग्यवश, जो सर्वदलीय सम्मेलन, आमन्त्रित किया गया था और जो लगभग 12 या 11 महीने तक कार्यरत रहा, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका और राष्ट्रपति को उसे भंग कर देना पड़ा। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात थी।

यहां, यह भी स्पष्ट करना होगा कि हम लोग कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि भारत तमिलों को कुछ परामर्श देने की चेष्टा कर रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। मैं यह बात भी पूर्ण रूपेण स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग श्रीलंका के तमिलों पर किसी प्रकार का बंधन या शर्त नहीं लगा सकते हैं। हमने अपनी सरकार के माध्यम से केवल एक राजनैतिक हल निकालने की चेष्टा की है। इसलिये, यह पूर्णतः श्रीलंका के तमिलों पर निर्भर है। उन्हें ही निर्णय लेना होगा। अपनी बुद्धि के अनुरूप ही उन्हें अपनी कार्यवाही के बारे में निर्णय लेना होगा।

हमें अपने मछेरों की सुरक्षा पूरी तरह से करनी है क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। हमने अपनी नौसेना और अपने तट रक्षकों को अनुदेश दे दिये हैं और हमारे अनुदेशों के परिणाम स्वरूप 13 फरवरी के बाद हमारे किसी भी मछेरे की हत्या नहीं हुई है।

मैं उन पांच मछेरों के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। हमने लंका सरकार को बहुत ही कड़ा विरोध पत्र भेजा है और मुआवजा देने को भी कहा है। इस बीच प्रधान मंत्री ने प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत की है। किन्तु श्रीलंका के विरुद्ध हमारे मुआवजे के दावे का मामला अभी भी बना हुआ है।

निश्चित रूप से इस समस्या का शीघ्र समाधान चाहते हैं। उसके बारे में हम बहुत गंभीर हैं। अनेक वक्ताओं ने कहा है कि भारत सरकार को मामला और गंभीरता से लेना चाहिये। मेरे विचार से हम बहुत गंभीर हैं और हमारी गंभीरता इस बात से स्पष्ट है कि प्रधान मन्त्री ने पिछले दिनों में एक वक्तव्य दिया है और उन्होंने इस ग्रुप का गठन किया है। इस ग्रुप का गठन विशेषकर शरणार्थियों की समस्याओं पर ध्यान देने तथा इस समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से समझौता करके सुलझाने के लिये किया गया है और निश्चित रूप से हम उसकी सलाह से लाभ उठायेंगे.....

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस ग्रुप के कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : माननीय गृह मंत्री श्री पार्थसारथी, मैं स्वयं, मंत्रिमंडल सचिव, विदेश सचिव और गृह सचिव। (व्यवधान) यह प्रधान मंत्री जी ने बनाया है। (व्यवधान)। आपकी तरह मैं भी एक लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : हमारा निर्वाचन क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा है।

श्री खुर्शीद आलम खां : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 8 लाख 75 हजार मतदाता हैं।

यह सच है कि देश में एक लाख शरणार्थी हैं। हम लोग उनकी देख भाल कर रहे हैं और हम यह समझते हैं कि उनकी देख भाल करना तथा उनकी मूल भूत आवश्यकताओं का ध्यान रखना

हमारा कर्तव्य है। यह भी सच है कि श्रीलंका सरकार को हमने यह बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि जो भी समाधान निकले, ये शरणार्थी जो इस देश में हैं, उनके लिये ऐसी स्थिति पैदा की जाये कि वे अपने देश की सुरक्षित, आदर और इज्जत के साथ लौट सकें। किन्तु जब तक वे लोग यहां हैं; हम लोग उनकी देख भाल करते रहेंगे।

यह सच है कि मुस्लिम विचारधारा का यह नया तत्व बहुत ही घातक है क्योंकि लड़ाओ और राज्य करो का यह पुराना खेल खेला जा रहा है और वास्तव में हम यह महसूस करते हैं कि मुसलमान भी तमिल हैं; वे तमिल भाषा बोलते हैं और इसलिये इन दोनों में आपस में कोई अंतर नहीं है। किन्तु निश्चित रूप से कोई गुप्त शक्ति दोनों में मतभेद डालने का प्रयत्न कर रही है और मैं आशा करता हूं श्रीलंका के मुसलमानों का दृष्टिकोण और अधिक व्यापक बनेगा और वे इस खेल को समझेंगे। वे इस खेल में पकड़े नहीं जायेंगे। यह भी सच है कि उन्हें निश्चित रूप से तथा विशेषित ढंग से भड़काया गया है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यह एक पुराना खेल है किन्तु मैं विनम्रता पूर्वक आशा करता हूं कि लोग इस बात का अहसास करेंगे, विशेषकर श्रीलंका के मुसलमान इस बात को महसूस करेंगे कि अन्य तमिल जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वह उनकी अपनी ही लड़ाई है।

श्रीलंका में विदेशी एजेन्सियों की घुस-पैठ के बारे में हमें पता है और यह बहुत ही गंभीर बात है क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि कोई भी विदेशी एजेंसी हमारे देश के इतने निकट रहे, विशेषकर एस० ए० एस०, जो उन कमांडो अथवा मोसादों को प्रशिक्षण देता है जो सी० आई० ए० की तरह उत्पात करने वाली एजेन्सी है। इसलिये हम नहीं चाहते कि इन एजेन्सियों को श्रीलंका में आने की अनुमति दी जाये और यह बात श्रीलंका सरकार को अच्छी तरह से बता दी है। इसी प्रकार, हम इस बात को भी अच्छा नहीं समझते कि उन्होंने वाइस आफ अमेरिका को अपने यहां एक स्टेशन कायम करने की अनुमति दे दी है। यह कार्य इस क्षेत्र के हित में नहीं है और हम चाहते हैं कि यह क्षेत्र ऐसी सभी एजेंसियों से मुक्त रहे और जैसा कि हम चाहते हैं कि हिन्द महासागर शांति क्षेत्र बना रहे उसी प्रकार हम यह भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में किस प्रकार की घुस-पैठ न हो।

पाकिस्तान में राष्ट्रपति जयवर्धने ने जम्मू और काश्मीर के बारे में जो वक्तव्य दिया था, उससे हमें वास्तव में आश्चर्य है। हमने इस बात का पता लगाने की चेष्टा की थी कि उन्होंने वास्तव में क्या कहा था किन्तु श्रीलंका सरकार से हमें उसका पाठ प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु पाकिस्तान के समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है वह खेद जनक है और हमने यह सोचा तक नहीं था कि राष्ट्रपति जयवर्द्धने जैसा व्यक्ति भी ऐसा वक्तव्य दे सकता है।

यह सच है कि हमारे मछेरों पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। आर्थिक क्षेत्र के कारण ऐसा है और स्वभावतः इससे कुछ समस्यायें खड़ी हो गई हैं। किन्तु हमें आशा है कि एक बार समस्या का कोई समाधान हो जाने के बाद मछेरों के लिये कोई प्रबंध करना हमारा उत्तरदायित्व हो जायेगा।

विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने विशेषकर महिलाओं के प्रति किये गये अभद्र व्यवहार के बारे में जो विभिन्न प्रकार की बातें कही हैं उन्हें सुनकर किसी का भी मस्तिष्क शर्म से नीचा हो जायेगा। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है क्योंकि महिलाओं और बच्चों को किसी भी आन्दोलन से कोई सरोकार नहीं होता है। हम चाहते थे कि उनके साथ ऐसा व्यवहार न किया जाता। मैं

केवल इतना ही कह सकता हूं कि सभी माननीय सदस्यों से जो भी सुना है, वह बहुत ही जघन्य, बर्बर, अमानवीय और निर्दयतापूर्ण है।

प्रो० एन० जी० रंगा : ऐसा व्यवहार किया महिलाओं और बच्चों के साथ।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि सारी समस्या के प्रति प्रधान मंत्री को अत्यधिक चिंता है और इसीलिये इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक सलाहकार दल गठित करने का तत्काल निर्णय लिया और श्रीलंका सरकार के साथ किसी समझौते पर पहुंचने के लिए वह हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि एक राजनैतिक समाधान पर पहुंचने के लिए तत्काल कदम उठाया जा सके।

प्रो० मधु दंडवते : यह सलाहकार दल कोई सलाह स्वीकार करेगा या कोई सलाह देगा?

श्री खुर्शीद आलम खां : दोनों काम करेगा। मुझे आशा है कि अब आप संतुष्ट होंगे।

प्रो० मधु दंडवते : विचित्र कल्पना है।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मानव अधिकार आयोग को इस समस्या के बारे में पता है और मानव अधिकार आयोग के समक्ष हम इस समस्या को उठाते रहेंगे।

जो दल गठित किया गया है उसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना है कि इसमें दक्षिण वासियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह क्षेत्रीय आधार पर गठित नहीं किया गया है। यह दल सब राज्यों से ऊपर है। यह एक राष्ट्रीय दल है।

श्री पी० कुलनवईवेल् (गोबिचेट्टिपालयम) : इससमस्या का संबंध हम से अधिक है।

(व्यवधान)

डा० ए० कलानिधि : किन्तु दक्षिण का एक सदस्य रखना उचित होगा।

श्री खुर्शीद आलम खां : जब हम यह कहते हैं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है तो आपकी समस्या हमारी समस्या है।

डा० ए० कलानिधि : दक्षिण का एक सदस्य होना चाहिये था।

श्री खुर्शीद आलम खां : आप इस बात का निर्णय ले कि आप दोनों से तमिलनाडु का कौन अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा।

(व्यवधान)

श्री पार्थसारथी भी दक्षिण में हैं किन्तु मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि इसका आधार दक्षिण और उत्तर तथा पूर्व और पश्चिम है। इसका आधार राष्ट्रीय समस्या है और इसलिए मेरे विचार से इसे सबको मंजूर कर लेना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : उनका मुख्य मंत्री अखिल भारतीय अ० द्र० मु० क० का नहीं है किन्तु वह अखिल भारतीय अद्रमक का है।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं इन विवादों में नहीं पड़ना चाहता।

हम सदा यह कहते रहे हैं कि हम श्रीलंका की एकता और प्रादेशिक अखण्डता में विश्वास करते हैं किन्तु निश्चित रूप से श्रीलंका में तमिलों को आदरणीय स्थान देना होगा। उन्हें भी वही सुविधायें और अधिकार मिलने चाहिये जो सिंहलियों को प्राप्त हैं। वे द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं रह सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : वे द्वितीय श्रेणी के नागरिक ही रहे हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : मेरे विचार से हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे। यहां हर व्यक्ति उनका मामला उठा रहा है, इसलिए उन्हें वह मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिये।

यह सच है कि प्रतिबंधित क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्र और निगरानी क्षेत्र के कारण तमिल यूथ के मछेरों को अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा है। मेरे विचार से 1,50,000 व्यक्ति अपने पेशे से वंचित हो गये हैं और उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका की सरकार के साथ इस मामले को उठाना होगा। हमने इस बात की जानकारी उन्हें दे दी है। अन्ततोगत्वा उन्हें अपने पेशे से वंचित नहीं रखा जाना चाहिये और मछली पकड़ने की सुविधा उन्हें प्राप्त होनी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि श्रीलंका द्वारा हथियार एकत्र किये जाने से हम भयभीत हैं। श्रीलंका अथवा कोई भी अन्य कितने ही अस्त्र एकत्र कर लें। किन्तु हम लोग इतना ही आश्वासन दे सकते हैं कि हम किसी भी ओर से किसी भी देश से और किसी भी समय किसी भी चुनौती का मुकाबला करने को तैयार हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : हम किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहते।

श्री खुर्शीद आलम खां : हमने ऐसा कभी नहीं किया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने भाषण में कहा है कि 1971 में हमें युद्ध की घोषणा नहीं की थी। हमने पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया। पाकिस्तान ने ही युद्ध की घोषणा की थी और हमें अपनी सुरक्षा करनी पड़ी थी यह सच है कि हमारी नौसेना ने जो जहाज जब्त किया था वह श्रीलंका सरकार को लौटा दिया गया है। किन्तु वह उन्हें इस विचार से लौटाया गया था वे कि हमारे जल क्षेत्र में भविष्य में कभी घुस-पैठ नहीं होने देंगे। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने सबक ले लिया है और अभी तक उन्होंने उसकी पुनरावृत्ति नहीं की है।

यह सच है कि लंका में विभिन्न दलों के साथ जो समझौता हुआ था, उसे कार्यान्वित करने से लंका सरकार पीछे हट रही है। हमारे विचार से उन्हें बहुत पहले समझौते को कार्यान्वित कर देना चाहिए था। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया और अब भी वे पीछे हट रहे हैं।

हम श्रीलंका सरकार और उनके प्राधिकारियों से यह बात कई बार कह चुके हैं कि वे चाहे जो कुछ करें किन्तु सेना की सहायता से वे इस समस्या को नहीं सुलझा सकते हैं। उन्हें समझौते के लिये बैठक बुलानी पड़ेगी और केवल समझौते के द्वारा ही वे समस्या का समाधान कर सकते हैं जो श्रीलंका के संविधान के स्वरूप के अनुसार होगा और जो सबको मान्य होगा। उस समय भी इस बात को याद रखना होगा कि इस देश में एक लाख शरणार्थी हैं और उन्हें सम्मान और सुरक्षा के साथ वापस भेजा जाएगा।

अनेक सदस्यों को इस बात की जिज्ञासा है कि हम लोगों ने क्या प्रयत्न किये हैं और हमने लंका सरकार को क्या कहा है। इस बारे में भी मैं यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में व्यक्तित्व का कोई महत्त्व नहीं है; महत्त्व तो इस बात का है कि लक्ष्य की प्राप्ति होती है अथवा नहीं; कौन वहां गया, किसने उनसे बात-चीत की और कौन कितनी बार गया, इन सब बातों में व्यक्तित्व का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। जो हमारा उद्देश्य है उसके लिये हमने उन्हें तमिल क्षेत्रों से सैनिक टुकड़ियां हटा लेने का सुझाव दिया है और हमने सुझाव दिया है कि सेना को वापस बैरकों में भेज दिया जाय और तमिल बहुल क्षेत्रों में सिंहली परिवारों को बसाने की नीति को त्याग कर वहां सिविल प्रशासन बहाल किया जाय; संवि-

धान में किये गये छठे संशोधन को वापिस लिया जाय; प्रतिबंधित और निषेधात्मक निगरानी क्षेत्र से पाबन्दी हटा ली जाय। हमारे क्षेत्र में विदेशी एजेन्सियों की घुस-पैठ बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हम इस क्षेत्र में घुस-पैठ नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि हमने दोनों नौसेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से गश्त लगाने के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था हमने यह कहा था कि आंशिक समाधान के रूप में ऐसा नहीं किया जा सकता है। समाधान करना है तो पूरी तरह से करना है। संयुक्त रूप से गश्त लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि लगभग 7500 व्यक्ति मारे गये हैं। स्पष्ट रूपेण; ऐसे कोई प्राधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि कितने व्यक्ति मारे गये अथवा कितने व्यक्ति क्षेत्र में हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे कोई आंकड़े नहीं दिये हैं।

यह सूचना केवल समाचार-पत्रों से अथवा माननीय सदस्यों की सूचना को कोई भी स्रोत रहा हो, उससे प्राप्त हुई है।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह आरोप कि भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहित किया जाता है बिल्कुल निराधार और असत्य है। वे चाहे कोई भी प्रचार क्यों न कर रहे हों, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इस आधारहीन प्रचार का खण्डन करने के लिए निश्चय ही कुछ कदम उठाए जाएंगे। परन्तु हम यह सब एक गरिमापूर्ण ढंग से करेंगे उस तरह नहीं करेंगे जैसा कि वे कर रहे हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : मुक्ति आंदोलन को मान्यता देने के बारे में क्या राय है?

श्री खुर्शीद आलम खांन : मेरे विचार में यह प्रश्न अत्यन्त जटिल है और इस सम्बन्ध में इस समय कुछ कहना मेरे लिए संभव नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मुक्ति आन्दोलन का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है।

9.00 म०प०

श्री खुर्शीद आलम खां : मेरे विचार से न तो राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है और न ही विराष्ट्रीकरण किया जा सकता है। श्रीमती थैचर को दिए गए भोज के अवसर पर राष्ट्रपति जयवर्धने ने कहा कि ब्रिटिश सेनाएं देशों में कुछ स्थानों पर तैनात हैं। निस्सन्देह, हमारे पास उपलब्ध सूचना और हमें दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने अपने देश श्रीलंका में सेना तैनात करने के लिये नहीं कहा। परन्तु माननीय सदस्य अनुमान लगा सकते हैं कि इससे उनका क्या अभिप्राय था। अन्यथा यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि सेनाएं यहां तैनात हैं और वहां तैनात हैं? वास्तव में, इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है जो माननीय सदस्य निकाल सकते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : ब्रिटिश सरकार द्वारा हमें क्या आश्वासन दिया गया है?

श्री खुर्शीद आलम खां : ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि कोई भी उनकी मेजबानी का अथवा उनकी ओर से किसी चीज का दुरुपयोग नहीं कर सकता। श्रीमती थैचर ने प्रधान मंत्री के साथ अपनी बातचीत के दौरान इस सारे मामले के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति जयवर्धने को कहा है कि इस समस्या का राजनीतिक हल ढूंढना होगा और कोई तरीका नहीं है।

मुझे एक माननीय सदस्य की यह बात सुनकर बहुत खेद हुआ है कि पिछले दिन प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य अत्यन्त निराशाजनक था। मेरे विचार में प्रधानमंत्री ने तथ्य रखे थे।

तथ्य तो निस्सन्देह देने ही पड़ते हैं चाहे आप इसे निराशाजनक कहें या निराशाजनक नहीं कहें। उन्होंने तथ्य रखे थे और ग्रुप की नियुक्ति करके तत्काल कार्यवाही की थी जिससे सम्पूर्ण मामले पर उसकी चिन्ता स्पष्ट होती है।

यह सच नहीं है कि हम खालिस्तान से डरते हैं। यदि हम श्रीलंका के तमिलों के बारे में सक्रिय रुचि लेते हैं तो यह खालिस्तान और अन्य बातें हमारे लिये कुछ नहीं हैं। इस मामले पर हम सबकी एक राय है कि·····(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री खुर्शीद आलम खां : इन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु इस मामले पर हम सब की एक राय है कि श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसे राष्ट्रीय प्रश्न समझना चाहिए। इसलिए इसका किसी अन्य स्थान पर हो रही किसी घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है।·····(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : लौंगोवाल तक ने यह कहा है कि वह खालिस्तान के विरुद्ध हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : बहुत अच्छा। मैं इससे सहमत हूं कि श्रीलंका के बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के साथ न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि उदार भी होना चाहिए क्योंकि केवल इसी ढंग से अल्पसंख्यकों के दिलों को जीता जा सकता है चाहे वे बौद्ध हों, ईसाई हों या मुसलमान हों या कुछ भी हों।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि भूगोल, इतिहास संस्कृति और सांझे सिद्धांत भारत को श्रीलंका से जोड़ते हैं। इसी प्रकार भारत ने निरन्तर श्रीलंका के साथ मधुर सम्बन्ध रखने का तथा उस क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। अतः हम श्रीलंका और इसके लोगों और इसकी सरकार और इसके राष्ट्रपति पर यह जोर डालते रहे हैं कि उन्हें इस समस्या का राजनीतिक हल ढूंढने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे ताकि यह समस्या सदा के लिए खतम हो जाए और मुसीबत दूर हो जाए और श्रीलंका के सभी लोग वहां खुश रहें क्योंकि इस क्षेत्र के लिए यह आवश्यक है कि वहां शान्ति होनी चाहिए, ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति और मित्रता पूर्वक रहना चाहते हैं। यही हमारी नीति है। हम इसी नीति का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीलंका, उसके लोगों और सरकार को यह बात पसन्द आएगी और वार्ता से किसी समझौते पर पहुंचेंगे। इस समस्या का बिना किसी विलम्ब के वार्ता द्वारा हल निकाला जाना चाहिए ताकि लोगों के दुःखों और कष्टों का अन्त हो। हम सरकार से, लोगों से तथा श्रीलंका के प्रत्येक व्यक्ति से अपील करते हैं कि वे सब इस प्रश्न पर एक हो जाएं जैसा कि हम सब यहां एक हैं। यदि वे एक हो जाते हैं और दृढ़ राजनीतिक इच्छा है तो मुझे विश्वास है कि इस समस्या का राजनीतिक हल ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

मेरे विचार से मैंने सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीलंका के सम्बन्ध में क्या किया जाना है? यह मुद्दा रह गया है।

श्री खुर्शीद आलम खां : हम इस कार्य में लगे हैं और आप हममें से एक हैं।

इस वाद-विवाद में जिन सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उन सबका पुनः धन्यवाद करता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं और मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि उनके द्वारा

दिए बहुमूल्य सुझावों पर ईमानदारी से विचार किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह कर कि मेरे भाषण को पढ़ा गया समझ लिया जाए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसके बाद होने वाले रात्रिभोज (डिनर) का क्या हुआ ?

श्री खुर्शीद आलम खां : हम आशा करते हैं कि अध्यक्ष महोदय नहीं बोलेंगे। आज अध्यक्ष महोदय बोले हैं। इसलिए रात्रिभोज उनसे मांगिए।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र दिनांक 29 अप्रैल, 1985 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 137/85 सीमा शुल्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा काफी पर निर्यात शुल्क 720 रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर 570 रुपये प्रति क्विंटल करने के सम्बन्ध में एक व्याख्यात्मक टिप्पणी सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 816/85]

9.06 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 30 अप्रैल, 1985/10 वैशाख, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : सम्राट् प्रैस, पहाड़ी धीरज, दिल्ली